[2019] 16 एस. सी. आर 1

रोजर मैथ्यू

वी.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। & ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 8588)

नवंबर 13, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, एन. वी. रमना, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

दीपाक गुप्ता और संजीव खन्ना, जे. जे.]

न्यायाधिकरण वित्त अधिनियम, 2017–वित्त अधिनियम, 2017 ' धन बिल 'या यू/आर्ट नहीं। 110–अधिनियम, 2017 की वैधता–आयोजितः के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत ने पहले इसका वर्णन किए बिना विवादित अधिनियम की प्रकृति को स्पष्ट किया। Art.110 (1) का दायरा और व्याख्या के लिए सिद्धांत या इस तरह की प्रक्रिया के परिणाम के. एस. में बहुमत का कथन पुट्टास्वामी (आधार–5) ने इसके प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा नहीं की। Art.110 (1) में 'केवल' शब्द और एक निष्कर्ष के नतीजों पर बहुत कम मार्गदर्शन प्रदान करता है जब एक के कुछ प्रावधान 'धन विधेयक' के रूप में पारित अधिनियम कला के अनुरूप नहीं है। 110 (1) (क) (ख)–दृढ़ और अंतिम राय व्यक्त किए बिना, के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में किए गए विश्लेषण ने वर्तमान मामले में इसके आवेदन को कठिन बना दिया और दोनों पक्षों के बीच एक संभावित संघर्ष को जन्म दिया। समन्वित पीठों के निर्णय–के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) के समान संख्या वाली पीठ होने के कारण, मामलों के समूह को बड़ी पीठ को भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

न्यायाधिकरण–वित्त अधिनियम, 2017–धारा 184–एस की संवैधानिकता। 184 अत्यधिक प्रतिनिधिमंडलों के कारण–एस। 184 करता है विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडलों से पीड़ित नहीं हैं क्योंकि प्रत्यायोजित लोगों को तैयार करने के लिए पर्याप्त सिद्धांत हैं कानून, जिसमें के बाध्यकारी उक्ति शामिल होंगे सर्वोच्च न्यायालय–मूल अधिनियमों के उद्देश्यों के साथ–साथ आर. के. जैन, एल. चंद्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। कुमार, आर. गांधी, मद्रास बार एसोसिएशन और गुजरात ऊर्जा विकास निस्संदेह प्रतिनिधि को बांधता है और अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता होती है प्रतिनिधि यू/एस। 184 इन निर्णयों के अनुरूप सख्ती से कार्य करना। और विधियों में निर्धारित प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य।

न्यायाधिकरण–न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017–उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित संवैधानिक योजना में

निहित न्यायिक सिद्धांतों के साथ नियमों की अनुरूपता–ने कहाः नियमों के तहत खोज–सह–चयन समितियों का गठन वैधानिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन कार्यालयों की नियुक्ति में कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप है और यह हानिकारक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए– इसके अलावा, नियुक्तियों में न्यायिक चरित्र को काफी कमजोर किया गया है जिसके द्वारा किसी भी न्यायिक अनुभव के बिना उम्मीदवारों को पीठासीन अधिकारी जैसे न्यायिक पदों के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित किया जाता है–इसलिए, नियमों का न्यायिक पदों में न्यायिक चरित्र को कमजोर करने का प्रभाव पड़ता है–इसके अलावा, सदस्यों या पीठासीन अधिकारी को पहले एक जांच के बाद हटा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आवश्यक परामर्श के साथ, वर्तमान नियमों के तहत केंद्र सरकार के लिए किसी भी पीठासीन अधिकारी या सदस्य को हटाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने की अनुमति है–न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों को न्यायपालिका की सहमति के बिना या इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान में निर्दिष्ट–साथ ही, सभी न्यायाधिकरणों में सभी सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की एक समान आयु होनी चाहिए, नियम आयु में असमानता को प्रदर्शित करते हैं – विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों/पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति– इसके अलावा, न्यायाधिकरणों के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल के संबंध में नियमों के भीतर विसंगति है, जहां तक कि बार से प्रत्यक्ष नियुक्तियों और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति दोनों के लिए तीन साल का एक निश्चित कार्यकाल है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी या न्यायाधीश–यह भी है इस हद तक भेदभावपूर्ण है कि यह असमान वर्गों के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करता है–इसलिए, नियम विभिन्न दुर्बलताओं से पीड़ित हैं और मूल अधिनियम के विपरीत हैं और परिणामस्वरूप, संविधान में परिकल्पित सिद्धांतों को पूरी तरह से निरस्त करने का निर्देश दिया गया।

न्यायाधिकरण–वित्त अधिनियम, 2017–क्या सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए एक ही नोडल एजेंसी होनी चाहिए–आयोजितः यह. यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है कि कौन सा मंत्रालय या विभाग एक न्यायाधिकरण के लिए नोडल एजेंसी के कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन रोजर मैथ्यू बनाम क्या है। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह अपनी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए ऐसी नोडल एजेंसी की ओर देखे। प्रत्येक न्यायाधिकरण को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त धन आवंटित करने का निर्देश होना चाहिए। सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए स्थायी प्राधिकरण।

एसोसिएशन (II) v. न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समिति के गठन के लिए भारत संघ–अनुसरण इसके लिए, जगन्नाथ राव समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि विधायिका को कर्मचारियों की बजटीय आवश्यकता, अधिनियम के परिणामस्वरूप नए मामलों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय, सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या का विश्लेषण करना चाहिए। नए अधिनियम, न्यायाधीशों की आवश्यकता आदि से उत्पन्न होने वाले मामले– विधायिका ने न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की राय के अनुरूप नहीं किया है

और इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2017 के प्रभावों का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया है– इसलिए, भारत संघ ने सभी मामलों के संबंध में वित्तीय प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। एस. एस. को संदर्भित न्यायाधिकरण। 158 वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 182 तक और आवश्यकता आधारित आवश्यकताओं का आकलन करने और संसद द्वारा स्थापित प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक अभ्यास शुरू करना।

न्यायाधिकरण–कला के तहत संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित न्यायाधिकरणों के न्यायाधीश। 323 – संविधान के ए और 323–बी को संवैधानिक अधिकारियों के साथ 'रैंक' और 'स्थिति' के बराबर माना गया–आयोजितः इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्यकारी कार्रवाई किसी भी न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक मंच के किसी भी सदस्य या प्रमुख को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा प्रदान नहीं कर सकती है–न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के विकल्प नहीं हैं और केवल उनके पूरक हैं इसलिए, ऐसे न्यायाधिकरणों के सदस्यों की स्थिति को संवैधानिक न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों के समान नहीं माना जा सकता है। न्यायाधिकरण–न्यायाधिकरणों से उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष सांविधिक अपील–जिन पर विचार किया गयाः इस तरह की वैधानिक अपीलें उच्चतम न्यायालय की अंतर्निहित क्षमता को छीन लेती हैं, जैसा कि संविधान में परिकल्पित है, अपने समक्ष मामलों को सीमित करके विनियमित करने के लिए। सबसे गंभीर गलतियों और/या सार्वजनिक हित पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले मामलों पर विचार–यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमित [2019] 16 एस. सी. आर. के कारण अपना मूल चरित्र खो दिया है।

अनुच्छेद के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के आह्वान के माध्यम से अपीलों की सुनवाई। 136 – संवैधानिक कार्य के निर्वहन के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार–विमर्श करने, संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर देने और महान सार्वजनिक महत्व के अन्य मुद्दों को हल करने के कार्यों के लिए, यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने दिमाग को लागू करने और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्येक दूसरे मामले को लाने की प्रथा पर गहराई से विचार करने के लिए पर्याप्त समय हो। 136 पदच्युत किया जाना चाहिए–इसलिए, भारत संघ या तो विधि आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के परामर्श से न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करने वाले विभिन्न अधिनियमों के तहत ऐसे प्रावधानों पर पुनर्विचार करता है, और इसके बजाय यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालयों की खंड पीठों को अपील प्रदान करें। न्यायाधिकरण–मौजूदा न्यायाधिकरणों का समामेलन और पीठों की स्थापना–की आवश्यकता–आयोजितः केस–लोड के वितरण में 'महत्व' और प्रकृति, स्थान और व्यवस्था में विसंगतियां।

न्यायाधिकरणों के कामकाज पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है–यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रभाव आकलन करने के बाद, न्यायाधिकरणों को कानून के समान क्षेत्रों से निपटने वाले अन्य लोगों के साथ जोड़ा जाए, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, केंद्र सरकार ने मौजूदा न्यायाधिकरणों के समामेलन के लिए एक उचित अभ्यास करने का निर्देश दिया, जिसमें विषय मामलों की एकरूपता की कसौटी को अपनाया जाए और

उसके बाद पर्याप्त संख्या में पीठों का गठन किया जाए। काम की मौजूदा और प्रत्याशित मात्रा के अनुरूप। न्यायाधिकरण–न्यायाधिकरण–एक वैश्विक प्रवृत्ति–पर चर्चा की गई।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

हेल्ड पर रंजन गोगोई, सीजेआई (स्वयं के लिए) और एन. वी. रमना, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना, जे. जे.)

1. मुद्दा I: 'वित्त अधिनियम, 2017' कुछ भी नहीं है क्योंकि यह अन्य लक्ष्यों में सुधार करता है और व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को अलग–अलग ट्राइब्यूनल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन बिल' और क्या यह वैध रूप से प्रभावित है?

1.1 भाग XIV के प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मौजूदा रोजर मैथ्यू का उन्मूलन और विलय बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

न्यायाधिकरण; दूसरा, नियमों के माध्यम से केंद्र सरकार को एकरूपता और प्रत्यायोजित करने की शक्ति योग्यताएँ; नियुक्ति और हटाने की विधि, और पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें; और तीसरा, सेवाओं की समाप्ति और कुछ न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को मुआवजे का भुगतान जो अब निष्क्रिय हो गए हैं। [पैरा 112] [85–ए–बी]

(आधार–5) ने शब्द के प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा नहीं की। ' केवल अनुच्छेद 110 (1) में 'और किसी निष्कर्ष के परिणामों पर बहुत कम मार्गदर्शन प्रदान करता है जब "धन विधेयक" के रूप में पारित अधिनियम के कुछ प्रावधान अनुच्छेद के अनुरूप नहीं होते हैं। 110 (1) (ए) से (जी)। के प्रावधानों की इसकी व्याख्या आधार अधिनियम यकीनन उदार था और उक्त प्रावधानों के अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के आनुषंगिक होने पर न्यायालय की संतुष्टि के कारण, यह तर्क दिया गया है कि आश्वस्त करने वाला तर्क नहीं है, जैसा कि परिकल्पित द्विसदनीय संसदीय प्रणाली के अनुरूप नहीं हो सकता है हमारी संवैधानिक योजना के तहत। एक दृढ़ और अंतिम राय व्यक्त किए बिना, यह देखा जाना चाहिए कि के. एस. में विश्लेषण। पुट्टास्वामी (आधार–5) इसके आवेदन को वर्तमान मामले के लिए कठिन बनाता है और दोनों पक्षों के बीच एक संभावित संघर्ष को जन्म देता है। समन्वय पीठों के निर्णय। [पैरा 122] [90–ए–डी]

1.3 के दायरे में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए न्यायिक समीक्षा और व्याख्यात्मक सिद्धांत (या उनकी कमी) के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत और आधार अधिनियम, 2016 के इसके विश्लेषण के पर्याप्त पूर्ववर्ती प्रभाव के आधार पर, इसकी शुद्धता का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। के. एस. पुट्टास्वामी के समान ताकत की बेंच होने के नाते (आधार–5), यह न्यायालय तदनुसार निर्देश देता है कि मामलों के इस समूह को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए प्रशासनिक पक्ष से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। [पैरा 123] [90–ई]

1.4 एक और कारण है कि इस न्यायालय को लगता है कि इस मामले को सात सदस्यीय संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। न्यायाधीशों। एल. चंद्र कुमार, जिसे सात न्यायाधीशों की पीठ ने तय किया था, ने संविधान के अनुच्छेद 227 (1) के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा पर्यवेक्षण के दायरे पर भी व्याख्या की थी कि संवैधानिक योजना में उन सभी न्यायिक निकायों की आवश्यकता नहीं है जो उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो उनके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन होने चाहिए, क्योंकि विचार उच्च न्यायालयों को उनके भारी बोझ से वंचित करना है। नतीजतन, अनुच्छेद 227 (1) के अनुसार उनके पर्यवेक्षी कार्यों को जोड़ना किसी भी तरह से सहायक नहीं हो सकता है। इसके बाद, यह देखा गया कि विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित विभिन्न न्यायाधिकरणों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है, फिर भी कोई एकरूपता नहीं थी

एकल नोडल मंत्रालय के तहत जो इन न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करने की स्थिति में होगा। कई कारणों से, न्यायालय ने कहा कि विधि मंत्रालय होगा उचित मंत्रालय। बदले में विधि मंत्रालय को न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय नियुक्त करने की आवश्यकता थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसा नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि इन पहलुओं और प्रश्नों पर सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया जाए। [पैरा 124] [90–एफ–एच; 91–ए–बी]

2. मुद्दा II: संविधान की धारा 184 वित्त अधिनियम, 2017 असंवैधानिक है

विशिष्ट निष्कासन का खाता?

2.1 . यह मानना मुश्किल होगा कि वित्त अधिनियम का भाग XIV दिशाहीन प्रतिनिधि मंडल के दोष से ग्रस्त है क्योंकि यह विफल रहता है

विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों, अध्यक्षों, अध्यक्ष आदि के लिए पात्रता योग्यताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें। आवश्यकताएँ, हालांकि महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में कार्यात्मक रूप से अयोग्य नहीं हैं। [पैरा 142] [103–एफ–एच]

2.2 मूल अधिनियमों के उद्देश्यों के साथ–साथ इस न्यायालय द्वारा आर. के. जैन, एल. चंद्र कुमार, आर. गांधी, मद्रास बार एसोसिएशन और गुजरात ऊर्जा विकास रोजर मैथ्यू बनाम में निर्धारित कानून।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णयों में सिफारिश की गई। [पैरा 143] [104 ए–सी] 2.3 . संवैधानिक योजना की जांच करने पर, जिन कानूनों ने न्यायाधिकरण बनाए थे और इस न्यायालय के उदाहरण

विभिन्न पहलुओं में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता की विशेषताओं को निर्धारित करते हुए, यह न्यायालय यह नहीं सोचता है कि योग्यता, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति

न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अन्य पदधारकों का उद्देश्य हर समय और उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से विधानमंडल के पास निहित होना है। नीति और दिशानिर्देश मौजूद हैं। उपरोक्त के अधीन, महान्यायवादी का यह निवेदन कि धारा 184 को लाने के लिए अंतःस्थापित किया गया था एकरूपता और विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्ति की विविध और व्यापक योग्यताओं और तरीकों में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है।

[पैरा 148] [107–सी–डी]

2.4 कार्यपालिका द्वारा धारा 184 के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ आगाह करते हुए, याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा जोरदार तर्क दिया गया था

कि कार्यपालिका द्वारा ऐसी शक्तियों का कोई भी अनादर न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के लिए खतरा और खतरा पैदा करता है। इस तरह के दावे का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत के अभाव में प्रत्यायोजित शक्तियों के दुरुपयोग की केवल एक संभावना या घटना नहीं हो सकती है।

वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को निरस्त करने का आधार। यह जाँचने के लिए कि क्या यह मूल विधान और अन्य कानूनों के अनुरूप है, और "नीति और दिशानिर्देश" परीक्षण को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा बनाए गए प्रत्यायोजित कानून को दी गई चुनौती पर एक संवैधानिक अदालत के लिए हमेशा खुला है और यदि इसके विपरीत पाया जाता है, तो कर सकते हैं।

वित्त अधिनियम की धारा 186 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति की संवैधानिकता को प्रभावित किए बिना निरस्त किया जाए,

2017. [पैरा 149] [107–ई–जी] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. मुद्दा III: यदि धारा 184 वैध है, तो एक साथ न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य

प्राधिकरण (गुणवत्ता, अनुभव)

और सेवाओं की अन्य शर्तें

सदस्य) नियम, 2017 सहमति में हैं

मौलिक अधिनियम और विभिन्नताओं के साथ

इस न्यायालय के कार्य निष्पादन पर निर्णय

न्यायाधिकरण?

3.1 (क) खोज–सह–चयन समितियों की संरचना

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होने के अलावा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अपमान। [पैरा 154] [118]

सी]

3.1 (2) यह न्यायालय चौथे संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट की गई उपमा से पूरी तरह सहमत है।

नियंत्रण के बहिष्करण के लिए अनिवार्य आवश्यकता के लिए न्यायाधीशों का मामला

न्यायालयों के समान जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले न्यायाधिकरणों के अर्ध–न्यायिक निकायों पर कार्यपालिका। खोज–सह–चयन

नियमों में परिकल्पित समितियाँ संवैधानिक योजना के खिलाफ हैं क्योंकि वे सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की भागीदारी को कम करती हैं।

न्यायाधिकरण जो वास्तव में कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर अतिक्रमण है। [पैरा 158] [121–डी–एफ]

3.2 (ख) सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की योग्यताएँ

3.2 (1) नियुक्तियों में न्यायिक चरित्र को स्पष्ट रूप से कमजोर किया गया है, जिसमें बिना किसी नियुक्ति के उम्मीदवार शामिल होते हैं।

पीठासीन अधिकारी जैसे न्यायिक पदों के लिए पात्र होने के लिए न्यायिक अनुभव निर्धारित किया जाता है। [पैरा 160] [122–ई]

3.2 (2) इसलिए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को इस न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि – न्यायनिर्णायक पदों में न्यायिक चरित्र के कमजोर होने का प्रभाव नियमों पर पड़ता है। इस न्यायालय द्वारा बार–बार फैसला सुनाया गया है।

निर्णयों के एक समूह में कि न्यायिक कार्य रोजर मैथ्यू v नहीं हो सकते हैं।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

किसी भी न्यायिक अनुभव के बिना तकनीकी सदस्यों द्वारा निष्पादित। [पैरा 161] [121–बी]

3.2 (3) यह न्यायालय कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण से सहमत है। यह एक सुस्थापित सिद्धांत भी है जिसका पालन विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों में किया जाता है।

ठीक है, कि जहाँ भी संसद पारंपरिक न्यायालयों को उनकी अधिकारिता से अलग करने और किसी अन्य समान न्यायालय/न्यायाधिकरण को न्यायाधीशों को हस्तांतरित करने का निर्णय लेती है, वहाँ ऐसे न्यायाधिकरण में सदस्यों की योग्यता और कौशल उस न्यायालय के अनुरूप होना चाहिए जिससे न्यायनिर्णायक कार्य स्थानांतरित किया जाता है। उन विवादों का निर्णय जो मूल रूप से न्यायाधीशों में निहित थे

न्यायालयों का गठन, यदि तकनीकी या गैर–न्यायिक सदस्य द्वारा किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से न्यायिक क्षेत्र पर एक दुर्बलता और अतिक्रमण है। शानदार तरीके से।

इस संबंध में, संसद तकनीकी सदस्यों पर न्यायिक कार्यों को विभाजित नहीं कर सकती है, दोनों में से किसी भी न्यायिक अनुभव के बिना।

या कानूनी ज्ञान। [पैरा 163] [127–डी–एफ]

3.2 (4) नए नियमों द्वारा लाए गए कुछ अन्य परिवर्तनों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले, अधिकांश न्यायाधिकरण पहले थे

न्यायिक सदस्यों के नेतृत्व में। ऋण वसूली न्यायाधिकरण जैसे कुछ न्यायाधिकरणों को छोड़कर, पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। नियमों के वर्तमान निर्माण के तहत, केंद्र सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को बनाकर पात्रता का विस्तार किया है जो

अन्यथा कोई न्यायिक या कानूनी अनुभव नहीं है लेकिन यदि वे हैं

अन्यथा "क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति, और" कुछ विशेष विषयों "का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव होना जो केंद्र सरकार की राय में उपयोगी है" पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, अन्य जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, वे भी न्यायाधिकरणों का नेतृत्व कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 (3) और 217 (2) के अवलोकन से पता चलता है कि यह संविधान के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केवल न्यूनतम पूर्व शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

संवैधानिक न्यायालय। इसके बजाय, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए विचार का एक प्रमुख हिस्सा

न्यायालय असंकलित होते हैं और अधिवक्ताओं के व्यवहार, कानूनी कौशल, विशेषज्ञता और चरित्र के समग्र विचार पर आधारित होते हैं।

नए मानदंडों का प्रभाव प्रत्येक दूसरे अधिवक्ता को योग्य बनाना होगा, वास्तव में, [2019] 16 एस. सी. आर. के लिए योग्यता को काफी कम कर देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियुक्ति। ऐसे लोगों की आवश्यक विशेषताएँ भी अस्पष्ट हैं जो परिणामस्वरूप कार्यकारी विवेक को बढ़ाती हैं। यह.

इस प्रकार न्यायिक स्वतंत्रता के साथ-साथ इन न्यायाधिकरणों की क्षमता और क्षमता दोनों को प्रभावित करता है। योग्यता निर्दिष्ट करने और यह तय करने की शक्ति/विवेकाधिकार निहित है कि न्यायाधिकरणों का संचालन किसे करना चाहिए

इसका उपयोग व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और यह न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए और अस्पष्ट या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। [पैरा 164] [127-एफ-एच; 128-ए-सी] 3.2 (5) इस मोड़ पर यह भी दोहराया जाना चाहिए कि समानता केवल बराबर लोगों के बीच ही हो सकती है, और यह होगा

अनिर्धारित के आधार पर असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने की अनुमति नहीं है 'एकरूपता' के रूप। एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में और न्यायालयों के वैध प्रतिस्थापन के लिए एक न्यायाधिकरण के पास अनिवार्य रूप से अपने सदस्यों/पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से एक प्रमुख न्यायिक चरित्र होना चाहिए। यह मद्रास बार में देखा गया था।

एसोसिएशन (2010) कि यह न्यायालयों से न्यायाधिकरणों को न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए एक मौलिक पूर्व शर्त है कि

उत्तरार्द्ध के पास पूर्व के समान क्षमता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सदस्यों के साथ-साथ न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के पास महत्वपूर्ण न्यायिक प्रशिक्षण और कानूनी अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव

न्यायाधिकरण के सदस्यों/पीठासीन अधिकारियों को, जहां तक संभव हो, उस न्यायालय को प्रतिबिंबित करना चाहिए जिसे वह प्रतिस्थापित करना चाहता है। [पैरा 165] [128-डी-जी]

((c) हटाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता

3.3 (1) नियमों के तहत विचार की गई योजना से यह स्पष्ट है कि सरकार ने इन योजनाओं की भूमिका को काफी कम कर दिया है – न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में न्यायपालिका। इसके अलावा, एनजीटी जैसे कई न्यायाधिकरणों में न्यायपालिका की भूमिका

गैर–न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से हटा ली गई है। इस तरह की प्रथा संवैधानिक योजना का उल्लंघन करती है और

पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जांच के बाद और मुख्य न्यायाधीश के साथ आवश्यक परामर्श के बाद ही हो सकता है। भारत सरकार, वर्तमान नियमों के तहत केंद्र सरकार के लिए किसी भी रोजर गणित को हटाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने की अनुमति है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

अपने दम पर पीठासीन अधिकारी या सदस्य। नियम स्पष्ट नहीं हैं कि ऐसी समिति का हिस्सा कौन होगा और इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी। ऐसा करते हुए, यह न्यायाधिकरण के सदस्यों की स्वतंत्रता को काफी कमजोर करता है। यह दुनिया भर में और हमारे अधीन भी अच्छी तरह से समझा जाता है।

संवैधानिक ढांचा जो कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाने की अनुमति देता है, स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और उन्हें कार्यपालिका की सनक के प्रति उत्तरदायी बनाएगा, जिससे न्यायिक कार्यों के निर्वहन में बाधा आएगी। [पैरा 169] [129–एफ–एच; 130–ए–बी]

3.3 (2) यह आवश्यक है कि इसका अक्षरशः पालन किया जाए और इसलिए यह न्यायालय दोहराता है कि सदस्य और

न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को न्यायपालिका की सहमति के बिना या इसमें निर्दिष्ट तरीके से नहीं हटाया जा सकता है।

संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान। [पैरा 171] [130

जी–एच]

3.4 ((घ) कार्यकाल और अधिकतम आयु

3.4 (1) सदस्यों की नियुक्ति और अन्य आनुषंगिकताओं का प्रावधान करने वाले विभिन्न अधिनियमों को हमारे संज्ञान में लाया गया है

विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों/पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में स्पष्ट असमानता प्रदर्शित करना। उदाहरण के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 डी में दूरसंचार विवाद निपटान के सदस्य का प्रावधान है और अपीलीय न्यायाधिकरण पद पर नहीं रहेगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग साठ–सात वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण न करें। यह

सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर एक अवांछनीय स्थिति का कारण बन सकता है जिसमें कम सेवानिवृत्ति की आयु वाले न्यायाधिकरण के सदस्य को उच्च सेवानिवृत्ति की आयु वाले किसी अन्य न्यायाधिकरण में फिर से नियुक्त किया जा सकता है। [पैरा 172] [131–ए–सी]

3.4 (2) भारत का संविधान न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के संदर्भ में उच्च न्यायालयों के बीच अंतर नहीं करता है और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की एक समान आयु निर्धारित करता है। इस सिद्धांत के अनुरूप, जैसा कि इस न्यायालय के पहले के निर्णयों में कहा गया था, न्यायाधिकरणों के पास समान होना चाहिए

न्यायालय के रूप में नियुक्ति और सेवा के मानक [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

प्रतिस्थापित करें। इसलिए, एक समान आयु होनी चाहिए सभी न्यायाधिकरणों में सभी सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति। [पैरा 173] [131–डी–ई]

3.5 (ई) नियमों में विरोधाभास पीठ ने निम्नलिखित विरोधाभासों का अवलोकन किया है –

नियमः

(क) न्यायाधिकरणों के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल के संबंध में नियमों में विसंगति है।

बार से प्रत्यक्ष नियुक्तियों और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति दोनों के लिए तीन साल के एक निश्चित कार्यकाल के रूप में या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यह इस हद तक भेदभावपूर्ण भी है कि यह असमान वर्गों के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करता है। न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर विचार करते हुए सदस्यों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आदि का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए।

(ख) सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर, जैसा कि नियमों में तैयार किया गया है, वित्त अधिनियम, 2017 के उद्देश्यों के विपरीत है। , न्यायाधिकरण की संरचना में एकरूपता प्राप्त करना

फ्रेमवर्क। सेवानिवृत्ति की एक समान आयु होनी चाहिए।

सभी न्यायाधिकरणों में सदस्यों, उपाध्यक्षों, अध्यक्षों आदि के लिए। (ग) नियमों के नियम 4 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार के सचिव

जिस न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, वह खोज–सह–चयन समिति का संयोजक होगा, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है और इस प्रकार संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। चौथे न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय के कथन के अनुरूप, न्यायिक प्रभुत्व

न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति को कार्यपालिका द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता है।

(घ) नियम 7 केंद्र सरकार को अनुचित विवेकाधिकार प्रदान करता है क्योंकि यह केवल निर्देश देता है और आदेश नहीं देता है

केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के किसी सदस्य को हटाने के लिए समिति की सिफारिश पर विचार करेगी। केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के किसी भी सदस्य को हटाने से पहले समिति की सिफारिशों पर अनिवार्य रूप से विचार करेगी। इसके अलावा, नियम 7 का परंतुक एक अन्यायपूर्ण रोजर मैथ्यू v बनाता है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) और अन्य मंचों के बीच वर्गीकरण जैसे कि

अकेले एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष या सदस्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना होता है।

(ई) नैतिक अधमता एक ऐसा शब्द है जिसे इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। नियम 7 (बी) को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

यह कार्यपालिका को 'नैतिक अधमता' के अर्थ की व्याख्या करने की अनुमति देता है, जो न्यायिक क्षेत्र पर अतिक्रमण है।

(च) व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के संबंध में नियमों में ढील देने की शक्ति खोज–सह–चयन समिति के पास निहित होगी, न कि केंद्र सरकार के पास, जैसा कि प्रावधान किया गया है।

नियम 20 के तहत। जैसा कि इस अदालत ने मद्रास बार एसोसिएशन (2014) में पहले फैसला सुनाया था, केंद्र सरकार को न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नष्ट करना। [पैरा179] [133 ए–एच; 134–ए–डी]

4. मुद्दा IV: कहीं भी ए होना चाहिए

प्रशासन के लिए एकल नोडल एजेंसी

सभी दोष?

4.1 एल. चंद्र कुमार बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ ने पूरे न्यायाधिकरण ढांचे के प्रशासन की परिकल्पना की

देश में एकल नोडल एजेंसी/मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाएगी। यह देखा गया कि पर्यवेक्षण की अनुमति देना उचित नहीं है

एक विभाग/मंत्रालय द्वारा न्यायाधिकरण जो उसके समक्ष एक पक्ष है। इस न्यायालय ने एक स्वतंत्र एजेंसी के गठन की सिफारिश की

संबंधित मंत्रालय, न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करने के लिए। जब स्वतंत्र एजेंसी का गठन किया जाता है, तो वह न्यायाधिकरणों की नियुक्ति, योग्यता, सेवा की शर्त, निधि के आवंटन के तरीके आदि के लिए एक समान संहिता भी निर्धारित कर सकती है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि यह न्यायाधिकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के अलावा, न्यायाधिकरण के मूल मंत्रालय के प्रभाव को कम करेगा।

पूरा न्यायाधिकरण ढांचा। [पैरा 181] [134–जी–एच; 135–ए–बी]

4.2 जो बात सर्वोपरि प्रतीत होती है वह यह है कि प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए।

इसके दिन–प्रतिदिन के कामकाज का उद्देश्य जिसमें शामिल हैं

(ए) कर्मचारियों की भर्ती; (बी) बुनियादी ढांचे का निर्माण; (सी) बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण; (डी) कम्प्यूटरीकरण; (ई) अनुलाभ और अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीठासीन प्राधिकरण या ऐसे न्यायाधिकरण के सदस्यों को। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है कि कौन सा मंत्रालय या विभाग एक न्यायाधिकरण के लिए नोडल एजेंसी के कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधिकरण से ऐसी नोडल एजेंसी की ओर देखने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आवश्यकताएँ। प्रत्येक न्यायाधिकरण को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर प्राधिकरण बनाने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त धन आवंटित करने का निर्देश होना चाहिए। द.

प्रत्येक न्यायाधिकरण के कार्यकरण पर होने वाला व्यय

अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि पर एक शुल्क होना चाहिए। इसलिए, अब तक, वित्त मंत्रालय, नोडल मंत्रालय/विभाग के परामर्श से, न्यायाधिकरणों के लिए अलग और समर्पित धन निर्धारित करेगा। यह न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधिकरणों के वित्तीय नियंत्रण में नहीं हैं

विभाग, जो उनके समक्ष एक वादी है, लेकिन यह न्यायाधिकरणों के तंत्र में जनता के विश्वास और विश्वास को भी बढ़ा सकता है। [पैरा 184] [136–ई–एच; 137–ए]

5. आईएसयूई वीः किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है

भारत के सभी संकटों में से? 5.1 'न्यायिक प्रभाव' का अमेरिकी सिद्धांत

सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन। (II) v. भारत संघ, जिसके तहत यह देखा गया कि विधानमंडल के लिए एक कार्य करना अनिवार्य है न्यायपालिका पर इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए पारित अधिनियम का न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन। इस न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था

भारतीय संदर्भ में प्रभाव मूल्यांकन। इसके अनुसार जगन्नाथ राव समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि न्यायिक प्रभाव आकलन के माध्यम से, विधायिका को कर्मचारियों की बजटीय आवश्यकता का विश्लेषण करना चाहिए जिसे कानून द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता होगी और नए मामलों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय का विश्लेषण करना चाहिए।

अधिनियमन। इसके अलावा, विधायिका द्वारा तैयार किए गए वित्तीय ज्ञापन में विशेष रूप से नए अधिनियम से उत्पन्न होने वाले दीवानी और आपराधिक मामलों की संख्या, इन मामलों के निर्णय के लिए अधिक न्यायाधीशों और कर्मचारियों की आवश्यकता और आवश्यक बुनियादी ढांचा शामिल होना चाहिए। [पैरा 187] [137–ई–एच; 138–ए] रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

5.2 (1) वर्तमान मामले में, इस न्यायालय का विचार है कि

विधायिका ने 'न्यायिक प्रभाव आकलन' के संबंध में इस न्यायालय की राय का पालन नहीं किया है और इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2017 के प्रभावों का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया है। यह वैध रूप से उम्मीद की जा सकती है कि बहुआयामी

न्यायाधिकरणों के विलय और पुनर्गठन के संबंध में संशोधनों के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में भारी वृद्धि हो सकती है, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे या बजटीय अनुदान के अभाव में न्यायपालिका पर अधिक बोझ डालेगा। [पैरा 188] [138–ई–एफ] 5.2 (2) चीजों की योग्यता में, यह न्यायालय भारत संघ को वित्तीय कार्य करने का निर्देश देना उचित समझता है।

संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 158 से 182 तक और आवश्यकता आधारित आवश्यकताओं का आकलन करने और संसद द्वारा स्थापित प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की गई है। [पैरा 189] [138–जी]

323 – संविधान के ए और 323–बी को 'रैंक रैंक' और 'स्टेटस' में समान किया जा सकता है। संवैधानिक कार्य?

6.1 (1) एक सह के स्पष्ट दावों के प्रकाश में

इस न्यायालय की पीठ के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्यकारी कार्रवाई किसी भी सदस्य या किसी भी न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक मंच के प्रमुख को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा प्रदान नहीं कर सकती है। [पैरा 193] [141–बी]

6.1 (2) इसके अलावा, कि भले ही उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा संचालित, ऐसे न्यायाधिकरण

संविधान के अनुच्छेद 323–ए और 323–बी के तहत स्थापित उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता है।

अदालत। एक बार जब कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है और उसे अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा कब्जा किए गए वैधानिक पद को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पिछले पद के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए संवैधानिक न्यायाधीशों का पद, गरिमा और पद सामान्य है और यह न केवल वरीयता के वारंट में उनकी स्थिति या उनके द्वारा प्राप्त वेतन और अनुलाभ, [2019] 16 एस. सी. आर. से उत्पन्न होता है।

लेकिन उन पर दिए गए संवैधानिक विश्वास के परिणामस्वरूप। न्यायाधिकरण के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों पर ऐसे संवैधानिक न्यायाधीशों की स्थिति के अविवेकी अनुसार संवैधानिक योजना के लिए हिंसा होगी। [पैरा 194] [141–सी–डी]

7. मुद्दा VII: एक–दूसरे की प्रत्यक्ष स्थिति

ट्राइब्यूनल से ऊपर के लिए आवेदन

अदालत का गठन किया जाना चाहिए?

7.1 इस तरह की वैधानिक अपीलें सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित क्षमता को छीन लेती हैं, जैसा कि संविधान में परिकल्पित है – सबसे गंभीर गलतियों से जुड़े मामलों और/या सार्वजनिक हित पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले मामलों पर अपने विचार को सीमित करके इसके समक्ष मामलों को विनियमित करता है। [पैरा 205] [146–ई]

7.2 इसके अलावा, सीधे न्यायाधिकरणों से अपील का प्रावधान करने में, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में काफी हद तक कटौती की गई है। यह न केवल न्याय तक पहुंच में बाधा डालता है, बल्कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बहुत आवश्यक एक्सपोजर को भी छीन लेता है, जिसकी जीवंत और हमेशा विकसित होने के लिए आवश्यकता होती है।

न्यायपालिका। चूँकि उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों से पदोन्नत किया जाता है, इसलिए उनके पास इन न्यायालयों के बारे में जानकारी का अभाव है।

कानून के विशेष क्षेत्र विशेष न्यायाधिकरणों से प्रत्यक्ष वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने में उनकी प्रभावकारिता में बाधा डालते हैं। [पैरा 206] [146–एफ–जी] 7.3 सीधे उच्चतम न्यायालय को वैधानिक अपील प्रदान करने से इसका कोई अंत नहीं होता है। बढ़ते न्यायाधिकरण के साथ,

बिना किसी 'न्यायिक प्रभाव आकलन' के वैधानिक अपील प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। अंतिम गणना के अनुसार कई सैकड़ों मामले हैं जिनका फैसला एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा किया गया है और कई अन्य हजारों मामले इस न्यायालय में लंबित अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए हैं। [पैरा 214] [149–जी]

7.4 . इसके आलोक में, सीधे वैधानिक अपीलों के लिए प्रावधान

और उदारतापूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय को नीचा दिखाने और उसके संवैधानिक उद्देश्य को बाधित करने की अनिवार्यता को उठाया जाता है। इसके अलावा, न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय को वैधानिक अपील प्रदान करना भी न्यायाधिकरण के सार को कम करता है। एक ओर यह कहना शायद ही तर्कसंगत है कि जटिल प्रक्रियाओं और रोजर मैथ्यू v के कारण न्याय वितरण के सामान्य तरीके का विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

जिला और उच्च न्यायालयों की विशेषज्ञता की कमी के लिए, और उसी विस्तार में उस मूल प्रणाली में अंतिम न्यायालय को वैधानिक अपील भी प्रदान करते हैं। [पैरा 216] [150–सी–डी]

7.5 यदि उच्च न्यायालय नियमित मामलों की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह शायद ही उचित प्रतीत होता है कि यह न्यायालय कोई

उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उसी को कमजोर करती है। इसके बजाय, यदि न्यायाधिकरणों या उच्च न्यायालयों के निर्णय इस न्यायालय तक पहुंचे बिना अंतिमता प्राप्त करते हैं, तो कोई स्पष्ट नुकसान नहीं होगा। [पैरा 217] [150–ई]

8. मुद्दा VIII: किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है

विलुप्त होने वाले न्यायाधिकरणों का संयोजन और बेंचों की स्थापना

8.1 केस–लोड के वितरण में 'असंतुलन' और न्यायाधिकरणों की प्रकृति, स्थान और कार्यप्रणाली में विसंगतियां

तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रभाव आकलन करने के बाद, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, ऐसे 'आला' न्यायाधिकरणों को कानून के समान क्षेत्रों से निपटने वाले अन्य न्यायाधिकरणों के साथ जोड़ा जाए, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और –

न्याय तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना। [पैरा 226] [155–एफ]

निष्कर्ष

9. चर्चा और विश्लेषण के आलोक में, यह माना जाता है किः

वित्त अधिनियम, 2017 के भाग–14 के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाता है। ((ii) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त नहीं है क्योंकि

((ग) न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) सदस्य) नियम, 2017 विभिन्न दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं जैसा कि पहले देखा गया था। ये नियम केंद्रीय [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा तैयार किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत सरकार का मूल अधिनियम और इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए संविधान में परिकल्पित सिद्धांतों के विपरीत होना, इसके द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है।

(iv) केंद्र सरकार को तदनुसार नियमों को सख्ती से और उनके अनुसार फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। आर. के. जैन, एल. चंद्र कुमार, मद्रास बार एसोसिएशन और गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा चित्रित सिद्धांतों को इस निर्णय के पहले भाग में की गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया।

(v) केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों का नया सेट गैर–भेदभावपूर्ण और समान सुनिश्चित करेगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य और जिन्हें बार या अन्य विशेष व्यवसायों/सेवाओं से नियुक्त किया जाता है, सुनिश्चित कार्यकाल सहित सेवा की शर्तें दो अलग और विशिष्ट सजातीय वर्गों का गठन करती हैं। (vi) केंद्र सरकार के लिए नियमों के नए सेट में यह प्रावधान करना खुला होगा कि पीठासीन अधिकारी या सांविधिक न्यायाधिकरणों के सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बराबर 'रैंक' और 'दर्जा' नहीं रखेंगे, केवल समान वेतन या अन्य अनुलाभ प्राप्त करने के आधार पर।

(vii) वित्त अधिनियम, 2017 के लिए संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों का 'न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन' करने की आवश्यकता आधारित आवश्यकता है ताकि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत प्रदान किए गए न्यायाधिकरणों के ढांचे में परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके। इस प्रकार, हम इस तरह के 'न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन' को पूरा करने और सक्षम विधायी प्राधिकरण के समक्ष निष्कर्षों के परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय को अनिवार्य रिट जारी करना उचित पाते हैं।

((viii) केंद्र सरकार भारत के विधि आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के परामर्श से केंद्र का फिर से दौरा करेगी।

वित्त अधिनियम, 2017 या इस आदेश और स्थान के पैरा 174 में सूचीबद्ध अन्य अधिनियमों के लिए संदर्भित कानूनों के प्रावधान

संसद के समक्ष विचार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव रोजर मैथ्यू बनाम से उच्चतम न्यायालय में सीधी अपीलों को हटाने की आवश्यकता।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

न्यायाधिकरणों के आदेश। इस संबंध में भारत संघ द्वारा निर्णय छह महीने के भीतर लिया जाएगा।

(ix) केंद्र सरकार एक उचित कार्य करेगी।

मौजूदा न्यायाधिकरणों के समामेलन के लिए अभ्यास, जिन विषयों से निपटा जाना है, उनकी एकरूपता की कसौटी को अपनाना और उसके बाद पर्याप्त संख्या में पीठों का गठन करना।

कार्य की मौजूदा और प्रत्याशित मात्रा के अनुरूप। [पैरा 228] [156–ए–एच; 157–ए–एफ]

पी. ई. आर. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

धन विधेयक के रूप में पारित

10. हमारे संविधान का मूल अभिधारणा यह है कि प्रत्येक प्राधिकारी संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन है। नहीं।

प्राधिकारी अपने स्वयं के संवैधानिक जनादेश की सीमाओं को तय करने की अंतिम शक्ति ग्रहण कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण अपने संवैधानिक कार्यों और अधिकार की सीमा के भीतर रहे। एक संवैधानिक संस्थान को अपनी सीमा के भीतर रखने में, न्यायिक समीक्षा अलगाव के सिद्धांत को कम नहीं करती है

शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय में एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में निहित है। इस पर निर्णय लेने में कि क्या किसी विधेयक को पारित करने में संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हुआ है

धन विधेयक, न्यायिक समीक्षा शक्तियों के पृथक्करण द्वारा निर्धारित सीमा से आगे नहीं जाती है। इसके विपरीत, न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को इस न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे की एक अलंघनीय विशेषता के रूप में लगातार मान्यता दी गई है।

संविधान की संरचना। पात्रता के मानदंडों का निर्धारण, चयन की प्रक्रिया, सेवा की शर्तें और न्यायाधिकरणों के सदस्य जिस निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और न्यायनिर्णायक निकायों के रूप में उनकी प्रभावशीलता को विनियमित करते हैं, वे न्यायाधिकरणों से अलग होने पर निर्भर हैं।

कार्यकारी। शासन बनाने की शक्ति को कार्यपालिका के अज्ञात ज्ञान पर छोड़ने से, संसद द्वारा आत्म–उन्मूलन किया गया है। कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कार्यपालिका को न्यायाधिकरणों के विभिन्न पहलुओं पर एक नियंत्रण प्राधिकरण की अनुमति देना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी होगा जो न्यायाधिकरणों की एक बुनियादी विशेषता है।

संविधान। [पैरा 88] [217–बी–एफ] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन

11.1 यह स्पष्ट है कि खोज–सह–चयन समिति का गठन पूरी तरह से उनके भीतर या उनके द्वारा नामित कर्मियों से किया जाता है।

केंद्र सरकार। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को छोड़कर, अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य सभी सत्रह न्यायाधिकरणों के लिए खोज–सह–चयन समिति हैः या तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के भीतर या नामित कर्मियों से गठित या इसमें अधिकांश कर्मी शामिल होते हैं

केंद्र सरकार से। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की खोज–सह–चयन समिति में न्यायपालिका के साथ–साथ केंद्र सरकार के सदस्यों की समान संख्या होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को कोई मतदान नहीं होता है। [पैरा 90] [218–सी ई]

11.2 चयन की प्रक्रिया मूल रूप से है

न्यायिक स्वतंत्रता का विनाशकारी। कई न्यायाधिकरणों के समक्ष विवादों में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तक कि

अन्यथा, नियुक्तियाँ करने में सरकार को इस तरह की प्रभावशाली और भारी आवाज देना न्यायिक स्वतंत्रता की अवहेलना है। [पैरा 90] [219–ई]

11.3 2017 नियमों की अनुसूची में निर्धारित खोज–सह–चयन समितियों का गठन

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने वाली कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली के तहत संवैधानिक समूह को पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायिक कार्यप्रणाली राज्य के अन्य दो अंगों के हस्तक्षेप से मुक्त हो। केंद्र सरकार विभिन्न कानूनों के तहत गठित न्यायाधिकरणों के समक्ष सबसे बड़ी वादी है। न्यायाधिकरणों के स्वतंत्र कामकाज से समझौता किया जाता है जहां कार्यपालिका के पास न्यायाधिकरणों के सदस्यों के चयन में नियंत्रण करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका अक्सर पहले एक वादी होती है और न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लिए जाने वाले विवादों में उसकी रुचि होती है। 2017 के नियमों में निर्धारित खोज–सह–चयन समितियों का गठन न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है

आर गांधी और मद्रास बार एसोसिएशन में। [पैरा 93] [221–ई–जी] 11.4 इस अदालत ने पाया कि हालांकि आर गांधी में निर्णय 2010 में और मद्रास बार एसोसिएशन में 2014 में दिया गया था, रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

वही विसंगतियाँ बनी हुई हैं। न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया गया है

कार्यकारी शक्ति। यह असंवैधानिक है। [पैरा 98] [224–जी–एच]

गंभीरता

12. वर्तमान मामले में, वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV

अलग किया जा सकता है। संसद, किसी भी स्थिति में, वित्त अधिनियम 2017 के वैध भागों को अधिनियमित करती यदि उसे पता होता कि भाग XIV अमान्य है। वैध और अमान्य भाग इतने अटूट नहीं हैं

12.2 अंत में, महान्यायवादी द्वारा इस आशय की एक जोरदार याचिका दायर की गई कि भले ही 1 जून 2017 को बनाए गए नियमों में निहित कुछ प्रावधान इसके विपरीत चल सकते हैं। आर गांधी और मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के लिए केंद्र सरकार इच्छुक होगी –

इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कुछ संशोधनों के साथ पारित किए गए अंतरिम आदेशों के आधार पर आगे बढ़ना। यह न्यायालय इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ है। वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV धन विधेयक के रूप में अधिनियमित नहीं किया जा सकता था। केंद्र

सरकार द्वारा बनाए गए नियम इस आधार पर अस वैधानिक हैं कि वे इस न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। [पैरा 102] [228–सी–डी]

निष्कर्ष

13. वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV धन विधेयक के रूप में अधिनियमित नहीं किया जा सकता था। नियम जो थे

धारा 184 के तहत नियम बनाने की शक्ति के अनुसार बनाए गए नियमों को असंवैधानिक माना जाता है। हालाँकि, चूंकि इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम आदेशों के अनुसरण में कुछ कदम उठाए गए थे और नियुक्तियाँ की गई हैं, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि वे नियुक्तियाँ असंवैधानिकता की घोषणा से प्रभावित नहीं होंगी।

शर्तें और [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथापि, इस प्रकार नियुक्त कार्मिकों को नियंत्रित करने वाली शर्तें मूल अधिनियमों का पालन करेंगी। असंवैधानिकता की घोषणा के बाद, मूल अधिनियमों में सभी संबंधित पहलुओं में निर्दिष्ट शर्तें जारी रहेंगी। [पैरा 103] [228–ई–एफ]

14. इस न्यायालय ने बार–बार इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि

न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय की स्थापना। लगभग दो दशक पहले चंद्र कुमार के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद, विधायिका द्वारा एक छत्र संगठन स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे उस प्रणाली की कमियों को दूर करने का काम सौंपा जाएगा, जिस पर इस न्यायालय ने ऊपर कहा है। योग्यता और समान सेवा सुनिश्चित करने के लिए एकल प्राधिकरण की कमी

परिस्थितियों ने एक खंडित न्यायाधिकरण प्रणाली को जन्म दिया है जो उस उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए प्रणाली का गठन किया गया था। इसके अलावा, सभी न्यायाधिकरणों के लिए समन्वय प्राधिकरण न्याय विभाग होना चाहिए। उस कार्य को व्यक्तिगत रूप से निहित करना

मंत्रालयों ने न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे पैदा करने के अलावा न्यायाधिकरण संरचना का अव्यवस्थित विकास किया है। [पैरा 104] [228–जी–एच; 229–ए–बी]

15. यह आवश्यक है कि एक व्यापक वैधानिक

न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से संगठन का गठन किया जाए। यह न्यायालय एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के गठन की सिफारिश करता है जिसे कहा जाता है

" राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग "सदस्यों की चयन प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए मानदंड, वेतन और भत्ते, सामान्य पात्रता मानदंड की शुरुआत, अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने के साथ–साथ बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी देखरेख करेगा। इस कानून का उद्देश्य सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तों को निर्धारित करना होना चाहिए। आयोग में निम्नलिखित सदस्य होने चाहिएः

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीन सेवारत न्यायाधीश;

((ii) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के दो सेवारत मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश;

((iii) केंद्र सरकार द्वारा कम से कम रोजर गणित रखने वाले अधिकारियों में से दो सदस्यों को नामित किया जाना।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

केंद्र सरकार के सचिव का पदः उनमें से एक सचिव होगा

न्याय विभाग जो पदेन होगा

संयोजक; और

(iv) दो स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य होंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित। [पैरा

105] [229 – बी–एफ]

वरिष्ठ–भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीशों में से अधिकांश को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा एनटीसी। [पैरा 106] [229–एफ–जी]

16. जबकि एनटीसी की स्थापना इसके भीतर है

विधायिका की क्षमता, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

भारत में न्यायाधिकरण प्रणाली की स्वतंत्रता और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना की एक अलंघनीय विशेषता है। चयन, नियुक्ति, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया और न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को निर्धारित करता है। जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, एक पहलू के रूप में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने में

न्यायिक स्वतंत्रता के लिए, न्यायनिर्णायक निकाय मजबूत होना चाहिएः विशेष निर्णय के संदर्भ में न्याय प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी और किसी के अधीन नहीं। यह अदालतों और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता की रक्षा में सतर्कता की आवश्यकता में परिलक्षित होता है। [पैरा 107] [229–जी–एच; 230–ए–बी]

17. योग्यता, व्यावसायिकता और विशेषज्ञता

विशेष न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के अपरिहार्य पहलू। आयोग को सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन की देखरेख करने की शक्ति होनी चाहिए।

सरकार को अखिल भारतीय न्यायाधिकरण सेवा के गठन को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। गैर–न्यायनिर्णायक की भर्ती और सेवा की शर्तें

न्यायाधिकरणों के लिए कर्मचारी। वर्तमान में, न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है।

प्रशिक्षित के पर्याप्त पूरक की कमी है

प्रशासनिक कर्मचारी। इसलिए, न्यायाधिकरण प्रणाली के प्रभावी कामकाज के हित में एक अखिल भारतीय न्यायाधिकरण सेवा की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है। [पैरा 108] [230–सी–ई]

पर दीपाक गुप्ता, जे। मुद्दा संख्या 1

18. मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण सहमति है जितना कि उन्होंने माना है कि माननीय अध्यक्ष का निर्णय

संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत लोक सभा का गठन न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। उनके विचारों के साथ यह भी सहमति है कि अध्यक्ष के उच्च पद को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यधिक है।

प्रतिबंधित। यदि दो विचार संभव हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष का विचार प्रबल होना चाहिए। में रखना।

धन विधेयक के गठन के बारे में स्पष्टता की कमी को देखते हुए, यह माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ सहमत है कि क्या वित्त अधिनियम, 2017 का भाग XIV धन विधेयक है या

इसे किसी बड़ी बेंच में नहीं भेजा जा सकता है। [पैरा 18] [236–ई–एफ]

मुद्दा नं. 2

19. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 का संबंध है, मुख्य न्यायाधीश के निष्कर्ष से असहमति है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संसद से सभी से निपटने की अपेक्षा नहीं की जाती है

यह कार्यपालिका को कुछ "गैर–आवश्यक" मामले सौंप सकता है। हर शर्त को विधानमंडल द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 19] [236–जी]

20. मैं मुख्य न्यायाधीश के साथ सम्मानपूर्वक असहमति रखता हूं।

कि मूल अधिनियमों के उद्देश्य और आर. के. जैन बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। भारत संघ, एल. चंद्र कुमार, भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारतीय संघ, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर लिमिटेड को संक्षेप में दिशानिर्देशों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। हालाँकि, इस अपेक्षा को इस अधिनियम द्वारा झुठलाया गया है जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के हर सिद्धांत का उल्लंघन करता है और जैसा कि मेरे दोनों भाइयों के निर्णयों में कहा गया है, रोजर मैथ्यू बनाम द्वारा बनाए गए नियम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

प्रतिनिधि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधि और प्रतिनिधि दोनों ने महसूस किया कि वे इन निर्णयों से बंधे नहीं थे। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए नियमों को प्रतिनिधि द्वारा कानून के अनुरूप नहीं लाया गया है। [पैरा 30] [240–एफ–जी; 241–ए–बी]

मुद्दा संख्या। 4, 5, 7 और 8

21. एक नोडल एजेंसी होने के कई कारण हैं। न्यायाधिकरणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि श्रमशक्ति की कमी, बहुत कम बेंच, लंबे समय से खाली पड़े रिक्त पद।

अवधि, उस विभाग पर वित्तीय निर्भरता जो न्यायाधिकरण आदि के समक्ष मुकदमा कर सकता है। ये ऐसी बुराइयाँ हैं जिनसे बचा जा सकता है यदि न्यायाधिकरण एक छत्र संगठन के अंतर्गत आते हैं। एक. छत्र संगठन सभी न्यायाधिकरणों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। ऐसा हो सकता है

न्यायाधिकरणों का मानकीकरण और प्रत्येक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं के लिए एक समान दृष्टिकोण। न्यायालयों को बदलने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में न्यायाधिकरणों, विशेष रूप से न्यायिक कार्यों के निर्वहन के कर्तव्य वाले न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है और कई मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता ऐसे न्यायाधिकरणों में निहित की गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इन न्यायाधिकरणों का संचालन त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।

एल. चंद्र कुमार में इस न्यायालय के 7–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करना उचित समझा। इन मामलों को अनिश्चित काल तक चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, सरकार को एक एकल नोडल एजेंसी स्थापित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। आज से 6 महीने की अवधि तक वर्तमान प्रणाली जारी रह सकती है। न्यायाधिकरणों को केवल वित्तीय स्वायत्तता देने से सभी न्यायाधिकरणों की देखरेख के लिए एक साझा संगठन की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी। [पैरा 36] [242–डी–एच; 243–ए]

22. बिना किसी न्यायिक प्रभाव के भी

मूल्यांकन यह स्पष्ट है, जैसा कि मद्रास बार एसोसिएशन, 2010 [2019] 16 एस. सी. आर. में आयोजित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि भारत में न्यायाधिकरण दुर्भाग्य से पूरा हासिल नहीं कर पाए हैं

स्वतंत्रता। जब न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाती है, तो वे धन, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि काम करने के लिए जगह के लिए प्रायोजक विभाग पर निर्भर होते हैं। न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य

अधिकतर इस विभाग से लिए जाते हैं। यह, मेरी राय में, न्यायिक स्वतंत्रता की जड़ पर प्रहार करता है क्योंकि सबसे बड़ा वादी या हितधारक स्वयं न्यायनिर्णायक निकाय का अभिन्न अंग बन जाता है जिसे स्वतंत्र, स्वतंत्र और निडर माना जाता है। [पैरा 37] [243–बी–सी]

23. (1) न्यायिक प्रभाव लागू करने की आवश्यकता

भारत में सभी न्यायाधिकरणों के मूल्यांकन पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। अनुभव से पता चला है कि न्यायाधिकरण पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं और अक्सर, न्यायाधिकरणों में रिक्तियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि न्यायाधिकरणों को कार्यहीन नहीं होने पर भी निष्क्रिय बना दिया जाता है। वादा की गई पीठें हवा में एक मृग बनी रहती हैं और देश के दूरदराज के क्षेत्रों से वादियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राज्यों की राजधानियों या राष्ट्रीय राजधानी में आना पड़ता है। [पैरा 38] [243–बी]

23. (2) न्यायाधिकरणों के कामकाज का न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने वाली समिति को एक

इस निर्णय में सभी मुद्दे हैं लेकिन कुछ पर प्रकाश डाला गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे निपटा जाना चाहिए वह यह है कि क्या न्यायाधिकरणों ने वास्तव में मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद की है। निपटान के लिए खर्च किया गया समय अलग–अलग मामलों में अलग–अलग हो सकता है लेकिन यह न्यायालय मुख्य रूप से उन मामलों से निपट रहा है जो उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में समाप्त होते हैं। यह न केवल अखिल भारतीय आधार पर बल्कि राज्य–दर–राज्य आधार पर भी किया जाना चाहिए। देश में कई छोटे राज्य हैं जहां दीवानी अदालतों और उच्च न्यायालयों पर काम का बोझ नहीं है। इन राज्यों में मामलों का फैसला कई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से किया जाता है। आम तौर पर ये छोटे राज्य हैं जिन्हें स्थायी पीठ नहीं मिलती हैं। कभी–कभी सर्किट बेंच भी नहीं होती हैं। यह एक विरोधाभास है कि जो राज्य न्यायिक रूप से अच्छी तरह से प्रशासित हैं और जहां निपटान जल्दी होता है, उन्हें स्थायी पीठ नहीं मिलती है और वादियों को नुकसान होता है, जबकि जो राज्य मामलों को निपटाने में बहुत धीमे होते हैं, उन्हें अधिक पीठ मिलती हैं। यहां तक कि जब सर्किट बेंच इन राज्यों में आती हैं तो भी दो बैठकों के बीच एक बड़ा समय अंतराल होता है। सस्ता और तेज़ न्याय प्रदान करने का पूरा उद्देश्य रोजर मैथ्यू बनाम खो जाता है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

क्योंकि सर्किट बेंच शायद ही कभी आते हैं और कई बार सर्किट बेंच का गठन हर यात्रा पर बदल जाता है।

जिसके परिणामस्वरूप हर बार मामलों की फिर से सुनवाई की जाती है। [पैरा 43] [245 ई–एच; 246–ए–बी] 24. कम से कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में पीठों के बिना न्यायाधिकरण होना न्याय से इनकार करने के बराबर है –

25. वादी न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन और सरकार द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी। अनुभव से पता चलता है कि एल. चंद्र कुमार से लेकर मद्रास बार एसोसिएशन, 2010 तक के निर्णयों का संघ द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। इस देश के नागरिकों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है जो प्रस्तावना में किया गया पहला वादा है। इसलिए, जो भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश किसी विशेष न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित या कार्यशील नहीं है, उस राज्य के वादियों को अनुच्छेद के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार होगा। 226 उनकी शिकायतों के निवारण के लिए संविधान। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे दूर के स्थानों पर जाएँ और अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अपने साधनों से बहुत अधिक धन खर्च करें। न्यायाधिकरण तक पहुँचने का वैकल्पिक उपचार एक भ्रामक उपचार है न कि एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार। स्व–अधिरोपित प्रतिबंध या किसी वैकल्पिक प्रभावी उपचार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे वादी [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत याचिका दायर करने के हकदार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान का अनुच्छेद 226। एल. चंद्र कुमार में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और इस अधिकार की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह वास्तव में वादियों के लिए उपलब्ध हो और यह एक भ्रामक अधिकार नहीं होना चाहिए। [पैरा 45] [246–ई–एच; 247–ए–बी]

26. एक और पहलू जिस पर गौर करने की आवश्यकता है वह है –

यूनाइटेड किंगडम की तरह दो स्तरीय न्यायाधिकरण प्रणाली की आवश्यकता है–एक निचला न्यायाधिकरण और एक अपीलीय न्यायाधिकरण। यदि दो स्तरीय न्यायाधिकरण हैं तो

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलीय स्तर। न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम के भीतर एक अपीलीय मंच होने से शायद उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय पर बोझ कम हो जाएगा। [पैरा 46] [247–बी] 27. निचले न्यायाधिकरण में भर्ती जिला न्यायाधीशों के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर की जानी चाहिए। निचले न्यायाधिकरणों में चुने गए व्यक्तियों को

अपीलीय न्यायाधिकरणों में पदोन्नति के लिए पात्र बनाया जा सकता है। वास्तव में, एक या एक से अधिक न्यायाधिकरणों में लोगों के लिए सामान्य सेवा हो सकती है। [पैरा 47] [247–सी–एफ]

28. यदि न्यायाधिकरण की सेवाएं हैं और न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों के पदानुक्रम के भीतर अपील का प्रावधान है

उनके रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें या यदि कुछ मामलों में पहली बार में उच्च न्यायालयों को अपील प्रदान की जाती है, तो प्रणाली को परेशान करने वाली कई बुराइयों को दूर किया जा सकता है। यदि उपरोक्त प्रणाली का पालन किया जाता है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या नौकरशाहों की नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठेगा। न्यायमित्र ने अपने नोट में एक मुद्दा उठाया है कि न्यायाधिकरणों को सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। मेरे विचार में, आम तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद कोई इलाज नहीं होना चाहिए। हालांकि आदर्श स्थिति यह होगी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या नौकरशाहों से कोई नियुक्ति न हो, लेकिन निकट भविष्य में यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कोई न्यायाधिकरण सेवाएँ नहीं हैं और इस स्तर पर अधिकांश पदों को सेवानिवृत्त व्यक्तियों से भरना पड़ सकता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि निकट भविष्य में फिर से नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या को कम किया जाए और न्यायाधिकरण की सेवाओं के भीतर से अधिक व्यक्तियों को न्यायाधिकरण में उच्चतम स्तर तक नियुक्त किया जाए। [पैरा 48] [247–जी–एच; 248–ए–बी] रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

29. कुछ ऐसे पद हो सकते हैं जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्ता, आयोग के अध्यक्ष।

मानवाधिकार आयोग, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष आदि। लेकिन यह दिनचर्या का विषय नहीं बनना चाहिए, विशेष रूप से जब नियुक्तियां की जा रही हों।

कार्यकारी। यदि प्रशासन नियुक्तियाँ करता है और न्यायाधीश, सेवारत या नए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, के लिए विचाराधीन हैं

ऐसे पदों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता होने की संभावना है। इस देश की जनता को अभी भी न्यायपालिका में बहुत विश्वास है। यदि यह महसूस किया जाता है कि नियुक्तियाँ बाहरी कारणों से की गई हैं तो यह विश्वास नष्ट हो जाएगा। अधिकांश न्यायाधीश उनसे अपेक्षित सत्यनिष्ठा और औचित्य के उच्च मानकों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं लेकिन कोई भी चुप नहीं रह सकता।

हमारी नज़रें इस कठोर वास्तविकता पर हैं कि कुछ काली भेड़ें हैं। उन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो सेवानिवृत्ति के कगार पर, सत्ता के गलियारों में सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यकाल की तलाश में उमड़ते हैं। इसलिए, चयन निकाय के अधिकांश सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश और/या उनके नामित सदस्य शामिल होने चाहिए और मुख्य न्यायाधीश और/या उनके नामित सदस्यों के विचारों को अन्य सदस्यों के विचारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [पैरा 49] [248–सी–एफ]

उच्च न्यायालयों को न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। इससे कमी आएगी। सर्वोच्च न्यायालय पर बोझ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उच्च न्यायालय इन मामलों पर विचार करेंगे, तो वे रिट अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे में उनसे निपटेंगे। यदि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करके दरकिनार कर दिया जाता है, तो जल्द ही एक ऐसा चरण आएगा जब हमारे पास कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होंगे जिन्होंने विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में मामलों की सुनवाई की होगी। उनके लिए उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों को संभालना लगभग असंभव होगा जहां एक न्यायाधीश का कार्यकाल औसतन केवल लगभग 4 वर्ष है। [पैरा 51] [249–बी–डी] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. अगला मुद्दा यह है कि न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन किसे करना चाहिए। न्यायिक प्रभाव आकलन समिति में उच्चतम न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होने चाहिए, जिनमें से वरिष्ठ समिति का अध्यक्ष होना चाहिए और उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना चाहिए। तीन में से कम से कम दो न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्य होने चाहिए थे। दो।

कार्यपालिका के सदस्य, भारत सरकार के सचिव के पद से कम नहीं, कानून और न्याय मंत्रालय से एक और किसी अन्य शाखा से एक भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इन सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए। [पैरा 53] [249–ई–जी] 32. अंतिम मुद्दा यह है कि क्या विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति की देखरेख के लिए एक आयोग या एक निकाय होना चाहिए। मेरे विचार में ऐसा आयोग होना आवश्यक है जो स्वयं ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों द्वारा संचालित एक स्वतंत्र निकाय हो। इस निकाय को उन व्यक्तियों का चयन करने की आवश्यकता है जो इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून के संदर्भ में विशेष न्यायाधिकरणों का संचालन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके पास न केवल जमीनी स्तर का अनुभव हो, बल्कि न्यायिक सदस्यों और जमीनी स्तर के अनुभव वाले लोगों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण हो। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके पास एक स्वतंत्र दृष्टिकोण, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अच्छी प्रतिष्ठा हो और ऐसे लोग हों

जो सरकार के प्रभाव या दबाव से पूरी तरह से मुक्त हों। तभी लोगों को न्यायाधिकरणों के निर्णय तंत्र में विश्वास होगा। [पैरा 54] [249 जी–एच; 250–ए–बी]

पर रंजन गोगोई, सीजेआई (स्वयं और उनके लिए) एन. वी. रमना, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, दीपाक

गुप्ता और संजीव खन्ना, जे. जे.) :

भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एस. सी. आर. 857; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261: [1997] 2 एससीआर 1186; आर. के. जैन बनाम। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 119: [1993] 3 एससीआर 802; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2014) (2014) 10 एससीसी 1: [2014] 10 एस. सी. आर.; गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर लिमिटेड (2016) 9 एस. सी. सी. 103: [2016] 5 एस. सी. आर. 10; सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन। (II) v.

भारत संघ रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

(2005) 6 एस. सी. सी. 344 [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 929; राजा राम पाल बनाम लोकसभा (2007) 3 एससीसी 184: [2007] 1

एस. सी. आर. 317; ग्वालियर रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यूवीजी.) को. वी. अस्स्टेट। बिक्री आयुक्त (1974) 4 एस. सी. सी. 98: [1974]

2 एससीआर 879; टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) 4 एससीसी 611: [1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 106; भारत संघ बनाम। मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा (2015) 6 एससीसी 773: [2015] 4 एससीआर 676–पर निर्भर। जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम. लक्ष्मीचंद एयर 1963 एससी 677: [1963] पूरक। एससीआर 242; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम। पी. एन. शर्मा एयर 1965 एस. सी. 1595:

[1965] एससीआर 366; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (1986) 2 एस. सी. सी. 176 [1986] 1 एस. सी. आर. 312; भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एससीआर 857; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2015) 8 एससीसी 583: [2015] 6 एस. सी. आर. 638; राजीव गर्ग बनाम 08 फरवरी, 2013 को भारतीय संघ (2017 का डब्ल्यू. पी. संख्या 120); एमएसएम शर्मा बनाम। डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा (2007) 3 एससीसी 184 [2007] 1

एस. सी. आर. 317; भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर (1971) 1 एससीसी 396: [1971] 3 एससीआर 483; आर (जैक्सन) बनाम। महान्यायवादी [2005] यूकेएचएल 56; मोहम्मद। सईद

सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 11 एस. सी. सी. 415; योगेंद्र कुमार जायसवाल बनाम। बिहार राज्य (2016) 3 एस. सी. सी 183 [2015] 14 एस. सी. आर. 1037; न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्र। वी. भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी. 1; हरि राम बनाम। बाबू गोपाल प्रसाद (1991) सप. 2 एस. सी. सी. 608; मेसर्स सारू स्मेल्टिंग (पी) लिमिटेड v. बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ (1993) सप. 3 एससीसी 97: [1993] 3 एस. सी. आर. 719; किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और अन्य (1992) सप। 2 एससीसी 651: [1992] 1 एससीआर 686; पुनः: दिल्ली विधि अधिनियम, 1951 ए. आई. आर. [1951] एस. सी. आर. 747; बी. शमा राव बनाम। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, (2015) 4 एस. सी. सी. [2015] 2 एस. सी. आर. 51; रमेश बिर्च बनाम। भारत संघ 1990 ए. आई. आर. 560: [1989] 2 एस. सी. आर. 629; देवी दास गोपाल कृष्णन और अन्य बनाम। पंजाब राज्य और या ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1895: [1967] एससीआर 557; नगरपालिका

दिल्ली निगम बनाम। बिड़ला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और एक अन्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. [2019] 16 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीआर 607; अविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 137 [1979] 1 एस. सी. आर. 845; सहकारिता पंजीयक।

2 एस. सी. आर. 260; केशवलाल खेमचंद और बेटा निजी लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ (2015) 4 एससीसी

ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य वी। भारत संघ (2016) 5 एससीसी 1: [2015] 13 एस. सी. आर. 1; केशवानंद

भारती बनाम. केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225: [1973]

पूरक। एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम। मद्रास बार

एसोसिएशन (2010) 11 एस. सी. सी. 1: [2010] 6 एससीआर 857; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर.

(2014) 10 एससीसी 1: [2014] 10 एस. सी. आर. 1; बिहार कानूनी

समर्थन प्राधिकरण बनाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश (1986) 4

एससीसी 767: [1987] 1 एससीआर 295; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

वी. भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536: [1996] 10 पूरक।

एससीआर 585; संग्राम सिंह बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण [1955]

2 एस. सी. आर. 1–संदर्भित।

मार्बरी वी। मैडिसन 5 अमेरिका (1 शाखा) 137 (1803)––

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 6 एससीआर 857

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[1997] 2 एससीआर 1186

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[1963] पूरक। एससीआर 242

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1965] एससीआर 366

पैरा 13

संदर्भित किया गया है

[1986] 1 एससीआर 312

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

[1993] 3 एससीआर 802

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

[2010] 6 एससीआर 857

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

[2014] 10 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

[2015] 6 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[2016] 5 एससीआर 101

उस पर भरोसा करें

पैरा 54

[2007] 1 एससीआर 317

उस पर भरोसा करें

पैरा 10 रोजर गणित v. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

[2007] 1 एससीआर 317

संदर्भित किया गया है

पैरा 102

[1971] 3 एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

पैरा 102

(2014) 11 एससीसी 415

संदर्भित किया गया है

पैरा 106

[2015] 14 एससीआर 1037

पैरा 107

संदर्भित किया गया है

(2019) 1 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 108

(1991) सप. 2 एस. सी. सी. 608

संदर्भित किया गया है

पैरा 114

[1993] 3 एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा 114

[1992] 1 एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा 115

[1951] एससीआर 747

संदर्भित किया गया है

पैरा 131

[2015] 2 एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 131

[1989] 2 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 134

[1967] एससीआर 557

संदर्भित किया गया है

पैरा 134

[1968] एससीआर 251

संदर्भित किया गया है

पैरा 136

[1975] 3 एससीआर 607

संदर्भित किया गया है

पैरा 137

[1979] 1 एससीआर 845

संदर्भित किया गया है

पैरा 138

[1980] 2 एससीआर 260

संदर्भित किया गया है

पैरा 139

[2015] 2 एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 140

[1974] 2 एससीआर 879

उस पर भरोसा करें

पैरा 141

[2015] 13 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 144

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 153

[2010] 6 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा 155

[2014] 10 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 155

[2005] 1 पूरक। एससीआर 929

उस पर भरोसा करें

पैरा 187

[1995] 2 पूरक। एससीआर 106

उस पर भरोसा करें

पैरा 192

[1987] 1 एससीआर 295

पैरा 210

संदर्भित किया गया है

[2015] 4 एससीआर 676

उस पर भरोसा करें

पैरा 218

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा 221

[1955] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 222 [2019] 16 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. ई. आर. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. :

किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और अन्य (1992) सप।

2 एससीसी 651: [1992] 1 एससीआर 686; एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम। निर्वाचन कार्यालय, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नामक्कल, सलेम, जिला। [1952] एस. सी. आर. 218; भारत संघ बनाम। तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398: [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 131; बाबूलाल पाराटे बनाम बॉम्बे राज्य [1960]

1 एससीआर 605; 1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1 राज्य विधानमंडलों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, पुनः (1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745

[1965] एससीआर 413; रामदास अठावले बनाम भारत संघ (2010) 4 एससीसी 1: [2010] 3 एससीआर 1059; राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) 3 एससीसी

184 [2007] 1 एस. सी. आर. 317; एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261: [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एससीसी 1: [2010] 6 एससीआर 857; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2014) 10 एससीसी 1: [2014] 10 एस. सी. आर. 1; बॉम्बे राज्य बनाम। यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड [1953] एस. सी. आर. 1069; –पर निर्भर था।

एस पी संपत कुमार बनाम भारत संघ (1987) 1 एस सी सी 124: [1987] 1 एस. सी. आर. 435; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2015) (2015) 8 एससीसी 583: [2015] 6 एस. सी. आर. 638; भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर

(1971) 1 एस. सी. सी. 396 [1971] 3 एस. सी. आर. 483; मैंगलोर गणेश बिडी वर्क्स बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 589 [1963] पूरक। एस. सी. आर. 275; मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 11 एससीसी 415;

योगेंद्र कुमार जायसवाल बनाम बिहार राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 183 [2015] 14 एस. सी. आर. 1037; पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1186; न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और एन. आर. वी. भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी. 1; कुलदिंप नायर बनाम भारत सघ (2006) 7

एससीसी 1: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार [1952] एससीआर 284; आर. के. गर्ग वी. भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2014) 8 एस. सी. सी. 682 [2014] 6 एस. सी. आर. रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

873 ; भीम सिंह बनाम। भारत संघ (2010) 5 एससीसी 538

: [2010] 6 एससीआर 218; आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम भारत संघ [1957] एस. सी. आर. 930; बॉम्बे राज्य बनाम।

एफ. एन. बलसारा [1951] एस. सी. आर. 682–संदर्भित।

कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और

संसद का उपयोग सी. नाइट एंड कंपनी, 1844 एचएम सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, सार्वभौमिक कानून कंपनी

प्राइवेट लिमिटेड, खंड I, (1991), पीपी पर। 299–300 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1987] 1 एससीआर 435

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 एससीआर 1186

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2010] 6 एससीआर 857

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2014] 10 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2015] 6 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1952] एससीआर 218

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

[1971] 3 एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[1985] 2 पूरक। एससीआर 131

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

उस पर भरोसा करें

[1992] 1 एससीआर 686

पैरा 36

[1960] 1 एससीआर 605

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[1965] एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2010] 3 एससीआर 1059

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2007] 1 एससीआर 317

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[1963] पूरक। एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

(2014) 11 एससीसी 415

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2015] 14 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

आकाशवाणी 1960 एससी 1186

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

(2019) 1 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2006] 5 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[1952] एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 74 [2019] 16 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1982] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा 74

[2014] 6 एससीआर 873

संदर्भित किया गया है

पैरा 74

[2010] 6 एससीआर 218

संदर्भित किया गया है

पैरा 74

[1957] एससीआर 930

पैरा 99

संदर्भित किया गया है

[1951] एससीआर 682

पैरा 99

संदर्भित किया गया है

[1953] एससीआर 1069

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

पर दीपाक गुप्ता, जे। :

एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी

261 [1997] 2 एससीआर 1186; ग्वालियर रेयॉन मिल्स वी. सहायक आयुक्त, बिक्री कर ए. आई. आर 1974 एस. सी.

1660 : [1974] 2 एस. सी. आर. 879; रमेश बिर्च बनाम। संघ का

भारत 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 430: [1989] 2 एससीआर 629 –

पर भरोसा किया।

भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन, (2010) 11

एससीसी 1: [2010] 6 एस. सी. आर. 857; मद्रास बार एसोसिएशन

वी. भारत संघ (2015) 8 एससीसी 583: [2015] 6 एससीआर 638 ; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर

मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (1980) 2 एस. सी. सी. 591; केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य, (1973) 4

एस. सी. सी. 225 [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; पुनः अनुच्छेद 143,

भारत का संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम (1912) आदि।

आकाशवाणी (38) 1951 एससी 332: [1951] एससीआर 747;

हरिशंकर बागला बनाम। एम. पी. स्टेट एयर 1954 एस. सी. 465:

[1955] एस. सी. आर. 313; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। संघ

भारत (2014) 10 एस. सी. सी. 1: [2014] 10 एससीआर 1; अनीता

कुशवाहा बनाम। पुष्प सूडान, (2016) 8 एस. सी. सी. 509:

[2016] 9 एस. सी. आर. 560–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 2 एससीआर 1186

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

(1980) 2 एस. सी. सी. 591

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2010] 6 एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1951] एससीआर 747

संदर्भित किया गया है

पैरा 21 रोजर मैथ्यू v. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

[1974] 2 एससीआर 879

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[1955] एससीआर 313

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 629

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2014] 10 एससीआर 1

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

[2015] 6 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2016] 5 एससीआर 101

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2016] 9 एससीआर 560

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8588

2019 से।

उच्च न्यायालय के 20.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एर्नाकुलम में केरल का न्यायालय डब्ल्यू. पी. में डब्ल्यू. ए. सं. 2349/2016 (ग) सं. 26290/2014।

के साथ डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं. 267/2012,279/2017,558/2017,561/2017,625/2017,

640/2017 , 1016/2017 , 788/2017 , 925/2017 , 1098/2017 , 1129/2017 , 33 / 2018 , 205/2018 , 467/2018 , टी. सी. (ग) सं. 49/2018,51/2018 और टी. पी. (ग) सं. 2199/2018।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी. तुषार मेहता, एस. जी. ए. एन. एस. नाडकर्णी,

शर्मा, कृष्णदास वी., सुश्री रुचिरा गोयल, मुहम्मद अली खान, अभिषेक जेबराज, उमर होदा, नम्रता नासिर, स्पर्श प्रसाद, सुश्री अदिति पानी, निखिल स्वामी, ए. के. बेहरा, वी. के. वर्मा, तरुण वर्मा, जी. पी. कैप्टन। के. एस. भाटी, सुश्री वैद्यति मिश्रा, सुश्री तनुजा पात्रा, रुपेश कुमार, सुश्री एच. मोटा, प्रवेश बहुगुणा, आनंद वर्मा, धैर्य मदन, श्वेतांक सिंह, संजय शर्मा, के. कृष्ण कुमार, सुदिप्तो सरकार, ए. सुब्बा राव, अन्नम डी. एन. राव, अन्नम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, श्रीमती मनीषा धीर, आलोक धीर, करण बतुरा, आशु कंसल,

सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, सुश्री दीक्षा राय, वरुण के. चोपड़ा, तेजस्वी कुमार प्रधान, सत्यब्रत पांडा, मनोरंजन पैकराय, [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छाबड़ा, राजीव शुक्ला, सुश्री शिवानी कपूर, प्रकाश रंजन नायक, गोरंग गोयल, वी. पी. गुप्ता, जगदीश कुमार चावला, अनुज बंसल, ए. कुमार, निखिल नैयर, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री रुखमानी बोबडे, सौरभ मिश्रा, अंकुर तलवार, सुश्री अंकिता शर्मा, सुश्री निकिता कपूर, जोहेब हुसैन, रजत नायर, चिनमयी चंद्रन, मोहम्मद। शाहन उल्ला, विवेक गुरनानी, पीयूष गोयल, अरविंद के. शर्मा, जी. एस. मक्कर, मुकेश कुमार मरोरिया, पी. आई. जोस, सुश्री पी. एस. चंद्रलेखा, श्रीमती अनिल कटियार, अशोक माथुर, सोनल जैन, ई. सी. अग्रवाल, पार्थिव के. गोस्वामी, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, ईशान बिष्ट,

मेसर्स सहारिया एंड कंपनी, अजय बंसल, गौरव यादव और सुश्री वीणा बंसल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

रंजन गोगोई, सीजेआई

1. छुट्टी दे दी गई।

संक्षिप्त पृष्ठभूमिः

2. वर्तमान मामलों के समूह में, भाग XIV की संवैधानिकता

वित्त अधिनियम, 2017 और उसके अनुरूप बनाए गए नियमों पर हमला किया गया है। जबकि अभिवचनों को दोहराना दोहराए जाने वाला होगा प्रत्येक मामले का अलग–अलग, एक संक्षिप्त संदर्भ दिया जा रहा है, उदाहरण के लिए, तीन मामलों में की गई प्रार्थनाओं के लिए जो मूल के निर्माण में सहायता करती हैं।

न्यायनिर्णयन हेतु उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

3. मद्रास बार एसोसिएशन ने रिट याचिका (सिविल) को प्राथमिकता दी है।

2012 का सं. 267 निम्नलिखित राहतों की मांग करता हैः

" आई. भारत संघ बनाम में इस माननीय न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए भारत संघ को निर्देश देते हुए एक अनिवार्य रिट। आर. गांधी [(2010) 11 एस. सी. सी. 1, पैरा 96 पृष्ठ पर।

310] और एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ [(1997) 3 एस. सी. सी. 261], पृष्ठ 65 से 67 पर पैरा 120 और 121], जहाँ विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार। भारत का आदेश दिया गया था

संसद द्वारा बनाए गए सभी न्यायाधिकरणों का प्रशासन संभालना और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित करना।

एक ही।

ii. कानून और न्याय मंत्रालय को निर्देश देने वाला एक आदेश पत्र

'न्यायिक प्रभाव रोजर गणित v' को तुरंत पूरा करने के लिए न्याय।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

संसद द्वारा बनाए गए सभी न्यायाधिकरणों का मूल्यांकन करें और इस माननीय न्यायालय को उसी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4. इस रिट याचिका पर मूल रूप से 18 फरवरी, 2015 को तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले में संवैधानिक व्याख्या के पर्याप्त प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे, जिसकी आवश्यकता थी।

संविधान पीठ द्वारा सुनवाई। समय–समय पर पारित आदेशों से पता चलता है कि 18 जनवरी, 2016 को इस न्यायालय ने न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014 की सामग्री का अध्ययन किया और महसूस किया कि "यह अधिक उपयुक्त होगा यदि भारत संघ बनाम आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन में की गई टिप्पणियों (पैराग्राफ 64–70 में) पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

5. इस मामले को 27 मार्च, 2019 को फिर से सूचीबद्ध किया गया था और इस न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के पैरा 96 के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के गैर–कार्यान्वयन का संज्ञान लिया, जो इस प्रकार हैः

" 96. हमारी राय है कि जब तक ऐसे सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं की जा सकती है, तब तक वांछनीय है कि ऐसे सभी न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, एक एकल नोडल मंत्रालय के तहत होने चाहिए जो पर्यवेक्षण करने की स्थिति में होगा

इन न्यायाधिकरणों का कार्यकरण। कई कारणों से कि मंत्रालय उचित रूप से विधि मंत्रालय होना चाहिए। यह मंत्रालय के लिए स्वतंत्र नियुक्त करने के लिए खुला रहेगा।

6. इसके बाद उसी दिन, इस न्यायालय ने इस प्रकार राय दीः " अस्थायी रूप से, हमारा विचार है कि उक्त निर्देशों को भारत सरकार द्वारा बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए था। आज सुनवाई के दौरान, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल ने भारत संघ की ओर से दायर एक हलफनामे पर भरोसा किया

वर्ष 2013 में, भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन की आवश्यकता सहित कुछ कठिनाइयों की ओर इशारा किया गया था। विद्वान महान्यायवादी ने यह भी बताया है कि कानून और न्याय मंत्रालय अत्यधिक बोझ से ग्रस्त है और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने और कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिसे अदालत ने बहुत पहले निर्देश जारी करते समय ध्यान में रखा था

1 1 (2010) 11 एससीसी 1.

2 (1997) 3 एससीसी 261।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 1997 में एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में। इसमें किसी भी तरह से संदेह नहीं किया जा सकता है कि न्यायाधिकरणों के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने और उनके काम को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें एक एजेंसी के तहत लाया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने पहले ही महसूस किया है और कहा है।

आज से दो सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र। रिट याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना पर भी हमारे द्वारा विचार किया गया है और इस संबंध में हमने विद्वान महान्यायवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए संकलन पर ध्यान दिया है, जो वर्तमान रिक्ति स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न न्यायाधिकरणों में, जो उन मुद्दों में से एक है जिन्हें हम हल करने का प्रयास करेंगे। विद्वान महान्यायवादी के संकलन से यह प्रतीत होता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण,

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और आयकर अपीलीय

न्यायाधिकरण को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जबकि प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश के मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जाएगा जो चयन समिति का नेतृत्व करता है, जिसके समक्ष सिफारिशों का मुद्दा लंबित हो सकता है, ताकि इसमें तेजी लाई जा सके।

ऐसी सिफारिशें जो खोज–सह–चयन समिति द्वारा पहले ही की जा चुकी हैं जैसा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के मामले में है,

दो सप्ताह की उपरोक्त अवधि के भीतर नियुक्तियां करके तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसके परिणाम को सक्षम लोगों के हलफनामे के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए।

प्राधिकरण, जैसा कि वर्तमान आदेश द्वारा दायर करने का आदेश दिया गया है।

एक बार जब उपरोक्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है, तो उचित है।

इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाएंगे, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हो सकते हैं –

एक पर निगरानी के लिए मामले को छोटी पीठ को भेजना निरंतर आधार, ताकि उचित और उचित कार्य सुनिश्चित किया जा सके

न्यायाधिकरणों। मामले को दो के बाद इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए

सप्ताह "।

7. उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, एसएलपी (सी) संख्या 15804/2017 वाला एन. टी. प्रमुख मामला रोजर ई. डब्ल्यू. द्वारा दायर किया गया था, जिसमें एल. ए. के उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश पर जोर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मूल रूप से उच्च न्यायालय रोजर मैथ्यू बनाम का दरवाजा खटखटाया था।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई.) अधिनियम, 2002 की धारा 13 (5–ए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना, जो सुरक्षित लेनदारों को अचल संपत्ति की नीलामी में भाग लेने की अनुमति देता है यदि यह पहले की नीलामी में आरक्षित बोली के अभाव में न बेची गई हो। रोजर मैथ्यू ने दावा किया कि उपरोक्त प्रावधान ने संविधान के अनुच्छेद 300 ए और अनुच्छेद 14 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है, इसके अलावा यह सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन है जो गिरवी रखने वालों को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति की नीलामी में भाग लेने से रोकता है।

8. दलीलों के दौरान, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां थीं न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं। तदनुसार, हालांकि रोजर मैथ्यू को एक अवसर दिया गया था

16 मई, 2018 को उनकी याचिका पर पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, फिर भी इस न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार करने की अनुमति देने के लिए उनकी याचिका को लंबित रखा। इस न्यायालय द्वारा न्यायमित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार की सहायता का भी अनुरोध किया गया था। 9. ध्यान देने योग्य तीसरा मामला रिट याचिका (सिविल) संख्या 279/2017 है जिसमें याचिकाकर्ता कुद्रत संधू ने एक सार्वजनिक याचिका दायर की है।

वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV के अधिकारों को चुनौती देने वाली ब्याज याचिका, जिसके द्वारा आवश्यक योग्यताओं, नियुक्ति की विधि, पद की अवधि, वेतन और भत्तों और विभिन्न वैधानिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की सेवा के विभिन्न अन्य नियमों और शर्तों में व्यापक परिवर्तन करने के लिए पच्चीस अलग–अलग अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन किया गया था। द इम्पाग्ड

वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को इस आदेश के उपयुक्त हिस्सों में विस्तार से संदर्भित किया गया है।

न्यायाधिकरण की उत्पत्तिः

10. न्याय के प्रशासन में देरी और बैकलॉग कानून के शासन द्वारा शासित किसी भी देश के लिए सर्वोपरि चिंता का विषय है। हमारे वर्तमान न्यायिक ढांचे में, विवादों को अंतिम रूप देने में अक्सर कई दशक लगते हैं, जो निचली अदालतों की एक श्रृंखला से होते हुए उच्च न्यायालय तक जाते हैं और

उच्चतम न्यायालय के लिए एक अपरिहार्य दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है। 11. न्याय वितरण प्रणाली की इस तरह की गति केवल प्रभावित पक्षों के दुख को बढ़ाती है। हालांकि अस्पष्ट [2019] 16 एस. सी. आर के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल रूप से, कहावत "न्याय में देरी, न्याय से इनकार" इस संदर्भ में उपयुक्त है। इस देश में अदालतें, शायद सभी के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की खोज में, समीचीनता और अंतिमता के महत्व को नजरअंदाज कर देती हैं। यह स्थिति पिछले कुछ वर्षों में केवल बदतर हुई है, जैसा कि इसके माध्यम से प्रमाणित होता है

सभी न्यायालयों में विचाराधीनता जमा करना। हालाँकि इस तरह की देरी का दोष पूरी तरह से न्यायपालिका पर डालना गलत होगा, क्योंकि विचाराधीनता की एक अनुभवजन्य जांच स्पष्ट रूप से

दर्शाती है कि देश की आबादी के मुकाबले न्यायाधीशों का अनुपात दुनिया में सबसे कम है और श्रमशक्ति (सहायक कर्मचारी) और प्रदान की गई बुनियादी संरचना निराशाजनक है।

13. जाहिर है, न्याय के प्रशासन में देरी की इन बाधाओं को दूर करने की सख्त आवश्यकता है। न्याय तक पहुँच बढ़ाने के निरंतर प्रयास में न्यायाधिकरणों का निर्माण एक समाधान के रूप में विकसित हुआ है। एक 'न्यायाधिकरण' को एक ऐसे निकाय के रूप में समझा जा सकता है जिसे विशिष्ट प्रकार के विवादों के लिए एक विशेष मंच प्रदान करने और मुद्दों के तेजी से और अधिक प्रभावी निर्णय के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अर्ध–न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने का काम सौंपा गया है। जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम लक्ष्मीचंद 3 में एक परीक्षण किया गया था जिसके तहत इसकी जांच की जानी है कि क्या प्राधिकरण के पास किसी न्यायालय के अधिकार हैं, जिनके पहलुओं में निर्धारण करने का अधिकार, साक्ष्य और प्रक्रियात्मक शक्तियां और प्रतिबंध लगाने की क्षमता शामिल है। हालांकि, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम में पांच न्यायाधीशों की पीठ के अनुसार। पी. एन. शर्मा, न्यायाधिकरणों को मुख्य रूप से न्यायिक चरित्र के साथ निहित किया गया था क्योंकि यह देखा गया था कि:

" 9. ..... विशेष मामले और प्रश्न उनके निर्णय के लिए उन्हें सौंपे जाते हैं और उस अर्थ में, वे अदालतों के साथ एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं; अदालतें और न्यायाधिकरण दोनों "राज्य द्वारा गठित किए जाते हैं और विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी कार्यों से अलग न्यायिक के साथ निवेश किए जाते हैं", (दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह (1955)

3 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 677। 4 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1595

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

1 एस. सी. आर. 267 पी. 272]) . वे दोनों न्यायनिर्णायक निकाय हैं और वे उन पक्षों के बीच विवादों से निपटते हैं और अंत में उनका निर्धारण करते हैं जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में सौंपा गया है। अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमित रूप से निर्धारित की जाती है और अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में अदालतों को उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। न्यायाधिकरणों को जिस प्रक्रिया का पालन करना होता है, वह हमेशा इतनी सख्ती से निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन अदालतों और न्यायाधिकरणों दोनों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण काफी हद तक समान है, और कार्यों के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है।

कि वे निर्वहन करते हैं। जैसा कि न्यायालयों के मामले में होता है, इसलिए न्यायाधिकरणों के मामले में, यह राज्य की अंतर्निहित न्यायिक शक्ति है जिसे हस्तांतरित किया गया है और उक्त शक्ति के आधार पर, यह राज्य की है।

अंतर्निहित न्यायिक कार्य जिनका वे निर्वहन करते हैं। न्यायिक कार्य और न्यायिक शक्तियाँ एक आवश्यक विशेषताओं में से एक हैं

राज्य, उचित उपायों द्वारा, अपनी न्यायिक शक्तियों और कार्यों के एक हिस्से को न्यायाधिकरणों को सौंपकर उन्हें कार्य सौंपने के लिए विशेष मामलों और पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेना। न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के लिए सामान्य विशेषताओं और विशिष्ट और अलग विशेषताओं का संपूर्ण वर्णन करने का प्रयास करना वास्तव में संभव या समीचीन भी नहीं है। मूल और मौलिक विशेषता जो अदालतों और न्यायाधिकरणों दोनों के लिए समान है, वह यह है कि वे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो स्वाभाविक रूप से एक संप्रभु राज्य में निहित होती हैं।

14. इसके अलावा, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायाधिकरण प्रशासनिक या विधायी से पारस्परिक रूप से अलग हैं।

निकाय, और यद्यपि सख्ती से न्यायालय नहीं हैं, फिर भी वे न्यायिक कार्य करते हैं। न्यायाधिकरणों की संरचना में न्यायिक सदस्यों के साथ तकनीकी सदस्यों को शामिल करने के साथ, यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण विशेष विषयों से जुड़े मुद्दों को समझने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान से लैस हो।

न्यायाधिकरण के लिए सर्वसम्मत सहमति। प्रचलित कानूनी का एक अवलोकन शासन शासी न्यायाधिकरण और सरकार के साथ उनका संपर्क, [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके चरित्र को बनाए रखने के लिए तरीकों की जांच करने में एक उपयोगी बेंचमार्क प्रदान करता है।

एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

16. विशेष न्यायाधिकरणों की संस्था के लिए वैश्विक दृष्टिकोण काफी हद तक सुसंगत है। सरसरी जाँच से पता चलता है कि

संवैधानिक न्यायालयों पर बोझ कम करने और विशिष्ट विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न न्यायिक निकायों में विवादों को तितर–बितर करने की सार्वभौमिक अंतर्निहित आवश्यकता है। दुनिया के लगभग सभी देशों ने किसी न किसी रूप में अपने संवैधानिक ढांचे के भीतर न्यायाधिकरणों

के कामकाज से संबंधित कानूनों को शामिल किया है। हमारी सामान्य कानून परंपराओं और औपनिवेशिक इतिहास के आलोक में, दुनिया भर में कानून की स्थिति की जांच करना अनिवार्य होगाः

I. यूनाइटेड किंगडम

17. न्यायाधिकरण ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली में न्याय के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक हैं। संपत्ति अधिकारों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए कई न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है।

रोजगार, आप्रवासन, मानसिक स्वास्थ्य आदि। उनके कार्य मुख्यधारा के न्यायिक निकायों के समान हैं और विवादों से संबंधित हैं।

18. इस तरह के न्यायाधिकरण की उत्पत्ति बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। विशिष्ट विवादों के निर्णय के लिए एक विशेष, अर्ध–न्यायिक निकाय की प्रभावशीलता को एक समय की अवधि में महसूस किया गया था क्योंकि न्यायाधिकरणों की विकसित प्रणाली ने धीरे–धीरे सराहना प्राप्त की और

कानूनी बिरादरी में मान्यता। 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में रेलवे के विकास के दौरान, न्यायाधीशों ने खुद को एकाधिकारवादी रेलवे कंपनियों से उत्पन्न तकनीकी रूप से विशेष व्यापार विवादों से निपटने के लिए अक्षम पाया। इस तरह के अयोग्य निर्णय के परिणामस्वरूप भी

वादियों का असंतोष। नतीजतन, 1873 में आयुक्तों का एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया और बाद में इसे आयोग में परिवर्तित कर दिया गया।

रेलवे और नहर आयोग। बाद में उन्नीसवीं शताब्दी में, ब्रिटिश सरकार ने पेंशन और बेरोजगारी के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की

रोजर मैथ्यू v के लिए विकलांग पेंशन पर निर्णय लेने के लिए स्थापित विशेष न्यायाधिकरणों सहित गरीबों और कम शिक्षित लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए लाभ।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

प्रथम विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिक. बीसवीं शताब्दी में, लेग्गाट समीक्षा के बाद, कर, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और शरण जैसे विविध विषयों के लिए हजारों न्यायनिर्णायक सदस्यों के साथ कई दर्जन न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे।

19. जैसे–जैसे न्यायाधिकरणों ने अपनी व्यक्तिगत पहचान को चिह्नित करना और उनके सामने लाए गए संघर्षों को हल करना शुरू किया, सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप इन वैकल्पिक मंचों के ढांचे में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता थी। 1932 में डोनफमोर समिति ने अर्ध–न्यायिक निकाय को

न्यायिक कार्यों के प्रत्यायोजन की आलोचना की और सिफारिश की कि न्यायिक शक्तियां केवल सामान्य न्यायालयों के पास निहित होनी चाहिए। यह.

यह भी सिफारिश की गई कि न्यायाधिकरणों की स्थापना केवल उन विशेष मामलों में की जानी चाहिए जिनमें सामान्य न्यायालयों में विशेषज्ञता की कमी हो। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ऐसे न्यायाधिकरणों में भी लागू किया जाना चाहिए। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण अपने प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कार्य करें।

20. न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता पर 1957 में फिर से चर्चा की गई जब फ्रैंक की समिति ने अपना निर्णय लिया।

न्यायाधिकरण और जांच अधिनियम, 1958 द्वारा लागू की गई सिफारिशें। फ्रैंक की समिति की रिपोर्ट ने एक शानदार आलोचना प्रस्तुत की।

न्यायाधिकरण के पक्ष में, यह तर्क देते हुए कि यह सस्ता, तेज़, बेहतर और अधिक सुलभ था। इस निष्कर्ष को विभिन्न लोगों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है

अंतर्राष्ट्रीय आयोग जिन्होंने न्यायाधिकरण के लाभकारी प्रभावों को नोट किया है। , लागत प्रभावशीलता, सुलभता, विचाराधीनता में कमी, विशेष विशेषज्ञता, आदि।

" न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालय नहीं हैं, लेकिन न ही वे सरकारी विभागों के उपखंड हैं। अधिकांश आधिकारिक साक्ष्य इस विचार को दर्शाते प्रतीत होते हैं कि न्यायाधिकरणों को उचित रूप से प्रशासन के तंत्र का हिस्सा माना जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को एक करीबी और निरंतर जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, सामाजिक सेवा क्षेत्र में न्यायाधिकरणों को प्रशासन के सहायक के रूप में माना जाएगा स्वयं सेवा करते हैं। हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि न्यायाधिकरणों को उचित रूप से प्रदान की गई मशीनरी माना जाना चाहिए।

निर्णय के लिए संसद द्वारा न कि इसके भाग के रूप में प्रशासन की मशीनरी। आवश्यक बात यह है कि इन सभी मामलों में संसद ने जानबूझकर संबंधित विभाग के बाहर और स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रावधान किया है, या तो पहली बार में. या किसी मंत्री के निर्णय या [2019] 16 एस. सी. आर. के निर्णय की अपील पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक विशेष वैधानिक स्थिति में अधिकारी। यद्यपि प्रासंगिक कानून सभी मामलों में स्पष्ट रूप से यह अधिनियमित नहीं करते हैं कि न्यायाधिकरणों में पूरी तरह से सरकारी सेवा से बाहर के व्यक्ति शामिल होने चाहिए, लेकिन कानून में 'न्यायाधिकरण' शब्द का उपयोग निस्संदेह इस अर्थ को दर्शाता है, और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संसद का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है। 5

21. इसके अनुसार, विभिन्न न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली की देखरेख के उद्देश्य से न्यायाधिकरण परिषद की स्थापना की गई थी।

इसके अलावा, सर एंड्रयू लेगट समिति (2001) ने न्यायाधिकरणों की मौजूदा स्थिति की जांच की जिसमें एक गैर–समान न्यायाधिकरण प्रणाली की अंतर्निहित कमियों को उजागर किया गया था। 'उपयोगकर्ता के लिए न्यायाधिकरण–एक प्रणाली, एक सेवा' शीर्षक वाली समिति की रिपोर्ट ने अधिक समान प्रशासन और प्रक्रिया के साथ न्यायाधिकरणों की एक नई संरचनात्मक रूप से सुधरी हुई प्रणाली का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक

अपीलीय प्रभाग न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अपील का एकमात्र मार्ग होना चाहिए। 2007 में, न्यायाधिकरण, न्यायालय और प्रवर्तन अधिनियम अधिनियमित किया गया था जिसने अपील के लिए एकीकृत मार्ग के साथ दो न्यायाधिकरणों–प्रथम स्तरीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायाधिकरण की एक नई प्रणाली तैयार की थी। 6

22. वर्ष 2006 में यूनाइटेड किंगडम ने एक न्यायाधिकरण सेवा बनाई, जिसे बाद में 2010 में न्यायालय सेवा में विलय कर दिया गया।

जिसके परिणामस्वरूप देश के लिए एक एकीकृत न्यायिक संरचना और सेवा का निर्माण हुआ।

II. कनाडा

23. कनाडा में न्यायाधिकरण प्रणाली, हालांकि हाल ही में उत्पन्न हुई है, अपनी एक अलग पहचान के साथ अच्छी तरह से स्थापित है। प्रणाली के समान

इंग्लैंड में, कनाडा में भी न्यायाधिकरण प्रणाली सफलतापूर्वक न्यायिक प्रणाली की नींव में से एक बन गई है। 71 संघीय या प्रांतीय विधान मानवाधिकार, बीमा दावे आदि जैसे विशिष्ट विषय मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरणों के गठन और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किए जाते हैं। 3. 5 ड्रयूरी, गेविन, "यू. के. में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का न्यायिककरणः से

हेवार्ट टू लेग्गाट "28 TRAS 51 (2009)

6 न्यायाधिकरणों, न्यायालयों और प्रवर्तन के लिए स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के अंश

ब्रिटिश संसद के न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया अधिनियम, 2007।

7 मलिक, लोकेंद्र; लता, कुसुम; कौर, अवनीत, भारत में संवैधानिक सरकार

(सत्यम लॉ इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 2016) पी। 191 .

8 प्रशासनिक

कनाडा में न्यायाधिकरण, यहाँ उपलब्ध हैं: एचटीटीपी: // डब्ल्यू. डब्ल्यू. थेकेनाडियनसीक्लोपीडिया। सी. ए./एन./लेख/प्रशासनिक–न्यायाधिकरण/(अंतिम बार दौरा किया गया)

10.09.2019) .

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

24. कई न्यायाधिकरणों को उनके सक्षम कानून या सामान्य विधानों द्वारा सिविल न्यायालयों के समान शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, कनाडा में न्यायाधिकरण न्यायालयों की तुलना में कम औपचारिक हैं और सामान्य न्यायालय प्रणाली से बाहर हैं; उनके निर्णय कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। हमारे लिए एक आश्चर्यजनक समानता में

न्यायिक प्रणाली, कनाडाई संविधान उच्च न्यायालयों को न्यायाधिकरणों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति भी प्रदान करता है, जहां या तो अपील का कोई प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है या विशेष रूप से एक क़ानून द्वारा वर्जित है। कनाडा में न्यायाधिकरणों के आदेशों की अपीलों की सुनवाई कनाडा के संघीय न्यायालय द्वारा की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के तहत तत्काल मंच है।

कनाडा का न्यायालय।

III. ऑस्ट्रेलिया

उदाहरण के लिए, कई ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में, न्यायाधिकरण छोटे दावों के न्यायालयों के रूप में काम करते हैं। अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय का एक पहलू है, जो अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अपीलीय शक्तियों का आनंद लेता है। देश को।

IV. संयुक्त राज्य अमेरिका 26. शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का बहुत अधिक पालन किया जाता है।

अन्य सामान्य कानून देशों की तुलना में कठोर तरीके से। न्यायिक शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं है और कोई न्यायिक शक्ति प्रशासनिक निकायों में निहित नहीं है जो न्यायालय नहीं हैं। न्यायपालिका की शुरुआत

प्रशासनिक कार्रवाई पर नियंत्रण प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 के अधिनियमन के साथ था। हालाँकि, अधिनियम ने केवल न्यायाधिकरणों के निर्णयों को व्याख्या के प्रश्न पर अपील योग्य बना दिया

कानून। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के लिए उसी छूट के दायरे के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया था, हालांकि यह बेहद सीमित था।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. फ्रांस

27. एक नागरिक कानून प्रणाली होने के नाते, फ्रांस में दोहरी कानूनी प्रणाली है जिसमें निजी कानून (ड्रोइट प्रिवी) और प्रशासनिक कानून शामिल हैं। (ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव)। इसका एक विशेष न्यायाधिकरण है। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को करने के लिए संघर्ष न्यायाधिकरण। 10

संघर्ष न्यायाधिकरण के निर्णय पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं हैं। न्यायिक समीक्षा को कुछ प्रशासनिक कार्यों से स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है। इसके अलावा, व्यक्ति और राज्य के अधिकारियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए, काउंसिल डी 'एटैट का गठन किया गया था। 28. समय में बदलाव के साथ, फ्रांस की न्यायाधिकरण प्रणाली भी विकसित हुई। एक नई त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण प्रणाली स्थापित की गई। पहला स्तर न्यायाधिकरण प्रशासन है–प्रशासनिक न्यायालय या मूल न्यायालय जिसका सभी विषय मामलों को कवर करने वाला एक व्यापक अधिकार क्षेत्र है; दूसरा स्तर है कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डी 'अपील–एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ऑफ अपील, जिसका गठन मूल न्यायालय से अपीलों का फैसला करने के लिए किया गया है और तीसरा स्तर है काउंसिल डी' एटैट–कोर्ट ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट, जिसका गठन अंततः मूल न्यायालय या अपील न्यायालय से अपीलों का फैसला करने के लिए किया गया था। हालांकि, सामान्य कानून वाले देशों के विपरीत, फ्रांस में अपीलीय न्यायालयों के पास अधिकार से परे होने के आधार पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अभाव है।

VI. दक्षिण अफ्रीका

29. भारत के समान औपनिवेशिक मूल वाले दक्षिण अफ्रीका को भारत के समान कानूनी प्रणाली विरासत में मिली। कई कार्यों के साथ और न्यायिक, अर्ध–न्यायिक के साथ–साथ प्रशासनिक शक्तियों की एक श्रृंखला का निर्वहन करते हुए, प्रत्येक न्यायाधिकरण अपने मूल क़ानून की एक अनूठी रचना है। कई आलोचनाओं के लिए अकिन

भारत में, इस तरह के न्यायाधिकरणों की अक्सर उनकी एकरूपता, असंगतता और अव्यवस्था की कमी के लिए आलोचना की जाती है।

घरेलू दृष्टिकोणः

कर विवादों में तेजी लाने के लिए न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) की स्थापना की गई थी। न्यायाधिकरणों की स्थापना को संरचनात्मक बनाने के लिए, 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से, शक्तियों के साथ–साथ अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को भी पेश किया गया था। 9 जॉर्ज ए. बर्मन; एटिने पिकार्ड, फ्रांसीसी कानून का परिचय (क्लूवर लॉ)

इंटरनेशनल, नीदरलैंड, 2008) पी। 58 .

बार्टलेट, सी. ए. हेरशॉफ, "द फ्रेंच ज्यूडिशियल सिस्टम" 33 सी. एल. टी. 952 (1913)।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

संविधान के अनुच्छेद 323 ए या अनुच्छेद 323 बी के लिए संदर्भित ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए। भारत में त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण प्रणाली फ्रांस में प्रचलित प्रणाली से मिलती–जुलती है। पहली बार के मंचों का मूल अधिकार क्षेत्र है जिसमें उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायिक निकाय है। इसके अलावा, कनाडा के संविधान के साथ भारत के संविधान की समानता को इंगित करना संदर्भ से बाहर नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति भी प्रदान करता है।

सभी अधीनस्थ न्यायालय। 31. इसलिए, नए और अधिक विशिष्ट न्यायिक निकायों की स्थापना की आवश्यकता नई नहीं है, बल्कि एक युग में फैले विकास के माध्यम से विकसित हुई है।

I. प्रशासनिक सुधार आयोग–1966

32. प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए की गई थी विषय वस्तुएँ। इसने सिविल सेवाओं की स्थापना की सिफारिश की

सिविल सेवकों को दिए गए अनुशासनात्मक दंड के लिए न्यायिक संस्थाओं के रूप में न्यायाधिकरण।

II. वांचू समिति–1970

33. वांचू समिति ने कर विवादों के शीघ्र निवारण के लिए दीवानी न्यायालयों के प्रतिस्थापन को प्रभावी बनाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में सुधारों की सिफारिश की। इसने विवादों के त्वरित समाधान और निर्णय सुनिश्चित करने के लिए एक प्रत्यक्ष कर निपटान न्यायाधिकरण के गठन की भी सिफारिश की।

III. उच्च न्यायालय की बकाया समिति की रिपोर्ट–1972

34. न्यायमूर्ति जे. सी. शाह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एक आपात स्थिति पर प्रकाश डाला।

विशेष रूप से सेवा मामलों से निपटने के लिए और सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर की जा रही रिट याचिकाओं को सीमित करके उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए व्यक्तिगत–विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है।

IV. स्वर्ण सिंह समिति–1976

35. स्वर्ण सिंह समिति ने न्यायाधिकरणों के विनियमन और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को कम करने के लिए संविधान में संशोधन की वकालत करके एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाया।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस रिपोर्ट ने कानूनी बिरादरी से बहुत आलोचना को आकर्षित किया और बाद में सकीना हरि नाथ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में खारिज कर दिया गया।

वी. राघवन समिति–2002

36. में समकालीन विकास के अनुसार

व्यावसायिक क्षेत्र में, राघवन समिति का गठन प्रतिस्पर्धा–विरोधी प्रथाओं को विनियमित करने के तरीकों का सुझाव देने के लिए किया गया था। यह समिति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी. सी. आई.) की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसकी परिकल्पना बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और उपभोक्ता कल्याण की रक्षा करने के लिए की गई थी। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को बाद में अधिनियमित किया गया था जिसने प्रभावी जांच और निर्णय के लिए सी. सी. आई. को सिविल न्यायालयों की कुछ शक्तियां प्रदान कीं।

37. इस प्रकार न्यायाधिकरणों को कम औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय के त्वरित वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए वैकल्पिक मार्गों के रूप में देखा जा सकता है।

न्यायनिर्णयन। भारत और विदेशी क्षेत्राधिकारों में मौजूदा न्यायाधिकरणों की जांच से पता चलता है कि वे जटिल विषयों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं–ऐसे मामले जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जैसे कि सेवा कानून, कर कानून, कंपनी कानून या पर्यावरण कानून, आदि।

विधायी विकास

न्यायाधिकरणः

38. भारत में संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने न्याय वितरण प्रणाली के न्यायाधिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। संविधान में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। ये प्रावधान निम्नलिखित प्रभाव से हैंः

" भाग XIV–A: ट्राइब्यूनल्स

323 – ए. प्रशासनिक न्यायाधिकरण। (1) संसद, कानून द्वारा, के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है

भर्ती और शर्तों के संबंध में विवाद और शिकायतें

लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा

संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंध

भारत के क्षेत्र के भीतर या उसके अधीन कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण

भारत सरकार या किसी निगम का नियंत्रण

सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में।

1 1 1993 (3) ए. एल. टी. 471; यह भी देखें – एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 (2) एससीआर

1186 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(2) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि –

(क) संघ के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रत्येक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान;

(ख) अधिकारिता, शक्तियों (अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित) और प्राधिकरण को निर्दिष्ट करें जो उक्त न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है; (ग) उक्त न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (सीमा और साक्ष्य के नियमों के प्रावधानों सहित) का प्रावधान करें;

((घ) सभी न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित करता है सिवाय इसके कि

अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, में संदर्भित विवादों या शिकायतों के संबंध में

खंड (1);

(ई) ऐसे प्रत्येक प्रशासनिक को हस्तांतरण का प्रावधान करें।

इस तरह की स्थापना से तुरंत पहले किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मामले का न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण जो ऐसे न्यायाधिकरण की अधिकारिता के भीतर होता यदि कार्रवाई के कारण जिन पर ऐसे मुकदमे या कार्यवाहियां आधारित होतीं, उनके बाद उत्पन्न हुआ होता।

स्थापना;

(च) राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित करता है।

अनुच्छेद 371–डी का खंड (3);

(छ) ऐसे पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान (शुल्क के प्रावधानों सहित) शामिल हैं जिन्हें संसद प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक समझेः

और ऐसे न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों के त्वरित निपटान और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए।

(3) इस अनुच्छेद के प्रावधान इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

323 – बी. अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। (1) उपयुक्त

विधानमंडल, विधि द्वारा, खंड (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत या अपराध के न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है, जिसके संबंध में ऐसे विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है।

खंड (1) में निर्दिष्ट मामले निम्नलिखित हैं –

हेलीः

(क) किसी भी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रह और प्रवर्तन; (ख) विदेशी मुद्रा, आयात और सीमा शुल्क में निर्यात

सीमाएँ;

(ग) औद्योगिक और श्रम विवाद;

(घ) राज्य द्वारा अनुच्छेद 31–क में परिभाषित किसी संपत्ति या उसमें किसी अधिकार के अधिग्रहण के माध्यम से या ऐसे किसी अधिकार को समाप्त या संशोधित करके या कृषि भूमि या किसी अन्य क्षेत्र में अधिकतम सीमा के माध्यम से भूमि सुधार।

रास्ता;

(ई) शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा;

(च) संसद के किसी भी सदन या सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए चुनाव, लेकिन अनुच्छेद 329 में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर और

अनुच्छेद 329–ए;

(छ) का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति और वितरण

खाद्य पदार्थ (खाद्य तिलहन और तेल सहित) और ऐसी अन्य वस्तुएँ जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तु घोषित कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं की कीमतों का लेख और नियंत्रण;

(ज) किराया, इसका विनियमन और नियंत्रण और किरायेदारी के मुद्दे

जमींदारों के अधिकार, स्वामित्व और हित सहित और किरायेदार;

(i) उपखंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध और उनमें से किसी भी मामले के संबंध में शुल्क; (जे) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई आकस्मिक मामला

उपखंड (ए) से (आई)।

खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि –

(क) न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम की स्थापना के लिए प्रावधान; (ख) अधिकारिता, शक्तियों (अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित) और प्राधिकरण को निर्दिष्ट करें जो हो सकता है –

उक्त न्यायाधिकरणों में से प्रत्येक द्वारा प्रयोग किया गया; रोजर मैथ्यू v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(ग) द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (सीमा और साक्ष्य के नियमों के प्रावधानों सहित) का प्रावधान करना।

न्यायाधिकरणों ने कहा;

(घ) अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर कर देगा।

के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी मामले के संबंध में

उक्त न्यायाधिकरणों की अधिकारिता;

(ङ) ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मामले के प्रत्येक ऐसे न्यायाधिकरण को हस्तांतरण का प्रावधान करें जो ऐसे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होते।

न्यायाधिकरण यदि कार्रवाई के कारण जिन पर ऐसा वाद या

कार्यवाही इस आधार पर की जाती है कि इसके बाद उत्पन्न हुई थी

स्थापना;

(च) इसमें ऐसे पूरक, आनुषंगिक और परिणामी शामिल हैं

प्रावधान (शुल्क के प्रावधानों सहित) जो उपयुक्त विधानमंडल के प्रभावी कामकाज और शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक समझते हैं।

ऐसे मामलों द्वारा और उनके आदेशों का प्रवर्तन

न्यायाधिकरण।

उस समय लागू कानून। स्पष्टीकरण। — इस अनुच्छेद में, किसी भी मामले के संबंध में "उपयुक्त विधानमंडल" का अर्थ है संसद या, जैसा भी मामला हो, ऐसा राज्य विधानमंडल जो ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम हो।

भाग 11 के प्रावधानों के अनुसार "। 39. संविधान के अनुच्छेद 323 ए से इसकी क्षमता को आकर्षित करना।

शीर्षक, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम लागू किया, प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक मंच विकल्प प्रदान करना था

नियमित सेवा अपीलों के लिए अदालतें, जो अन्यथा थीं

संवैधानिक न्यायालयों के कामकाज को बाधित करना। यह पहचाना गया

उच्च न्यायालयों की परिकल्पना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए की गई थी।

शीर्षक संबंधी मुद्दे और आम जनता के कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न

rtance।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा कुछ विषयों में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को उजागर करने के लिए कई फैसलों में दिशा–निर्देश जारी किए गए थे

मामले और इस प्रकार न्यायाधिकरणों के माध्यम से ऐसे मामलों के त्वरित निपटान की आसन्न आवश्यकता है। इसका संकेत एम. सी. मेहता बनाम में दिया गया था। भारत संघ 1 2, कि पर्यावरणीय विवादों की सुनवाई के लिए न्यायिक और तकनीकी दोनों विशेषज्ञों के साथ एक समर्पित न्यायाधिकरण आवश्यक है। 41. नतीजतन, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अधिनियमित किए गए। हालाँकि, ये जल्द ही विवादों का त्वरित समाधान प्रदान करने में असमर्थ पाए गए, जिसके लिए भारत के विधि आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों की आवश्यकता थी। इसके कारण 2010 में केवल पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष त्वरित अदालत के रूप में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई।

42. इसी तरह, अनुच्छेद 323 बी उपयुक्त विधानमंडल को न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण का प्रावधान करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कोई विवाद, शिकायत या अपराध। अनुच्छेद 323 बी (2) में निर्दिष्ट मामले विभिन्न प्रकार के मामलों से संबंधित हैं जिन्हें संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों द्वारा न्यायाधिकरण के दायरे में लाया जा सकता है।

न्यायाधिकरण का न्यायिक विकासः

43. इस न्यायालय ने कई निर्णयों के माध्यम से कहा है कि 'न्यायाधिकरण' शब्द एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण को संदर्भित करता है। यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण कि क्या कोई विशेष निकाय केवल एक प्रशासनिक अंग था

कार्यकारी या एक न्यायाधिकरण इस न्यायालय द्वारा जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम लक्ष्मीचंद में विकसित किया गया था। यह जांचा जाना था कि क्या निकाय के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां निहित हैं या नहीं, और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्ष्य लेने, गवाहों को बुलाने आदि की शक्तियों वाले किसी भी न्यायिक निकाय को न्यायाधिकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 44. आर. के. जैन बनाम भारत संघ 1 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वादियों के विश्वास को संतुष्ट करने में निपुण एक सुरक्षित और मजबूत न्याय वितरण प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। यह आगे था

यह उल्लेख किया कि चूंकि न्यायाधिकरणों के सदस्य अर्ध–न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, 12 1986 (2) एससीसी 176

13 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 677

14 (1993) 4 एससीसी 119।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

यह आवश्यक है कि उनके पास आवश्यक कानूनी विशेषज्ञता, कुछ न्यायिक अनुभव और कानूनी प्रशिक्षण हो। इसके अलावा, चूंकि न्यायाधिकरणों का गठन न्यायालयों के विकल्प के रूप में किया जाता है, इसलिए वादियों के विश्वास को बनाए रखने में उनकी प्रभावशीलता से समझौता नहीं किया जा सकता है। हालाँकि यह देखा गया कि न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय का सही वितरण अभी भी एक दूरगामी विचार था क्योंकि न्यायिक समीक्षा और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के उपचार के लिए तंत्र था।

अदालत महंगी और हतोत्साहित करने वाली थी। दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को अक्सर भौगोलिक और वित्तीय बाधाओं के कारण विकलांग होने के कारण अपील करने का अधिकार मिला। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि नए मंचों को देश भर में फैलाया जाए और बार के सदस्य

ऐसे न्यायाधिकरणों की संरचना में भी शामिल किया जाए। न्यायाधिकरणों के कामकाज में सुधार और उनके कामकाज की नियमित निगरानी की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

45. इसके बाद, एल. चंद्र कुमार बनाम. भारत संघ ", इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने रिपोर्टों की जांच की

बकाया की समस्या का विश्लेषण करने वाली विशेषज्ञ समितियों और आयोगों का गठन। मलिमथ समिति की रिपोर्ट (1989–1990) का भी उल्लेख किया गया था,

जिसमें यह पाया गया कि कई न्यायाधिकरण क्षमता, वस्तुनिष्ठता और न्यायिक दृष्टिकोण की कथित कमी के कारण जनता के विश्वास की परीक्षा में विफल रहे। इस न्यायालय ने इस प्रकार देश में न्यायाधिकरणों के मानकों को ऊपर उठाने के लिए कठोर उपायों का आह्वान किया। 46. यह भी दोहराया गया कि उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार अस्वीकार्य था और प्रत्यक्ष वैधानिक अपील प्रदान करता था

सर्वोच्च न्यायालय ने आम वादी को अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया क्योंकि दिल्ली में स्थित अपीलीय मंच कई लोगों के लिए दुर्गम था। सदस्यों की अल्पावधि की आलोचना करते हुए और गैर–न्यायिक सदस्यों के न्यायिक अनुभव की कमी के कारण, इस न्यायालय ने न्यायाधिकरणों का संचालन करने वाले सभी व्यक्तियों की क्षमता की समीक्षा करने के लिए एक निरीक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता का अवलोकन किया। इस प्रकार यह हुआ कि

सुझाव दिया कि सभी न्यायाधिकरणों को न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए 'एकल नोडल मंत्रालय' के तहत लाया जाए, जो सबसे उपयुक्त रूप से कानून और न्याय मंत्रालय है। हालाँकि, मंत्रालय को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी

उपरोक्त कार्यों को सौंपने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय की नियुक्ति करना। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि न्यायाधिकरणों के सदस्यों के चयन, धन के आवंटन और अन्य सभी पेचीदगियों की प्रक्रिया को इस तरह के एक व्यापक संगठन द्वारा समाप्त करना होगा।

15 (1997) 3 एससीसी 261।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. भारत संघ में बनाम आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार

एसोसिएशन 1 6, इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़े गए कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग I–B और I–C की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की।

48. पीठ ने कहा कि यदि न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं

न्यायालयों का प्रतिस्थापन, उनके पास स्वतंत्रता, सुरक्षा भी होनी चाहिए

और क्षमता। इसके अतिरिक्त, एक पारंपरिक न्यायालय से एक न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण के साथ, न्यायपालिका के सदस्यों को न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों/सदस्यों के रूप में शामिल करना अनिवार्य होगा। तकनीकी

सदस्य केवल न्यायिक सदस्यों के अतिरिक्त हो सकते हैं और वे भी

केवल तभी जब विशेष ज्ञान या ज्ञान की आवश्यकता हो। विशेषज्ञता की किसी भी स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में तकनीकी सदस्यों का कोई भी समावेश न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर और अतिक्रमण करने के बराबर होगा।

49. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च प्रशासनिक अनुभव

आवश्यक रूप से बेहतर निर्णय में परिणाम नहीं देता है और यह कि न्यायाधिकरणों में अधिक प्रशासनिक/तकनीकी सदस्यों को शामिल करने के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर धीरे–धीरे अतिक्रमण हुआ था। इसने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह की प्रथा की जांच की जानी चाहिए और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 (2002 में संशोधित) के भाग I–B और I–C में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए, जैसा कि निर्णय के पैरा 120 में स्पष्ट किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 120. हम ठीक करने के लिए आवश्यक सुधारों को सारणीबद्ध कर सकते हैं

अधिनियम के भाग I–B और I–C में दोष –

(i) केवल न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के लिए विचार किया जा सकता है

न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या न्यायाधीश जिन्होंने कम से कम पांच साल तक जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो या

दस साल तक वकील के रूप में वकालत करने वाले व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। भारतीय कंपनी कानून सेवा (कानूनी शाखा) और भारतीय कानूनी सेवा (ग्रेड I) में अनुभव के साथ केंद्र या राज्य सरकार के तहत समूह ए या समकक्ष पद पर रहने वाले व्यक्तियों को न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है जैसा कि उप–लेख में दिया गया है।

धारा 10–एफ. डी. की धारा (2) (सी) और (डी)। विशेषज्ञता

16 (2010) 11 एस. सी. सी. 1 आर. गणित बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

कंपनी विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा में उन्हें सर्वोत्तम रूप से इसके लिए विचार करने में सक्षम बनाएगा। तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति।

चूंकि एन. सी. एल. टी. उच्च न्यायालय के कार्यों को संभालता है, इसलिए सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पद और दर्जा होना चाहिए। यह सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते देकर नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद, अनुभव या क्षमता में लगभग बराबर हैं, उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। इसलिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए केवल उन अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है जो अकेले सचिवों या अतिरिक्त सचिवों के पद पर हैं। उप–धारा (2) के खंड (सी) और (डी) और धारा 10–एफ. डी. की उप–धारा (3) के खंड (ए) और (बी) जो समूह ए पद या व्यक्तियों में 15 साल के अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान करते हैं।

केंद्र या राज्य सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद धारण करने वाले, न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होने के कारण, अमान्य हैं।

एक "तकनीकी सदस्य" उस क्षेत्र में एक अनुभव का अनुमान लगाता है जिससे न्यायाधिकरण संबंधित है। भारतीय कंपनी विधि सेवा का कोई सदस्य जिसने लेखा शाखा के साथ काम किया हो या अन्य विभागों में अधिकारी जिन्होंने संयोग से कंपनी कानून के किसी पहलू से निपटा हो, उन्हें तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य "विशेषज्ञ" नहीं माना जा सकता है।

इसलिए उप–धारा (3) के खंड (ए) और (बी) नहीं हैं।

वैध है।

उप–धारा (3) के खंड (च) के पहले भाग में यह प्रावधान किया गया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी में 20 वर्षों का विशेष ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, उद्योग को कंपनी कानून में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति माना जा सकता है।

कंपनी विधि न्यायाधिकरण में तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना अमान्य है।

क्षमता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और विशेष ज्ञान और [2019] 16 एस. सी. आर. से कम का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन में पंद्रह वर्ष,

औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश और लेखा,

हालाँकि विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जा सकता है

तकनीकी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र सदस्य।

vi) खंड (छ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में

उप–धारा (3) के लिए कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(ii) केवल खंड (सी), (डी), (ई), (जी), (एच) और इसके बाद का भाग

या भारतीय कंपनी कानून में अतिरिक्त सचिव सेवा और भारतीय कानूनी सेवा पर विचार किया जा सकता है।

तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए न्यायाधिकरण।

iii) पांच सदस्यीय चयन समिति के बजाय

अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित)

और वित्त मंत्रालय के दो सचिव और

कंपनी कार्य और मंत्रालय में सचिव श्रम और विधि मंत्रालय में सचिव और

धारा 10–एफएक्स में उल्लिखित सदस्यों के रूप में न्याय,

चयन समिति को मोटे तौर पर निम्नलिखित पर होना चाहिएः

पंक्तियाँः

ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत–अध्यक्ष

(एक निर्णायक वोट के साथ);

बी। उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश–सदस्य;

सी। वित्त और कंपनी मंत्रालय में सचिव

मामलों के सदस्य; और

डी। कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव

सदस्य।

ix) तीन साल के कार्यकाल को एक में बदल दिया जाएगा

सात या पाँच वर्ष की अवधि के लिए पात्रता के अधीन

एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर मैथ्यू v में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

[रंजन गोगोई, सीजेआई]

संबंधित क्षेत्र। तीन साल का कार्यकाल बहुत कम होता है और जब तक सदस्य आवश्यक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं।

ज्ञान, विशेषज्ञता और दक्षता, एक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ तीन वर्ष की उक्त अवधि को उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन न्यायाधिकरणों को इस रूप में माने जाने के लिए प्रोत्साहित करता है सेवानिवृत्ति के बाद के आश्रय स्थल। यदि इन न्यायाधिकरणों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करना है तो उन्हें युवा सदस्यों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए जिनके पास उचित अवधि होगी।

सेवा करते हैं।

धारा 10–एफ. ई. का दूसरा प्रावधान राष्ट्रपति और सदस्यों को अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में पद धारण करते हुए अपने मूल संवर्ग/मंत्रालय/विभाग के साथ ग्रहणाधिकार बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जो सदस्यों की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल नहीं होगा। के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति

सदस्य को पूरी तरह से अलग होने के लिए तैयार रहना चाहिए।

स्वयं कार्यकारी से। इसलिए ग्रहणाधिकार नहीं हो सकता है

एक वर्ष की अवधि से अधिक।

भारत के मुख्य न्यायाधीश। सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक सहायता विधि और न्याय मंत्रालय से होनी चाहिए। न ही

न्यायाधिकरण और न ही उनके सदस्य संबंधित प्रायोजक या माता–पिता से सुविधाएं मांगेंगे या प्रदान किए जाएंगे।

संबंधित मंत्रालय या विभाग। न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठों में हमेशा एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। जब भी कोई बड़ा या विशेष

पीठों का गठन किया जाता है, तकनीकी की संख्या सदस्य न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होंगे।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ

नव–निर्मित राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को निरस्त करनाराष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 में यह पाया गया कि

सी 1.

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया और सेवा की शर्तें उन न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिए जिन्हें न्यायाधिकरणों द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी।

न्यायाधिकरण जो पहली बार के न्यायालयों को प्रतिस्थापित करते थे और जो उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ नहीं थे। 52. यह भी दोहराया गया कि दिल्ली में अपनी सीट के साथ एक न्यायाधिकरण की स्थापना से देश के अन्य हिस्सों के वादियों को कठिनाई हो सकती है।

देश, उन्हें न्याय तक सुविधाजनक पहुँच से वंचित करना। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के लिए न्यायाधिकरण के सदस्यों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण रखना अनुचित होगा।

53. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ (2015) 1 8,

विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को चुनौती दी गई। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXVII यानी धारा 407 की जांच करते समय 434 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना असंवैधानिक नहीं थी, लेकिन आर. गांधी (उपर्युक्त) के कथन के अनुसार दोषों को दूर करने की आवश्यकता थी।

54. अंत में, गुजरात में ऊर्जा विकास लिमिटेड बनाम. एस्सार पावर लिमिटेड 19

18 (2015) 8 एससीसी 583। 19 (2016) 9 एससीसी 103।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

इस संबंध में किया गया। इसके अनुसरण में, भारत के विधि आयोग ने अपनी 272 वीं रिपोर्ट 'भारत के वैधानिक ढांचे का आकलन' शीर्षक से प्रकाशित की है। भारत में न्यायाधिकरणों ने भारत में न्यायाधिकरण के संबंध में वैधानिक ढांचे का विस्तृत विश्लेषण दिया।

वित्त अधिनियम, 2017: यह विधिसम्मत है

पृष्ठभूमि

55. वर्तमान मामलों में प्राथमिक चुनौती वित्त अधिनियम, 2017 की है। हालाँकि यह अधिनियम कथित रूप से देने के लिए था

"वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए केंद्र सरकार के वित्त प्रस्तावों" का प्रभाव लेकिन इसके भाग XIV में शामिल हैं:

"केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन" को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रावधान

न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के विलय और अध्यक्षों, सदस्यों आदि की सेवा की शर्तों का प्रावधान करना। 56. वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV की जांच से पता चलता है कि कैसे धारा 158 से 182 के आधार पर, संसद ने पच्चीस केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया है जो कई न्यायाधिकरणों की नींव बनाते हैं। यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये

संशोधन इस न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप न्यायाधिकरणों के कामकाज को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हैं।

57. भाग–XIV की धारा 158 से 182 व्यापक रूप से समान सामग्री में हैं, सिवाय इसके कि प्रत्येक धारा एक अलग न्यायाधिकरण से संबंधित है। इसके लिए

जिस तरह से संसद ने एक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है उसे समझें

विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों का एक समान स्वरूप, वित्त

अधिनियम, 2017 के भाग XIV की धारा 158 और 173 को स्पष्ट रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगा। धारा 173 इस प्रकार हैः

" I. सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन

" 5 ई. इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ के बाद नियुक्त किया गया

वित्त अधिनियम, 2017, उस अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों द्वारा शासित होगाः बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्य

अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ से पहले नियुक्त

वित्त अधिनियम, 2017, द्वारा शासित होता रहेगा

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान जैसे कि

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के प्रावधान नहीं आए थे

बलपूर्वक "I .

58. इसके अलावा, भाग XIV में कुछ अनुभाग भी समामेलित किए गए हैं।

न्यायाधिकरण। धारा 158 को नीचे ऐसी धाराओं के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है जो धारा के तत्वों के अलावा समामेलन को भी प्रभावित करती हैंः

विवाद अधिनियम, 1947, – (क) धारा 7 क में, उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्ः

" (1ए) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण

वित्त अधिनियम, 2017, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्राधिकरण धारा 7 डी में निर्दिष्ट न्यायाधिकरण को प्रदत्त

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम,

1952 (19 1952) "। ;

(ख) धारा 7 सी के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी –

अर्थात्: " 7 डी. पीठासीन अधिकारी की योग्यता, नियम और सेवा की शर्तें। – इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र और निष्कासन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें

द्वारा नियुक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी

धारा 7 ए की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार,

के अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ के बाद

वित्त अधिनियम, 2017, धारा के प्रावधानों द्वारा शासित होगा

184 उस अधिनियम के बारे में:

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

बशर्ते कि इससे पहले नियुक्त पीठासीन अधिकारी वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV का प्रारंभ इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता रहेगा, जैसे कि धारा 184 के प्रावधान।

वित्त अधिनियम, 2017 लागू नहीं हुआ था।

59. इन समान शब्दों वाली धारा 158 से 182 में ध्यान देने योग्य दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। सबसे पहले, ऐसा हर सेक्शन खुलता है

एक गैर–अस्थाई खंड के साथ और यह प्रावधान करता है कि "में कुछ भी निहित होने के बावजूद. अधिनियम के बाद नियुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, इस्तीफा, निष्कासन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें।

वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV का प्रारंभ उस अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। दूसरा, वित्त अधिनियम की धारा 184 वित्त अधिनियम, 2017 के साथ–साथ संशोधित किए गए अन्य पच्चीस अधिनियमों में अन्य सभी प्रावधानों को दरकिनार करती है।

60. धारा 184 को लागू करने में विधायिका के इरादे का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए, तुरंत पूर्ववर्ती का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

धारा 183 जो "न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा की शर्तें" शीर्षक वाले अधिनियम के उप–भाग 'एस' में पाई जाती है। चूँकि धारा 183 और 184 को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी, दोनों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" एस.–अध्यक्ष की सेवा की शर्तें न्यायाधिकरणों के सदस्य, अपील

न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण

183. धारा 184 का अनुप्रयोग। – आठवीं अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट अधिनियमों के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, नियत दिन से धारा 184 के प्रावधान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अन्य प्राधिकरणों पर लागू होंगे। उक्त अनुसूची के स्तंभ (2):

बशर्ते कि धारा 184 के प्रावधान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या, जैसा भी मामला हो, 16 एस. सी. आर. पर लागू नहीं होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियत दिनसँ ठीक पहिने एहन पद धारण करैवला सदस्य।

184. योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और शर्तें

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणः बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करेगा,

उससे पांच साल से अधिक नहीं होगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का पद धारण करेंगे।

सरकार जो इससे अधिक नहीं होगी,

(क) अध्यक्ष, अध्यक्ष [प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी] के मामले में,

सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) औद्योगिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी के मामले में

केंद्र सरकार और ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा गठित] या किसी अन्य सदस्य की आयु

साठ–सात वर्षः

(2) न तो वेतन और भत्ते और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य नियम और शर्तें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, रोजर मैथ्यू के रूप में।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

मामला हो सकता है, अन्य प्राधिकरण उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए भिन्न हो सकते हैं।

61. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का कथित प्रयोग करते हुए 'न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017' (संक्षेप में "नियम") को अधिसूचित किया है।

याचिकाकर्ताओं का मामलाः

62. अधिकांश व्यक्तिगत मामलों में अभिवचन और तर्क समान और अतिव्यापी होते हैं। इसलिए, संक्षिप्तता के लिए, यह नहीं है

प्रत्येक वकील की प्रस्तुतियों को व्यक्तिगत रूप से संदर्भित करना आवश्यक है। हालांकि, मोटे तौर पर, याचिकाकर्ताओं ने वित्त अधिनियम 2017 की 8 वीं और 9 वीं अनुसूचियों के साथ पढ़े गए भाग XIV की

वैधता पर सवाल उठाया है, जो कि असंवैधानिक, मनमाना, विधायी शक्ति के रंगीन प्रयोग में और संविधान के मूल ढांचे के लिए अपमानजनक है।

63. याचिकाकर्ताओं की ओर से सबसे प्रमुख तर्क यह है कि भाग–14 को वित्त अधिनियम, 2017 का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था और न ही बनाया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त भाग को 'धन विधेयक' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 के शब्दों पर जोर दिया गया जो उन बिलों की अनुमति देता है

जिनमें "केवल" प्रावधान हैं जो खंड (ए) से (जी) की सीमा के भीतर आते हैं, जिन्हें "धन विधेयक" माना जाएगा। भाग XIV को शामिल करने के आधार पर, वित्त अधिनियम, 2017 की संपूर्णता अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' के रूप में अपना रंग खो दिया है और इसलिए अनुच्छेद 107 के तहत राज्य सभा की सहमति के बिना इसका पारित होना इसे विधायी योजना के अधिकार से बाहर कर देता है।

संविधान में विचार किया गया।

64. विद्वान वकीलों ने अनुच्छेद 110 (1) के तहत "केवल" अभिव्यक्ति के महत्व को बल देने के लिए संविधान सभा की बहसों पर दृढ़ता से भरोसा किया। वे एक मामला बनाना चाहते हैं कि इस तरह के वाक्यांश को जानबूझकर शामिल किया गया था

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 37 से सचेत रूप से हटकर संविधान। वित्त अधिनियम, 2017 में भाग XIV को शामिल करने को छलावरण और एक रंगीन अभ्यास के रूप में दिखाया गया है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्यसभा को दरकिनार करने का इस तरह का अप्रत्यक्ष तरीका अस्वीकार्य है। इस न्यायालय के समक्ष एक बड़ा विवरण प्रस्तुत किया गया था, जो केंद्र सरकार का है, जो [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत परिकल्पित द्विसदनीय विधानमंडल के चरित्र और सार को कम करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान; और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग कानून के सार की जांच के माध्यम से की गई थी न कि केवल स्वीकृति के माध्यम से।

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110 (3) के तहत दिए गए नामकरण का।

65. याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा एक सूक्ष्म तर्क को भी आगे बढ़ाया गया, जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 323–ए और 323–बी द्वारा शासित होते हैं और इस संबंध में अधिनियमित कानूनों को धन विधेयकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, संसद न्यायाधिकरणों में परिवर्तन करने में अपनी क्षमता का पता संविधान की सूची III की प्रविष्टि 11–ए से लगा सकती है जो न्याय के प्रशासन से संबंधित है, न कि वित्तीय।

विषय हैं।

66. भाग XIV को विभिन्न अब–निष्क्रिय पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों की सेवाओं को समाप्त करने के प्रभाव के लिए भी आरोपित किया गया था।

न्यायाधिकरण, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने का दावा किया गया था।

67. वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (1), जहां तक यह केंद्र सरकार को प्रावधान करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है

योग्यता और नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा की शर्तों, शर्तों और वेतन को अत्यधिक के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के लिए तर्क दिया गया था।

प्रतिनिधिमण्डल। यह कहा गया था कि उक्त प्रावधान सभी न्यायिक सुरक्षा उपायों को हटा देता है और न्यायाधिकरणों को सबसे बड़े वादी, राज्य की सनक और इच्छाओं के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने के अलावा संविधान के खिलाफ होने के रूप में तर्क दिया गया था। वैकल्पिक रूप में, वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि धारा 184 के तहत नियमों का वर्तमान निर्माण मूल अधिनियम और इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में व्यक्त बाध्यकारी उक्ति के अधिकार से बाहर था।

68. इसके अलावा, दलीलों के दौरान, न्यायाधिकरणों के प्रशासन में विभिन्न अन्य कमियों और विरोधाभासों और इस न्यायालय को सीधी अपील प्रदान करने जैसी कुछ विसंगतियों को उजागर किया गया, जिन्हें संविधान की भावना के खिलाफ बताया गया था। याचिकाकर्ताओं ने वित्त अधिनियम, 2017 के अधिकारों को चुनौती देने के अलावा राज्य को कानूनों का 'न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन' अनिवार्य रूप से करने का निर्देश देने के लिए भी अनुरोध किया।

भारत के मामले का संघः

69. दूसरी ओर, विद्वान महान्यायवादी ने 40 से अधिक वैधानिक न्यायाधिकरणों के अस्तित्व की ओर उत्साहपूर्वक ध्यान आकर्षित किया। आयोग, और भारत सरकार के तहत काम करने वाले प्राधिकरण, रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

जिनमें से प्रत्येक को एक अलग अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और नियमों के अलग–अलग सेट द्वारा शासित है। परिणामस्वरूप, विभिन्न न्यायाधिकरणों में सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की सेवा की शर्तें, नियुक्ति के तरीके, कार्यकाल आदि एक दूसरे से काफी भिन्न दिखाई दिए, जिससे कई विसंगतियां और विकृतियां पैदा हुईं। उन्होंने कई उदाहरण दिए; जैसे कि कैसे कुछ आयोगों/न्यायाधिकरणों के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दर्जा प्राप्त है, जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के सदस्यों जैसे अन्य को केवल जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर रखा गया है। इसी तरह, आई. टी. ए. टी. में एक बार नियुक्त होने वाला व्यक्ति सेवानिवृत्ति की आयु तक जारी रह सकता है, लेकिन व्यक्तियों का कार्यकाल ए. पी. टी. ई. एल. में नियुक्त होने की अवधि केवल तीन वर्ष थी। महान्यायवादी ने इस तरह की विसंगतियों को मसौदा त्रुटियों के रूप में जिम्मेदार ठहराया और लागू नियमों को सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से किया गया था।

70. उन्होंने संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति और उनके समकक्ष पद में अंतर्निहित विरोधाभास पर भी प्रकाश डाला।

ऐसे न्यायाधिकरणों और नियामक निकायों के सदस्य और पीठासीन अधिकारी। यह तर्क दिया गया था कि हमारे संवैधानिक ढांचे में दोनों के अलग–अलग कार्य और भूमिकाएँ हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीशों की संख्या थी (जब मामले पर बहस की गई थी), उन्होंने बताया कि 50 से अधिक पदाधिकारी हैं जो एक न्यायाधीश की सेवा की शर्तों का आनंद ले रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 150 से अधिक ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर लाया गया। इस तरह की प्रथा के परिणामस्वरूप न्याय के प्रशासन में उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं को दर्ज करने के बाद, उन्होंने 'वेतन' और 'भत्तों' से 'रैंक' और 'स्थिति' को अलग रखने की आवश्यकता की वकालत की।

71. विद्वान महान्यायवादी ने आगे पारित आदेश पर भरोसा किया

राजीव गर्ग बनाम में इस न्यायालय द्वारा। भारत संघ (2017 का डब्ल्यू. पी. संख्या 120) ने 08 फरवरी, 2013 को निर्देश दिया कि केंद्र द्वारा निर्णय लिया जाए।

विभिन्न न्यायाधिकरणों में सेवा शर्तों की एकरूपता पर सरकार। रिलायंस को दूसरी प्रशासनिक समिति की 13 वीं रिपोर्ट में भी रखा गया था।

सुधार आयोग ने अप्रैल 2009 में प्रस्तुत किया जिसने विभिन्न न्यायाधिकरणों में सेवा शर्तों में अधिक एकरूपता की सिफारिश की। यह बताया गया कि वास्तव में, न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014 को 14 फरवरी, 2014 को राज्यसभा में पेश

किया गया था, लेकिन किसी भी तरह से इसे पारित नहीं किया जा सका। इनमें से प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए अलग–अलग संशोधन पेश करना भारी और अव्यावहारिक होता, इसके अलावा कई विसंगतियां होतीं। परिणामस्वरूप, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक समग्र दृष्टिकोण लिया गया था और [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामंजस्यपूर्ण रूप से एकरूपता लाने के लिए एकल अधिनियम लागू करने की मांग की गई थी। 72. संघ की ओर से याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विस्तार से खंडन किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह एक तय सिद्धांत है

संवैधानिक व्याख्या जिसमें संविधान की शर्तें शामिल हैं, अनुच्छेद 110 (1) के खंड (ए) से (जी) की व्याख्या उनके व्यापक आयाम में की जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप जब मुख्य अधिनियम में

एक 'मनी बिल' का प्रमुख चरित्र, उसमें आकस्मिक और उसमें डाले गए सभी मामले भी एक 'मनी बिल' के रंग और विशेषता को आकर्षित करेंगे।

' धन बिल '।

73. वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह तर्क देने के लिए अनुच्छेद 110 के खंड (3) की सहायता ली कि लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम और एकमात्र है।

किसी विधेयक की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक प्राधिकरण को अनुच्छेद 109 के तहत पेश करने की मांग की गई। इस तरह का निर्णय अंतिम था और इसलिए किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था; अन्यथा अध्यक्ष द्वारा विधानों और प्रमाणन को पारित करने की ऐसी कवायद "संसद में कार्यवाही" थी और इसलिए अनुच्छेद 122 (1) को देखते हुए इस न्यायालय के समक्ष "प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता था"।

74. दोनों पक्षों ने व्यापक रूप से मामले के कानून पर भरोसा किया है और

उनकी संबंधित दलीलों को साबित करने के लिए संवैधानिक इतिहास। जब भी आवश्यक हो, उसी के प्रासंगिक भागों को इस निर्णय के बाद के भागों में संदर्भित किया जा रहा है।

इंटरलोक्यूटरी आदेशों के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

75. एसएलपी (सी) संख्या 15804/2017 में सुनवाई के दौरान दायर सुझावों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने 9 फरवरी 2018 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सुझाव दिया गयाः

" 1. खोज–सह–चयन की संरचना को बनाए रखना

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों की अनुसूची के कॉलम 4 में निर्धारित समिति (योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें)

अध्यक्ष/न्यायिक सदस्यों और प्रशासनिक सदस्यों दोनों के संबंध में) नियम, 2017। ए.

न्यायिक/प्रशासनिक दोनों सदस्यों के संबंध में इस डब्ल्यू. पी. के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम खोज–सह–चयन समिति का गठन करने का निर्देश

इसके अंतर्गतः

आर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

ए। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत–अध्यक्ष

बी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष –

सदस्य

सी। सरकार द्वारा नामित दो सचिव

भारत–सदस्य

अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकन। न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 की अनुसूची के कॉलम 5 में निर्धारित 3 साल के कार्यकाल पर रोक लगा दें।

सभी के पद का कार्यकाल तय करने के लिए एक और निर्देश

उपर्युक्त अंतरिम खोज–सह–चयन समिति द्वारा चुने गए और परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए 5

वर्षों से। के अनुसरण में की जाने वाली सभी नियुक्तियाँ

अंतरिम खोज सह चयन द्वारा किया गया चयन

समिति सेवा की शर्तों के साथ होगी –

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है।

इस आशय का एक और निर्देश कि उपरोक्त अंतरिम चयन समिति द्वारा किए गए सभी चयन और सेवा की शर्तों के साथ 5 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष/न्यायिक/प्रशासनिक सदस्यों के रूप में सभी चयनकर्ताओं की परिणामी नियुक्ति

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अंतिम निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।

रिट याचिका का परिणाम "।

विद्वान महान्यायवादी ने ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए सुझावों को छोड़कर सभी के साथ सहमति व्यक्त की, और कुछ सुझाव दिए इस प्रकार हैः

के अनुसरण में की जाने वाली सभी नियुक्तियाँ

अंतरिम खोज–सह–चयन समिति द्वारा किया गया चयन सेवा की शर्तों का पालन करेगा

पुराने अधिनियमों और नियमों के अनुसार।

इस प्रभाव के लिए एक और निर्देश कि उपरोक्त अंतरिम चयन समिति [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा किए गए सभी चयन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अध्यक्ष/न्यायिक/प्रशासनिक सदस्यों के रूप में सभी चयनकर्ताओं की परिणामी नियुक्ति उस अवधि के लिए होगी जैसा कि पुराने अधिनियमों में प्रावधान किया गया है और

नियम "।

77. यह न्यायालय विद्वान महान्यायवादी से सहमत हो गया

अनुमान और तदनुसार निम्नलिखित परिचालन निर्देश दिए गएः

" उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सुझावों को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं

कि वही चयन के लिए लागू किया जाएगा

अध्यक्ष और न्यायिक/प्रशासनिक/तकनीकी/विशेषज्ञ

सभी न्यायाधिकरणों के लिए सदस्य "।

78. चूंकि कई खोज–सह–चयन समितियों ने

इस न्यायालय ने 9 फरवरी, 2018 के उपरोक्त आदेश से पहले चयन प्रक्रियाओं को पूरा किया था और निर्णय का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया था।

फरवरी, 2018 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

" जैसे ही कुछ समितियाँ आगे बढ़ीं, मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

श्री रोहित भट, विद्वान वकील की सहायता करने वाले विद्वान वकील भारत संघ के लिए जनरल चयन की स्थिति दर्ज करेगा।

13.2.2018 द्वारा समितियों द्वारा प्रक्रिया। श्री अरविंद दातार, श्री सी. ए. सुंदरम और श्री मोहन परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल करेंगे।

किन न्यायाधिकरणों के संबंध में एक संयुक्त ज्ञापन दर्ज करें

ढका हुआ और नहीं ढका हुआ। इसे 10.30 सुबह 13.2.2018 पर दाखिल किया जाएगा। आदेश सुरक्षित हैं "।

79. इसके अलावा, 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने 9 फरवरी 2018 के अनुचित आदेश को स्पष्ट किया और निर्देश दियाः

" ((iii) अध्यक्ष और न्यायपालिका का कार्यकाल। सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक/विशेषज्ञ/तकनीकी सदस्य पांच साल की अवधि या अधिकतम आयु के लिए होंगे।

पुराने अधिनियमों और नियमों के तहत निर्धारित/निर्धारित;

80. आई. टी. ए. टी. के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में 16 जुलाई, 2018 को निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए थेः

" इस मोड़ पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि रोजर मैथ्यू बनाम के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) के संबंध में कुछ भ्रम है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

सेवानिवृत्ति की आयु। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आई. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चुना गया व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा और अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति बना रहेगा।

65 वर्ष की आयु तक।

81. 16 जुलाई 2018 के आदेश के अनुसार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्यायिक) के रूप में चुने गए छह अधिकारियों ने आई. टी. ए. टी. के सदस्यों के मामले में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की भी मांग की, जो उन पर लागू होती है। इसी कथन का पालन करते हुए, अगस्त 2018 के आदेश के माध्यम से, सी. ई. एस. टी. ए. टी., सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में स्पष्टीकरण।अस्थाई न्यायाधिकरण बनाया गया था। उस आदेश का प्रासंगिक भाग

इस प्रकार हैः

" सी. ई. एस. टी. टी.:

2. 2018 के आई. ए. 113281 में, आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य में एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश है, जिसे सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्यायिक) के रूप में चुना गया है। अधिसूचना छह अधिकारियों की नियुक्ति जिनका चयन किया गया है

आवेदक सहित सदस्य (न्यायिक) ने निर्धारित किया है कि वे पांच साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, "20 मार्च 2018 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में" पद धारण करेंगे। न्यायिक सेवा का कोई सदस्य आम तौर पर उस तारीख तक बना रहता।

राज्य न्यायिक सेवा में सेवानिवृत्ति, सेवा के अधीन

व्याख्या जिसके परिणामस्वरूप, सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्यायिक) के रूप में पद ग्रहण करने पर अधिकारी का कार्यकाल होगा। जो पाँच वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा, यदि यह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आता है। तदनुसार, हमारा विचार है कि 20 मार्च 2018 के आदेश में आई. टी. ए. टी. के लिए जारी स्पष्टीकरण को सदस्यों के मामले में दोहराया जाना चाहिए।

सी. ई. एस. टी. ए. टी, जो हम करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चुना गया व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा जबकि अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा।

65 वर्ष की आयु। एएफटीः

3. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे। अध्यक्ष जिनके पास [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।

कैट:

4. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मामले में, हम स्पष्ट करते हैं कि पुराने नियम/प्रावधान लागू रहते रहेंगे।

सीखी गई ऐमिकस उपचार की अवधारणा टिप्पणी:

विस्तृत अवधारणा टिप्पणी, उन्होंने एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में टिप्पणियों के आलोक में एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया है, और जैसा कि मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में दोहराया गया है। भारत संघ (2015) (ऊपर) इस आशय के लिए कि न्यायाधिकरणों या उनके सदस्यों को प्रायोजक या मूल मंत्रालयों या संबंधित विभागों से सुविधाएं लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 83. अवधारणा नोट में संसदीय स्थायी समिति की 74 वीं रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

देश में सभी न्यायाधिकरणों की देखरेख के लिए एक 'राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग' (एन. टी. सी.) के निर्माण की सिफारिश की। श्री दातार आगे सुझाव देते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• उच्चतम न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश (वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ)

उनमें से अध्यक्ष होना)।

. उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश (सदस्य)।

• कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य।

84. अवधारणा नोट में आगे यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित चयन समिति द्वारा की जाए:

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (समिति के अध्यक्ष के रूप में)

जो एक निर्णायक मत का प्रयोग करता है);

● दो वरिष्ठ–उच्चतम न्यायालय के सबसे अधिक न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश;

. वर्तमान कानून मंत्री; और • विपक्ष के नेता।

85. अवधारणा टिप्पणी में निम्नलिखित सुझाव भी शामिल हैंः

• एनटीसी को केंद्रीय न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करनी चाहिए और राज्य न्यायाधिकरणों के लिए इसी तरह के निकाय का गठन किया जा सकता है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

• एन. टी. सी. को उप–समितियों का गठन करके न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने से निपटना चाहिए। ● न्यायाधिकरणों के सदस्य की भर्ती राष्ट्रीय प्रतियोगिता द्वारा की जानी चाहिए। एक बार भर्ती होने के बाद उन्हें 62/65 वर्ष की आयु तक जारी रहना चाहिए, बशर्ते कि वे

कुशलता और संतोषजनक कार्य। न्यायाधिकरण सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल नहीं होना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए यदि सरकार स्वयं एक वादी है और

एक ही समय में प्राधिकरण की नियुक्ति।

. किसी भी स्वीकार करने पर प्रतिबंध होना चाहिए

सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार।

• अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करने के लिए वैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।

इस न्यायालय में सीधी अपील को छोड़कर।

• हटाने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए

सदस्य।

86. विद्वान न्यायमित्र की उपरोक्त अवधारणा टिप्पणी

इस न्यायालय द्वारा 07.05.2018 पर विचार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रावधान हुएः

" हम व्यापक रूप से एक प्रभावी होने की अवधारणा को मंजूरी देते हैं और

ऐसे सभी न्यायाधिकरणों के लिए स्वायत्त निरीक्षण निकाय अपवाद जो अपरिहार्य हो सकते हैं। ऐसी संस्था को जिम्मेदार होना चाहिए।

सदस्यों की भर्ती और उनके कामकाज की निगरानी के लिए

न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरणों के लिए नियमित संवर्ग की आवश्यकता हो सकती है। सीखा है।

न्यायमित्र ने अखिल भारतीय न्यायाधिकरण सेवा की स्थापना का सुझाव दिया

यू. के. का पैटर्न सदस्यों को या तो से खींचा जा सकता है

उच्च न्यायिक सेवा में सेवारत अधिकारी या सीधे भर्ती

प्रदर्शन और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए उसी में स्वतंत्र निकाय द्वारा अधीक्षण के रूप में था

संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय। प्रत्यक्ष अपीलों की जाँच की जानी चाहिए। न्यायाधिकरणों के सदस्यों को केवल नहीं होना चाहिए

उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए पात्र लेकिन एक तंत्र इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जिस तरीके से उच्च [2019] 16 एस. सी. आर. के सदस्यों को दिया जाता है, उसी तरीके से उन पर उचित विचार किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक सेवा। इससे उच्च न्यायालयों को न्यायाधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक प्रतिभा रखने में मदद मिल सकती है। न्यायाधिकरणों के लिए एक नियमित संवर्ग न्यायपालिका के संवर्गों की तर्ज पर हो सकता है। न्यायाधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य

त्वरित और सस्ता न्याय किसी भी तरह से नहीं होगा।

ऐसा करने में बाधा डालते हैं। जहाँ कहीं भी न्यायाधिकरण की केवल एक सीट है, वहाँ इसकी पीठ या तो सभी राज्यों में या कम से कम सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ केवल एक के बजाय मुकदमेबाजी हो।

जगह "।

87. 07.05.2018 पर ही, निम्नलिखित अतिरिक्त मुद्दों पर भी विचार किया गया थाः

" (i) पात्रता निर्धारित करने वाले नियमित संवर्गों का निर्माण

न्यायाधिकरणों के लिए भर्ती;

((ii) इस प्रकार भर्ती किए गए सदस्यों के प्रदर्शन और अनुशासन और उससे संबंधित अन्य मुद्दों की भर्ती और देखरेख के लिए एक स्वायत्त निरीक्षण निकाय की स्थापना;

(iii) इस न्यायालय में सीधी अपील की योजना में संशोधन करना ताकि न्यायाधिकरणों के आदेश अधिकार क्षेत्र के अधीन हों।

उच्च न्यायालयों का;

(iv) दिल्ली या कहीं और केवल एक स्थान होने के बजाय सुविधाजनक स्थानों पर आम आदमी के लिए न्यायाधिकरणों की पीठों को सुलभ बनाना। वैकल्पिक रूप से, मौजूदा न्यायालयों को विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र प्रदान करना

न्यायालय या न्यायाधिकरण "।

88. इसके बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय की राय दीः

" 20. उपरोक्त मुद्दों को तत्काल स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है

समिति, अधिमानतः तीन सदस्यों की, जिनमें से एक इस न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए जो किसी न्यायाधिकरण में कार्य कर सकता है। ऐसी समिति सभी हितधारकों के साथ अंतर–कार्रवाई कर सकती है और संवैधानिक योजना के अनुरूप एक तंत्र का सुझाव दे सकती है

ऊपर उल्लिखित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई

और विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के आलोक में भी। यह

अभ्यास समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

89. इसके बाद 16 मई, 2018 को एक और आदेश जारी किया गया जिसमें दो महीने के भीतर एक समिति के गठन और रोजर मैथ्यू बनाम.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

उम्मीद है कि समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

मुद्दों का गठनः 90. बार में प्रचार किए गए मुख्य मुद्दे संबंधित हैं –

वित्त अधिनियम, 2017 की संवैधानिकता, विशेष रूप से क्या यह संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' की कसौटी को संतुष्ट करता है? इसके अलावा, इस स्थिति में कि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विवादित विधान वैध रूप से अधिनियमित किया गया है, तो क्या यह धारा 184 के माध्यम से अत्यधिक विधायी शक्ति कार्यपालिका को सौंपता है? अंत में, क्या नियम इस प्रकार हैं

प्रत्यायोजित विधान के रूप में तैयार किए गए उनके मूल अधिनियम अधिकार से बाहर हैं और निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं?

91. इसके अलावा, पक्षों के लिए विद्वान वकील तैयार किए गए हैं

न्यायाधिकरणों के प्रशासन, विशेष रूप से सेवा की शर्तों, नियुक्ति के तरीके, कार्यकाल की सुरक्षा और विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की आवश्यक योग्यताओं को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देना। उन्होंने ऐसे न्यायाधिकरणों के आदेशों से प्रत्यक्ष वैधानिक अपीलों से उत्पन्न इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीनता के बढ़ते खतरे पर भी प्रकाश डाला है।

92. विद्वान वकीलों द्वारा रखे गए इन तर्कों के आलोक में और

न्यायमित्र के सुझावों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित मुद्दे सामने आते हैं:

I. क्या 'वित्त अधिनियम, 2017' जहां तक कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करता है और विभिन्न न्यायाधिकरणों का संचालन करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में बदलाव करता है, इसे कहा जा सकता है।

अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' के रूप में और इसके परिणामस्वरूप

वैध रूप से अधिनियमित?

II. यदि उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है तो क्या वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण असंवैधानिक है?

III. यदि धारा 184 वैध है, तो क्या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें)

सदस्य) नियम, 2017 प्रधान अधिनियम और न्यायाधिकरणों के कामकाज पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप हैं?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

IV. क्या इसके लिए एकल नोडल एजेंसी होनी चाहिए

सभी न्यायाधिकरणों का प्रशासन?

V. क्या न्यायिक प्रभाव के संचालन की आवश्यकता है

भारत में सभी न्यायाधिकरणों का मूल्यांकन?

VI. क्या न्यायाधिकरणों के न्यायाधीश अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए हैं

संविधान के अनुच्छेद 323–ए और 323–बी के तहत संसद को 'रैंक' और 'स्टेटस' के बराबर माना जा सकता है।

संवैधानिक पदाधिकारी?

VII. क्या न्यायाधिकरणों से प्रत्यक्ष वैधानिक अपीलें

सुप्रीम कोर्ट को मोड़ दिया जाना चाहिए?

VIII. क्या मौजूदा के एकीकरण की आवश्यकता है

न्यायाधिकरण और पीठों की स्थापना।

स्थापना और परिवर्तन की शर्तें अलग–अलग लोगों की सेवा

ट्रिब्यूनल को 'मनी बिल' के रूप में माना जा सकता है

अनुच्छेद 110 के तहत और समान रूप से है वैध रूप से प्रभावित?

93. भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है। कानून बनने के लिए, सामान्य विधायी योजना के अनुसार जैसा कि नीचे प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 107, एक साधारण विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और फिर राष्ट्रपति का अनुसमर्थन प्राप्त करना चाहिए। साधारण विधेयक सरकार द्वारा या संसद के किसी भी सदन में किसी भी निजी सदस्य द्वारा पेश किए जा सकते हैं।

सदन में आवश्यक बहुमत हासिल करने के बाद इसे पेश किया जाता है, फिर सामान्य बिलों को इसकी सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। हालाँकि, संविधान कानून बनाने के लिए इस सामान्य विधायी प्रक्रिया को दो छूट देता है।

94. अनुच्छेद 368 संविधान की शक्ति प्रदान करता है

संसद स्वयं संविधान में संशोधन करे और साथ–साथ इसकी आवश्यकता भी हो संसद के दोनों सदनों में बहुमत की उच्च सीमा, और कुछ मामलों में राज्य के साधारण बहुमत की सहमति की भी आवश्यकता होती है।

विधायिकाएँ। इसके विपरीत, अनुच्छेद 110 सीमा को उलट देता है और 'धन विधेयकों' के लिए राज्यसभा की भूमिका को काफी कम कर देता है। अनुच्छेद 109 और 110 में कहा गया हैः

" 109. (1) राज्य परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा।

जेर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई](2) लोक सभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे राज्य परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और राज्य परिषद विधेयक प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को लोक सभा को वापस कर देगी और इसके बाद लोक सभा राज्य परिषद की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

(3) यदि लोक सभा इनमें से किसी को भी स्वीकार करती है

राज्यों की परिषद की सिफारिशें, धन

यह समझा जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा राज्य परिषद द्वारा अनुशंसित और लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के साथ पारित किया गया है।

(4) यदि लोक सभा राज्य परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो धन

यह समझा जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया था जिसमें इसे लोक सभा द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन के बिना पारित किया गया था।

राज्यों की परिषद द्वारा।

(5) यदि कोई धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया जाता है और

इसके लिए राज्यों की परिषद को प्रेषित किया गया

यदि सिफारिशें चौदह दिनों की उक्त अवधि के भीतर लोक सभा को वापस नहीं की जाती हैं, तो यह माना जाएगा कि यह दोनों सदनों द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति पर उसी रूप में पारित की गई थी जिसमें इसे पारित किया गया था।

लोक सभा द्वारा पारित किया गया।

(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक माना जाएगा।

एक धन विधेयक यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी मामलों से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात्ः(क) अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन

किसी भी कर का;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या किसी वित्तीय मामले के संबंध में कानून में संशोधन।

द्वारा किए गए या किए जाने वाले दायित्व

भारत सरकार; 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या धन की निकासी;

((घ) समेकित निधियों में से धन का विनियोग

भारत का कोष;

((ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;

(च) संचित के खाते में धन की प्राप्ति

भारत की निधि या भारत का सार्वजनिक खाता या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम या लेखा परीक्षा

संघ या किसी राज्य के खाते; या

(छ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई आनुषंगिक मामला

उपखंड (ए) से (एफ)।

(2) किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक प्रावधान हैं।

स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा। (3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(4) प्रत्येक धन विधेयक का समर्थन तब किया जाएगा जब इसे अनुच्छेद 109 के तहत राज्य परिषद को प्रेषित किया जाता है, और जब इसे अनुच्छेद 111 के तहत सहमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है,

उनके द्वारा हस्ताक्षरित लोक सभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र कि यह एक धन विधेयक है।

95. ' इस प्रकार अनुच्छेद 110 (1) के तहत परिभाषित धन बिलों में ऐसे बिल शामिल हैं जिनमें उपखंड (ए) से (जी) तक "केवल" प्रावधान शामिल हैं। इन धन विधेयकों को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसकी भूमिका

राज्यसभा केवल परामर्श देने वाली है। सामान्य विधेयकों के मामले में जहां उच्च सदन प्रस्तावित कानून को अवरुद्ध कर सकता है और सीधे निर्वाचित निचले सदन की शक्ति पर रोक के रूप में कार्य कर सकता है, धन विधेयकों के मामले में, राज्यसभा के पास केवल संशोधनों की सिफारिश करने की क्षमता है, वह भी केवल चौदह दिनों के भीतर।

मामले में रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने से इनकार कर देती है या चौदह दिनों की अवधि के भीतर राज्य सभा द्वारा कोई सिफारिश नहीं की जाती है, तो धन विधेयक को सीधे राष्ट्रपति के अनुसमर्थन के लिए भेजा जा सकता है और उसके बाद यह वैध कानून बन जाता है।

96. इस तरह के एक असाधारण प्रावधान की जड़ें ब्रिटिश परंपरा में हैं और यह सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप की विरासत है। द.

1911 का संसद अधिनियम यूनाइटेड किंगडम द्वारा तैयार किया गया था। 1909 के संवैधानिक संकट के जवाब में संसद

निर्वाचित उच्च सदन (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) ने निर्वाचित निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) द्वारा पारित महत्वपूर्ण बजटीय विधेयकों को रोक दिया था, जिससे सरकारी संकट पैदा हो गया था और निर्वाचित सरकार को इस्तीफा देने और फिर से चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा था। धारा 3 के माध्यम से, उक्त

अधिनियमन के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता थी कि विधेयक एक 'धन विधेयक' था और इस तरह के प्रमाणन के बाद, ऊपरी सदन विधेयक में संशोधन या

वीटो करने की अपनी क्षमता खो देगा। इसके अलावा, इसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद 'सार्वजनिक बिलों' को कानून बनने की अनुमति दी, अगर हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसी मसौदे को पारित कर दिया था। न्यूनतम दो वर्ष की अवधि में तीन बार। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 109 और 110 के तहत भारतीय अनुकूलन में 'सार्वजनिक विधेयकों' के लिए कोई अपवाद नहीं है और न ही वे स्पष्ट रूप से यह प्रदान करते हैं कि ऐसा प्रमाणन 1911 के संसद अधिनियम के विपरीत न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

97. भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 (4) के अनुसार, प्रत्येक

98. वर्तमान विवाद में, संघ ने अनुच्छेद 110 (3) की शब्दावली द्वारा इस तरह के प्रमाणीकरण को दी गई अंतिमता पर भरोसा किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी विधेयक की प्रकृति के बारे में किसी भी विवाद के मामले में, "लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय उस पर होगा। अंतिम हो "। वास्तव में, लोकसभा अध्यक्ष ने एक विवाद उत्पन्न होने पर तत्कालीन वित्त विधेयक, 2017 को 'धन विधेयक' घोषित किया है। इसके अलावा, संघ संविधान के अनुच्छेद 122 (1) पर भी जोर देता है जो प्रदान करता है किः

" 122. (1) संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

99. इस प्रकार संघ, वैकल्पिक रूप से, तर्क देता है कि वित्त विधेयक, 2017 के अध्यक्ष को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने और इसके परिणामस्वरूप राज्य सभा की सहमति के बिना इसे पारित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष चुनौती 'की अनियमितता' के बराबर होगी। 'संसद में कार्यवाही' की प्रक्रिया और इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है।

यूनाइटेड किंगडम में इतिहास और विकास। सत्रहवीं शताब्दी के दौरान संसद में उनकी टिप्पणियों के लिए संसद के कुछ सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकार विधेयक, 1688 का अनुच्छेद 9 लागू किया गया, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि ". संसद की कार्यवाही पर किसी भी मामले में महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायालय। "भारत के संविधान का अनुच्छेद 212 (1) राज्य विधानसभाओं के संबंध में अनुच्छेद 122 (1) का प्रत्यक्ष परिणाम प्रदान करता है।

101. इस प्रावधान की शुरुआत में एमएसएम शर्मा बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा 20 में व्याख्या की गई थी जिसका अर्थ है कि विधायी कार्य नहीं हो सकता है।

अमान्य किया जाएगा, भले ही वह सख्ती से कानून का पालन नहीं कर रहा हो, क्योंकि ऐसे मुद्दे अपने स्वयं के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए विधायिका के "विशेष अधिकार क्षेत्र" के भीतर थे।

102. संघ का यह तर्क कि अनुच्छेद 122 विधेयकों को पारित करने की न्यायिक जांच से छूट देगा, एक दूरगामी तर्क है। अगर ऐसा है

पूर्ण छूट दी जानी थी, फिर यह संसद के कामकाज और इसकी विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले किसी भी संवैधानिक प्रावधान से विचलन के लिए बाढ़ के द्वार खोल देगा। चूँकि संविधान स्पष्ट रूप से विधान के अधिनियमन के लिए एक स्व–निहित विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है, और यह सुझाव नहीं देता है कि किसी भी विधि को राष्ट्रपति की सहमति, किसी भी तरीके से अपनाया जाए, एक वैध कानून बन जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि यह न्यायालय कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संवैधानिक मंच हो।

न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक योजना के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 122 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों के अवलोकन और इसकी ब्रिटिश जड़ों के साथ तुलना से यह स्पष्ट होता है कि संदर्भित "कार्यवाही" में संसद की अपने नियम बनाने, बहस और चर्चा के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करने और शिष्य को लागू करने की शक्तियां शामिल हैं। संसद अधिनियम, 1911 की धारा 3

यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष का निर्णय 'सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक' होता है और 'उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा 20 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 395।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

किसी भी अदालत में '। हालाँकि, अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान

110 (3) , इसमें कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। एक अलग वाक्यविन्यास से संकेत मिलता है कि हमारा संविधान संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए विधेयक की प्रकृति के बारे में अध्यक्ष का निर्णय लेता है, हालांकि यह अदालतों के समक्ष निर्णायक और अप्रतिरोध्य नहीं है। संविधान के तहत अंतिमता का दर्जा प्राप्त करने वाले निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के दायरे की इस न्यायालय द्वारा कई मौकों पर जांच की गई है। हम इस संबंध में कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना चाहेंगे। राजा राम पाल बनाम। लोकसभा 2 1, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकारों और शक्तियों के मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे और दायरे की जांच की थी। अदालत ने कहा था

कि अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) के तहत जो छूट दी गई है, वह 'प्रक्रिया की अनियमितता' तक सीमित है और इसका विस्तार मूल अवैधता या अवैधता तक नहीं है।

अवलोकन द्वारा असंवैधानिकताः

" अनुच्छेद 122 में किसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास ताकि –

अदालत के अधिकार क्षेत्र को जाँच करने के लिए सीमित करें

असंवैधानिकता के मामले में संसद की प्रक्रिया, अवैधता के विपरीत, संवैधानिक पाठ के साथ हिंसा करने के बराबर होगी। "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" के सिद्धांत को लागू करते हुए (जो कुछ भी शामिल नहीं किया गया है उसे निहितार्थ से बाहर रखा गया है), यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि

के टचस्टोन पर परीक्षा के खिलाफ निषेध

" प्रक्रिया की अनियमितता "अवैधता या असंवैधानिकता के निष्कर्षों पर वर्जित न्यायिक समीक्षा नहीं करती है।"

भारत संघ में v. ज्योति प्रकाश मित्तर 22, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 217 के खंड (3) की जांच की थी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में सवाल उठने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के निर्णय को 'अंतिम' बनाता है। यह देखा गया कि राष्ट्रपति के आदेश की घोषित अंतिमता के बावजूद, न्यायालय, उपयुक्त मामलों में जब आदेश संपार्श्विक विचारों पर पारित किया गया है या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया जाता है या जब राष्ट्रपति का निर्णय कार्यपालिका द्वारा दी गई सलाह या अभ्यावेदन से रंगीन होता है या बिना किसी सबूत के किया जाता है, तो अनुच्छेद 217 (3) के तहत किए गए राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर सकता है।

21 (2007) 3 एससीसी 184

22 (1971) 1 एससीसी 396 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवैधानिक योजना। 103. यह निर्धारित करना कि क्या कोई आक्षेपित कार्रवाई या उल्लंघन एक छूट प्राप्त अनियमितता है या न्यायसंगत अवैधता न्यायिक मामला है।

व्याख्या और निस्संदेह न्यायालयों के दायरे में आएगी और

न्यायालय ने यह ध्यान में रखते हुए अधिकारिता ग्रहण की कि विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित कानूनों की व्याख्या के अधिकार क्षेत्र में आएगी न्यायालय; वैधानिक व्याख्या एक न्यायिक अभ्यास है, चाहे अधिकार विधेयक के तहत संसदीय कार्यवाही को दी गई उन्मुक्ति कुछ भी हो।

104. अतः यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक योजना का घोर उल्लंघन केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं होगी और इसलिए यह न्यायिक से प्रतिरक्षा के सीमित दायरे से बाहर होगी

अनुच्छेद 122 (1) के तहत जांच। अतः, वर्तमान मामले में, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है।

105. इस ठोस सवाल पर कि क्या वित्त अधिनियम, 2017 अनुच्छेद 110 (3) के तहत एक 'धन विधेयक' था, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 21 वीं शताब्दी के अंत तक इस न्यायालय ने एक सुसंगत रुख अपनाया था।

23 [2005] यूकेएचएल 56।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

कि संविधान का अनुच्छेद 110 (3) लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए 'धन विधेयक' के प्रमाण पत्र की शुद्धता की न्यायिक जांच के खिलाफ एक स्पष्ट बाधा के रूप में कार्य करेगा।

106. मोहम्मद में। सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 4, तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्ता और उप–लोकायुक्ता (संशोधन) विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की न्यायिक समीक्षा करने से इनकार कर दिया। अनुच्छेद 212 (1) के तहत "विधानमंडल की कार्यवाही" वाक्यांश की व्याख्या "किसी भी सदन में कही गई या की गई हर चीज" को शामिल करने के लिए की गई थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 43. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विधान सभा के अध्यक्ष का यह निर्णय कि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था, अंतिम है और उक्त निर्णय को विवादित नहीं किया जा सकता है और न ही अनुच्छेद 212 के आधार पर राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 255 यह भी दर्शाता है कि संविधान के तहत प्रक्रिया के मामले उस अधिनियम को अमान्य नहीं करते हैं, जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सहमति दी गई है। चूंकि विचाराधीन विधेयक एक धन विधेयक था, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा विधान द्वारा उक्त विधेयक के पारित होने के खिलाफ विपरीत तर्क

केवल सभा ही अस्वीकार्य है।

107. इस पर योगेंद्र कुमार जयसवाल बनाम बिहार राज्य 2 5 में भरोसा किया गया था, जिसमें इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने ओडिशा विशेष न्यायालय विधेयक को अध्यक्ष द्वारा दिए गए 'धन विधेयक' के प्रमाणन की न्यायिक रूप से समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि इसका निपटारा मोहम्मद के बाद किया गया था। सिद्दीकी (ऊपर) ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रमाणन एक "अनियमितता" होगी न कि एक "सारभूतता"।

108. न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ

( ) और अन्र। वी. भारत संघ को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) को दिए गए 'मनी बिल' के प्रमाणन के समान प्रश्न का कार्य सौंपा गया था।

24 (2014) 11 एस. सी. सी. 415। 25 (2016) 3 एससीसी 183

26 (2019) 1 एससीसी 1.

इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विवादित अधिनियम अनुच्छेद 110 (1) के चार कोनों के भीतर आता है और इसलिए यह एक 'धन विधेयक' था। हालाँकि, अल्पमत के दृष्टिकोण ने स्पष्ट रूप से दोनों मोहम्मद को खारिज कर दिया। सिद्दीकी (ऊपर) और योगेंद्र कुमार जायसवाल (ऊपर)। 109. पुट्टास्वामी (ऊपर) में बहुमत की राय यह जांच कर रही है कि क्या विवादित अधिनियम वास्तव में अनुच्छेद 110 के तहत एक 'धन विधेयक' था या नहीं, बिना स्पष्ट रूप से प्रमाणन पर विचार किए या नहीं।

अध्यक्ष की न्यायिक समीक्षा के अधीन है, उसने अनुच्छेद 110 (3) के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बरकरार रखा है। इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'धन विधेयक' शब्द को प्रतिबंधात्मक अर्थ में नहीं लिया जा सकता है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के विवेक को महत्व दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह संविधान की योजना का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। हम पुट्टास्वामी (ऊपर) के दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक समर्थन करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मो. सिद्दीकी और योगेंद्र कुमार जयसवाल ने जहां तक अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष के फैसलों को न्यायिक समीक्षा से परे रखा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

110. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 110 (3) के तहत मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के न्यायिक सम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है।

प्रमाणन। अध्यक्ष के निर्णय के पक्ष में वैधता का अनुमान होगा और निस्संदेह इसकी वैधता को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर यह दिखाने की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह का प्रमाणन पूरी तरह से असंवैधानिक था या स्पष्ट रूप से पर्याप्त अवैधता से दूषित था। न्यायालयों को अध्यक्ष के मूल्यांकन को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए या दूसरी प्रशंसनीय व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय, न्यायिक समीक्षा केवल बहुत चरम उदाहरण तक ही सीमित होनी चाहिए जहां न्यायिक समीक्षा की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है।

स्वयं संवैधानिक योजना। अपीलीय मंच के रूप में कार्य करना संवैधानिक न्यायालयों का कार्य नहीं है, विशेष रूप से अध्यक्ष की राय पर, क्योंकि ऐसा करने से संसद के कामकाज को पंगु बनाने का जोखिम होगा। 111. जांच के उपरोक्त संकीर्ण दायरे और याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा निर्वहन किए जाने वाले उच्च बोझ के आलोक में

अध्यक्ष का प्रमाणन, अब हम चुनौती की जांच कर सकते हैं

वित्त अधिनियम, 2017।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

112. भाग XIV के प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मौजूदा न्यायाधिकरणों का उन्मूलन और विलय; दूसरा,

नियमों के माध्यम से केंद्र सरकार को योग्यता निर्धारित करने की शक्ति; नियुक्ति और हटाने की विधि, और पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें; और तीसरा, सेवाओं की समाप्ति और भुगतान

पीठासीन अधिकारियों और कुछ न्यायाधिकरणों के सदस्यों को मुआवजा जो

अब कार्यहीन हो गए हैं।

113. अनुच्छेद 110 की व्याख्या के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में एक समन्वित संविधान पीठ द्वारा की गई थी और दोनों पक्षों द्वारा इस पर भरोसा किया जाता है।

114. 'धन विधेयक' शीर्षक के तहत के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत के फैसले में, पैराग्राफ 448 में और फिर पैराग्राफ 452 से 461 में, विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को दर्ज किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलें भी शामिल थीं।

अनुच्छेद 110 में 'केवल' शब्द दिखाई देता है जो 'धन विधेयक' को परिभाषित करता है। 'केवल' शब्द के अर्थ को दी जाने वाली व्याख्या के संबंध में, हरि राम बनाम पर निर्भरता रखी गई थी। बाबू गोपाल

प्रसाद 27 और मेसर्स सारू स्मेल्टिंग (पी) लिमिटेड v. बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ 28. इसके बाद बहुमत के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में 'अंतिम' शब्द के उपयोग के बावजूद न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उल्लेख किया गया था, एक ऐसा पहलू जिसका हम पहले ही जवाब दे चुके हैं, और आधार अधिनियम की धारा 7 की जांच करते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि धारा 7 अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। इसके बाद, आधार अधिनियम के अन्य प्रावधानों का संदर्भ दिया गया ताकि बहुमत की राय दर्ज की जा सके कि विचाराधीन विधेयक को "धन विधेयक" के रूप में पेश किया गया था। इसलिए, बहुमत के निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (एफ) के दायरे और दायरे को स्पष्ट और स्पष्ट नहीं किया, एक कानूनी स्थिति और पहलू जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है और मान लेता है।

काफी महत्व है।

115. अशोक भूषण, जे. ने पैराग्राफ 886 के बाद अपने सहमति वाले फैसले में "धन विधेयक" और इसकी न्यायसंगतता के मुद्दे की जांच की थी और जैसा कि ऊपर देखा गया है, मोहम्मद को खारिज कर दिया था। सईद सिद्दीकी

27 (1991) सप. 2 एस. सी. सी. 608 28 (1993) सप.

(उपर्युक्त) और योगेश (उपर्युक्त) ने किहोतो होलोहन बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करके सही कानून निर्धारित नहीं किया। ज़किलहु

और अन्य 2 9 और राजा राम पाल (ऊपर)। "धन विधेयक" की परिभाषा और संविधान के अनुच्छेद 110 (1) में उपयोग किए गए "केवल" शब्द के अर्थ और उद्देश्य का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा था कि विधायी उद्देश्य यह था कि किसी अधिनियम का मुख्य और मूल प्रावधान केवल (ए) से (एफ) तक के उपखंडों में से कोई भी या सभी होना चाहिए। यदि अधिनियम के मुख्य या मूल प्रावधान नहीं हैं

उपखंड (ए) से (एफ) के अंतर्गत आने वाले विधेयक को "धन विधेयक" नहीं कहा जा सकता है (पैराग्राफ 905 देखें)। यह आगे देखा गया कि अनुच्छेद 110 (1) में 'केवल' शब्द के उपयोग का अपना उद्देश्य है, जो एक विधेयक को "धन विधेयक" के रूप में प्रमाणित करने के लिए स्पष्ट प्रतिबंध है (पैराग्राफ 906 देखें)।

आधार अधिनियम का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि यह व्यक्तियों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के संवैधानिक दायित्व के इर्द–गिर्द घूमता है और अन्य प्रावधान मुख्य प्रावधान के केवल आकस्मिक प्रावधान हैं। इसलिए, आधार विधेयक को अध्यक्ष द्वारा "धन विधेयक" के रूप में सही प्रमाणित किया गया था।

116. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ने उक्त प्रश्न पर अपनी अल्पमत राय में संविधान के अनुच्छेद 110 (1) में 'केवल' शब्द का उल्लेख करते हुए कहा था कि सार और सार सिद्धांत जो लागू होता है

विधायी प्रविष्टियों पर यह प्रश्न तय करते समय लागू नहीं होगा कि कोई विशेष विधेयक "धन विधेयक" है या नहीं। अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (ई) का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धन विधेयक को भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी भी व्यय की घोषणा (या व्यय की राशि में वृद्धि) और इसलिए, आधार अधिनियम की धारा 7 का विधेयक को धन विधेयक बनाने का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इसमें सेवाओं, लाभों या सब्सिडी पर किए गए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभार घोषित नहीं किया गया था। धारा 7 आधार को उन सेवाओं, लाभों या सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य करती है जो पहले से ही भारत की संचित निधि से ली गई थीं।

हालाँकि, इस विचार को बहुमत के फैसले द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

117. संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के संदर्भ में, उपखंड (ए) से (एफ) के संबंध में 'केवल' शब्द का उपयोग एक दिलचस्प सवाल है, हालांकि यह एक कठिन सवाल है जिसकी जांच और उत्तर संविधान द्वारा नहीं दिया गया था।

के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत निर्णय। हालांकि किसी भी कर को लागू करने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित विधेयक को समझना आसान हो सकता है, लेकिन इसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी –

29 (1992) सप.

2 एस. सी. सी. 651 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

वित्तीय दायित्व के बारे में। कौल और शकधर की पुस्तक "संसद की प्रथाएं और प्रक्रियाएं" में यह राय दी गई है कि जब तक यह शब्द न हो ' केवल 'की सही तरीके से व्याख्या की जाती है, अनुच्छेद 110 (1) एक शून्य होगा। दूसरी ओर, एक उदार और व्यापक व्याख्या संभवतः उजागर करती है।

एक विपरीत परिणाम। कौल की राय का प्रासंगिक हिस्सा और

शकधर पढ़ता हैः

" अध्यक्ष मावलंकर ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः प्रथम दृष्टया यह मुझे लगता है कि अनुच्छेद 110 के शब्द (अधिरोपण, उन्मूलन,

संचित विधेयक को धन विधेयक बनाने के लिए किसी भी कर की छूट, परिवर्तन, विनियमन) पर्याप्त रूप से व्यापक हैं। एक सवाल उठ सकता है इस बारे में कि 'केवल' शब्द का सटीक महत्व या दायरा क्या है और क्या और कितना दूर वह शब्द संशोधित या नियंत्रित करने के लिए जाता है।

व्यापक और सामान्य शब्द 'थोपना, उन्मूलन, छूट, आदि'।

मुझे लगता है, प्रथम दृष्टया, कि 'केवल' शब्द सामान्य शब्दों के दायरे के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं है। यदि कोई विधेयक महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, आदि, तो अन्य प्रावधानों के विधेयक में शामिल करने का केवल तथ्य जो उस कर के प्रशासन के लिए आवश्यक हो सकता है या, मैं कह सकता हूं, इसके लिए आवश्यक है

विशेष विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति, विधेयक को धन विधेयकों की श्रेणी से हटा नहीं सकती है। देखना पड़ता है

विधेयक के उद्देश्य के लिए। इसलिए, यदि विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी कर को लागू करना, समाप्त करना आदि है, तो अन्य प्रावधान आकस्मिक होंगे और उनके समावेश को इसे धन विधेयक की श्रेणी से दूर करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जब तक कोई 'केवल' शब्द का इस तरह से अर्थ नहीं लगाता है, तब तक यह अनुच्छेद 110 को शून्य बना सकता है। इसके निर्धारण, संग्रह, प्रशासन, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के संदर्भ आदि के लिए प्रावधान किए बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी मुख्य कर लगाने वाले विधेयक में केवल एक धारा की कल्पना कर सकता है और पचास अन्य धाराएं हो सकती हैं जो उस अधिरोपण के दायरे, विधि, तरीके आदि से संबंधित हो सकती हैं। इसके अलावा, हमें अनुच्छेद 110 के उपखंड (2) के प्रावधानों पर भी विचार करना होगा और ये प्रावधान सहायक हो सकते हैं।

'केवल' शब्द के दायरे को स्पष्ट करना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से।

118. बहुमत के फैसले ने पीठ और सार के सिद्धांत को बढ़ावा नहीं दिया, जबकि अशोक भूषण, जे. के फैसले ने [2019] 16 एस. सी. आर. का उल्लेख किया था।

प्रमुख उद्देश्य के लिए। प्रमुख उद्देश्य के परीक्षण की संभवतः अपनी सीमा होती है क्योंकि कई कानूनों में एक से अधिक होती हैं। प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से तब जब इस निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (ए) से (एफ) के संदर्भ में पढ़ा जाता है। इसके अलावा, यह निर्धारित करना कि क्या सर्वोपरि और प्रमुख है

कानून का उद्देश्य और यह निर्धारित करने के लिए लागू परीक्षण कम्पंक्शन और इनकर्टिट्यूड स्वयं अस्पष्टता से मुक्त नहीं है। अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (बी), (सी), (डी) और (ई) के संदर्भ में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, जब हम एक अधिनियमन परीक्षण के प्रमुख या मुख्य उद्देश्य के सिद्धांतों को लागू करते हैं। अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (सी) में धन का भुगतान या धन की निकासी को संदर्भित किया गया है।

भारत की समेकित निधि। उपखंड (घ) के विनियोग को संदर्भित करता है भारत की संचित निधि से धन। उपखंड (ङ) संचित निधि पर प्रभारित किसी भी व्यय की घोषणा को संदर्भित करता है।

भारत या ऐसे व्यय की राशि में वृद्धि। उपखंड (च) भारत की संचित निधि के लिए धन की प्राप्ति से संबंधित है।

या भारत का सार्वजनिक खाता या ऐसा धन जारी करना या संघ या राज्य के खातों का लेखापरीक्षा। खंड (ख) के विस्तार में भी भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून का संशोधन शामिल है। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (3) के तहत अध्यक्ष का निर्णय हालांकि अंतिम है, संवैधानिक अवैधता के सिद्धांत पर न्यायिक जांच के अधीन है, तो अनुच्छेद 110 (1) के प्रावधानों को बचने और रोकने के लिए एक उचित अर्थ और व्याख्या दी जानी चाहिए।

अति–समावेशिता या अल्प–समावेशिता। किसी भी व्याख्या के दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रावधानों के संबंध में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए और किसी भी अस्पष्टता और बहस को समाप्त किया जाना चाहिए और सकारात्मक रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। संदेह के मामले में, निश्चित रूप से अध्यक्ष की राय निर्णायक होगी, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत "धन विधेयक" के दायरे और दायरे का जवाब देने और निर्णय लेने से बचने के लिए विचार नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम जैसे कराधान अधिनियम अनुच्छेद 110 के उपखंड (ए) से खंड (1) के तहत धन विधेयक के रूप में योग्य होंगे और इसमें अपीलीय न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं जो –

संभवतः उपखंड (छ) के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक प्रावधानों के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 110 के खंड (1) के लिए, भले ही हम अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (डी) के अनुप्रयोग को बाहर करते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण रोजर मैथ्यू v के तहत न्यायाधिकरण के गठन के प्रावधानों के संदर्भ में जिस स्थिति पर तर्क दिया जा सकता है, वह अलग होगी।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

एक्ट करें। विधेयक में हालांकि यह कहा जा सकता है कि खर्च वसूल किया जाएगा।

भारत की संचित निधि पर।

119. एक अन्य पहलू जो विचार के लिए उत्पन्न होगा, वह होगा सरकार द्वारा प्रमाणित गैर–धन विधेयक के मामले में कानूनी परिणाम। अध्यक्ष एक धन विधेयक के रूप में, जब राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ सदस्यों द्वारा इस पर विशेष रूप से आपत्ति जताई जाती है, लेकिन मतदान के लिए रखे जाने पर "गैर–धन" विधेयक से संबंधित प्रावधानों के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की जाती है।

120. याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सहमति वाली राय के आधार पर तर्क दिया था कि कम से कम एक के अलावा

अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के तहत आने वाले प्रावधान, अन्य शेष प्रावधानों में से प्रत्येक भी ऐसे मुख्य प्रावधानों के लिए आकस्मिक होना चाहिए, और इसलिए अनुच्छेद 110 (जी) की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह की व्याख्या से शब्द का सम्मिलन होगा ' केवल अनुच्छेद 110 (1) के उद्देश्यपूर्ण प्रारंभिक भाग के तहत, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे संघ द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जिस तरह से बहुमत ने आधार अधिनियम की धारा 7 को अनुच्छेद 110 (1) (ई) से जोड़ा, वह गलत था, क्योंकि यह केवल प्रमाणीकरण की आवश्यकता को लागू करके वापस लेने की प्रक्रिया को विनियमित करता था और

किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभार घोषित न करें। उन्होंने तर्क दिया था कि बहुमत के फैसले द्वारा अधिनियमन की व्याख्या संवैधानिक रूप से गलत थी और वर्तमान मामले में ऐसा ही विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रत्येक विवादित प्रावधान की व्यक्तिगत रूप से जांच की जानी चाहिए और या तो अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के तहत लाया जाना चाहिए या अनुच्छेद 110 (जी) द्वारा अनुमत आनुषंगिक होना चाहिए। यदि एक भी प्रावधान उपरोक्त दो श्रेणियों में से किसी को भी संतुष्ट नहीं करता है, तब संपूर्ण वित्त अधिनियम, 2017 अनुच्छेद 110 (1) के प्रारंभिक वाक्यांश का अपमान होगा और इसे घोषित किया जाना चाहिए

असंवैधानिक है।

121. हालाँकि, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्ताव दिया है कि वित्त अधिनियम, 2017 की संवैधानिकता सुरक्षित होगी यदि यह प्रभावी है।

प्रावधान, जो अधिनियम का मूल हैं, अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के दायरे में आते हैं। अन्य छोटे प्रावधान, भले ही कड़ाई से आकस्मिक न हों, प्रमुख रंग ले सकते हैं और साथ–साथ पारित किए जा सकते हैं।

एक धन विधेयक के रूप में। इस तरह की व्याख्या के अनुसार, प्रावधानों को होना चाहिए

इसे टुकड़ों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न्यायिक समीक्षा को अलग तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

122. मामले की व्यापक जांच करने पर, हम देखते हैं कि के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत ने प्रकृति का उच्चारण किया

अनुच्छेद 110 (1) के दायरे और व्याख्या के सिद्धांतों या ऐसी प्रक्रिया के परिणामों को पहले चित्रित किए बिना विवादित अधिनियम का। यह हमारे लिए स्पष्ट है कि के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत के कथन ने अनुच्छेद 110 (1) में 'केवल' शब्द के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की और एक निष्कर्ष के परिणामों पर बहुत कम मार्गदर्शन प्रदान करता है जब एक अधिनियम के कुछ प्रावधानों को पारित किया गया था।

पुट्टास्वामी (आधार–5) इसके आवेदन को वर्तमान मामले के लिए कठिन बनाता है और इसके निर्णयों के बीच एक संभावित संघर्ष को जन्म देता है। पीठों का समन्वय करें।

123. न्यायिक समीक्षा और व्याख्यात्मक सिद्धांतों (या उनकी कमी) के दायरे में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए, जैसा कि के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में बहुमत द्वारा जोड़ा गया है और आधार अधिनियम, 2016 के इसके विश्लेषण के पर्याप्त पूर्ववर्ती प्रभाव को देखते हुए, इसकी शुद्धता का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। समान शक्ति का एक बेंच होना जैसा कि के. एस. पुट्टास्वामी (आधार–5) में, हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि मामलों के इस समूह को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए प्रशासनिक पक्ष में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

124. एक और कारण है कि हमें लगता है कि इस मामले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। एल. चंद्रा

भारी बोझ। नतीजतन, अनुच्छेद 227 (1) के अनुसार उनके पर्यवेक्षी कार्यों को जोड़ना किसी भी तरह से सहायक नहीं हो सकता है। इसके बाद, यह देखा गया कि विभिन्न न्यायाधिकरणों का गठन अलग–

अलग कानूनों के तहत किया गया था अधिनियमों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है, फिर भी प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं थी। यह न्यायालय रोजर मैथ्यू बनाम का था।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

यह विचार कि जब तक ऐसे न्यायाधिकरणों के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं की जा सकती है, यह वांछनीय है कि ऐसे सभी न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, एक एकल नोडल मंत्रालय के तहत होने चाहिए जो इन न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करने की स्थिति में होगा। कई कारणों से, न्यायालय ने कहा कि विधि मंत्रालय उपयुक्त मंत्रालय होगा। बदले में विधि मंत्रालय को न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय नियुक्त करने की आवश्यकता थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि इन पहलुओं और प्रश्नों पर सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया जाए।

मुद्दा ।।: वित्त की धारा 184

अधिनियम, 2017 खाते पर असंवैधानिक है

विशिष्ट विस्थापन का?

125. वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV के खिलाफ दूसरी चुनौती इस दावे पर आधारित है कि यह अत्यधिकता का मामला है।

प्रतिनिधि मंडल के रूप में यह "आवश्यक विधायी कार्यों" और "नीति और दिशानिर्देशों" परीक्षणों के आधार पर लड़खड़ाता है।

126. धारा 183 में निर्दिष्ट आठवीं अनुसूची में संबंधित अधिनियमों के साथ 19 न्यायाधिकरणों की एक सूची है जिसके तहत वे

आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों की नियुक्ति वित्त अधिनियम की धारा 184 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, ये प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होते हैं जिन्हें निर्धारित तिथि से तुरंत पहले ही उक्त पदों पर नियुक्त किया जा चुका है, वह तारीख है जिस पर केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा उक्त प्रावधानों को लागू कर सकती है।

127. धारा 184, दोहराने के लिए, निम्नानुसार हैः

" 184. न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा की शर्तें, वेतन और भत्ते आदि। (1) केंद्र सरकार,

अधिसूचना द्वारा, [2019] 16 एस. सी. आर. की योग्यता, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के लिए नियम बना सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणः

बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन वह अपने पद पर आने की तारीख से पांच साल से अधिक नहीं होगा और इसके लिए पात्र होगा।

पुनर्नियुक्तिः

बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य पद प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का पद धारण करेंगे।

केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट ऐसी आयु

सरकार जो इससे अधिक नहीं होगी,

(क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के मामले में,

सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य सदस्य के मामले में, साठ–सात वर्ष की आयुः

(2) न तो वेतन और भत्ते और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य नियम और शर्तें,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अन्य प्राधिकरण उनके नुकसान के लिए भिन्न हो सकते हैं।

उनकी नियुक्ति के बाद।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण। पहले परंतुक में कहा गया है कि पदधारी अधिकारी ऐसी शर्तों के लिए पद धारण करेंगे जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में लेकिन यह पद रोजर मैथ्यू v नहीं होगा।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में, जो अध्यक्ष, अध्यक्ष और राष्ट्रपति के मामले में 70 वर्ष से अधिक नहीं होंगे और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या किसी अन्य सदस्य के मामले में आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होगी। धारा 184 की उप–धारा 2 में कहा गया है कि नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें भिन्न नहीं हो सकती हैं। नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए।

128. वित्त अधिनियम की धारा 185 (1) भी प्रासंगिक है और पढ़ती हैः

" 185. संक्रमणकालीन प्रावधान। – (1) के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति

अध्यक्ष या अध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य या नौवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण और नियत दिन से ठीक पहले पद धारण करने वाला, नियत दिन से और उसके बाद से ऐसा पद धारण करना बंद कर देगा और ऐसा अध्यक्ष या अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या सदस्य अपने पद की अवधि या सेवा के किसी अनुबंध की समय से पहले समाप्ति के लिए तीन महीने के वेतन और भत्तों से अधिक के मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा।

अध्यक्ष या अध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या सदस्य

नौवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट न्यायाधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पद धारण करते हैं

नियत तिथि ऐसा करना बंद कर देगी और पद की समय से पहले समाप्ति या पद के अनुबंध के लिए तीन महीने के वेतन और भत्ते से अधिक के मुआवजे का हकदार होगा। तथापि, हम स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान में हम धारा 185 की उप–धारा (1) के संवैधानिक अधिकारों की जांच नहीं कर रहे हैं।

129. वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 186 इस प्रकार हैः

" 186. नियम बनाने की सामान्य शक्ति। बिना किसी पूर्वाग्रह के इस भाग में अन्यत्र निहित नियम बनाने की कोई अन्य शक्ति,

केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस भाग के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आम तौर पर नियम बना सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

वित्त अधिनियम, 2017 के भाग XIV में कहीं और निहित नियम बनाने की अन्य शक्ति, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त भाग के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आम तौर पर नियम बना सकती है।

130. उक्त प्रावधानों को पढ़ने से संकेत मिलता है कि ऊपरी आयु सीमा का प्रावधान करने के अलावा और यह कि नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल उसके पद पर आने की तारीख से पांच साल से अधिक नहीं होगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, वित्त अधिनियम योग्यताओं, चयन की विधि को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है और

नियुक्ति, पद की शर्तें, वेतन और भत्ते, इस्तीफे सहित निष्कासन और केंद्र सरकार को सेवा के अन्य सभी नियम और शर्तें जो संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगी। अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट मौजूदा मूल कानून में सन्निहित शासी वैधानिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम अधिलेखित हैं और नियुक्ति के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और सेवा के नियमों और शर्तों को तय करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार और शक्ति प्रदान की गई है।

वेतन भत्ता, त्यागपत्र और प्रत्यायोजित या अधीनस्थ कानून के माध्यम से निष्कासन। इससे पहले कि हम इस प्रतिनिधि मंडल के अधिकारों पर गौर करें, हमें प्रत्यायोजित विधान की वैधता का आकलन करने में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना और उस पर विचार करना चाहिए।

131. इस न्यायालय ने पहली बार इस पहेली को संबोधित कियाः दिल्ली विधि अधिनियम, 3 0, जिसमें सात न्यायाधीशों की पीठ ने सात अलग–अलग निर्णय दिए, इस मुद्दे पर राय के विचलन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हालाँकि, बहुमत का विचार, जैसा कि जे. एम. शेलट द्वारा स्पष्ट और आयोजित किया गया

है, जे. बी. शमा राव बनाम में बहुमत के लिए बोल रहे हैं। संघ पांडिचेरी क्षेत्र का अनुमान निम्नानुसार लगाया जा सकता हैः

" राय के तीव्र विचलन को देखते हुए, आंशिक रूप से उक्त कानूनों की वैधता को बनाए रखने के लिए उनके निष्कर्ष को छोड़कर, किसी भी सामान्य सिद्धांत का अनुमान लगाना मुश्किल है जिसे राज्य के निर्णय के सिद्धांत पर भविष्य के मामलों के लिए बाध्यकारी माना जा सकता है। यह कहना सरल है कि कोई निर्णय उसके निष्कर्ष के कारण बाध्यकारी नहीं है, बल्कि उसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांत के संबंध में बाध्यकारी है। इसलिए इस निर्णय के बारे में जो सबसे अधिक कहा जा सकता है वह यह है कि कम से कम जिस पर आम सहमति प्रतीत होती है वह थी

30 1951 आकाशवाणी 332 31 (2015) 4 एस. सी. सी. 770 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(1) कि भारत में संविधान से पहले और बाद में दोनों विधानसभाएँ

ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि कभी नहीं थे; (3) कि वे कुछ सीमाओं के भीतर प्रत्यायोजित करने की शक्ति थी, न कि इस कारण से

एक शक्ति जो विधायी शक्ति में निहित है लेकिन क्योंकि ऐसी

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी शक्ति को मान्यता दी गई है

अलगाववादी विचारधारा इस आधार पर प्रचलित है कि यह आवश्यक है

एक आधुनिक राज्य में विधायी शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें

विधायिकाओं के सामने विविध गतिविधियाँ और जटिल समस्याएं

और (4) एक आवश्यक, विधायी कार्य का वह प्रत्यायोजन जो

त्याग की राशि आंशिक भी स्वीकार्य नहीं है। वे सभी

इस बात पर सहमति हुई कि यह सहायक और सहायक के संबंध में हो सकता है

शक्ति "।

सभी सात न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि त्याग या उन्मूलन

विधान की शक्ति को अधीनस्थ प्राधिकारी को भी सौंपना

टियाल की अनुमति नहीं है। मतभेद मुख्य रूप से उत्पन्न हुए

त्याग या उन्मूलन का अर्थ और दायरा

आत्मिक शक्ति। उक्त पहलू पर, हम उल्लेख करना चाहेंगे

फजल अली, जे., मुखर्जी, जे. और बोस, जे. फजल अली, जे.

उक्त सिद्धांत का सार इस प्रकार हैः

" असली अंतर यही है। विधायिका प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है

कानून बनाने की शक्ति; लेकिन यह प्रत्यायोजित करने के लिए एक कानून बना सकता है कुछ तथ्य या स्थिति निर्धारित करने की शक्ति जिस पर

कानून अपनी कार्रवाई को निर्भर करता है या करने का इरादा रखता है। इनकार करना।

यह सरकार के पहियों को रोकने के लिए होगा।

2. प्रतिनिधिमण्डल के खिलाफ नियम का वास्तविक महत्व यह हैः

" इस नियम में व्यापक अर्थों में अंतर्निहित सिद्धांत शामिल है अधिकतम, प्रतिनिधि गैर शक्तिशाली प्रतिनिधि, लेकिन यह होने के लिए उपयुक्त है

इसका मतलब यह है कि विधायिका अपने विधान का त्याग नहीं कर सकती है कार्य करता है और यह खुद को समाप्त नहीं कर सकता है और एक समानांतर विधायिका की स्थापना नहीं कर सकता है

जिस प्राथमिक कर्तव्य को उसे सौंपा गया है, उसका निर्वहन करना।

इस नियम को अमेरिका और अमेरिका दोनों में मान्यता दी गई है।

इंग्लैंड।

XX

XX

XX

त्याग क्या है और मामलों का कौन सा वर्ग होगा उस अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाना हमेशा तथ्य का सवाल होगा, और [2019] 16 एस. सी. आर.

अपने विधान को प्रभावी, उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक सहायक कार्य करने के लिए अपनी पसंद की अधीनस्थ एजेंसी और पूर्ण "।

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा था कि एक अधिनियम एक कानून है जब यह नीतियों को मूर्त रूप देता है, मानकों को परिभाषित करता है और चुने गए प्राधिकरण को निर्देशित करता है

कुछ निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना और उससे आगे नहीं जाना। अधिनियम में कार्य करने के लिए विधानमंडल की इच्छा की एक पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए

किसी विषय पर कानून बनाना, तो, ऐसा कानून त्याग के बराबर नहीं है क्योंकि प्रकृति से लेकर कानून तक यह स्पष्ट है कि जब शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो इसे वापस लिया जा सकता है, बदला जा सकता है और निरस्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिनिधि को केवल अधिनियमित कानूनों को अपनाना और उनका विस्तार करना है

विधानमंडल द्वारा।

132. मुखर्जी, जे. ने कहा कि विधायी कार्य विधायी नीति की घोषणा करने और मानकों को निर्धारित करने से संबंधित हैं जो इसे कानून के नियम के रूप में अधिनियमित किया जाना है, और जिसे अपनी प्रकृति से अधीनस्थ कानून के कार्य के रूप में प्रत्यायोजित किया जा सकता है, वह उस क़ानून का सहायक है जो इसे बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित करता है। जब विधायी नीति को पर्याप्त स्पष्टता के साथ परिभाषित किया जाता है या मानक निर्धारित किए जाते हैं,

अदालतें उस विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं जिसका प्रयोग विधानमंडल ने आवश्यक प्रत्यायोजन की सीमा निर्धारित करने में किया है। प्रतिनिधि को विधायकों द्वारा घोषित नीति की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हें किसी भी नीति को निरस्त करने या निरस्त करने की शक्ति नहीं दी जा सकती है।

कानून।

133. बोस, जे. यह देखते हुए कि मुख्य कार्य

विधायिका को कानून बनाना है और इसे दूसरों पर नहीं छोड़ना है, फिर भी

यह स्वीकार किया कि शक्ति के बड़े हस्तांतरण और अधिकार के प्रत्यायोजन के बिना अपनी अनंत जटिलताओं और प्रभावों के साथ एक आधुनिक राज्य की सरकार को जारी रखना असंभव है। यह एक व्यावहारिक है

आवश्यकता जिसे अमेरिकी न्यायालयों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अन्यथा निर्णय लेने से सरकार के लिए प्रभावी ढंग से काम करना और काम करना मुश्किल हो जाएगा।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

134. रमेश बिर्च बनाम मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ। भारत संघ ने उपरोक्त सात विचारों की जांच की थी और उन्हें बाहर निकाला था

यह देखने के लिए अनुपात कि तर्क की रेखाएं अलग थीं, लेकिन फिर भी न्यायाधीशों ने अपरिहार्य को स्वीकार कर लिया था–कि जबकि

संसद के पास कानून बनाने की पर्याप्त और व्यापक शक्तियां हैं, इनमें कुछ कार्यों और शक्तियों को किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को सौंपने की शक्ति शामिल होगी। साथ ही, दिल्ली विधि अधिनियम (उपरोक्त) में न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की थी कि इन पर सीमाएँ होनी चाहिए। प्रतिनिधिमण्डल। हालाँकि, इस सवाल पर कि यह सीमा क्या है, आम सहमति का अभाव था। रमेश बिर्च (ऊपर) के दो न्यायाधीशों ने दिल्ली कानून अधिनियम (ऊपर) में अनुपात पर भरोसा करते हुए कहा थाः

" कुछ लोगों का मानना था कि जब तक यह कुल नहीं होता है, तब तक कोई त्याग या उन्मूलन नहीं होता है, यानी जब तक कि संसद अपनी शक्तियों को अपने पक्ष में नहीं सौंप देती है।

किसी "समानांतर" विधानमंडल का या स्थानीय प्राधिकारी पर इस हद तक नियंत्रण खो देता है कि वह उसे सौंपी गई शक्तियों को निरस्त करने या उस पर प्रभावी पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो। लेकिन अन्य लोगों की राय थी कि इस तरह का "त्याग" या "उन्मूलन" आंशिक भी नहीं हो सकता है और यह बुरा होगा यदि विधायिका जो कुछ भी कर सकती है उसे करने की पूरी शक्तियां एक अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रदान की जाती हैं, हालांकि विधायिका कर सकती है।

ऐसी शक्ति को वापस लेकर या पारित अधिनियमों को निरस्त करके ऐसे प्राधिकरण की कार्रवाई को नियंत्रित करने की शक्ति बनाए रखें

अधीनस्थ प्राधिकारी। एक अलग तरीके से जिसमें उपरोक्त विचारों में से दूसरे को व्यक्त किया गया है– और यह वह दृष्टिकोण है जो तब से हावी है, यह कहते हुए कि विधानसभाएं अपने आवश्यक विधायी कार्य से हाथ नहीं हटा सकती हैं। आवश्यक विधायी कार्य में पर्याप्त स्पष्टता के साथ विधायी नीति को निर्धारित करना और उन मानकों को स्पष्ट करना शामिल है जिन्हें कानून के शासन में अधिनियमित किया जाना है। इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। जिसे प्रत्यायोजित किया जा सकता है वह केवल अधीनस्थ विधान का कार्य है जो अपनी प्रकृति से उस क़ानून का सहायक है जो इसे बनाने की

शक्ति प्रदान करता है और जो विधायिका द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन की नीति और ढांचे के भीतर होना चाहिए।

इसके बाद डिवीजन बेंच ने "नीति और दिशानिर्देश" सिद्धांत को यह तय करने के लिए एक परीक्षण के रूप में संदर्भित किया था कि यह एक मामला है या नहीं

अत्यधिक प्रत्यायोजन, जिसका अवलोकन किया गया था, का अर्थ है अधिनियम के संदर्भ और उद्देश्य और उद्देश्यों को उचित सम्मान देना।

32 1990 आकाशवाणी 560 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

135. अब हम देवी दास गोपाल कृष्णन और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख करेंगे। पंजाब राज्य और अन्य 3 3 जिसमें के. सुब्बा राव, सीजे। अदालत की ओर से बोलते हुए पूर्वी पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 को निरस्त कर दिया गया था।

राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य की आवश्यकताएँ और अधिनियम के उद्देश्य तय करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं, कर की दर को ऐसी दर पर निर्धारित करे जो उसे उचित लगे, जो खराब और असंवैधानिक हो।

कर की दरें। यह देखा गयाः

" 16. ..... लेकिन एक कल्याणकारी राज्य की विविध गतिविधियों को देखते हुए,

यह संभवतः एक जटिल स्थिति के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप सभी विवरणों पर काम नहीं कर सकता है। इसे आवश्यक रूप से कार्यपालक या किसी अन्य एजेंसी को विवरणों का काम सौंपना चाहिए। लेकिन प्रत्यायोजन की इस तरह की प्रक्रिया में एक खतरा निहित है। अ.

अत्यधिक बोझ वाली विधायिका या एक शक्तिशाली द्वारा नियंत्रित एक

कार्यपालिका प्रतिनिधि मंडल की सीमाओं को अनावश्यक रूप से पार कर सकती है। यह हो सकता है

किसी भी नीति को बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करता है; यह अपनी नीति को अस्पष्ट और सामान्य शब्दों में घोषित कर सकता है; यह कार्यपालिका के मार्गदर्शन के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं कर सकता है; यह किसी को मनमाना शक्ति प्रदान कर सकता है। कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीति को बदलने या संशोधित करने के लिए

अधीनस्थ पर अपने लिए कोई नियंत्रण सुरक्षित किए बिना

कानून। पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य एजेंसी के पक्ष में विधायी शक्ति का यह स्व–उन्मूलन प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओं से परे है। यह एक न्यायालय के लिए है कि वह एक विवादित क़ानून के निष्पक्ष, उदार और उदार निर्माण पर रोक लगाए कि क्या विधायिका ने ऐसी सीमाओं को पार कर लिया। लेकिन उक्त उदारवादी

न्यायालय द्वारा इस हद तक निर्माण नहीं किया जाना चाहिए कि

हमेशा कार्यकारी अधिकारियों को प्रदत्त मनमाना शक्ति को बनाए रखने के लिए एक निष्क्रिय या अव्यक्त विधायी नीति की खोज करने का प्रयास करना। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका को कार्यपालिका द्वारा प्रदत्त किसी भी मनमानी शक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के निरस्त कर दे।

विधायिका "।

33 एयर 1967 एससी 1895 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

यह देखते हुए कि अधिनियम में पर्याप्त दिशा–निर्देश, सुरक्षा उपाय और नियंत्रण थे जो अधिनियम की तरह अत्यधिक प्रत्यर्पण को रोकते थे कर की अधिकतम दर प्रदान की गई। यह देखा गया कि जिस निकाय को प्रत्यायोजन किया जाता है, उसकी प्रकृति को भी यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या प्रत्यायोजन के मामले में पर्याप्त मार्गदर्शन है और जब करों का भुगतान करने वालों सहित लोगों के प्रति जवाबदेह निर्वाचित निकाय को प्रत्यायोजन किया जाता है, क्योंकि यह एक पर्याप्त जांच के रूप में कार्य करता है। यह देखा गयाः

" इसलिए इन प्राधिकरणों की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि आवश्यक विधायी कार्य में विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के एक बाध्यकारी नियम के रूप में इसका निर्माण शामिल है और इसे विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। न ही विधायी शक्ति में निहित प्रत्यायोजन का कोई असीमित अधिकार है। इसकी कोई गारंटी नहीं है

संविधान के प्रावधान। विधायिका को आवश्यक विधायी कार्यों को अपने हाथों में रखना चाहिए और अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए आवश्यक अधीनस्थ विधान का कार्य सौंपा जा सकता है। कहाँ का

विधायी नीति को पर्याप्त स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया है या

मानक निर्धारित किए गए हैं, अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी विशेष मामले में क्या मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए और किस हद तक और क्या माग दर्शन दिया गया है, यह उस विशेष अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर निर्भर करता है, जिससे न्यायालय को अपनी प्रस्तावना सहित निपटना है। आगे यह दिखाई देता है हमारे लिए यह कि जिस निकाय को प्रतिनिधि मंडल बनाया जाता है, उसकी प्रकृति को भी यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिनिधि मंडल के मामले में पर्याप्त मार्गदर्शन है।

इस प्रकार, कर की अधिकतम दरें प्रदान करने के रूप में दिशानिर्देश जिसमें एक स्थानीय निकाय को स्थानीय क्षेत्र के लोगों के साथ परामर्श करने के लिए अपनी पसंद या प्रावधान करने का विवेक दिया जा सकता है और फिर दरें तय करना या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस तरह से निर्धारित कर की दर को अधीन करना। 34 AIR 1968 SC 1232 [2019] 16 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घड़ी के रूप में कार्य करने वाली सरकार की मंजूरी के लिए नीति और दिशानिर्देश परीक्षण को संतोषजनक माना जाता था।

138. अविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि संस्थापक दस्तावेज, यानी संविधान ने कुछ बुनियादी शक्तियों के साथ तीन साधन बनाए थे और यह स्वयंसिद्ध है कि इसके लिए विधायी शक्तियों का त्याग नहीं किया जाता है, इसका मतलब संविधान के साथ विश्वासघात होगा और यह कानून में असहनीय है। इसलिए, विधायिका अपने व्यक्तित्व को स्वयं नष्ट नहीं कर सकती है और पूर्ण और आवश्यक विधायी कार्यों को पूरा नहीं कर सकती है। फिर भी, आधुनिक प्रशासन की जटिलताएं आश्चर्यजनक रूप से जटिल हैं और खुद को तात्कालिकता और कठिनाइयों और लचीलेपन की आवश्यकता के साथ प्रस्तुत करती हैं, जो प्रत्यक्ष कानून प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए विधायी शक्तियों के कुछ हिस्से का प्रत्यायोजन अपरिहार्य हो गया और

प्रशासनिक आवश्यकता। इस प्रकार, जबकि आवश्यक विधायी नीति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, हालांकि अनावश्यक को संबंधित एजेंसियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

139. इसी तरह की राय सहकारी समिति के पंजीयक में भी व्यक्त की गई थी।

सोसायटी v. के. कुंजाब्मु 3, जिसमें यह देखा गया हैः

" 3. ..... वे सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे सामान्य सिद्धांतों, व्यापक उद्देश्यों और बुनियादी मुद्दों से संबंधित होते हैं।

तकनीकी और स्थितिजन्य जटिलताओं के बजाय जो बेहतर ढंग से सुसज्जित पूर्णकालिक विशेषज्ञ कार्यकारी निकायों के लिए छोड़ दी जाती हैं और

35 (1975) 1 एससीसी 492

36 (1979) 1 एससीसी 137

37 (1980) 1 एस. सी. सी. 340 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

विशेषज्ञ लोक सेवक। संसद और राज्य विधानमंडलों के पास विस्तार और परिस्थिति में शामिल होने के लिए न तो समय है और न ही विशेषज्ञता। न ही संसद और राज्य विधानमंडल नई, विचित्र, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित घटनाओं की कल्पना और व्यवस्था कर सकते हैं।

आधुनिक जीवन की जटिलता और आधुनिक मनुष्य की सरलता से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियाँ। प्रत्यायोजित विधान के लिए यही कारण है। यही वह है जो प्रत्यायोजित कानून को अपरिहार्य और अपरिहार्य बनाता है। भारतीय संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए विषयों में से कोई भी, संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन। कानून बनाने की शक्ति अपने साथ प्रत्यायोजित करने की शक्ति रखती है। लेकिन अत्यधिक प्रतिनिधित्व त्याग के बराबर हो सकता है। असीमित प्रतिनिधित्व निरंकुशता को बिना किसी रोक–टोक के आमंत्रित कर सकता है। इसलिए, यह सिद्धांत विकसित किया गया है कि विधायिका अपने आवश्यक विधायी कार्य को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। इसे नीति और सिद्धांत निर्धारित करके कानून बनाना चाहिए और इसे विस्तार से भरने और नीति को लागू करने के लिए प्रत्यायोजित करना चाहिए। विधायिका कर सकती है

एक्सप्रेस प्रावधान के माध्यम से बोलते हुए प्रतिनिधि का मार्गदर्शन करें

प्रत्यायोजन या क़ानून के अन्य प्रावधानों, प्रस्तावना, योजना या यहाँ तक कि क़ानून की विषय वस्तु को भी सशक्त बनाना। यदि वहाँ मार्गदर्शन है, जहाँ भी यह पाया जा सकता है, तो प्रतिनिधि मंडल वैध है। अक्षांश का एक अच्छा सौदा माना गया है

विधियों पर कर लगाने के मामले में अनुमेय और उसी सिद्धांत पर अक्षांश की एक उदार डिग्री की अनुमति होनी चाहिए कल्याणकारी कानून, विशेष रूप से वे कानून जो बनाए गए हैं

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए।

उपरोक्त निर्णय में कहा गया है कि नीति और सिद्धांतों के परीक्षण को प्रतिनिधि मंडल या किसी अन्य को सशक्त बनाने वाले स्पष्ट प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। प्रस्तावना, योजना या यहाँ तक कि क़ानून की विषय वस्तु सहित क़ानून का अन्य प्रावधान।

140. हम केशवलाल खेमचंद और सोन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले का उल्लेख करेंगे। भारत संघ 3 8 जिसमें इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहा था कि इस विषय पर अधिकार की प्रचुरता के बावजूद हम निश्चितता से धन्य नहीं हैं, और फिर कहा कि कुंजबमु (ऊपर) में इस न्यायालय ने इस बात पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि क्या एम. के. पापिया एंड संस (ऊपर) ने दिल्ली कानून अधिनियम (ऊपर) में उल्लिखित पद से अंतिम वापसी को हरा दिया था और

38 (2015) 4 एससीसी 770 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए "नीति और दिशानिर्देशों" के सिद्धांत की जांच करने के लिए आगे बढ़े। डिवीजन बेंच ने तब कहा कि पहले के निर्णय इस सिद्धांत को निर्धारित करने में सक्षम नहीं थे

इसमें यह भी शामिल है कि वास्तव में "आवश्यक विधायी कार्य" क्या है, लेकिन निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैंः

" 51.1 यह प्रस्ताव कि आवश्यक विधायी कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, इतना स्पष्ट रूप से तय प्रस्ताव प्रतीत नहीं होता है और इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता होती है। मामले में उपस्थित वकील द्वारा नहीं लिया गया। हम इसे भविष्य की तारीख में अधिक उपयुक्त मामले में बहस के लिए खुला छोड़ते हैं। वर्तमान में, हम प्रश्न की जांच तक ही सीमित हैंः

' क्या किसी अधिनियम में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति को परिभाषित करना है

एक आवश्यक विधायी कार्य है या नहीं? '

51.2 ऊपर जांचे गए सभी निर्णय इस बात को स्वीकार करते हैं कि आधुनिक युग में कुछ प्रत्यायोजित कानूनों की आवश्यकता है।

संसार। 51.3 यदि मूल अधिनियम पर्याप्त स्पष्टता के साथ विधायी नीति का प्रतिपादन करता है, तो मूल अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधीनस्थ कानून बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन अनुमेय है।

51.4 प्रतिनिधि का मार्गदर्शन करने के लिए विधायिका की नीति पर्याप्त रूप से स्पष्ट है या नहीं, यह योजना और मूल अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करता है।

51.5 जिस निकाय को शक्ति सौंपी गई है, उसकी प्रकृति है –

यह निर्धारित करने में भी एक प्रासंगिक कारक है कि क्या पर्याप्त है

प्रतिनिधिमण्डल के मामले में मार्गदर्शन "।

141. 'नीति और दिशानिर्देश' परीक्षण के संबंध में उपयुक्त ग्वालियर में इस न्यायालय के पहले के एक और फैसले का संदर्भ होगा।

रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यूवीजी.) को. वी. अस्स्टेट। बिक्री आयुक्त 39 जिसमें एक प्रख्यात अमेरिकी न्यायविद विलियोफ्बी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा गया थाः

" 24. इस मामले पर खंड 1637 के पृष्ठ पर चर्चा की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर विलोबी में ।।।, दूसरा संस्करण, निम्नलिखित शब्दों मेंः

39 (1974) 4 एस. सी. सी. 98 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

" नियम की योग्यताएं जो विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करती हैं, जिन्हें पहले विज्ञापित किया गया है, वे हैं जो यह प्रदान करती हैं कि जबकि वास्तविक कानून बनाने की शक्ति नहीं हो सकती है

प्रशासनिक नियम और विनियम, दोनों पर बाध्यकारी अधीनस्थों और जनता पर, विधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके को विस्तार से निर्धारित करना, और

उनमें आनंद लेने के लिए बनाए गए अधिकार।

25. इस मामले को कॉर्पस ज्यूरिस में भी निपटाया गया है।

तदनुसार, एक प्रशासनिक निकाय को शक्तियां सौंपने में विधियों के प्रशासन के संबंध में, विधानमंडल को सामान्य रूप से उनके मार्गदर्शन के लिए एक नीति, मानक या नियम निर्धारित करना चाहिए।

और उन्हें मनमाना और अनियंत्रित नहीं होना चाहिए

उसके संबंध में विवेकाधिकार, और एक क़ानून या अध्यादेश जिसमें इस संबंध में कमी है, अमान्य है। दूसरे शब्दों में, ताकि

एक प्रशासनिक एजेंसी के निर्माण द्वारा विधायी शक्ति के शुद्ध प्रत्यर्पण से बचने के लिए, विधानमंडल को ऐसी एजेंसी की शक्ति पर सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और उस पर प्रक्रिया का एक निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए।

और अपने कार्य के निष्पादन में निर्णय के नियम; और, यदि विधायिका किसी प्रशासनिक एजेंसी को सौंपी गई शक्ति की सीमाओं को उचित स्पष्टता के साथ निर्धारित करने में विफल रहती है, या यदि वे सीमाएँ हैं।

बहुत व्यापक हैं, प्रत्यायोजित करने का इसका प्रयास एक शून्य है।

142. यह इस संदर्भ में है कि हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या याचिका पर रोक लगाने वाला प्रतिनिधि मंडल प्रबल होगा और धारा के रूप में स्वीकार किए जाने के योग्य है।

वित्त अधिनियम के लिए योग्यता निर्धारित नहीं करता है

आशय, और सेवा के नियम और शर्तें। यह मुश्किल होगा कि वित्त अधिनियम का भाग XIV दिशाहीनता से ग्रस्त है क्योंकि यह विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों, अध्यक्षों, अध्यक्ष आदि के लिए पात्रता योग्यताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने में विफल रहता है।राग, हालांकि महत्वपूर्ण हैं, कार्यात्मक रूप से अपने आप में नहीं हैं।

वैध।

143. मूल अधिनियमों के उद्देश्यों के साथ–साथ इस न्यायालय द्वारा आर. के. जैन (उपरोक्त), एल. चंद्र कुमार में निर्धारित कानून। (ऊपर), आर. गांधी (ऊपर), मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) और गुजरात ऊर्जा विकास (ऊपर) निस्संदेह प्रतिनिधि को बांधते हैं और

अनिवार्य रूप से धारा 184 के तहत प्रतिनिधि से इन निर्णयों और कानूनों में निर्धारित प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्यों के अनुरूप सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि वित्त अधिनियम, 2017 कहीं भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि विधायिका ने वित्त अधिनियम को लागू करके ऐसे निर्णयों की इमारत और नींव को हटाने के लिए संशोधन करने की तो बात ही छोड़िए, उससे अलग होने का इरादा किया था। वास्तव में, विद्वान महान्यायवादी यह सुझाव

देने में स्पष्ट थे कि भाग XIV को इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णयों में अनुशंसित परिवर्तनों को शामिल करने की दृष्टि से जोड़ा गया था। 144. इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में उल्लिखित न्यायाधिकरण जैसे अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण की स्वतंत्रता को नीति और दिशानिर्देश लागू होने के रूप में पढ़ा जाएगा। न्यायपालिका/न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता के सिद्धांत में दो व्यापक अवधारणाएँ हैं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय में माना गया है।

एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य v. भारत संघ 0 (पैराग्राफ 714 देखें), (i) एक व्यक्तिगत न्यायाधीश की स्वतंत्रता, यानी निर्णयात्मक स्वतंत्रता; और (ii) न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की एक संस्था या राज्य के एक अंग के रूप में स्वतंत्रता, यानी कार्यात्मक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू हैं जिनमें कार्यकाल की सुरक्षा, नवीकरण की प्रक्रिया, सेवा के नियम और शर्तें जैसे वेतन, भत्ते आदि शामिल हैं जो उचित और न्यायसंगत होने चाहिए और जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए अलग–अलग नहीं होना चाहिए। संस्था की स्वतंत्रता सरकार की अन्य शाखाओं से पर्याप्त मात्रा में अलगाव को संदर्भित करती है, विशेष रूप से जब शाखा एक वादी या न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों में से एक हो। कार्यात्मक स्वतंत्रता में चयन की विधि और निर्धारित योग्यताएं शामिल होंगी, क्योंकि स्वतंत्रता क्षमता, क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के साथ शुरू होती है। हस्तक्षेप से सुरक्षा और

145. इसके अलावा, आठवीं अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित निर्दिष्ट अधिनियमों की सरसरी जांच से पता चलता है कि अधिकांश 40 (2016) 5 एस. सी. सी. 1 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

अधिनियमों में नियुक्ति के तरीके, पद की शर्तों, वेतन और भत्तों, इस्तीफे, हटाने, यानी सेवा के नियमों और शर्तों को निर्धारित नहीं किया गया था, जो शर्तें प्रत्यायोजित हैं और वे नहीं हैं

मुख्य अधिनियम का हिस्सा। उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 की उप–धारा (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है जिसमें उतने न्यायिक और लेखाकार सदस्य शामिल हो सकते हैं जो शक्तियों का प्रयोग करने और निर्वहन करने के लिए उचित समझते हैं।

अधिनियम द्वारा निर्धारित कार्य। उप–धारा (3) और (4) में कहा गया है कि केंद्र सरकार आम तौर पर एक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करेगी

आयकर अधिनियम चयन या सेवा के नियमों और शर्तों के लिए तरीका या विधि निर्धारित या निर्धारित नहीं करता है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भी उतना ही सच है। 146. वांचू, सी. जे.। दिल्ली नगर निगम (ऊपर) ने कहा थाः

आधुनिक जीवन की जटिलता को सभी हाथों से पहचाना जाता है कि विधायिका के पास संभवतः हर मिनट विस्तार से कानून बनाने का समय नहीं हो सकता है। यही कारण है कि यह मान्यता दी गई है कि विधायिका के लिए यह खुला है कि वह अधीनस्थ अधिकारियों को कानून में इंगित विधायिका के इरादे को पूरा करने के उद्देश्य से सहायक नियम बनाने की शक्ति सौंप सके जो कानून बनाने की शक्ति देता है।

ऐसे सहायक नियम। यह मामला पहली बार दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 में इस न्यायालय के समक्ष आया और उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यायोजन का असीमित अधिकार विधायी शक्ति में ही निहित है। यह संविधान के प्रावधानों द्वारा आवश्यक नहीं था, जिसमें कानून बनाने की शक्ति संसद या राज्य विधानसभाओं में निहित थी और प्रतिनिधि मंडल की वैधता इसके सहायक उपाय के रूप में उपयोग किए जाने पर निर्भर थी जिसे विधायिका मानती थी

अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रभावी और पूरी तरह से। विधायिका को अपने [2019] 16 एस. सी. आर. में बने रहना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवश्यक विधायी कार्य करता है। वास्तव में "आवश्यक विधायी कार्य" का गठन क्या था, इसे आगे कहा गया था, सामान्य शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि आवश्यक विधायी कार्य में कम से कम विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के एक बाध्यकारी नियम के रूप में इसके निर्माण शामिल होने चाहिए। इस प्रकार जहां विधायिका द्वारा पारित कानून विधायी नीति की घोषणा करता है और उस मानक को निर्धारित करता है जिसे कानून के नियम में अधिनियमित किया जाता है, वह अधीनस्थ कानून का कार्य छोड़ सकता है जो अपनी प्रकृति से सहायक है –

अधीनस्थ निकायों के लिए कानून अर्थात नियम बनाना,

विनियम या उप–कानून। अधीनस्थ प्राधिकारी को ऐसा उस कानून के ढांचे के भीतर करना चाहिए जो प्रतिनिधि मंडल बनाता है, और ऐसा अधीनस्थ कानून उस कानून के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत यह बनाया गया है और कानून में निर्धारित नीति और मानक की सीमाओं से परे नहीं जा सकता है। बशर्ते कि विधायी नीति को पर्याप्त स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया हो या एक मानक निर्धारित किया गया हो, अदालतों को उस विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो निस्संदेह विधायिका के पास है

किसी विशेष मामले में आवश्यक प्रत्यायोजन की सीमा।

XX

XX

XX

28. अतः इन प्राधिकरणों की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, सिद्धांत ठीक है। यह स्थापित किया कि आवश्यक विधायी कार्य में विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के एक बाध्यकारी नियम के रूप में इसका निर्माण शामिल है और इसे द्वारा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है

विधायिका। न ही विधायी शक्ति में निहित प्रत्यायोजन का कोई असीमित अधिकार है। इसकी कोई गारंटी नहीं है

संविधान के प्रावधान। विधायिका को आवश्यक विधायी कार्यों को अपने हाथों में रखना चाहिए और अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए आवश्यक अधीनस्थ विधान का कार्य सौंपा जा सकता है। जहाँ विधायी नीति को पर्याप्त स्पष्टता के साथ स्पष्ट किया गया है या

मानक निर्धारित किए गए हैं, अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए और किस हद तक और क्या

किसी विशेष मामले में मार्गदर्शन दिया गया है, यह उस विशेष अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर निर्भर करता है, जिससे न्यायालय को अपनी प्रस्तावना सहित निपटना है। आगे यह दिखाई देता है

हमारे लिए कि जिस निकाय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है, उसकी प्रकृति रोजर मैथ्यू v है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

प्रतिनिधिमण्डल के मामले में पर्याप्त मार्गदर्शन है या नहीं, यह निर्धारित करने में भी एक कारक पर विचार किया जाना चाहिए।

147. दिल्ली नगर निगम (ऊपर) का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने केशव लाल मामले में कहा थाः

" 45. ..... न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायी शक्ति का कोई अनुज्ञेय प्रत्यर्पण नहीं था। हिदायतुल्ला, जे. ने अपने लिए और रामास्वामी के लिए बोलते हुए, जे. ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर सहमति व्यक्त की

वांचू, सी. जे., हालांकि थोड़े अलग कारणों से।

148. संवैधानिक योजना की जांच करने पर, जिन कानूनों ने न्यायाधिकरण बनाए थे और इस न्यायालय के उदाहरणों को निर्धारित किया गया था

विभिन्न पहलुओं में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता की विशेषताओं के अनुसार, हमें नहीं लगता कि न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अन्य पदधारकों की योग्यता, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति का उद्देश्य सभी समय और उद्देश्यों के लिए केवल विधानमंडल के पास निहित होना है। नीति और दिशानिर्देश मौजूद हैं। उपरोक्त के अधीन रहते हुए, विद्वान महान्यायवादी का यह निवेदन कि धारा 184 को एकरूपता लाने के लिए और विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्ति की विविध और व्यापक योग्यताओं और तरीकों में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से जोड़ा गया था, महत्वपूर्ण है और हमारे विचार में इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है।

149. कार्यपालिका द्वारा धारा 184 के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ आगाह करते हुए, याचिकाकर्ता (ओं) के विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया कि कार्यपालिका द्वारा ऐसी शक्तियों का कोई भी अपमान न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के लिए खतरा और खतरा पैदा करता है। इस तरह के दावे का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत के अभाव में प्रत्यायोजित शक्तियों के दुरुपयोग की केवल संभावना या संभावना, वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती है। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए प्रत्यायोजित कानून को दी गई चुनौती पर संवैधानिक अदालत के लिए यह जांच करने के लिए हमेशा खुला रहता है कि क्या यह मूल के अनुरूप है।

कानून और अन्य कानून, और "नीति और दिशानिर्देश" परीक्षण को लागू करते हैं और यदि इसके विपरीत पाए जाते हैं, तो इसे प्रभावित किए बिना रद्द किया जा सकता है

धारा 186 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति की संवैधानिकता

वित्त अधिनियम, 2017।

मुद्दा III: यदि धारा 184 वैध है, तो एक साथ

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य

प्राधिकरण (गुणवत्ता, अनुभव)

और सेवाओं की अन्य शर्तें

सदस्य) नियम, 2017 सहमति में हैं [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौलिक अधिनियम और विभिन्न प्रकार के साथ

इस न्यायालय के कार्य निष्पादन पर निर्णय न्यायाधिकरण?

150. यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (योग्यताएं,

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित), इस स्तर पर यह जांच करना आवश्यक है कि क्या नियम हमारी संवैधानिक योजना में निहित न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के आदेश में स्थापित किया गया था। नियमों के कुछ मुख्य प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम,

XXXXXX 3. सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ। द.

अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या न्यायाधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यता,

अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण ऐसा होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है।

4. भर्ती की विधि। — (1) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या न्यायाधिकरण के सदस्य,

अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, न्यायाधिकरण के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के संबंध में उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में निर्दिष्ट खोज–सह–चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अनुसूची ने कहा।

(2) जिस मंत्रालय या विभाग के तहत न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण का गठन या स्थापना की गई है, उसमें भारत सरकार का सचिव होगा –

खोज सह चयन समिति के संयोजक।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(3) खोज–सह–चयन समिति अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी। (4) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरणों के सदस्य की कोई भी नियुक्ति केवल किसी भी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी या

XXXXXX 6. एक सदस्य द्वारा त्यागपत्र। — एक सदस्य, केंद्र सरकार को संबोधित अपने हाथ के नीचे लिख कर, किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता हैः

बशर्ते कि सदस्य, जब तक कि उसे अनुमति न हो

अपने पद पर या अपने पद की अवधि की समाप्ति तक, जो भी सबसे पहले हो, प्रवेश करता है। 7. सदस्य को पद से हटाना। केंद्र सरकार, इस संबंध में अपने द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर, किसी भी सदस्य को पद से हटा सकती है, जो

(क) दिवालिया घोषित किया गया है; या (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अभिनय करने में असमर्थ हो गया है।

ऐसे सदस्य के रूप में; या [2019] 16 एस. सी. आर.

((घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या (ङ) अपने पद का इस तरह दुरुपयोग किया है कि पद पर बने रहना जनहित के लिए प्रतिकूल हैः

बशर्ते कि जहां किसी सदस्य को खंड (बी) से खंड (ई) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाने का प्रस्ताव है, सदस्य होगा – उनके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गयाः

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा दिया जाएगा।

8. दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच के लिए प्रक्रिया सदस्य। — (1) यदि केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के संबंध में कार्यालय के कार्यों को करने में दुर्व्यवहार या अक्षमता के किसी निश्चित आरोप का आरोप लगाते हुए कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य, भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग जिसके तहत

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण का गठन या स्थापना की गई है, ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगा।

(3) समिति जांच को ऐसे समय या ऐसे आगे के समय के भीतर पूरा करेगी जो केंद्र द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। सरकार।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(4) जाँच के समापन के बाद, समिति केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियों के साथ अलग–अलग अपने निष्कर्ष और प्रत्येक आरोप पर उसके कारण बताए जाएंगे जो वह उचित समझे। (5) समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी और उसे अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय निर्धारित करने सहित अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

9. सदस्य का कार्यकाल। – अन्यथा दिए गए रूप में सहेजें

इन नियमों में, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या, जैसा भी मामला हो, सदस्य उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे और उक्त अनुसूची में कॉलम (6) में निर्दिष्ट आयु तक पद धारण करेंगे।

10. आकस्मिक रिक्ति। – (1) के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में,

(क) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार के पास सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लेखाकार सदस्य,

प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य या, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा।

(ख) ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, केंद्र सरकार के पास नियुक्त करने की शक्ति होगी

एक अन्य ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में, ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को दूसरे ऋण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने की शक्ति होगी।

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

समान वेतन वाले समूह 'ए' पद धारण करने वाले भारत सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य। (3) ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को एक लाख रुपये का वेतन दिया जाएगा। 1,44,200 2,18,200 और समूह 'क' पद धारण करने वाले भारत सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

एक ही वेतन।

(4) अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व के रूप में नियुक्त व्यक्ति के मामले में। सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य, जैसा भी मामला हो, किसी भी पेंशन की प्राप्ति में है, ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा निकाली गई पेंशन की सकल राशि से कम कर दिया जाएगा।

12. पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि। — (1) उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के सेवारत न्यायिक सदस्य या भारतीय कानूनी सेवा के सदस्य या सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त संगठित सेवा के सदस्य के मामले में,

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण इन नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए गणना करेगा –

वह सेवा जिससे वह संबंधित है और वह सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

नियम, 1960 और योगदान पेंशन प्रणाली।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(2) अन्य सभी मामलों में, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अंशदायी भविष्य निधि के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

(भारत) नियम, 1962 और योगदान पेंशन प्रणाली।

(3) न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण में प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।

13. छोड़ दीजिए। – (1) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तीस दिनों की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।

(2) आकस्मिक अवकाश आठ दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता है

एक कैलेंडर वर्ष में सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, कानून सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य। (3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार

सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, कानून सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य इस संबंध में छुट्टी को भुनाने के हकदार होंगे।

14. मंजूरी देने का अधिकार छोड़ दें। – (1) मंजूरी देने का अधिकार छोड़ें, (क) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी और औद्योगिक (2019) 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, कानून सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अध्यक्ष, अध्यक्ष होंगे।

या, यथास्थिति, राष्ट्रपति; और

(ख) सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के लिए केंद्र सरकार होगी, जो अध्यक्ष, अध्यक्ष, पीठासीन सदस्य की अनुपस्थिति में लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या सदस्य के लिए भी प्राधिकरण को मंजूरी देगी।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारी या अध्यक्ष।

(2) केंद्र सरकार मंजूरी देने वाली प्राधिकरण होगी।

अध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य की विदेश यात्रा के लिए।

XXX

18. सेवा की अन्य शर्तें। (1) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखाकार की सेवा के नियम और शर्तें।

सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य जिनके संबंध में इनमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। नियम, ऐसे होंगे जो भारत सरकार के संबंधित दर्जे के समूह 'ए' अधिकारी के लिए स्वीकार्य हों।

(3) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में इन क्षमताओं में कार्य करते हुए कोई मध्यस्थता कार्य नहीं करेंगे।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(4) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार

सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ

किसी भी व्यक्ति में, या उसके प्रबंधन या प्रशासन से संबंधित, जो न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार रहा हैः बशर्ते कि इस नियम में निहित कुछ भी किसी पर लागू नहीं होगा

केंद्र सरकार या किसी राज्य के अधीन रोजगार

किसी केंद्र, राज्य या उसके अधीन स्थापित कोई निगम प्रांतीय अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित एक सरकारी कंपनी।

XXX

20. आराम करने की शक्ति। – जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा ऐसा कर सकती है।

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दें।

21. व्याख्या। यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

इन नियमों की व्याख्या, केंद्र का निर्णय

उस पर सरकार अंतिम होगी। 22. बचत हो रही है। – इन नियमों में कुछ भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के अनुसार

इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के साथ।

(क) खोज–सह–चयन समितियों की संरचना

151. कुछ खोज–सह–चयन की संरचना

नियमों में दिए गए प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है

सक्रियः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डस्ट ट्रायल ट्रिब्यूनलः पीठासीन पद के लिए कमान–सह–चयन समिति

आइसर, –

(i) केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला व्यक्ति

अध्यक्ष;

((ii) सचिव, भारत सरकार, मंत्रालय

श्रम और रोजगार–सदस्य;

(iii)। भारत सरकार के सचिव को नामित किया जाएगा

केंद्र सरकार द्वारा–सदस्य;

((iv) केंद्र द्वारा दो विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा।

सरकार–सदस्य।

आय कर अपीलीय न्यायाधिकरणः

(ए) पद के लिए खोज–सह–चयन समिति

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,

((i) उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश नामित किया जाना है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा–अध्यक्ष;

((ii) राष्ट्रपति, आय–कर अपीलीय न्यायाधिकरण

सदस्य; और

(iii) भारत सरकार के सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों का विभाग)

सदस्य।

(ख) लेखाकार के लिए खोज–सह–चयन समिति

सदस्य और न्यायिक सदस्य, –

((i) विधि और न्याय मंत्री का नामित व्यक्ति।

अध्यक्ष;

((ii) भारत सरकार के सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

सदस्य;

((iii) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष

सदस्य; और

((iv) ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, दो से अधिक नहीं, जिन्हें विधि और न्याय मंत्री सदस्य नियुक्त कर सकता है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणः

(ए) पद के लिए खोज–सह–चयन समिति

अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य, –

((i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत–अध्यक्ष;

((ii) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष,

प्रधान पीठ–सदस्य;

(iii) भारत सरकार के सचिव, (विभाग)

कार्मिक और प्रशिक्षण)–सदस्य;

((iv) भारत सरकार के सचिव, मंत्रालय

कानून और न्याय–सदस्य;

(v) एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्र द्वारा नामित किया जाएगा।

भारत सरकार–सदस्य।

(बी) पद के लिए खोज–सह–चयन समिति

प्रशासनिक सदस्य –

((a) केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला व्यक्ति

अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष –

सदस्य;

(ग) भारत सरकार के सचिव, (विभाग)

कार्मिक और प्रशिक्षण)–सदस्य;

(घ) सचिव, भारत सरकार, मंत्रालय

कानून और न्याय–सदस्य;

(ई) एक विशेषज्ञ, सरकार द्वारा नामित किया जाएगा

भारत का सदस्य "। –

152. एक खोज–सह–चयन समिति की संरचना है

सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्तियां मुख्य रूप से नामित सदस्यों द्वारा की जाती हैं।अल सरकार। नियमों की अनुसूची के अवलोकन से पता चलता है कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके सांकेतिक प्रतिनिधित्व के लिए

कुछ समितियों में न्यायपालिका की भूमिका लगभग अनुपस्थित है।

153. हम विद्वानों की दलीलों से सहमत हैं।

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए, कि एच–सह–चयन समिति में न्यायिक प्रभुत्व की कमी [2019] 16 एस. सी. आर. का सीधा उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक क्षेत्र पर एक अतिक्रमण है। केशवानंद भारती बनाम में अपने कथन में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है और इस न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पुनः व्याख्या की गई है। केरल राज्य 4

1, और बाद के कई अन्य निर्णय। कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से न्यायपालिका का बहिष्कार केवल पारंपरिक न्यायालयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यायाधिकरण भी शामिल हैं क्योंकि वे न्यायालयों के विकल्प के रूप में गठित किए जाते हैं और न्यायिक कार्य करते हैं।

154. स्पष्ट रूप से, नियमों के तहत खोज–सह–चयन समितियों की संरचना अत्यधिक हस्तक्षेप के बराबर है

वैधानिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति में कार्यपालिका और निस्संदेह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होगी, इसके अलावा यह अलग करने के सिद्धांत का अपमान होगा। शक्तियाँ।

155. आर. के. जैन बनाम भारत संघ (ऊपर), इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने स्वतंत्र प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया

कार्यप्रणाली की अक्षमता पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति और प्रशासन देश में न्यायाधिकरण। प्रदान करने के खतरों पर चर्चा करने के अलावा

न्यायाधिकरणों से शीर्ष न्यायालय में सीधे वैधानिक अपीलों के साथ, यह भी सुझाव दिया गया कि न्यायपालिका की संस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायाधिकरणों के सदस्यों की भर्ती के तरीके में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। तकनीकी सदस्यों द्वारा विवादों का निर्णय केवल विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता वाले मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। [भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन 42 और

156. इसके बाद, एल. चंद्र कुमार बनाम में अपने कथन में। भारत संघ (ऊपर), इस न्यायालय की सात–न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया कि अनुच्छेद 323–ए के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों के प्रशासन पर चर्चा करते हुए मलिमथ समिति की रिपोर्ट में टिप्पणियाँ और

संविधान का अनुच्छेद 323–बी। मलिमथ समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी भी अन्य न्यायालय के प्रतिस्थापन में गठित न्यायाधिकरण में नियुक्ति, योग्यता और योग्यता के समान मानक होने चाहिए।

सेवा की शर्तें, बड़े पैमाने पर जनता का विश्वास प्रेरित करने के लिए। संगठन की संरचना, कार्यकाल, सेवा की शर्तों आदि में कमियां

41 (1973) 4 एससीसी 225

42 (2010) 11 एस. सी. सी. 43 (2014) 10 एस. सी. सी. 1 [पैरा 107 और 126] रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

न्यायाधिकरणों के पीठों को भी रिपोर्ट में न्यायिक कार्य में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कारणों के रूप में उजागर किया गया था।

क्रियाएँ। प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 88. ..... रिपोर्ट में निहित टिप्पणियाँ, इस हद तक वे न्यायाधिकरणों की स्थापना के बाद तीन साल या उससे अधिक की अवधि में उनके कामकाज की समीक्षा करती हैं, हमारे उद्देश्य के लिए उपयोगी होंगी। द्वितीय खंड का अध्याय VIII

रिपोर्ट, "विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक तरीके और मंच", इस मुद्दे को विस्तार से प्रस्तुत करती है। इसके विशिष्ट को अग्रेषित करने के बाद

"ग्राम" की स्थापना की व्यवहार्यता पर सिफारिशें

" न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली 8.63 देश में कई न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं। हालाँकि, उन सभी ने जनता के मन में विश्वास को प्रेरित नहीं किया है। द.

कारण खोजने के लिए दूर नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी कमी है

योग्यता, निष्पक्षता और न्यायिक दृष्टिकोण। अगला उनका है

संविधान, उसमें कर्मियों की नियुक्ति की शक्ति और विधि, हीन स्थिति और काम करने का आकस्मिक तरीका। अंतिम उनकी वास्तविक संरचना है; की अनिश्चितता को देखते हुए क्षमता के पुरुष पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के लिए तैयार नहीं हैं।

कार्यकाल, सेवा की असंतोषजनक शर्तें, कार्यपालिका प्रशासन और राजनीतिक मामलों में अधीनता

न्यायिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप। इन और अन्य कारणों से, न्याय की गुणवत्ता को नुकसान हुआ है और अभियान का कारण प्रतिष्ठान द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ऐसे न्यायाधिकरणों से।

8.64 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के प्रयोग का भी व्यापक रूप से स्वागत नहीं किया गया है। इसके सदस्यों का चयन भारतीय पुलिस सेवा सहित सभी प्रकार की सेवाओं से किया गया है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 136 के अलावा अपील योग्य नहीं हैं। फोरम की भारी लागत और दूरस्थता के कारण, अपील के अधिकार का वस्तुतः निषेध है। इसके कारण कई [2019] 16 एस. सी. आर. में न्याय से इनकार किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले और परिणामी असंतोष। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में एक कदम उठाया गया है जहां उन्हें समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया है।

8.65 एक न्यायाधिकरण जो उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के लिए एक वैकल्पिक संस्थागत तंत्र के रूप में प्रतिस्थापित करता है, कम नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय की तुलना में प्रभावी। इस तरह के न्यायाधिकरण को विश्वास और सार्वजनिक सम्मान को प्रेरित करना चाहिए कि यह अत्यधिक सक्षम और सक्षम है।

न्यायिक दृष्टिकोण और निष्पक्षता के साथ विशेषज्ञ तंत्र। एक न्यायाधिकरण में क्या आवश्यक है, जिसका उद्देश्य उच्च न्यायालय को प्रतिस्थापित करना है

न्यायालय, कानूनी प्रशिक्षण और अनुभव, और न्यायिक कौशल, उपकरण और दृष्टिकोण है। जब ऐसा न्यायाधिकरण न्यायपालिका के साथ-साथ सेवाओं या क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच से लिए गए कर्मियों से बना होता है, तो इसके पक्ष में कोई भी महत्व सेवा सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य और मूल्य-न्यायिक सदस्यों को छूट देने से न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय की तुलना में कम प्रभावी और प्रभावी हो जाएगा। इस तरह की स्थापना करने वाला अधिनियम

उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से जब ऐसे न्यायाधिकरण के समक्ष आने वाले अधिकांश मामलों में सरकार एक वादी है। (एस. पी. संपत कुमार बनाम देखें। भारत संघ, (1987) 1 एस. सी. सी. 124) विशेषज्ञ न्यायाधिकरणों के नायक, जो

उनके प्रतिष्ठान के साथ-साथ ऐसे न्यायाधिकरणों को न्यायनिर्णयन के लिए सौंपे गए मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार करना चाहते हैं, इन महत्वपूर्ण बातों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

और महत्वपूर्ण पहलू। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक अन्य समान रूप से प्रभावी और प्रभावी संस्थागत तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति उच्च न्यायालयों को दी जाती है, न कि न्यायिक समीक्षा को। न्यायाधिकरण अपने आप में एक अंत नहीं हैं, बल्कि अंत का एक साधन हैं; भले ही त्वरित न्याय, दृष्टिकोण की एकरूपता, निर्णयों की पूर्वानुमेयता और विशेषज्ञ न्याय के प्रशंसनीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना हो, लेकिन न्यायाधिकरण की रूपरेखा उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाने का इरादा अभी भी अपने बुनियादी न्यायिक चरित्र को बनाए रखना चाहिए और जनता के विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। न्याय प्रशासन के विकेंद्रीकरण की कोई भी योजना

उच्च रोजर गणित के प्रतिस्थापन में वैकल्पिक संस्थागत तंत्र v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

न्यायालयों को संवैधानिक रूप से होने के लिए उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

वैध है। "" "

157. हमारा विचार है कि नियमों के तहत तैयार की गई खोज–सह–चयन समिति न्यायपालिका को सदस्यों, उपाध्यक्ष और न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया से दूर रखने का एक प्रयास है। यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन में अपने फैसले में स्पष्ट रहा है। वी. भारत संघ (चौथा न्यायाधीश मामला), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता अनिवार्य है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से अवगत, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायिक नियुक्तियां संप्रभु के किसी अन्य अंग के किसी भी प्रभाव या नियंत्रण के बिना हों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधानमंडल और कार्यपालिका के कामकाज पर नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली बनाए रखने का एकमात्र साधन है। अधिकांश मुकदमों में कार्यपालिका एक वादी पक्ष है और इसलिए उसे न्यायिक नियुक्तियों में एक प्रमुख भागीदार होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

158. हम चौथे न्यायाधीशों के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट की गई उपमा से पूरी तरह सहमत हैं।

न्यायालयों के समान जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले न्यायाधिकरणों के अर्ध न्यायिक निकायों पर कार्यपालिका के नियंत्रण को हटाने की अनिवार्य आवश्यकता है। नियमों में परिकल्पित खोज–सह–चयन समितियाँ संवैधानिक योजना के खिलाफ हैं क्योंकि वे नियमों को कमजोर करती हैं। न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका की भागीदारी जो वास्तव में कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर अतिक्रमण है।

(ख) सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की योग्यताएँ

तकनीकी सदस्य की योग्यता, इस न्यायालय के पूर्व आदेश को केंद्र सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति बिना किसी न्यायिक अनुभव के की जा रही है। द. नियमों के तहत निर्धारित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं को नीचे स्पष्ट रूप से पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

44 (2016) 5 एससीसी 1.

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" (1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

जब तक कि –

((क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या

(ख) वह अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य है।

(2) एक व्यक्ति न्यायिक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा। सदस्य, जब तक कि –

(क) उसने कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद संभाला हो।

भारत का राज्यक्षेत्र; या

(बी) वह भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य रहा है और कम से कम तीन साल तक उस सेवा के ग्रेड–। या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर रहा है; या (ग) वह कम से कम दस साल से अधिवक्ता रहा हो।

(3) एक व्यक्ति तकनीकी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

सदस्य जब तक कि वह भारतीय राजस्व का सदस्य न रहा हो।

सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'ए') और

सीमा शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पद धारण किया है

या कम से कम तीन साल के लिए कोई समकक्ष या उच्चतर पद।

160. इसके अलावा, न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर किया गया है

नियुक्तियों में जहां उम्मीदवार बिना किसी न्यायिक के हों

ज्ञान को न्यायिक पदों के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित किया जाता है जैसे कि

च. पीठासीन अधिकारी। सचित्र रूप से, अध्यक्षता के लिए योग्यताएँ

जैसे नियमों में निर्दिष्ट किया गया है, औद्योगिक न्यायाधिकरण में इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

1 ;

" एक व्यक्ति पीठासीन के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

अधिकारी, जब तक कि वह –

(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है, या होने के लिए योग्य है।

न्यायालय; या

(ख) वह कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा है; या

(ग) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, और अर्थशास्त्र, व्यवसाय में कम से कम बीस वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव है,

वाणिज्य, कानून, वित्त, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, श्रम संबंध, औद्योगिक विवाद रोजर मैथ्यू v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

या कोई अन्य मामला जो केंद्र की राय में हो।

सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए उपयोगी है। ”

161. इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की दलीलें इस न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार की जाती हैं, जहां तक यह तर्क दिया गया है।

कि नियमों का न्यायिक पदों में न्यायिक चरित्र को कमजोर करने का प्रभाव पड़ता है। इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में बार–बार यह निर्णय दिया गया है कि न्यायिक कार्यों का निष्पादन तकनीकी सदस्यों द्वारा किसी भी न्यायिक अनुभव के बिना नहीं किया जा सकता है।

162. मद्रास बार एसोसिएशन में। वी. भारत संघ (ऊपर), इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निगरानी की तत्काल आवश्यकता को दोहराया

सदस्यों पर कार्यपालिका का दबाव और/या प्रभाव

न्यायाधिकरण। इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी न्यायाधिकरण जो उच्च न्यायालय को बदलने की मांग करता है, उसकी संरचना में कम स्वतंत्र या विवेकपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय की जगह लेने वाले न्यायाधिकरण के सदस्यों के पास कानून में विशेषज्ञता होनी चाहिए और उन्हें उचित कानूनी अनुभव होना चाहिए। भले ही संसद पारंपरिक

न्यायालयों से किसी अन्य समान न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन न्यायाधिकरण का संचालन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

न्यायालय के समतुल्य योग्यताएँ होना जिससे

न्यायनिर्णायक कार्य स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए, किसी तकनीकी या गैर–न्यायिक सदस्य को हस्तांतरित किया गया कोई भी निर्णय स्पष्ट रूप से कमजोर करने वाला कार्य है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह फैसला सुनाया गया कि भले ही विधायिका के पास शक्तियाँ हों

न्यायाधिकरणों के सदस्यों के लिए योग्यताओं को पुनर्गठित या निर्धारित करना, इस न्यायालय के लिए निर्धारित मानकों की "न्यायिक समीक्षा" करने के लिए खुला है, यदि न्यायिक मानक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इस न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हैः

" 105. ..... यह भी कहा गया कि अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण का गठन इस तरह से किया जाना चाहिए था कि वह उसी तरह से काम कर सके जैसे खुद उच्च न्यायालय करता है। चूंकि सरकार की समन्वित शाखाओं से भी सभी प्रकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका का बचाव अब तक न्यायपालिका की एक बुनियादी आवश्यक विशेषता के रूप में माना जा रहा था।

संविधान, यह महसूस किया गया था कि उसी स्वतंत्रता से

कार्यकारी दबाव या प्रभाव की संभावना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अपने निष्कर्षों को दर्ज करने में, भले ही [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह कहा गया कि "न्यायिक समीक्षा" संविधान की "मूल संरचना" का एक अभिन्न अंग है, फिर भी यह माना गया कि संसद संविधान में संशोधन करने और उच्च न्यायालय के स्थान पर एक अन्य वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। हालाँकि, इस न्यायालय ने आगाह किया कि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि वैकल्पिक व्यवस्था कम स्वतंत्र और कम विवेकपूर्ण न हो।

स्वयं उच्च न्यायालय (जिसे बदलने की मांग की गई थी)। XXX

107. भारत संघ में v. मद्रास बार एसोसिएशन। [(2010) 11 एस. सी. सी. 1] ऊपर वर्णित सभी निष्कर्षों/प्रस्तावों को दोहराया गया और उनका पालन किया गया, जिसके बाद उन मौलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया जिन्हें न्यायालयों से न्यायाधिकरणों में न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि न्यायाधिकरणों में न्यायिक शक्ति निहित है (अब तक अदालतों द्वारा निहित या प्रयोग किए जाने से पहले), के पास होना चाहिए

समान स्वतंत्रता, सुरक्षा और क्षमता, न्यायालयों के रूप में जिन्हें न्यायाधिकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले न्यायाधिकरणों के सदस्यों को केवल कानून में विशेषज्ञता वाले और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम स्रोतों से लिया जा सकता है। तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है

न्यायाधिकरण जहाँ मामलों के निपटारे के लिए तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक है, और अन्यथा नहीं। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित न्यायिक प्रक्रिया में कोई शामिल नहीं था

विशेष कौशल, ज्ञान या विशेषज्ञता, तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान (न्यायिक सदस्यों के अतिरिक्त या प्रतिस्थापन में) भ्रम का एक स्पष्ट मामला होगा।

और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और "कानून के शासन" पर अतिक्रमण। न्यायाधिकरण का गठन करने वाले सदस्यों का कद उस अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करेगा जिसे न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, यदि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है, तो नवगठित न्यायाधिकरण के सदस्यों का कद होना चाहिए – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान योग्यता रखने वाले। जबकि मामले में, अधिकार क्षेत्र और कार्यों को स्थानांतरित करने की मांग जिला न्यायाधीशों द्वारा की जा रही थी/निष्पादित की जा रही थी, न्यायाधिकरण में नियुक्त सदस्यों के पास समतुल्य योग्यता और जिला रोजर गणित v के अनुरूप कद होना चाहिए।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

न्यायाधीश। सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होनी चाहिए

कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में हैं। उनकी नियुक्ति और हटाने के तरीके, जिसमें उनका स्थानांतरण और उनके रोजगार का कार्यकाल शामिल है, को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचा जा सके। न्यायाधिकरणों का कार्य, उनकी आधारभूत संरचना और उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी जानी चाहिए। न तो न्यायाधिकरणों और न ही उनके

सदस्यों को संबंधित मूल मंत्रालयों या विभागों से कोई भी सुविधा लेनी चाहिए। भले ही विधायिका न्यायिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को पुनर्गठित कर सकती है, और कर सकती है इसके सदस्यों की योग्यता/पात्रता निर्धारित करें, जो "न्यायिक समीक्षा" के अधीन होगी, जिसमें यह अभिनिर्धारित करने के लिए अदालत के लिए खुला होगा कि न्यायाधिकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

न्यायनिर्णायक मानक, जिन पर न्यायालय इसके साथ हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा। इस तरह का अभ्यास स्वाभाविक रूप से एक हिस्सा होगा।

द्वारा प्रदत्त नियंत्रण और संतुलन उपायों का विधायिका द्वारा किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए "शक्तियों के पृथक्करण" के नियम को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका पर संविधान या

कार्यकारी।

नए संविधान की घोषणा। लेकिन न्यायिक शक्ति का उपयोग एक समान/समान अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा एक अलग नाम के साथ करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, समान न्यायालय/न्यायाधिकरण का गठन करते समय संवैधानिक परंपरा के आधार पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा वही होगी जो उस न्यायालय को प्रतिस्थापित करने के लिए मांगी गई थी। हिंद के मामले में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया था [हिंद बनाम। आर., 1977 एसी 195]। हिंड्स के मामले में, यह स्वीकार किया गया था कि संसद को इससे बाहर नहीं रखा गया था संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जा रहे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक नए नाम के तहत एक अदालत की स्थापना।

लेकिन जब वह [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किया गया था, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था

ऐसे न्यायालय/न्यायाधिकरण के सदस्यों को उसी तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिए और संविधान लागू होने के समय न्यायिक पद के धारक के समान कार्यकाल की सुरक्षा का हकदार होना चाहिए। पीटर डब्ल्यू. हॉग द्वारा कनाडा के संवैधानिक कानून के ग्रंथ में भी यह देखा गया थाः यदि किसी प्रांत ने एक प्रकार के अधिकार क्षेत्र के साथ एक न्यायाधिकरण का निवेश किया है, जो उचित रूप से एक वरिष्ठ, जिला या काउंटी न्यायालय से संबंधित होना चाहिए, तो वह

न्यायालय/न्यायाधिकरण (इसके स्थान पर बनाया गया), जो भी इसका आधिकारिक नाम है, संवैधानिक उद्देश्यों के लिए, किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिस्थापित करते समय,

जिला या काउंटी न्यायालय, प्रतिस्थापित न्यायालय की आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि नए

गठित न्यायालय/न्यायाधिकरण को अमान्य रूप से गठित माना जाएगा, जब तक कि इसके सदस्यों की नियुक्ति उसी तरीके से नहीं की जाती है, और जब तक कि इसके सदस्य सेवा की उन्हीं शर्तों के हकदार नहीं होते हैं जो अदालत के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध थीं।

प्रतिस्थापित। संदर्भ के तहत दिए गए निर्णयों में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि उपरोक्त संवैधानिक परंपरा के उल्लंघन को अच्छे इरादे से माफ नहीं किया जा सकता है (जिसके द्वारा किसी दिए गए कानून को लागू करने के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया था)। हम संतुष्ट हैं कि कानून की उपरोक्त व्याख्या के अनुरूप है

"शक्तियों के पृथक्करण", "कानून के शासन" और "न्यायिक समीक्षा" की अवधारणाओं से निपटने के दौरान इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई स्थिति।

इस संबंध में, एल. चंद्र कुमार मामले में निर्णयों के साथ–साथ भारत संघ बनाम में भी निर्देश दिया जा सकता है। मद्रास बार एसोसिएशन। (2010) . इसमें, इस न्यायालय ने मान्यता दी है कि अधिकार क्षेत्र का हस्तांतरण अनुमेय है, लेकिन इस तरह के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए, जिस न्यायालय को निर्णय लेने की शक्ति हस्तांतरित की जाती है, उसे मुख्य विशेषताओं के साथ सहन किया जाना चाहिए, जो उनके पास थीं –

वह न्यायालय जिससे न्यायनिर्णायक शक्ति प्राप्त की गई है

स्थानांतरण किया गया। XXX

योग्यताएँ उस न्यायालय के अनुरूप होती हैं जहाँ से न्यायिक प्रक्रिया स्थानांतरित की गई है। यह पद है दुनिया भर में पहचाना। रोजर मैथ्यू बनाम में संवैधानिक सम्मेलन।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

इस मामले के इस पहलू पर जमैका, सीलोन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का सम्मान ऊपर चित्रित किया गया है। हिंड्स मामले में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा व्यक्त प्रिवी काउंसिल की राय का उन देशों में पालन किया जा रहा है जिनके पास वेस्टमिंस्टर मॉडल पर संविधान है। भारतीय संविधान ऐसा ही एक संविधान है। उपरोक्त मॉडल पर बनाए गए संविधानों की व्याख्या करते समय स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है, अर्थात्, भले ही विधायिका न्यायिक शक्ति को एक से स्थानांतरित कर सकती है एक अलग नाम के समान अदालत/न्यायाधिकरण के लिए पारंपरिक अदालत, जिस अदालत/न्यायाधिकरण को ऐसी

शक्ति हस्तांतरित की जाती है, उसके पास वही मुख्य विशेषताएँ, मानक और मापदंड होने चाहिए, जो अदालत के पास थे।

स्थानांतरण किया गया। हमारे लिए उस लेखाकार को स्वीकार करना संभव नहीं है।

सदस्यों और तकनीकी सदस्यों का कद और

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पास योग्यता "।

न्यायनिर्णायक कार्य स्थानांतरित किया जाता है। उन विवादों का न्यायनिर्णयन जो मूल रूप से न्यायालयों के न्यायाधीशों में निहित थे, यदि तकनीकी या गैर–न्यायिक सदस्य द्वारा किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से न्यायिक क्षेत्र में एक दुर्बलता और अतिक्रमण है। बहुत सम्मान के साथ, संसद तकनीकी सदस्यों पर न्यायिक कार्यों को विभाजित नहीं कर सकती है, जो न्यायिक अनुभव या कानूनी अनुभव के बिना हो। ज्ञान।

164. नए नियमों द्वारा लाए गए कुछ अन्य परिवर्तनों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले, अधिकांश न्यायाधिकरणों का नेतृत्व पहले न्यायिक सदस्य करते थे। ऋण वसूली न्यायाधिकरण जैसे कुछ न्यायाधिकरणों के अपवाद के साथ, पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। नियमों के वर्तमान निर्माण के तहत, केंद्र सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को बनाकर पात्रता का विस्तार किया है जो

अन्यथा उनके पास कोई न्यायिक या कानूनी अनुभव नहीं है, लेकिन यदि वे अन्यथा "क्षमता, सत्यनिष्ठा और स्थिति के हैं, और" कुछ विशेष विषयों "का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव रखते हैं, जो केंद्र सरकार की राय में उपयोगी हैं" तो वे पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं। इसके अलावा, अन्य जो [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी न्यायाधिकरणों के प्रमुख हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 (3) और 217 (2) के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल न्यूनतम पूर्व शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। इसके बजाय, इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए विचार का एक प्रमुख हिस्सा असंकलित है और एक समग्र आधार पर आधारित है।

अधिवक्ताओं के व्यवहार, कानूनी कौशल, विशेषज्ञता और चरित्र पर विचार करना। नए मानदंडों का प्रभाव यह होगा कि प्रत्येक

दूसरा अधिवक्ता, वास्तव में, नियुक्ति के लिए योग्यताओं को काफी हद तक कम करने के योग्य है। ऐसे लोगों की आवश्यक विशेषताएँ भी अस्पष्ट हैं जो परिणामस्वरूप कार्यकारी विवेक को बढ़ाती हैं। इस तरह होता है असर

न्यायिक स्वतंत्रता के साथ-साथ इन न्यायाधिकरणों की क्षमता और क्षमता दोनों। योग्यताओं को निर्दिष्ट करने और यह तय करने के लिए निहित शक्ति/विवेकाधिकार कि न्यायाधिकरणों का संचालन किसे करना चाहिए, का उपयोग व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और यह न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए और अस्पष्ट या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।

165. इस मोड़ पर यह भी दोहराया जाना चाहिए कि समानता केवल बराबर लोगों के बीच ही हो सकती है, और यह व्यवहार करने की अनुमति नहीं होगी।

अपने सदस्यों/पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से चरित्र। मद्रास बार एसोसिएशन (2010) (ऊपर) में यह देखा गया था कि न्यायालयों से न्यायाधिकरणों को न्यायिक कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए यह एक मौलिक पूर्व शर्त है कि बाद वाले के पास समान क्षमता होनी चाहिए और पूर्व की तरह स्वतंत्रता, और यह कि सदस्यों के साथ-साथ न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को महत्वपूर्ण न्यायिक प्रशिक्षण और कानूनी अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, सदस्यों का ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव /

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को, जहाँ तक संभव हो, उस न्यायालय को प्रतिबिंबित करना चाहिए जिसे वह प्रतिस्थापित करना चाहता है। सचित्र रूप से, की रचना तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण, इस विसंगति को चित्रित करते हुए संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

तस्करों और विदेशी के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण

अदला-बदली करने वाले (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976

(1) अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष एक व्यक्ति होगा।

जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य है या रहा है या है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य एक व्यक्ति होगा।

सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं

भारत से।

166. यह हमें समझ से बाहर लगता है कि कैसे दोनों

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक ही पद के लिए पात्र हो सकते हैं जब संविधान के तहत उनका अनुभव, अनुभव, ज्ञान और कद काफी अलग हैं और दोनों एक नहीं हैं।

सजातीय वर्ग। दोनों के बीच कोई जबरन समानता नहीं हो सकती है। ऐसा करना दिमाग के गैर–अनुप्रयोग का संकेत होगा। इस तरह की कवायद न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य होगी।

167. इसके अलावा, न्याय के वितरण के लिए आवश्यक है कि न्यायनिर्णायक संस्था जनता का सम्मान करे। विसंगत स्थितियाँ

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पहले रखे गए पद पर नियुक्त करने की अनुमति देने से एक संस्था के रूप में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। 168. किसी संस्थान का प्रबंधन करने वाले लोगों का कद उस संस्थान को ही विश्वसनीयता और रंग प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राष्ट्रीय महत्व के किसी विशेष न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के रूप में रखने में एक बोधगम्य संकेत प्रभाव पड़ता है। यही न्यायाधिकरण में एक अंतर्निहित निष्पक्षता, गरिमा और उच्च दर्जा स्थापित करता है। ऐसे संस्थानों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी अधिकृत करने की अनुमति देना, जिन्होंने समकक्ष पद नहीं संभाला है या जिनके पास कम न्यायिक अनुभव है, न्यायाधिकरण के लिए अच्छा नहीं है, इसके अलावा सक्षम लोगों को इन पदों के लिए हतोत्साहित करना भी उचित नहीं है।

अपनी सेवाएँ देते हैं। इसी सादृश्य पर, यह कहना एक अभिशाप होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जिला न्यायालय के न्यायाधीश दोनों एक न्यायाधिकरण में एक ही पद पर आसीन हो सकते हैं।

((c) हटाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता

169. नियमों के तहत विचार की गई योजना से यह स्पष्ट है कि सरकार ने न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका को काफी कम कर दिया है। इसके अलावा, एनजीटी जैसे कई न्यायाधिकरणों में गैर–न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस तरह की प्रथा संवैधानिक योजना और पहले से संदर्भित विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करती है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसे कई न्यायाधिकरणों में जहां पहले सदस्यों को हटाया जाता था या पीठासीन किया जाता था

अधिकारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जांच के बाद और [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आवश्यक परामर्श के बाद ही हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान नियम केंद्र सरकार के लिए किसी भी पीठासीन अधिकारी या सदस्य को हटाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने की अनुमति है। नियम स्पष्ट नहीं हैं कि ऐसी समिति का हिस्सा कौन होगा और इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी।

ऐसा करने में, यह न्यायाधिकरण के सदस्यों की स्वतंत्रता को काफी कमजोर करता है। यह दुनिया भर में और हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत भी अच्छी तरह से समझा जाता है कि कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और यह उन्हें कार्यपालिका की इच्छा के अनुरूप बना देगा, जिससे न्यायिक कार्य के निर्वहन में बाधा आएगी।

कार्य।

170. मद्रास बार एसोसिएशन (2014) (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया

कि –

" ..... यह स्वीकार किया गया कि संसद को उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक नए नाम के तहत एक अदालत की स्थापना करने से नहीं रोका गया था जिसका उपयोग संविधान के लागू होने के समय उच्च न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जब ऐसा किया गया था, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि ऐसे न्यायालय/न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को उसी तरीके से नियुक्त किया जाना चाहिए और वे उसी तरह के कार्यकाल की सुरक्षा के हकदार होने चाहिए जैसे संविधान लागू होने के समय न्यायिक पद के धारक को थी। पीटर डब्ल्यू. हॉग द्वारा कनाडा के संवैधानिक कानून के ग्रंथ में भी यह देखा गया थाः यदि कोई प्रांत किसी न्यायाधिकरण को किसी प्रकार की अधिकारिता के साथ निवेश करता है, जो उचित रूप से किसी वरिष्ठ, जिला या देश के न्यायालय से संबंधित होना चाहिए, तो उस न्यायालय/न्यायाधिकरण (उसके स्थान पर बनाया गया), जो भी उसका आधिकारिक नाम है, संवैधानिक उद्देश्यों के लिए, किसी वरिष्ठ को प्रतिस्थापित करते समय,

जिला या देश न्यायालय, आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करता है

प्रतिस्थापित न्यायालय से। इसका मतलब यह है कि नए

गठित न्यायालय/न्यायाधिकरण को अमान्य माना जाएगा।

इसका गठन तब तक किया जाता है जब तक इसके सदस्यों की नियुक्ति उसी तरीके से नहीं की जाती है और जब तक इसके सदस्य सेवा की उन्हीं शर्तों के हकदार नहीं होते हैं जो अदालत के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध थीं। प्रतिस्थापित "।

171. यह आवश्यक है कि इसका अक्षर और भावना में पालन किया जाए

और इसलिए हम दोहराते हैं कि न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों को न्यायपालिका की सहमति के बिना या संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान में निर्दिष्ट तरीके से नहीं हटाया जा सकता है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

((घ) कार्यकाल और अधिकतम आयु

172. नियुक्ति और अन्य प्रावधान करने वाले विभिन्न अधिनियम

सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु में स्पष्ट असमानता को प्रदर्शित करने के लिए सदस्यों की आकस्मिकता को हमारे ध्यान में लाया गया है और विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी। सचित्र रूप से,

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 डी दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय सदस्य प्रदान करती है। न्यायाधिकरण साठ–पाँच वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

जबकि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 55 (1) में प्रावधान है

कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कोई सदस्य साठ–सात वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहेगा। वर्षों से। सेवानिवृत्ति की आयु में यह अंतर एक अवांछनीय स्थिति का कारण बन सकता है जिसमें कम सेवानिवृत्ति की आयु वाले न्यायाधिकरण का सदस्य कर सकता है।

उच्च सेवानिवृत्ति आयु के साथ किसी अन्य न्यायाधिकरण में फिर से नियुक्त किया जाए।

173. भारत का संविधान न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के संदर्भ में उच्च न्यायालयों के बीच अंतर नहीं करता है और एक निर्धारित करता है

सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया था, न्यायाधिकरण नियुक्ति और सेवा के समान मानक होने चाहिए जैसा कि न्यायालय के स्थान पर है। इसलिए, सभी न्यायाधिकरणों में सभी सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की एक समान आयु होनी चाहिए।

174. सेवानिवृत्ति की आयु में एकमात्र अंतर प्रदान किया गया है

संविधान के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच अदालत। हम इसका कारण संविधान सभा के इरादे में पाते हैं जिसका उद्देश्य अनुभव और ज्ञान को शामिल करना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की जाती है। इसलिए,

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल के दौरान अर्जित अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तुलना में सेवानिवृत्ति की उच्च आयु प्रदान की जाती है। इसी तरह,

अध्यक्ष/पीठासीन की सेवानिवृत्ति की आयु के बीच का अंतर

न्यायाधिकरण के अधिकारी और सदस्य अध्यक्ष/पीठासीन होने के कारण होते हैं।

अधिकारी एक पदोन्नति पद नहीं है और इसलिए इसकी तुलना सदस्य के पद से नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी के पद के लिए न्यायिक आवश्यकता होती है।

और कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का प्रशासनिक अनुभव जो उन्हें निर्धारित करने वाले कानूनों से स्पष्ट है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

175. एक और विचित्रता जो हमारे ध्यान में लाई गई वह यह है कि सदस्यों के लिए तीन साल का छोटा कार्यकाल लागू किया गया है

न्यायाधिकरण नियम, 2017 की अनुसूची में उल्लिखित न्यायाधिकरणों की संख्या। एक छोटा कार्यकाल, जांच लंबित रहने तक नियमित निलंबन के प्रावधान और इसकी प्रतिरक्षा की कमी के साथ न्यायाधिकरणों के सदस्यों पर कार्यपालिका के प्रभाव और नियंत्रण को बढ़ाता है, इस प्रकार न्यायाधिकरणों की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, इस तरह के छोटे कार्यकालों

को निर्धारित करना न्यायिक अनुभव की खेती को रोकता है और इस प्रकार न्यायाधिकरणों की प्रभावशीलता के लिए हानिकारक है।

176. इस न्यायालय ने लघु कार्यकाल लागू करने की आलोचना की

असमान लोगों के बीच समानता पैदा करना। तीन साल का कार्यकाल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए या प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारी के मामले में भी उपयुक्त हो सकता है। हालांकि, यह उम्मीद करना भ्रम होगा कि एक अधिवक्ता तीन साल की अवधि के लिए एक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अपनी अच्छी तरह से स्थापित प्रथा को छोड़ देगा। विधायिका का इरादा वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के आधार पर न्यायाधिकरण के प्रशासन में एकरूपता को शामिल करना था। फिर भी, इस तरह की एकरूपता ट्रिब्यूनल के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने से मेधावी उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने की कीमत पर प्राप्त नहीं की जा सकती है।

177. इसके अतिरिक्त, केंद्र या राज्य को दिया गया विवेकाधिकार

178. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मानना है कि नियमों पर दूसरी बार विचार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत कम था। न्यायाधिकरणों के सदस्य योग्यता विरोधी हैं और न्यायिक सदस्यों के पदों को स्वीकार करने के लिए मेधावी उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने का प्रभाव पड़ता है।

न्यायाधिकरणों में।

जेर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]नियमों में विरोधाभास

पक्षों के विवादों पर और के प्रकाश में

पीठ ने निम्नलिखित चर्चा की है –

नियमों में कहा गया हैः

(क) बार से प्रत्यक्ष नियुक्तियों और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों या न्यायाधीशों की नियुक्ति दोनों के लिए तीन साल के निश्चित कार्यकाल के रूप में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल के संबंध में नियमों में विसंगति है। यह इस हद तक भेदभावपूर्ण भी है कि यह असमान वर्गों के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करता है। द.

सदस्यों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आदि का कार्यकाल पूर्ववर्ती शर्तों पर विचार करते हुए बढ़ाया जाना चाहिए।

न्यायालय के निर्णय।

(ख) सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर

सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जैसा कि नियमों में तैयार किया गया है, वित्त अधिनियम, 2017 के उद्देश्यों के विपरीत है। , न्यायाधिकरण ढांचे की संरचना में एकरूपता प्राप्त करना। सभी न्यायाधिकरणों में सदस्यों, उपाध्यक्षों, अध्यक्षों आदि के लिए सेवानिवृत्ति की एक समान आयु होनी चाहिए।

(ग) नियमों के नियम 4 (2) में यह प्रावधान है कि जिस मंत्रालय या विभाग के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, उसमें भारत सरकार का सचिव होगा –

संविधान। चौथे न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय के कथन के अनुरूप, नियुक्ति में न्यायिक प्रभुत्व न्यायपालिका के सदस्यों को कमजोर नहीं किया जा सकता है

कार्यकारी।

(घ) नियम 7 केंद्र को अनुचित विवेक प्रदान करता है।

सरकार जहाँ तक वह केवल निर्देश देती है और नहीं

केंद्र सरकार को विचार करने का आदेश देता है

एक को हटाने के लिए समिति की सिफारिश

एक न्यायाधिकरण के सदस्य। केंद्र सरकार करेगी

[2019] 16 एस. सी. आर. की सिफारिश पर अनिवार्य रूप से विचार करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण के किसी भी सदस्य को हटाने से पहले समिति। इसके अलावा, नियम 7 का प्रावधान राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के बीच एक अन्यायपूर्ण वर्गीकरण बनाता है।

न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) और अन्य मंच जैसे कि केवल एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना।

(ई) नैतिक अधमता एक ऐसा शब्द है जिसे इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। नियम 7 (बी) को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कार्यपालिका को व्याख्या करने की अनुमति देता है

'नैतिक अधमता' का अर्थ है, जो न्यायिक क्षेत्र पर अतिक्रमण है।

(च) व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के संबंध में नियमों में ढील देने की शक्ति खोज–सह–चयन समिति के पास निहित होगी, न कि केंद्र के पास।

नियम 20 के तहत प्रदान की गई सरकार। जैसा कि इस न्यायालय ने पहले मद्रास बार एसोसिएशन (2014) में फैसला सुनाया था। (ऊपर), केंद्र सरकार को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नष्ट किए बिना न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मुद्दा ।V: वहाँ एक एकल होना चाहिए

सभी के प्रशासन के लिए नोडल एजेंसी

न्यायाधिकरण?

180. एल. डी. एमिकस ने एक स्पष्ट समस्या पर प्रकाश डाला जो बनी हुई है

भारत में वर्तमान न्यायाधिकरण ढांचा। विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों को आमतौर पर उनके प्रायोजक या मूल मंत्रालय या संबंधित विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस प्रकार, जब न्यायाधिकरणों या उनके सदस्यों को किसी ऐसे विभाग से वित्तीय, प्रशासनिक या किसी अन्य सुविधा की मांग करनी होती है जो उनके समक्ष वादी भी है, तो उनकी निष्पक्षता या स्वतंत्रता से समझौता होने की संभावना है। ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति का समाधान केवल एक एकल नोडल एजेंसी की स्थापना द्वारा किया जा सकता है, जो देश में संपूर्ण न्यायाधिकरण प्रणाली की देखरेख करती है और ऐसे सभी न्यायाधिकरणों को समानता में लाती है।

181. एल. चंद्र कुमार बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ

(ऊपर), देश में पूरे न्यायाधिकरण ढांचे के प्रशासन की परिकल्पना की गई है जिसकी निगरानी एक एकल नोडल एजेंसी/मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यह देखा गया कि एक न्यायाधिकरण के पर्यवेक्षण की अनुमति देना उचित नहीं है विभाग/मंत्रालय जो उससे पहले एक पक्ष हो। इस न्यायालय ने रोजर मैथ्यू बनाम की सिफारिश की।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन। जब स्वतंत्र एजेंसी का गठन किया जाता है, तो वह न्यायाधिकरणों की नियुक्ति, योग्यता, सेवा की शर्त, निधि के आवंटन के तरीके आदि के लिए एक समान संहिता भी निर्धारित कर सकती है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि यह पूरे न्यायाधिकरण ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के अलावा न्यायाधिकरण के मूल मंत्रालय के प्रभाव को कम करेगा। प्रासंगिक अंश को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

नीचेः

" 96. ..... हमारा विचार है कि जब तक ऐसे सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं की जा सकती है, तब तक वांछनीय है कि ऐसे सभी न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, एक एकल नोडल मंत्रालय के तहत होने चाहिए जो इन न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करने की स्थिति में होगा। कई कारणों से मंत्रालय को उचित रूप से विधि मंत्रालय होना चाहिए। मंत्रालय के लिए, बदले में, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए यह खुला रहेगा।

न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख करने के लिए निकाय। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष किसी कारण से न्यायाधिकरण के कामकाज में पर्याप्त रुचि लेने में असमर्थ है, तो पूरी प्रणाली सुस्त नहीं होगी और न्याय के अंतिम उपभोक्ता को नुकसान नहीं होगा। एक एकल छत्र संगठन का निर्माण, हमारे विचार में, वर्तमान प्रणाली की कई बुराइयों को दूर करेगा। यदि आवश्यकता हो तो केंद्र और राज्य स्तरों पर अलग–अलग छत्र संगठन हो सकते हैं। इस तरह के पर्यवेक्षी प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे सभी न्यायाधिकरणों के सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहे। उस हद तक, न्यायाधिकरणों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, जिस तरह से कार्य के लिए धन आवंटित किया जाता है

न्यायाधिकरणों और अन्य सभी परिणामी विवरणों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना होगा।

182. भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन (2010) (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित न्यायाधिकरणों की संरचना पर चर्चा करने का अवसर। यह ध्यान दिया गया कि यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न प्रकार के विवाद निवारण तंत्र हैं जिनके कारण न्यायाधिकरणों के कामकाज का विश्लेषण करने के लिए कई समितियों के गठन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इस न्यायालय ने मुख्य रूप से न्यायाधिकरणों के माध्यम से न्याय प्रदान करने की समीक्षा करने के लिए गठित लेगट समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया। यू. के. में न्यायाधिकरणों की सफलता की कहानी का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने एक [2019] 16 एस. सी. आर. पर ध्यान दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में इसके विपरीत और भारत में न्यायाधिकरणों के कामकाज के संबंध में अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहाः

" 70. लेकिन दुर्भाग्य से भारत में न्यायाधिकरणों ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं की है। संबंधित "प्रायोजक विभाग" का सचिव नियुक्ति के लिए चयन समिति में बैठता है। जब न्यायाधिकरणों का गठन किया जाता है, तो वे ज्यादातर वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि काम करने के लिए जगह के लिए अपने प्रायोजक विभाग पर निर्भर होते हैं। न्यायाधिकरणों का गठन करने वाले कानूनों में नियमित रूप से प्रायोजक विभागों से सिविल सेवाओं के सदस्यों को न्यायाधिकरण का सदस्य बनने और अपने मूल संवर्ग के साथ अपने ग्रहणाधिकार को जारी रखने का प्रावधान है। जब तक यूनाइटेड किंगडम में लागू किए गए और एल. चंद्र कुमार द्वारा सुझाए गए व्यापक सुधार नहीं किए जाते, तब तक भारत में न्यायाधिकरणों को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा।

183. इस न्यायालय ने पहले एल. डी. के बयानों को नोट किया था। महान्यायवादी ने डब्ल्यू. पी. में 27 मार्च 2019 के आदेश के माध्यम से (ग) सं. 267/2012, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि विधि मंत्रालय पहले से ही

अत्यधिक बोझ और प्रभावी रूप से पर्यवेक्षी कार्य नहीं कर सकते हैं,

सभी न्यायाधिकरणों के लिए एकल नोडल मंत्रालय के रूप में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले सुझाव दिया गया था।

184. जो बात सर्वोपरि प्रतीत होती है वह यह है कि प्रत्येक न्यायाधिकरण को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए

(ए) कर्मचारियों की भर्ती; (बी) बुनियादी ढांचे का निर्माण; (सी) बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण; (डी) कम्प्यूटरीकरण; (ई) पीठासीन प्राधिकरण या सदस्यों के लिए अनुमेय अनुलाभ और अन्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च सहित इसके दिन–प्रतिदिन के कामकाज का।

ऐसे न्यायाधिकरण का। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है कि कौन सा मंत्रालय या विभाग एक न्यायाधिकरण के लिए नोडल एजेंसी के कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधिकरण से अपनी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए ऐसी नोडल एजेंसी की ओर देखने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक न्यायाधिकरण को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर प्राधिकरण बनाने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त धन आवंटित करने का निर्देश होना चाहिए। प्रत्येक न्यायाधिकरण के कार्यकरण पर होने वाला व्यय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि पर एक प्रभार होना चाहिए। इसलिए, अब तक, वित्त मंत्रालय, नोडल मंत्रालय/विभाग के परामर्श से, न्यायाधिकरणों के लिए अलग और समर्पित धन निर्धारित करेगा। यह न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधिकरण विभाग के वित्तीय नियंत्रण में नहीं हैं, रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

जो उनके सामने एक वादी है, लेकिन यह न्यायाधिकरणों के तंत्र में जनता के विश्वास और विश्वास को भी बढ़ा सकता है।

आईएसयूई वीः किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है

न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन का संचालन करना

भारत के सभी संकटों में से?

185. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया था कि वित्त अधिनियम के लिए संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों का न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है।

2017. यह तर्क दिया गया कि न तो विधानमंडल और न ही कार्यपालिका ने समय–समय पर किए गए विधायी अभ्यासों द्वारा भारत में न्यायाधिकरणों के ढांचे में लाए गए परिवर्तनों, यदि कोई हों, के प्रतिकूल परिणामों का विश्लेषण करने के लिए कोई मूल्यांकन किया था।

186. याचिकाकर्ताओं की दलीलों को निराधार नहीं कहा जा सकता है। राज्य के तीन अंग अर्थात। , विधानमंडल,

कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक अंग की कार्रवाई का दूसरे अंग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक कानून के परिणामस्वरूप लंबित मुकदमों की संख्या में तत्काल वृद्धि होती है। यह राज्य की अन्य शाखाओं की जिम्मेदारी है कि वे बढ़ती विचाराधीनता के साथ न्यायपालिका की सीमाओं के प्रति सचेत रहें

मुकदमेबाजी। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि विधानों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए परिणामी मुकदमेबाजी का संचय न्यूनतम हो। 187. 'न्यायिक प्रभाव आकलन' के अमेरिकी सिद्धांत को सबसे पहले इस न्यायालय ने सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन में अपने कथन में उधार लिया था।

(।।) v. भारत संघ ", जिसके तहत यह देखा गया कि विधानमंडल के लिए न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य है न्यायपालिका पर इसके प्रभावों का आकलन करने के लिए अधिनियम पारित किया गया। इस न्यायालय ने भारतीय संदर्भ में न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इसके अनुसार जगन्नाथ राव समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट

सुझाव दिया कि न्यायिक प्रभाव आकलन के माध्यम से, विधायिका को कर्मचारियों की बजटीय आवश्यकता का विश्लेषण करना चाहिए जिसे कानून द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता होगी और अधिनियम के परिणामस्वरूप नए मामलों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय। इसके अलावा, विधायिका द्वारा तैयार किए गए वित्तीय ज्ञापन में विशेष रूप से नए अधिनियम से उत्पन्न होने वाले दीवानी और आपराधिक मामलों की संख्या, निर्णय के लिए अधिक न्यायाधीशों और कर्मचारियों की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। 45 (2005) 6 एससीसी 344 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ये मामले और आवश्यक बुनियादी ढांचा। सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन में निर्णय के आवश्यक पैराग्राफ। (ऊपर) निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 49. समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि:

" इसके अलावा, 'न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन' होना चाहिए, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, जब भी कोई कानून संसद या राज्य विधानमंडलों में पेश किया जाता है। प्रत्येक विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में न केवल अन्य कर्मचारियों की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया जाना चाहिए, बल्कि विधानमंडल द्वारा पारित होने पर नए विधेयक से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त मामलों के खर्चों को पूरा करने के लिए बजटीय आवश्यकता का भी अनुमान लगाया जाना चाहिए। उक्त बजट में सिविल की संख्या का उल्लेख होना चाहिए। और नए अधिनियम द्वारा उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामले, कितने न्यायालयों की आवश्यकता है, कितने न्यायाधीशों और कर्मचारियों की आवश्यकता है और बुनियादी ढांचे की क्या आवश्यकता है। अब तक पिछले पचास वर्षों में हमारे देश में किसी भी विधायिका या संसद द्वारा इस तरह के न्यायिक प्रभाव का आकलन कभी नहीं किया गया है।

50. निष्पक्ष, त्वरित और त्वरित न्याय प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए, हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि

उपरोक्त सुझावों की जांच करें और चार महीने के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

188. वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि विधायिका 'न्यायिक' के संबंध में इस न्यायालय की राय के अनुरूप नहीं है।

प्रभाव आकलन और इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2017 के प्रभावों का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह वैध रूप से उम्मीद की जा सकती है कि न्यायाधिकरणों के विलय और पुनर्गठन के संबंध में विविध संशोधनों के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में भारी वृद्धि हो सकती है।

189. चीजों की योग्यता में, हम भारत संघ को वित्तीय प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश देना उचित समझते हैं – वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 158 से 182 तक संदर्भित सभी न्यायाधिकरण और आवश्यकता आधारित आवश्यकताओं का आकलन करने और संसद द्वारा स्थापित प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद करते हैं।

मुद्दा VI: ट्राइब्यूनल सेट के अन्य न्यायाधीश अनुच्छेद रोजर मैथ्यू बनाम के तहत संसद के अधिनियमों द्वारा।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

323 – संविधान का ए और 323–बी हो सकता है

'रैंक' और 'स्टेटस' में बराबरी संवैधानिक कार्य?

190. विद्वान वकीलों द्वारा इस न्यायालय के ध्यान में एक संबंधित प्रवृत्ति लाई गई है। संघ के पास, बराबर के अलावा

विभिन्न न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों/अध्यक्षों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर का दर्जा दिए गए वेतन और भत्ते।

191. यह 'वरीयता के वारंट' को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त है जो कार्यकर्ताओं के अनुक्रमिक पदानुक्रम को चित्रित करता है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

अक्सर औपचारिक व्यवस्थाओं के लिए। कुछ अधिकारियों के दर्जे में इस तरह की वृद्धि बिना किसी तर्क के संवैधानिक योजना के बाहर है। यद्यपि पाण्डित्यपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन कार्यकारी आदेश या कानून द्वारा संवैधानिक अधिकारियों के समकक्ष या उनसे अधिक की स्थिति ऐसे अधिकारियों को दी गई संवैधानिक गरिमा और कद के सार पर हमला करती है। स्थिति की बेतुकी बात को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है यदि कल एक नौकरशाह को एक मंत्री की तुलना में उच्च दर्जा दिया जाता है, जो उसके विभाग का प्रमुख होता है। इस तरह के पदनामों का कोई व्यक्तिगत मूल्य नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि

शासन की रूपरेखा और संरचना की परिकल्पना की गई है। अतार्किक परिवर्तन या विवाद राज्य के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक पदानुक्रम और अनुशासन के ताने–बाने को बाधित करते हैं।

192. इसी तरह की स्थिति टी. एन. शेषन बनाम में उत्पन्न हुई। भारत संघ 46 जिसमें भारत सरकार ने अध्यादेश द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्रदान किए थे। नतीजतन, एक मांग की गई थी

वरीयता के वारंट में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष पद के अनुसार। इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की शर्तों में केवल समानता ऐसे अन्य अधिकारियों को समान दर्जा प्रदान नहीं कर सकती है। यह नोट किया गया था किः

" 34. जिन मामलों के लिए हमें विज्ञापन देना चाहिए, उनमें से एक व्यक्ति की स्थिति का सवाल है जिसकी सेवा की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हैं। ऐसा लगता है।

अपने मामले का समर्थन करने के लिए इस पहलू पर सी. ई. सी. द्वारा रखी गई निर्भरता को देखते हुए यह आवश्यक है। तत्काल मामले में सी. ई. सी. की कुछ सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के समान हैं।

46 (1995) 4 एससीसी 611।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के न्यायाधीश, अर्थात् (i) यह प्रावधान कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है और (ii) उनकी सेवा की शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा। जहाँ तक पहले का संबंध है, अनुच्छेद 124 (4) के प्रावधानों को दोहराने के बजाय, प्रारूपक ने इसे संदर्भ द्वारा शामिल किया है। द.

दूसरा प्रावधान अनुच्छेद 125 (2) के प्रावधान के समान है। लेकिन क्या यह सीईसी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्रदान करता है? यह डी. ओ. सं. 193/34/92 दिनांकित 23-7-1992 से प्रकट होता है। तत्कालीन गृह सचिव श्री गोडबोले को संबोधित करते हुए, सी. ई. सी. ने सुझाव दिया था कि सी. ई. सी. की स्थिति

वरीयता पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को उन्होंने दिसंबर 1991 में प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उठाया था। श्री गोडबोले के दिनांक 1 के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि सी. ई. सी. चाहते थे कि उन्हें वरीयता के वारंट में नंबर 9 पर रखा जाए, जिस पद पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। श्री गोडबोले के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी के साथ सी. ई. सी. की स्थिति को 11 नंबर पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। हालाँकि, इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि सीईसी और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बाद में नंबर 9-ए पर रखा गया था। हमारे अनुरोध पर विद्वान महान्यायवादी ने हमारे सामने वरीयता का संशोधित वारंट रखा जिसने यह बताता है कि सी. ई. सी. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ 9-ए स्थान पर चढ़ गया था। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्थिति का

रखरखाव राष्ट्रीय हित में अत्यधिक वांछनीय है। हम इसका उल्लेख करते हैं क्योंकि हाल ही में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ अन्य मंचों से संबंधित कर्मचारी भी केवल इसलिए दावा करते हैं क्योंकि उन न्यायालयों द्वारा पहले प्रयोग किए गए कुछ क्षेत्राधिकार उन्हें अंतर का एहसास नहीं करते हुए हस्तांतरित किए जाते हैं।

संवैधानिक और वैधानिक कार्यकर्ताओं के बीच। हम सरकार पर यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए यदि इससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति प्रभावित होने की संभावना है, तो वरीयता के वारंट के साथ समानता या हस्तक्षेप, हालांकि मांग पर जोर देना, पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार मांगे बिना हो सकता है। हम यह जोड़ सकते हैं कि श्री जी. रामास्वामी, सीईसी के विद्वान वकील, स्पष्ट रूप से रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

मान लिया कि सी. ई. सी. वैध रूप से बराबरी का दावा नहीं कर सकता है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आवश्यक कदम उठाएगी।

193. इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ के स्पष्ट दावों के आलोक में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्यकारी कार्रवाई प्रदान नहीं कर सकती है।

194. इसके अलावा, कि भले ही उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा संचालित, ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना निम्नानुसार की गई है – संविधान का अनुच्छेद 323–ए और 323–बी समानता की मांग नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के साथ। एक बार जब कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है और उसे अब यह अधिकार नहीं मिलता है।

संवैधानिक स्थिति, उसके द्वारा कब्जा किए गए वैधानिक पद को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पिछले पद के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए संवैधानिक न्यायाधीशों का पद, गरिमा और पद सामान्य है और यह न केवल वरीयता के वारंट में उनकी स्थिति या उनके द्वारा प्राप्त वेतन और अनुलाभों से उत्पन्न होता है, बल्कि उनमें दिए गए संवैधानिक विश्वास के परिणामस्वरूप होता है। न्यायाधिकरण के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों पर ऐसे संवैधानिक न्यायाधीशों की स्थिति के अविवेकी अनुसार संवैधानिक योजना 47 के लिए हिंसा होगी।

195. एल. चंद्र कुमार (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि

न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के विकल्प नहीं हैं और केवल उनके लिए पूरक। अतः ऐसे न्यायाधिकरणों के सदस्यों की स्थिति

जैसा कि वी. आर. कृष्ण अय्यर, जे. ने अपने लेख 'न्यायाधीशों को क्यों अपमानित करें' शीर्षक में उचित रूप से इंगित किया है, इसकी तुलना संवैधानिक न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों के साथ नहीं की जा सकती है। ” , “ समान दर्जे और वेतन के साथ उच्च न्यायालयों के मानित न्यायाधीशों का सृजन संविधान को दरकिनार करने का सुझाव देता है। एल. चंद्र कुमार (ऊपर) के प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं जिनके अधिकार वैधानिक प्रावधानों पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि, इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, वे उच्च न्यायालयों के विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं और

सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत है,

47 न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने कहा, "न्यायाधीशों के दर्जे का अपमान क्यों? " , (2002) 2 एलडब्ल्यू (जेएस) 85

(जून, 2000)

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से इस तरह के दायित्व को सौंपा गया है। इनकी भूमिका

यह सम्मान केवल पूरक है और इस तरह के सभी निर्णय

न्यायाधिकरण एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे

संबंधित उच्च न्यायालय "।

196. हम आगे यह इंगित करेंगे कि वरीयता का वारंट

यह केवल एक स्व–सेवारत कार्यकारी निर्णय है और अपने आप में एक कानून नहीं है। यह कार्यकर्ताओं के बीच अंतर–से पदानुक्रम का प्रतिबिंब है महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यों और अन्य राज्य के निर्वहन के उद्देश्य

कर्तव्य। यह या तो अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है या कानून द्वारा दिए गए दर्जे को बदल नहीं सकता है। इसके तहत स्पष्ट रूप से दिए गए वरीयता के क्रम को कमजोर करने के लिए इस तरह के उपकरण का उपयोग करना स्पष्ट रूप से घृणित होगा। संविधान।

197. इसलिए यह आवश्यक है कि भारत संघ इस पर ध्यान दे

इसमें इस न्यायालय की टिप्पणियाँ और दोनों के बीच उपरोक्त अंतर के संबंध में संविधान की भावना का पालन करना।

संवैधानिक पदाधिकारी और वैधानिक प्राधिकारी। भारत संघ के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी भी अन्य न्यायाधिकरण से अलग स्थान पर रखा जाए

या अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण।

न्यायाधिकरणों से सर्वोच्च न्यायालय तक अलग होने के लिए?

198. तर्कों के दौरान, विभिन्न पहलू थे

इस न्यायालय के समक्ष मामलों की बढ़ती लंबितता और इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने सहित पहले के निर्णयों में इस न्यायालय के आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय को प्रत्यक्ष वैधानिक अपील प्रदान करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर विधायिका द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

न्यायाधिकरण।

199. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, न्यायाधिकरण तेजी से बढ़ा है

हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में गति। स्वतंत्रता पूर्व काल में आई. टी. ए. टी. की स्थापना के बाद से अब न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़कर कई दर्जन हो गई है। संविधान में

(42 न.

संशोधन) अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 323 ए के माध्यम से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के साथ–साथ अनुच्छेद 323 बी के तहत अन्य न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया। संविधान में इन उपरोक्त प्रावधानों का विधानमंडल द्वारा इस तरह से अर्थ लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को हटा दिया गया था।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

बाद में, एल. चंद्रकुमार (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत ने बहुत ही उपयुक्त निर्णय दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का एक हिस्सा है और इसलिए इसे किसी भी कानून या यहां तक कि किसी भी कानून द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय में वैधानिक अपील, जिस पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है, न्याय के प्रशासन में महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करती है और यह संवैधानिक योजना के खिलाफ भी है। 200. चूंकि उपरोक्त मुद्दा याचिकाकर्ताओं द्वारा सीधे नहीं उठाया गया है और केवल एक पारित संदर्भ दिया गया है, इसलिए यह है

हमारे संविधान के तहत स्थापित त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली के अनुरूप। 201. संविधान के तहत परिकल्पित सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जांच की जानी चाहिए। इस तरह का अधिकार क्षेत्र

संविधान द्वारा इस न्यायालय को दिए गए आदेश को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता हैः अपीलीय, मूल और सलाहकार। इन क्षेत्राधिकारों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

मूल अधिकार क्षेत्रः

(i) अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र लिखें।

((ii) राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद

अनुच्छेद 71।

(iii) अनुच्छेद 131 के तहत अंतर–राज्य या राज्य–केंद्र विवाद।

(iv) अनुच्छेद 139 और 139 ए के तहत मामलों का स्थानांतरण।

(v) अनुच्छेद 145 के तहत न्यायालय की अवमानना।

अपीलीय अधिकार क्षेत्रः

(i) उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ इस प्रमाण पत्र के साथ अपील की जाए कि इसके तहत पर्याप्त संवैधानिक प्रश्न हैं।

अनुच्छेद 132।

((ii) सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ इस प्रमाण पत्र के साथ अपील की जाए कि सामान्य महत्व का पर्याप्त प्रश्न है या इस मामले को लागू करने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 133 के तहत निर्णय लिया गया।

(iii) उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार में मृत्युदंड दिए जाने के खिलाफ आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ अपील, या तो अपील पर या अनुच्छेद के तहत मूल मुकदमे में।

134 .

(iv) अनुच्छेद 135 के तहत संविधान के प्रारंभ से पहले संघीय न्यायालय में अपील करने योग्य अन्य सभी मामले।

(v) अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की विवेकाधीन शक्ति।

सलाहकार अधिकार क्षेत्रः

(i) अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ।

((ii) लोक सेवा आयोग को हटाने का संदर्भ

अनुच्छेद 317 के तहत सदस्य।

202. संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 के अवलोकन से अपीलीय क्षेत्राधिकार का दायरा स्पष्ट है। अनुच्छेद 132 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है जहां विचार के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 133 (3) निर्दिष्ट करता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ तब तक कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि इसके विपरीत

संसद द्वारा एक कानून के माध्यम से प्रदान किया गया। इसके अलावा, अनुच्छेद 134 में वर्णन किया गया है

आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता इसे मुख्य रूप से उन मामलों तक सीमित करती है जहां उच्च न्यायालय ने या तो उसके समक्ष मुकदमे में या निचली अदालत द्वारा पहले बरी किए जाने के फैसले को उलटते हुए मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा, अनुच्छेद 134 (2) अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि इस न्यायालय के आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संसद द्वारा किसी विशिष्ट कानून के अभाव में, आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

कोई नियमित अपील नहीं की जाती है। अनुच्छेद 134 (2) के उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" (2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा की अपीलों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने की कोई और शक्ति प्रदान कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन हो जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाए। " 203. अनुच्छेद 134 (2) दो बातों को स्पष्ट करने में सफल रहा है। सबसे पहले,

गैर–आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनुच्छेद 133 के तहत अनुच्छेद 134 (2) के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है।

उच्च न्यायालयों से आपराधिक कार्यवाही।विशेष रूप से, दो दर्जन से अधिक कानून हैं जो विभिन्न न्यायाधिकरणों से उच्चतम न्यायालय में अपील करते हैं और ऐसे कानूनों की एक गैर–विस्तृत सूची में शामिल हैं:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 35 एल; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116 ए,

1951 (43 1951 का); अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 38;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 261

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले;

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 130 ई; न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 (1) (बी)

(70 1971); दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 374 और 379 को उच्चतम न्यायालय (दंड अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम की धारा 2 के साथ पढ़ा जाता है।

1970 (28 1970 का); उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 (68)

1986);

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की धारा 19

(रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1987 का 28);

विशेष न्यायालयों की धारा 10 (अपराधों का विचारण) प्रतिभूतियों में लेन–देन से संबंधित) अधिनियम, 1992

1992) ;

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 15Z

भारत अधिनियम, 1992 (1992 का 15);

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की धारा 18

अधिनियम, 1997 (1997 का 24);

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53 टी;

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 125;

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 49) की धारा 24; [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (xvi) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 30 (55)

2007);

(xvii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक की धारा 37

बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19);

(xviii) हवाई अड्डा आर्थिक नियामक की धारा 31

भारतीय प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27);

(xix) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 22 (19)

2010);

((x) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 (2013 का 18);

(xxi) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 38;

(xxii) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) और कर अधिनियम, 2015 की धारा 21

(22 2015);

(xxiii) दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 62 और 182,

2016 (31 2016); और

(xiv) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 118,

2017 (12 2017)।

205. इस तरह की वैधानिक अपीलें उच्चतम न्यायालय की मामलों को विनियमित करने की अंतर्निहित क्षमता को छीन लेती हैं, जैसा कि संविधान में परिकल्पित है। सबसे गंभीर गलतियों से जुड़े मामलों और/या सार्वजनिक हित पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले मामलों तक अपने विचार को सीमित करके।

206. इसके अलावा, सीधे न्यायाधिकरणों से अपील का प्रावधान करने में, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में काफी हद तक कटौती की गई है। नहीं।

यह केवल न्याय तक पहुंच में बाधा डालता है, लेकिन यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बहुत आवश्यक एक्सपोजर को भी छीन लेता है, जिसकी एक जीवंत और हमेशा विकसित होने वाली न्यायपालिका में आवश्यकता होती है। चूँकि उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों से पदोन्नत किया जाता है, इसलिए उनके पास इन न्यायालयों के बारे में जानकारी का अभाव है।

कानून के विशेष क्षेत्र विशेष न्यायाधिकरणों से प्रत्यक्ष वैधानिक अपीलों पर निर्णय लेने में उनकी प्रभावकारिता में बाधा डालते हैं।

207. भारतीय न्यायपालिका का एक अवलोकनः वार्षिक रिपोर्ट 2017

18 , इस न्यायालय द्वारा प्रकाशित से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय में 56,000 से अधिक मामले लंबित हैं। हर साल यह न्यायालय भारी मात्रा में मामलों की सुनवाई करता है और सालाना लगभग 60,000–90,000 मामलों का निपटारा करता है, इस प्रकार एक चौंका देने वाली 4,000–6,000 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

प्रति पीठ मामले। इस न्यायालय के समक्ष स्थापित सभी मामलों में से 2 प्रतिशत से भी कम मामले अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए हैं, जबकि अधिकांश मामले अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं हैं।

208. हालाँकि 2011 में मामलों को स्वीकार करने की दर लगभग 20 प्रतिशत तक पहुँच गई थी और तब से इसमें गिरावट आई है, फिर भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय जैसे अन्य तुलनीय क्षेत्राधिकारों में लगभग 1 प्रतिशत की सीमांत दर से बहुत अधिक है। सभी मामलों की सुनवाई करने और छुट्टी देने या न देने पर विचार करने का मात्र कार्य अधिकांश मामलों को हड़प लेता है।

अदालत का समय। वादियों द्वारा अनुच्छेद 136 के बार-बार आह्वान के परिणामस्वरूप, न्यायालय के पास हमारे संस्थापकों द्वारा परिकल्पित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को तय करने के अपने प्रमुख संवैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए शायद ही कोई समय बचा है। 1960 के दशक की शुरुआत की तुलना में जहां संविधान पीठों ने सैकड़ों मामलों का फैसला किया था, अब यह संख्या एक दर्जन से अधिक नहीं है। प्रमुख मुद्दों से जुड़े अधिकांश मौलिक मामले

न्यायशास्त्र या कानूनी परिदृश्य पर क्रांतिकारी परिवर्तनों को प्रभावित करना विभाजन पीठों द्वारा मजबूरी से सुना जाता है, इस प्रकार अनुच्छेद 145 (3) के उद्देश्य को विफल कर देता है।

209. विनम्र साधनों वाले या दिल्ली से दूर स्थित व्यक्ति की सर्वोच्च न्यायालय जाने की प्रवृत्ति में कमी

यह इस तथ्य का प्रमाण है कि इस न्यायालय से संपर्क करने का उपाय, वास्तव में, केवल उन लोगों तक ही सीमित रहा है जिनकी पर्याप्त वित्तीय संसाधनों तक पहुंच है। कई अध्ययनों से पता चला है कि कैसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रत्येक दसवें मामले या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रत्येक सोलहवें मामले को इस न्यायालय के समक्ष अपील की जाती है, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की दर 1 प्रतिशत से थोड़ी अधिक होती है। संवैधानिक संघर्षों को हल करने या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सौंपा गया एक प्राधिकरण होने के नाते, यह न्यायालय केवल समृद्ध लोगों को पहुंच प्रदान करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। हालाँकि इस तरह की नियमित अपीलों के प्रभावों की जाँच करना व्यर्थ होगा, हालाँकि, यह स्पष्ट है कि यह इस न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्धारण के समय और गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभावित करता है। विधि आयोग की 272 वीं रिपोर्ट में भी इस दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि:

" 3.12 . 'न्यायाधिकरण' की स्थापना के पीछे का उद्देश्य वितरण के लिए एक प्रभावी और तेज मंच प्रदान करना था

न्याय, लेकिन ऐसे मंचों के आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित अपीलों के मद्देनजर, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं क्योंकि ऐसे [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलें संवैधानिक चरित्र में बाधा डाल रही हैं

उच्चतम न्यायालय के रूप में इन मामलों में अपील हमेशा नहीं होती है। सामान्य सार्वजनिक महत्व का प्रश्न शामिल करें। सर्वोच्च

न्यायालय से मुख्य रूप से संवैधानिक मामलों से निपटने की अपेक्षा की जाती है।

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े महत्व और मामले

सामान्य सार्वजनिक महत्व। अत्यधिक बोझ के कारण, सर्वोच्च

99

अदालत ऐसे मामलों को समय पर हल करने में असमर्थ है।

210. परिणामस्वरूप, अधिकांश मामले महत्वपूर्ण हैं।

संवैधानिक प्रश्न वर्षों तक अछूते रहते हैं; परिणामस्वरूप इस न्यायालय की विधायी और कार्यकारी अतिक्रमणों को रोकने की क्षमता से काफी समझौता किया जाता है। पाँच या अधिक न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा सुने जाने वाले मामले 1950 के दशक में 15 प्रतिशत से काफी गिरकर पिछले दो दशकों के दौरान औसतन 1 प्रतिशत रह गए हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को एक तरह से संवैधानिक–लिखित न्यायालय से अपील न्यायालय में बदल दिया गया है, जिसके तहत केवल न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना कोई समाधान नहीं है। जबकि न्यायाधीशों की संख्या चार गुना से थोड़ी अधिक बढ़ गई है, 1950 के बाद से मामलों की संख्या सत्तर गुना से अधिक बढ़ गई है! यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को फिर से व्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि संवैधानिक दृष्टि विफल न हो। यह विचार इस न्यायालय द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है क्योंकि इसे न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती द्वारा बिहार कानूनी समर्थन में उजागर किया गया था।

प्राधिकरण बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित तरीके सेः

उच्च न्यायालय या द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील की अदालत मजिस्ट्रेटों का सत्र न्यायालय। इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था

पूरे देश के लिए कानून बनाने और

विशेष अवकाश देने का असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस पर ताकि यह कर सके

जब भी यह पाया जाता है कि कानून सही नहीं था तो हस्तक्षेप करें निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा प्रतिपादित और यह आवश्यक था

इस विषय पर सही कानून का उच्चारण करना।

211. यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अपना मूल चरित्र भी खो दिया है

अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के आह्वान के माध्यम से अपीलों की नियमित सुनवाई के कारण। यह मानना उचित है कि

48 (1986) 4 एस. सी. सी. 767 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

अनुच्छेद 136 का उपयोग इस तरह से कभी नहीं किया जाना था जैसा कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष बहुत उपयुक्त रूप से टिप्पणी की थी, जिन्होंने कहा था किः

" उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में विशेष अनुमति देने की संभावना तब तक नहीं है जब तक कि वह यह न पाए कि इसमें न्याय के प्रशासन में किसी सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन शामिल है, या कुछ सिद्धांतों का उल्लंघन है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय के प्रशासन की जड़ पर प्रहार करते हैं।

212. इस न्यायालय के संवैधानिक कर्तव्यों के इस तरह के आत्म–उन्मूलन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह न्यायालय

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार–विमर्श करने, संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर देने और महान सार्वजनिक महत्व के अन्य मुद्दों को हल करने के संवैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए, यह आवश्यक है कि इस न्यायालय के पास अपने दिमाग को लागू करने और मामलों पर गहराई से विचार करने के लिए पर्याप्त समय हो। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हर दूसरे मामले को लाने की मौजूदा प्रथा होनी चाहिए

अस्वीकृत।

214. सीधे उच्चतम न्यायालय को वैधानिक अपील प्रदान करने से इसका कोई अंत नहीं होता है। बढ़ते न्यायाधिकरण के साथ, किसी भी 'न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन' के बिना वैधानिक अपील प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। अंतिम गणना के अनुसार सैकड़ों हैं जिनमें से कई एनसीएलएटी और कई अन्य द्वारा तय किए गए हैं। इस न्यायालय में लंबित अन्य न्यायाधिकरणों द्वारा हजारों।

215. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह देश किस दिशा में जा रहा है।

उसी के लिए विवादों के प्रकार पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है जो

49 5 अमेरिका (1 शाखा) 137 (1803)।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। वैक्यूम में कोई प्रणाली नहीं बनाई जा सकती है, जिसमें शामिल हैं

हमारा अपना। अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना और भारत के एक खुले बाजार की उदार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के अनुरूप बढ़ते व्यावसायीकरण के साथ, इन मामलों की संख्या में केवल वृद्धि ही होगी। नियमित आपराधिक या दीवानी मामलों के विपरीत, जिनकी सुनवाई विशेष रूप से सामान्य अदालतों के समक्ष की जाती है, वे मामले जो न्यायाधिकरणों के समक्ष आते हैं, अक्सर जटिल और वाणिज्यिक होते हैं। 216. इसके आलोक में, उच्चतम न्यायालय में सीधे और उदारता से वैधानिक अपीलों के प्रावधानों ने इस पर रोक लगाने की अनिवार्यता को बढ़ा दिया है।

न्यायालय द्वारा इसके संवैधानिक उद्देश्य को कम करना और बाधित करना। इसके अलावा, न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय को वैधानिक अपील भी प्रदान करना। न्यायाधिकरण के सार को कमजोर करता है। एक ओर यह कहना शायद ही तर्कसंगत है कि जटिल प्रक्रियाओं और जिला और उच्च न्यायालयों की विशेषज्ञता की कमी के कारण न्याय वितरण की सामान्य पद्धति का विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, और उसी विस्तार में उस मूल प्रणाली में अंतिम न्यायालय को वैधानिक अपील भी प्रदान की जाती है।

217. यदि उच्च न्यायालय नियमित मामलों की सुनवाई करने की स्थिति में नहीं हैं तो यह शायद ही उचित प्रतीत होता है कि यह न्यायालय इससे बेहतर स्थिति में होगा।

अपीलीय क्षेत्राधिकार में विवादों का समाधान करना। एक सिद्धांत के रूप में अंतिमता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को वैधानिक अपील प्रदान करना केवल उसी को कम करता है। इसके बजाय, यदि न्यायाधिकरणों या उच्च न्यायालयों के निर्णय अंतिम रूप प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई स्पष्ट नुकसान नहीं होगा।

यह न्यायालय।

218. कानून में एक द्विभाजन आगे इस न्यायालय में न्यायाधिकरणों से सीधी अपील के प्रावधानों के कारण होता है, जैसा कि भारत संघ बनाम में सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों के मामले में उल्लेख किया गया है। मेजर जनरल श्रीकांत

शर्मा 5 0. दो–न्यायाधीशों की पीठ ने देखा किः

" विसंगत स्थिति की संभावना

42. यदि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा कानून की मशीनरी यानी अधिनियम की धारा 30 और 31 को दरकिनार करते हुए अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 के तहत पारित आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करता है, तो पीड़ितों के लिए विसंगत स्थिति की संभावना है।

इस न्यायालय से राहत के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति।

50 (2015) 6 एससीसी 773।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

43. धारा 30 अधिनियम की धारा 31 के तहत दी गई अनुमति के अधीन इस न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के खंड (2) द्वारा, अपीलीय क्षेत्राधिकार

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी निर्णय, निर्धारण, सजा या आदेश के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय को बाहर रखा गया है। यदि न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाता है और उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करता है और निर्णय या आदेश पारित करता है,

वह व्यक्ति जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेशों से व्यथित हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है।

दोनों आदेशों को एक संयुक्त अपील में चुनौती दें। पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए अनुमति दायर कर सकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ संविधान, लेकिन अनुच्छेद 136 के खंड (2) द्वारा अधिकारिता की बाधा को देखते हुए, यह न्यायालय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। एक बार, उच्च न्यायालय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करता है और मामले का फैसला करता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 31 के तहत अपील करने की अनुमति के साथ धारा 30 के तहत अपील दायर करने से भी वंचित किया जाएगा क्योंकि वह अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 30 के तहत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है। इस प्रकार, विसंगत स्थिति की संभावना है। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए यह हमेशा वांछनीय है कि वह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में कार्य करे जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी है।

भारत सरकार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 30 के तहत पीड़ित व्यक्ति को उपचार का लाभ उठाने की अनुमति देती है। 44. उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत बनाई गई मशीनरी को दरकिनार कर दिया। हालाँकि, हम पाते हैं कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित याचिकाओं पर विचार नहीं किया था।

अनुच्छेद 226 और रिट याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत आश्रय लेने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, उच्च न्यायालय, [2019] 16 एस. सी. आर. पर बाध्यकारी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार करना उचित नहीं ठहराया।

भारत का "।

संसद द्वारा व्यक्त, निर्देश दिया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के ऐसे आदेशों की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा की जाए यदि अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जाती है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 91. हमारे समक्ष यह भी तर्क दिया गया है कि उन मामलों से निपटने में भी जो ठीक से न्यायाधिकरणों के समक्ष हैं, जिस तरह से उनके द्वारा न्याय दिया जाता है, वह वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। इसके अलावा, मूल कानूनों में प्रदान किया गया उपाय, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के माध्यम से

संविधान, इतना महंगा और दुर्गम है कि यह वास्तविक और प्रभावी नहीं है। इसके अलावा, इस तरह का उपाय प्रदान करने का परिणाम यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकरणों के निर्णयों से भरा हुआ है जिन्हें अपेक्षाकृत तुच्छ आधारों पर चुनौती दी जाती है और यह प्रथम अपीलीय न्यायालय की भूमिका निभाने के लिए मजबूर होता है। हम पहले ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने में सक्षम हैं।

आर. के. जैन मामले [(1993) 4 एस. सी. सी. 119: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 1128:

(1993) 25 ए. टी. सी. 464], इन तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, यह सुझाव दिया गया कि न्यायाधिकरण से अपील की संभावना

एक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के लिए कानून के प्रश्नों का पालन किया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अनुसरण में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है

सुझाव दें। इस तरह के उपाय से मामलों में काफी सुधार हुआ होगा। वनाच्छादित दोनों विवादों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय, चाहे वे अनुसरण में बनाए गए हों।

संविधान के अनुच्छेद 323–ए या अनुच्छेद 323–बी, अनुच्छेद 226/रोजर मैथ्यू v के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

227 संविधान की धारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायाधिकरण आता है।

220. इसलिए एल. चंद्रकुमार (ऊपर) के बाद यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सीमित नहीं करता है।

सैन्य या सशस्त्र बलों के विवादों के खिलाफ स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से। अनुच्छेद 227 (4) द्वारा किया गया सीमित निष्कासन केवल कार्य करता है

उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पर्यवेक्षण और न्यायिक समीक्षा नहीं।

अनुच्छेद 136 (2) सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीधी अपील को प्रतिबंधित करता है, लेकिन इसके लिए अपील को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई न्यायिक समीक्षा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय।

221. हालांकि, यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का उपयोग करें

प्रतिबंधात्मक रूप से और सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा की, 'नियामक सम्मान' की अवधारणा के समान जो संयुक्त राज्य में विकसित हुई है।

राज्यों। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने भी इस तरह की आवश्यकता पर ध्यान दिया। भारत संघ "1 जिसमें कहा गया था किः

" ..... जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता को उक्त अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, उन्हें निश्चित रूप से प्रावधानों द्वारा प्रमाणित विधायी इरादे का उचित सम्मान करना होगा।

उक्त अधिनियमों का और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। रिट याचिका पर विचार किया जाएगा और उसके अनुसार निपटाया जाएगा

धारा 11–बी के प्रावधान। यही कारण है कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग नियम को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना है

कानून और इसे निरस्त करने के लिए नहीं।

222. अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र, मूल का हिस्सा होने के नाते

यह सुनिश्चित करें कि वे अपील के वैकल्पिक मंच न बनें। पाँच–न्यायाधीश 51 (1997) 5 एस. सी. सी. 536

52 (1955) 2 एससीआर 1 [2019] 16 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संग्राम सिंह बनाम में पीठ। चुनाव न्यायाधिकरण 52 ने दोहराते हुए कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इस तरह की शक्ति के प्रयोग के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

" 13. अनुच्छेद 226 और 136 उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को यह देखने के लिए सभी न्यायाधिकरणों के निर्णयों की जांच करने का अधिकार देता है कि क्या उन्होंने अवैध रूप से काम किया है। उस अधिकार क्षेत्र को एक विधायी उपकरण द्वारा नहीं लिया जा सकता है जो एक कानून को लागू करके एक न्यायाधिकरण को अवैध रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करने का इरादा रखता है कि उसके अवैध कार्य उस समय कानूनी हो जाएंगे जब न्यायाधिकरण यह कहने का विकल्प चुनता है कि वे कानूनी हैं। एक अधिनियम या निष्कर्ष की वैधता कुछ ऐसी है जो एक निम्न न्यायाधिकरण के निर्णय के बाहर और उसके अलावा मौजूद है। यह देश के कानून का एक हिस्सा है जिसे अंतिम रूप से सीमित अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित या बदला नहीं जा सकता है। केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की तुलना में देश का कानून क्या है और केवल वे ही अधिकार के साथ निर्णय ले सकते हैं और

क्या कानूनी है और क्या नहीं, इस पर अंतिमता। एक निम्न न्यायाधिकरण केवल एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है जो इसके अधीन है – अनुच्छेद 226 और 136 के तहत समीक्षा। इसलिए, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और उनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता धारा के बावजूद अपनी पूरी सीमा तक बनी हुई है।

105. "

223. यह स्पष्ट है कि विधानमंडल को वांछित सहायता प्रदान नहीं की गई है ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील के प्रावधानों से उत्पन्न विसंगतियों को सुधार सके। यह देखते हुए कि इस तरह की सीधी अपीलें इस न्यायालय द्वारा संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में गंभीर बाधा बन गई हैं और नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को भी प्रभावित करती हैं, यह सही समय है कि भारत संघ, विधि आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के परामर्श से, इस तरह की पुनर्विचार करे। विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान जो न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील का प्रावधान करते हैं, और इसके बजाय यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालयों की खंड पीठों को अपील प्रदान करते हैं। ऐसा करने से असंख्य लाभ होंगे। न्याय की सामर्थ्य बढ़ाने के अलावा

और इस न्यायालय द्वारा अधिक प्रभावी संवैधानिक निर्णय, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कानून में समकालीन विकास के साथ सामना करने का एक मार्ग भी प्रदान करेगा, और इसलिए इस न्यायालय में आने से पहले उन्हें पर्याप्त अनुभव से समृद्ध करेगा। हम निर्देश देते हैं कि संघ इस तरह की कवायद शीघ्रता से करे, अधिमानतः रोजर मैथ्यू v के भीतर।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

अधिकतम छह महीने की अवधि, और निष्कर्षों को उचित कार्रवाई के लिए संसद के समक्ष रखें जो उचित समझा जाए।

विलुप्त होने वाले न्यायाधिकरणों का संयोजन और बेंचों की स्थापना

224. सभी मौजूदा न्यायाधिकरणों के 'न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन' की मांग करते हुए, याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं के वकीलों ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. और आई. टी. ए. टी. जैसे कई न्यायाधिकरणों के समक्ष अत्यधिक विचाराधीनता को रेखांकित किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह न्यायाधिकरण के उद्देश्य को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, वे एक विसंगति को भी उजागर करते हैं जिसमें कई न्यायाधिकरणों को शायद ही किसी मामले में पकड़ा जाता है, और वे विशेष रूप से एक ही स्थान पर स्थित होते हैं।

225. जैसा कि इस न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन (2014) (उपर्युक्त) सहित कई अवसरों पर उल्लेख किया है, हालांकि मौजूदा न्यायालयों के कामकाज के पूरक के लिए विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक मार्ग स्थापित करना विधानमंडल का विशेषाधिकार है, यह आवश्यक है कि ऐसे तंत्र समान रूप से प्रभावी, सक्षम और सुलभ हों। यह देखते हुए कि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र न्यायाधिकरणों के गठन से प्रभावित होता है, यह आवश्यक है कि देश भर में न्यायाधिकरणों की पीठों की स्थापना की जाए। हालांकि, मामलों की कम संख्या के कारण, इनमें से कई न्यायाधिकरणों में कई पीठों की स्थापना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मामले नहीं हैं। दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि अन्य न्यायाधिकरणों पर संसाधनों और कर्मियों के लिए दबाव डाला जाता है।

226. केस–लोड के वितरण में इस असंतुलन और प्रकृति, स्थान और न्यायाधिकरणों के कामकाज में विसंगतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रभाव आकलन करने के बाद, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, ऐसे 'आला' न्यायाधिकरणों को प्रभावी बनाने के लिए कानून के समान क्षेत्रों से निपटने वाले अन्य न्यायाधिकरणों के साथ जोड़ा जाए संसाधनों का उपयोग और न्याय तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना।

227. हम तदनुसार संघ को तर्कसंगत बनाने का निर्देश देते हैं और

भारत के विधि आयोग की अपनी 272 वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुरूप न्यायिक प्रभाव आकलन करने के बाद मौजूदा न्यायाधिकरणों का उनके मामले–भार और विषय की समानता के आधार पर समामेलन करना। इसके अतिरिक्त, संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि,

कम से कम, सभी न्यायाधिकरणों की सर्किट बेंच सभी प्रमुख क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों की सीटों पर स्थापित की जाती हैं।

[2019] 16 एस सी आर।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्टएनसीएलयूएसआईओएन

उपरोक्त चर्चाओं और हमारे विश्लेषण के आलोक में, यह आयोजित किया जाता है

(i) संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत परिभाषित धन विधेयक का मुद्दा और प्रश्न और वित्त अधिनियम, 2017 के भाग–14 के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रमाणन को निम्नलिखित के लिए निर्दिष्ट किया गया है –

बड़ी बेंच।

(ii) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 विधायी कार्यों के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त नहीं है क्योंकि प्रत्यायोजित विधान के निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त सिद्धांत हैं, जिसमें बाध्यकारी शामिल होंगे।

इस न्यायालय के आदेश।

((ग) न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें)

सदस्यों की सेवा) नियम, 2017 विभिन्न दुर्बलताओं से ग्रस्त है जैसा कि पहले देखा गया था। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम मूल के विपरीत हैं।

अधिनियम और में परिकल्पित सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए संविधान को इसके द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है।

((iv) केंद्र सरकार को तदनुसार निर्देश दिया जाता है कि

नियमों को सख्ती से अनुरूपता में तैयार करें और

आर. के. जैन (ऊपर), एल. चंद्र कुमार (ऊपर), मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) और गुजरात ऊर्जा में इस न्यायालय द्वारा चित्रित सिद्धांतों के अनुसार

विकास लिमिटेड (ऊपर) टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया

इस निर्णय के पहले भाग में किया गया।

(v) केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों का नया सेट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अध्यक्ष और सदस्य निश्चित कार्यकाल सहित सेवा की गैर–भेदभावपूर्ण और समान शर्तों को सुनिश्चित करेंगे।

सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किए गए और जिन्हें बार या अन्य विशेष व्यवसायों से नियुक्त किया जाता है।

सेवाएँ दो अलग–अलग और अलग–अलग हैं।

सजातीय वर्ग।

ईआर मैथ्यू वी। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [रंजन गोगोई, सीजेआई]

vi) केंद्र सरकार के लिए नियमों के नए सेट में यह प्रावधान करने के लिए खुला होगा कि पीठासीन अधिकारी या सांविधिक न्यायाधिकरणों के सदस्य राज्य के न्यायाधीशों के बराबर 'रैंक' और 'दर्जा' नहीं रखेंगे।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, केवल समान वेतन या अन्य अनुलाभ प्राप्त करने के आधार पर।

(ii) वित्त अधिनियम, 2017 के लिए संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों का 'न्यायिक प्रभाव आकलन' करने की आवश्यकता–आधारित आवश्यकता है ताकि न्यायाधिकरणों के ढांचे में परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके।

इस तरह के 'न्यायिक प्रभाव' को पूरा करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को आदेश पत्र जारी करना उचित है। 'मूल्यांकन' करें और निष्कर्षों का परिणाम पहले प्रस्तुत करें।

सक्षम विधायी प्राधिकरण।

iii) केंद्र सरकार भारत के विधि आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के परामर्श से वित्त अधिनियम, 2017 या इस आदेश के पैरा 174 में सूचीबद्ध अन्य अधिनियमों के लिए संदर्भित कानूनों के प्रावधानों का फिर से दौरा करेगी और इसके समक्ष उचित प्रस्ताव रखेगी।

न्यायाधिकरणों के आदेशों से उच्चतम न्यायालय में सीधी अपीलों को हटाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए संसद। इस संबंध में भारत संघ द्वारा निर्णय लिया जाएगा –

छह महीने के भीतर लिया गया।

ix) केंद्र सरकार एक उचित कार्य करेगी।

मौजूदा न्यायाधिकरणों के समामेलन के लिए अभ्यास, जिन विषयों से निपटा जाना है, उनकी एकरूपता की कसौटी को अपनाना और उसके बाद पर्याप्त संख्या में मौजूदा और प्रत्याशित पीठों के अनुरूप

काम की मात्रा।

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों के रूप मेंसदस्यों के अनुभव और सेवा की अन्य शर्तों पर) मुझे निरस्त कर दिया गया है और नियमों के नए सेट को तैयार करने के लिए कई निर्देश बहुमत निर्णय रहे हैं,

अंतरिम आदेश, न्यायाधिकरण को नियुक्तियों का निर्देश /

न्यायाधिकरण और नियुक्ति के नियम और शर्तें [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्त विधेयक, 2017 के अधिनियमन से पहले संबंधित कानूनों के संदर्भ में हो। हालाँकि, भारत संघ को नए नियम बनाने के बाद इस आदेश में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

बहुमत के निर्णय के अनुसार। हालाँकि, यदि वित्त अधिनियम के तहत वेतन और परिलब्धियों से संबंधित कोई अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं, तो उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा और जारी रखा जाएगा। ये सभी नए सदस्यों पर समान रूप से लागू होंगे।

230. मामलों के वर्तमान समूह का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

231. 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 267 का भी उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है क्योंकि उत्पन्न होने वाले मुद्दे समान हैं।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

एक परिचय

ए. 1 न्यायाधिकरण संरचना की चुनौती

एक वैश्विक प्रवृत्ति

• डोमेन विशेषज्ञता • अभियान

• प्रभाव मूल्यांकन

• स्वतंत्रता

भारत में न्यायाधिकरण का एक संक्षिप्त इतिहास

ए. 2

वर्तमान ढांचे की कमियां

ए. 3

बी.

संविधान पीठ का संदर्भ

सी मनी बिल

सामान्य बिल, धन बिल और वित्तीय

बिल धन बिलः अनुच्छेद 110

• स्पीकर रोजर मैथ्यू द्वारा प्रमाणन v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

● अंतिम लेकिन निर्णायक नहीं • प्रक्रिया के मामले और मूल

अवैध कार्य

पुट्टास्वामीः प्रमाण पत्र की न्यायिक समीक्षा

डी.

स्पीकर

ई.

राज्यसभा की भूमिका

• द्विसदनीयता

चुनौती के फायदे

एफ.

धन विधेयक के रूप में पारित

एफ. 1

इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन

एफ. 2

गंभीरता

एफ. 3

जी निष्कर्ष

ए.

परिचय

ए. 1 न्यायाधिकरण संरचना की चुनौती

एक वैश्विक प्रवृत्ति

1. न्याय के न्यायाधिकरण की दिशा में वैश्विक प्रवृत्ति के लिए भारत कोई अपवाद नहीं है। दुनिया भर में, नियामक और न्यायनिर्णायक दोनों क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। न्यायाधिकरण विवादों के न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करते हैं। इस आंदोलन को कुछ हद तक नए द्वारा प्रेरित किया गया है

सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जटिलताओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए आधुनिक समाजों को नियंत्रित करने वाला कानून। अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के साथ कानून के जुड़ाव को सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा आकार दिया गया है। यद्यपि उनमें से कई एक समान कानूनी परंपरा द्वारा शासित समाजों की साझा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, लेकिन

यह मान लेना सरल होगा कि न्यायाधिकरणों के माध्यम से स्तरित निर्णय द्वारा उत्पन्न चुनौतियों सभी के लिए समान हैं।

समाज। इसलिए, जब हम न्यायाधिकरण की दिशा में बढ़ते आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं– एक ऐसी विशेषता जो सभी समाजों के लिए समान है–तो उस संदर्भ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जिसमें हमारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं क्योंकि हम उनमें से कई चिंताओं का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। अन्य क्षेत्राधिकारों में न्यायिक और विद्वतापूर्ण दोनों पूर्ववर्ती संदर्भ का एक उपयोगी बिंदु प्रस्तुत करते हैं, जब तक कि हम उस बात को समझते हैं जो विशेष रूप से हमारा अपना है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुराना और नया

2. न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को सिद्धांत रूप में होना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए

व्यवहार में, सहकारी सहयोगी। न्यायाधिकरणों ने उन मामलों को तय करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है जिन्हें पारंपरिक रूप से अदालतों को निर्णय देने के लिए सौंपा गया था। मुकदमेबाजी, पारंपरिक रूप से अदालतों का क्षेत्र, वृद्धिशील चरणों में न्यायाधिकरणों के निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है। इसलिए न्यायाधिकरणों को विवाद समाधान का एक क्षेत्राधिकार हस्तांतरण है। विधायी अधिनियमन के साथ, यह न्यायाधिकरणों को सौंपने की विशिष्टता को स्वीकार करता है। फिर से, नए न्यायाधिकरणों का गठन एक शैली के विषय क्षेत्रों से निपटने के लिए किया गया है जो मुकदमेबाजी के पारंपरिक पैटर्न के विपरीत है और इसलिए इससे काफी अलग है। पारंपरिक अदालतें परिचित थीं। इस प्रकार न्यायाधिकरणों ने न केवल उन विषयों को हटा दिया है जिन्हें विधायी नीति के मामले के रूप में अदालतों के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया गया है, बल्कि उन क्षेत्रों पर निर्णय लेने की एक नई संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है जिनमें एक पारंपरिक अदालत तंत्र था।

कम अनुभव और विशेषज्ञता। इस मायने में, न्यायाधिकरण पुराने और नए के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता हैः भूमिका का एक संयोजन जो पारंपरिक रूप से अदालत द्वारा नई कार्यात्मक जिम्मेदारियों के साथ किया जाता था, जो पारंपरिक रूप से अदालतों द्वारा किए जाने वाले विवाद समाधान कार्य के विपरीत था।

डोमेन विशेषज्ञता

3. न्यायाधिकरणों की स्थापना की दिशा में आंदोलन विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण कई हिस्सों में तेज हो गया है। विशेषज्ञता

न्यायाधिकरणों के भीतर मुख्य न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान और क्षेत्र विशेषज्ञता के पूल को स्वीकार करता है। द. यह धारणा जो न्यायाधिकरणों की स्थापना का आधार है, वह यह है कि जो लोग निर्णय लेते हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आवश्यक गुण होते हैं।

उस विशिष्ट क्षेत्र में न्यायनिर्णयन। न्यायाधिकरण में नियुक्ति से पहले ज्ञान की प्राप्ति और न्यायाधिकरण के लिए आरक्षित विषय क्षेत्रों को संभालने का व्यावहारिक अनुभव विशेष न्याय प्रदान करने के लिए योग्यता और क्षमताओं वाले व्यक्तियों के समूह को एक साथ लाता है। विशेषज्ञता को बढ़ावा देने में, न्यायाधिकरण संरचना न्यायनिर्णायक कर्मियों की विशेषज्ञता पर जोर देती है। लेकिन समान रूप से, एक महत्वपूर्ण पहलू उन लोगों की विशेषज्ञता है जो न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होते हैं। ए.

विशेष बार संस्थागत निर्णय की दक्षता की दिशा में एक अमूल्य निवेश है। एक साथ, यह एक न्यायनिर्णायक प्रक्रिया में योगदान देता है जो विशेष विशेषताओं, जरूरतों और आवश्यकताओं से अवगत है।

न्यायाधिकरण के लिए उत्कीर्ण विषय क्षेत्रों की आवश्यकताएँ।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

4. न्यायाधिकरणों की स्थापना के उद्देश्य को जिस हद तक साकार किया जाता है, वह अक्सर जमीनी वास्तविकताओं का एक प्रक्षेपण होता है। ये वास्तविकताएँ, जिसमें कानून के प्रावधानों को नियंत्रित करने का तरीका और सीमा शामिल है

न्यायाधिकरण को लागू किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव न्यायाधिकरण की प्रभावशीलता पर पड़ता है। एक विशेष न्यायाधिकरण होने के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर विशेष न्यायनिर्णायकों की उपस्थिति है। क्योंकि, यह उनकी क्षेत्र विशेषज्ञता है जो परिणामों की गुणवत्ता को परिभाषित करती है

न्यायनिर्णायक प्रक्रिया। सामूहिक रूप से, विशेष की उपस्थिति

न्यायनिर्णायक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तियों और स्रोत समूह में उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। विशेष न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों के चयन में इस कारक को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। विशेषज्ञता की अपेक्षित डिग्री के अभाव में, न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली केवल एक अदालत में एक पारंपरिक निर्णय को दोहरा सकती है जिसे न्यायाधिकरण प्रतिस्थापित करना चाहता है।

अभियान

5. विशेषज्ञता के अलावा, न्यायाधिकरणों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण न्याय के मार्ग में अभियान है। यह एक विशेष निर्णय प्रक्रिया में निहित कथित मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। क्षेत्र विशेषज्ञता, विशेष रूप से एक जटिल क्षेत्र में, उन न्यायनिर्णायकों को अनुमति देने का एक साधन है जो विषय को जल्दी और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए समझते हैं। अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि न्यायाधिकरण उन प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो कम बोझिल हैं और पारंपरिक अदालतों में स्थापित प्रपत्रों से बंधी हैं। प्रक्रियात्मक माप के लिए अनुमति देकर क्षेत्र ज्ञान के साथ लचीलापन, न्यायाधिकरणों से कुछ कारणों का समाधान करने की उम्मीद की जाती है जो न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालते हैं।

6. इसी तरह, न्यायाधिकरण की बढ़ती आवश्यकता का एक अन्य उद्देश्य अदालत प्रणाली पर बोझ कम करना है। उस उद्देश्य को कम किया जा सकता है जब

पारंपरिक अदालत प्रणाली के समक्ष लंबित मौजूदा मामलों के एक हिस्से को नए बनाए गए निकाय को निर्णय के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। अदालतों पर बोझ कम करना अंतर्निहित उद्देश्य की आंशिक प्राप्ति है।

न्यायाधिकरण का निर्माण। समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि न्यायाधिकरण के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वह समय के साथ वृद्धि की अनुमति न दे।

ऐसे मामले जिनका निपटारा नहीं किया गया था, जिन्होंने सबसे पहले न्यायिक बकाया पैदा किया था। न्यायाधिकरण के निर्माण के कारण न्यायिक प्रणाली में लंबित बकाया की सांख्यिकीय कमी का मिलान नए निकाय की अदालत से स्थानांतरित मामलों के निपटान की क्षमता से भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नए संस्थान। यदि यह हासिल नहीं किया जाता है, तो शुद्ध परिणाम न्यायाधिकरण की स्थापना के उद्देश्य को विफल करना है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रभाव मूल्यांकन

7. ऊपर हमारा विश्लेषण इंगित करता है कि न्यायाधिकरणों की संरचना के निर्माण के वास्तविक प्रभाव की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है

कानूनी सुधार के उपाय के रूप में एक न्यायाधिकरण की प्रभावकारिता का आकलन करना। न्यायाधिकरण की प्रभावशीलता कार्यात्मक रूप से मानव और अन्य दोनों संसाधनों और पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। न्यायाधिकरण के पास भौतिक उपलब्धता और मुकदमेबाजी के प्रबंधन

में तकनीकी ज्ञान की तैनाती दोनों के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं

प्रभावी ढंग से और बिना देरी के निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लचीला होना। न्यायाधिकरणों में नियुक्तियाँ करने की प्रक्रिया होनी चाहिए

सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित कारणों से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए निर्बाध। बड़े पैमाने पर रिक्तियों की उपस्थिति न्यायाधिकरणों को निष्क्रिय कर सकती है। यह न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में न्याय के उद्देश्य को विफल कर देता है। यह समस्या विशेष रूप से तीव्र हो जाती है जहां एक पारंपरिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को एक संचालन अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया है। संघर्षों के समाधान के लिए पारंपरिक अदालतों का सहारा न लेने पर, एक वादी को विवाद को हल करने के लिए एक अनुपलब्ध न्यायनिर्णायक के परिणामस्वरूप पहुंच से लगभग वंचित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया का न्यायाधिकरण की प्रभावशीलता पर सीधा असर पड़ता है। रिक्तियों को खाली रखना, या तो विलंबित प्रक्रियाओं के मामले में या अन्य कारणों से, एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में न्यायाधिकरण की प्रभावशीलता को नकारने की प्रवृत्ति है। न्याय तक पहुँच से इनकार करने का सबसे निश्चित तरीका बड़ी संख्या में रिक्तियों को रखना है।

स्वतंत्रता

8. इन सबसे ऊपर, न्यायाधिकरण की प्रभावशीलता न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में विश्वास में टिकी हुई है। यह निर्धारित किया जाता है कि

न्याय प्रदाताओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। एक महत्वपूर्ण सामाजिक है

प्रक्रिया की पवित्रता को संरक्षित करने में रुचि जिसके द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए चुना जाता है। न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की विधि अंतिम विश्लेषण में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता निर्धारित करती है। न्यायाधिकरणों की कल्पना पारंपरिक न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए न्याय के प्रतिस्थापन में न्याय प्रदान करने के लिए संस्थागत उपायों के रूप में की गई है। इसलिए, इन न्यायनिर्णायक निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक वैध कारण है। चयन की प्रक्रिया के साथ–साथ नियुक्ति की शर्तें न्यायाधिकरणों में प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता का निर्धारण करती हैं। इसलिए, रोजर मैथ्यू v के एक पहलू के रूप में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने में।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायिक स्वतंत्रता, यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए कि न्यायनिर्णायक निकाय मजबूत होः विशेष निर्णय के संदर्भ में न्याय प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी और किसी के अधीन नहीं।

ए 2 भारत में न्यायाधिकरण का एक संक्षिप्त इतिहास

9. औपनिवेशिक काल के दौरान भी मामलों के निर्णय में देरी और बैकलॉग एक समस्या थी। 1 सुधारों का सुझाव देने के लिए सबसे पहले उपलब्ध प्रयास

बकाया राशि को संभालने के लिए 1924 में न्यायमूर्ति रैंकिन समिति की रिपोर्ट थी। तब से, कई विशेषज्ञ निकाय रिपोर्टें आई हैं, जिनमें शामिल हैं

भारत का विधि आयोग। भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना 1941 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कर कानूनों के क्षेत्र में न्यायाधिकरण बनाए गए थे। मूल संविधान ने अनुच्छेद 136 और 227 में केवल संयोग से न्यायाधिकरणों का उल्लेख किया है, जो निर्दिष्ट करते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्रमशः न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति होगी। द.

1969 में न्यायमूर्ति जे. सी. शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च न्यायालय बकाया समिति ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सेवा मामलों को संभालने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की। संविधान में बदलाव की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। 1986 में जारी इसकी रिपोर्ट में भारतीय कानूनी मामलों में बकाया राशि को कम करने के लिए तीन व्यापक विषय क्षेत्रों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

प्रणाली। रिपोर्ट में आगे सिफारिश की गई है कि इन सभी के निर्णय

न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने चाहिए, लेकिन रिट अधिकार क्षेत्र सहित अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना चाहिए।

10. नतीजतन, भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना हुई

संविधान में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को शामिल करके संवैधानिक मान्यता, जिसने संसद और राज्य विधानसभाओं को अन्य मामलों के लिए क्रमशः प्रशासनिक न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान की।

11. खंड (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में

संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 19852 को लागू किया ताकि इससे निपटने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की जा सके 1 अरुण के थिरुवेंगडम, द

ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 'ट्रिब्यूनल्स' (सुजीत चौधरी और अन्य संस्करण। , (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयॉर्क, 2016),

पीपी। 412–31 .

2 " 1985 अधिनियम "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से सेवा मामलों के साथ। एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ 3 ('संपत कुमार') में, न्यायाधिकरणों की संवैधानिकता के लिए पहली चुनौती उत्पन्न हुई। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालयों के लिए एक वास्तविक विकल्प होना चाहिए' न केवल रूप और न्यायिक रूप में बल्कि सामग्री और वास्तविक रूप में भी। इस दृष्टिकोण से, वैकल्पिक व्यवस्थाओं को प्रभावी और कुशल होने के साथ–साथ संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी सक्षम होना चाहिए

सीमाएँ। अदालत ने कहा कि हालांकि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा की शक्ति को एक वैकल्पिक संस्थागत तंत्र में निहित करने से संविधान की मूल संरचना पर हिंसा नहीं होगी, जब तक कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैकल्पिक तंत्र उच्च न्यायालय के लिए एक प्रभावी और वास्तविक विकल्प है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक उच्च शक्ति चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश का चयन किया जाना चाहिए ताकि सक्षम न्यायाधीशों का चयन सुनिश्चित किया जा सके।

न्यायाधिकरणों के न्यायनिर्णायक। 1985 के अधिनियम की शक्तियों को बनाए रखते हुए, न्यायालय ने न्यायाधिकरण की संरचना और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के तरीके के संबंध में दोषों को दूर करने के लिए कई संशोधनों का सुझाव दिया, जिन्हें 31 मार्च, 1987 तक किया जाना था।

12. संपत कुमार के बाद के निर्णयों के लिए एक

कुमार), इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 1985 के अधिनियम और संसद या राज्य विधानसभाओं को अनुच्छेद 323 ए (2) (डी) और 323 बी (3) (डी) द्वारा प्रदत्त शक्ति को चुनौती देने पर पुनर्विचार किया, ताकि इस न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जा सके। उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट विवादों के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत। संपत कुमार के मामले में फैसले को पलटते हुए, इस अदालत ने एक

उच्च न्यायालयों के संबंध में संस्थागत भूमिका और न्यायाधिकरणों की पूरक भूमिका के बीच अंतर और यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरणों की भूमिका प्रकृति में पूरक है। 3 (1987) 1 एस. सी. सी. 124 4 "हम उपाध्यक्ष और उप–धारा (2), (3) या (3–ए) में विचार किए गए सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि जहां तक उनके चयन का संबंध है, हमारा विचार है कि ऐसा चयन तब होता है जब वह किसी मौजूदा न्यायाधीश या भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नहीं होता है।

एक उच्च न्यायालय एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के साथ होना चाहिए। यह इन उच्च पदों को संभालने के लिए उचित और सक्षम लोगों का चयन सुनिश्चित करेगा। विश्वास और प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता बनाने में मदद करना।

5 (1997) 3 एस. सी. सी. 261 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

13. मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी ने कहा कि संविधान

नियुक्तियों की शर्तों से संबंधित विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका या न्यायाधिकरणों के सदस्यों के लिए समान सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, उन्हें कभी भी संवैधानिक व्याख्या के कार्य के निर्वहन में उच्च न्यायपालिका के लिए पूर्ण और प्रभावी विकल्प नहीं माना जा सकता हैः

" 78 ..... संवैधानिक सुरक्षा उपाय जो सुनिश्चित करते हैं

अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध नहीं है या उन लोगों के लिए जो सामान्य द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों का संचालन करते हैं

कानून। नतीजतन, बाद की श्रेणी के न्यायाधीश

कभी भी पूर्ण और प्रभावी विकल्प नहीं माना जा सकता है

के कार्य के निर्वहन में वरिष्ठ न्यायपालिका

संवैधानिक व्याख्या "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अनुच्छेद 323 ए (2) (डी) और 323 बी (3) (डी) को इस प्रकार निरस्त कर दिया

असंवैधानिक है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 323 क (2) (घ) के तत्वावधान में किसी भी विधान में अधिनियमित "अधिकारिता का अपवर्जन" खंड। और 323 बी (3) (डी) असंवैधानिक है।

14. भारत संघ बनाम आर गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार

एसोसिएशन '(' आर गांधी '), अध्याय 1 की संवैधानिक वैधता

न्यायाधिकरणों के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य के बावजूद, उनके द्वारा 'पूर्ण स्वतंत्रता' हासिल नहीं की गई थी। न्यायालय ने पुष्टि की कि चन्द्र कुमार का विचार है कि एक न्यायाधिकरण में न्यायिक और तकनीकी दोनों सदस्य हो सकते हैं। न्यायिक सदस्य 'निष्पक्षता, निष्पक्षता और विचार में तर्कसंगतता' सुनिश्चित करते हैं और तकनीकी सदस्य इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता और अनुभव की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

निर्णय '।

6 (2010) 11 एससीसी 1

7 " एनसीएलटी "

8 " एन. सी. एल. ए. टी. "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. यद्यपि विधायिका को निर्धारित करने का अधिकार है

न्यायपालिका की विशेषताएँ हैं और न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ध्यान में रखते हुए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के लिए भर्ती की शर्तें, कार्यकाल और सेवा की शर्तें, न्यायालय ने एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के निर्माण को बरकरार रखा। भाग 1–बी और 1–सी में संशोधन के लिए कई सुझाव जारी किए गए थे, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए एक शर्त के रूप में किया जाना था कि एन. सी. एल. टी.

और एन. सी. एल. ए. टी. को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार चालू किया जा सकता है।

16. मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1 ('मद्रास बार एसोसिएशन II') में, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम 2005 की संवैधानिक वैधता 1 1 और संविधान (बयालीस) संशोधन 1976 संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण 1 2 को शक्ति प्रदान की गई थी

अपीलों का न्यायनिर्णयन करना जिसमें विशिष्ट कर अधिनियमों के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था। 2005 के अधिनियम से पहले, इन अपीलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के पास था। 17. न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कर से संबंधित अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए एक संवैधानिक जनादेश था

उच्च न्यायालयों के पास रहने वाले मामले, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति उसी तरीके से की जानी चाहिए और होनी चाहिए 9 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, कंपनियाँ

अधिनियम 1956 यथा संशोधित (अध्याय 1 ख)।

10 (2014) 10 एससीसी 1

11 2005 अधिनियम

12 " एनटीटी "रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कार्यकाल की उतनी ही सुरक्षा के हकदार हैं जितनी न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रतिस्थापित करने की मांग की थी। न्यायालय ने इस आधार पर चुनौती को खारिज कर दिया कि

शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत प्रावधानों की वैधता की जांच करने के लिए आगे बढ़े। अधिनियम की धारा 6 ने संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों में लेखाकार सदस्यों या तकनीकी सदस्यों को एन. टी. टी. के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी। अदालत ने चंद्र कुमार और आर गांधी में निर्धारित स्थिति की पुष्टि की कि तकनीकी की नियुक्ति

सदस्य उन मामलों तक सीमित हैं जहां तकनीकी विशेषज्ञता निर्णय के लिए आवश्यक है और किसी अन्य मामले में इसकी अनुमति नहीं है। इस प्रकार, प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।

18. 2005 के अधिनियम की धारा 7 में चयन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

और एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। न्यायालय ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जा रहा है, इसलिए सदस्यों का कद, सेवा की शर्तें और सदस्यों की नियुक्ति और हटाने का तरीका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में केंद्र सरकार के विभागों के सचिव शामिल थे। न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। अंत में, धारा 8 ने निर्धारित किया कि एक अध्यक्ष/सदस्य जिसे पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, वह पांच साल की आगे की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए अदालत ने कहा कि पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सदस्य की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा जो संभवतः इस तरह से मामलों को तय करने के लिए विवश होगा जिससे उनकी पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित हो। न्यायालय ने कहा कि चूंकि एन. टी. टी. को अधिकार क्षेत्र दिया गया था जो पहले उच्च न्यायालयों में निहित था, इसलिए नियुक्ति और कार्यकाल के विस्तार के सभी मामलों को कार्यपालिका से बचाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने पर, शेष प्रावधानों को 'अनुचित और बेकार' बना दिया गया था। इसलिए, 2005 के अधिनियम को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। 19. कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के अनुसार, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

भारत सरकार ने इस तर्क पर विचार किया कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. से संबंधित प्रावधानों के संबंध में आर. गांधी में जारी निर्देशों के बावजूद, 2013 के अधिनियम में समान प्रावधान जोड़े गए थे।

उन निर्देशों का पालन किए बिना। न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों की तुलना शुरू की 13 (2015) 8 एससीसी 583 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर गांधी में जारी किए गए निर्देश और पाया गया कि कई विसंगतियां हैं

जो इस न्यायालय द्वारा योग्यताओं से संबंधित मुकदमे के पहले दौर में जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे,

चयन समितियों की नियुक्तियाँ, पात्रता और संरचना। अदालत ने आर गांधी में जारी किए गए निर्देशों की पुष्टि की जिसमें शामिल हैं – चयन समिति की संरचना पर निर्देश और यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप प्रावधानों को लाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने के बाद, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. शुरू कर सकते हैं

संचालन।

ए. 3 वर्तमान ढांचे की कमियां 20. न्यायाधिकरण का उद्देश्य उच्च विचाराधीनता का मुकाबला करना था

भारतीय न्यायालयों के समक्ष मामलों का। हालाँकि, न्यायाधिकरणों के काम करने से प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि प्रणालीगत और प्रशासनिक समस्याओं के कारण भारत में न्यायाधिकरणों की दक्षता में काफी कमी आई है। विधि आयोग की 2017 की 272 वीं रिपोर्ट में न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के उच्च स्तर पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट का चार्ट नीचे दिया गया हैः

लंबित मामलों की संख्या

न्यायाधिकरण

के रूप में

जुलाई, 2017

1 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

44,333

2 रेलवे दावा न्यायाधिकरण

45 , 604

30.09.2016

3 ऋण वसूली न्यायाधिकरण

03.07.2016

78,118

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर

4

2016 का अंत

90,592

अपील ट्रिब्यूनल

91 , 538

2016 का अंत

5 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

21. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी "रिफॉर्मिंग" शीर्षक से एक रिपोर्ट में

'द ट्रिब्यूनल्स फ्रेमवर्क इन इंडिया' ने परेशान करने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला है भारत में न्यायाधिकरण प्रणाली। इन समस्याओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः

(A) स्वतंत्रता का अभाव

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कुछ मामलों में मंत्रालय पक्षकार हैं

न्यायाधिकरणों के समक्ष। कर्मचारी, वित्त और प्रशासन मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। नौकरशाही और न्यायाधिकरण पदों के बीच एक घूमने वाले दरवाजे से समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि (ए) सदस्यों की नियुक्ति; (बी) सदस्यों को हटाना; (सी) पुनर्नियुक्ति; (डी) नोडल मंत्रालय; और (ई) न्यायाधीशों/नौकरशाहों की नियुक्ति के लिए प्रवृत्ति सहित कुछ मापदंडों के आधार पर न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता का आकलन करना महत्वपूर्ण है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ख) प्रशासनिक सरोकारः एकरूपता में कमी

विनियमन

रिपोर्ट में कहा गया है कि योग्यता में विसंगति

आवश्यकताएँ क्षमताओं, परिपक्वता और सदस्यों की स्थिति में अंतर पैदा करती हैं। न्यायाधिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में ये विसंगतियां समस्याग्रस्त हैं। इसके अलावा, सदस्यों का छोटा कार्यकाल 'क्षेत्र विशेषज्ञता' की खेती को रोकता है, जिसका न्यायाधिकरणों की प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है। यह भी सिफारिश की जाती है कि सेवानिवृत्ति की आयु को समान बनाया जाए क्योंकि असमान कार्यकाल संस्थागत निरंतरता में बाधा डालते हैं। रिपोर्ट में एल चंद्र कुमार की नियुक्ति को नोट किया गया है जो नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता में विसंगतियों की आलोचना करता है।

सदस्यों की संख्या, सेवानिवृत्ति की आयु, विभिन्न न्यायाधिकरणों के संसाधन और अवसंरचना। इनका श्रेय विभिन्न मंत्रालयों के तहत काम करने वाले न्यायाधिकरणों को दिया जा सकता है। रिपोर्ट निर्णय में इस अवलोकन की पुष्टि करती है कि दक्षता में सुधार के लिए न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए एक एकल नोडल प्राधिकरण या मंत्रालय की आवश्यकता है।

ग) न्यायाधिकरणों में विचाराधीनता और रिक्ति

रिपोर्ट में कहा गया है कि विचाराधीनता की उच्च दर को प्रणालीगत मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास 58 प्रतिशत था।

सुनवाई में विफलता (यानी टालने योग्य स्थगन जिन्हें दंडित नहीं किया गया था) और माफी अक्सर दाखिल करने में देरी के कारण दी जाती थी। इस तरह की देरी मामलों द्वारा लिए गए आधे से अधिक समय के लिए जिम्मेदार थी। देरी का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण न्यायाधिकरण के सदस्यों की अनुपस्थिति है।

(घ) उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय में सीधी अपील की अनुमति देने वाले प्रावधान, जो उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से गुजरते हैं, की कई मामलों में जांच की गई है। मौजूदा उदाहरणों और भारत के विधि आयोग के बावजूद सिफारिशें, कई न्यायाधिकरणों के मूल क़ानून सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील करने की अनुमति देते हैं। दो मुद्दों पर ध्यान दिया गया हैः सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील वादियों के लिए पहुंच से बाहर है और दूसरा, इस तरह के प्रावधान से सर्वोच्च न्यायालय में भीड़भाड़ होती है।

B संविधान पीठ का संदर्भ 22. इसके मूल में, संविधान के समक्ष वर्तमान संदर्भ

पीठ इस मुद्दे को उठाती है कि क्या कोई कानून जो नियुक्ति, चयन और [2019] 16 एस. सी. आर. को नियंत्रित करने वाले मौजूदा वैधानिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न न्यायाधिकरणों की सेवा की शर्तों को वित्त अधिनियम के एक घटक के रूप में धन विधेयक के रूप में वैध रूप से अधिनियमित किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर बदले में दो पहलुओं पर निर्भर करना चाहिएः

(i) क्या न्यायिक समीक्षा किसी विधेयक के पारित होने को प्रमाणित करने के लिए उच्च सदन के अध्यक्ष के निर्णय की संवैधानिक वैधता को निर्धारित करने तक विस्तारित कर सकती है –

संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक; और

((ii) क्या सदस्यों की नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया और उनकी सेवा की शर्तों में वैधानिक संशोधन न्यायिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी है और इसलिए यह अधिकार से परे है।

इन दो मुद्दों द्वारा दर्शाए गए ब्रह्मांड के बीच, तर्क के रंग निहित हैं जिन पर इस मामले का निर्णय बदल जाएगा।

सी मनी बिल सामान्य बिल, धन बिल और वित्तीय बिल

23. अवधारणात्मक रूप से, संविधान में विधेयकों का वर्गीकरण इस प्रकार हैः (i) साधारण बिल; (ii) धन बिल और (iii) वित्तीय बिल। अन्य बिल

धन विधेयक और वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में उत्पन्न हो सकते हैं। एक साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है

संसद जब दोनों सदनों द्वारा या तो संशोधन के बिना या ऐसे संशोधनों के साथ, जिन पर सहमति हो, उस पर सहमति हो गई हो। राष्ट्रपति को विचार–विमर्श करने और मतदान करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

1 4 अनुच्छेद 107 (1): धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के प्रावधानों के अधीन, एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में उत्पन्न हो सकता है। 15 अनुच्छेद 108: (1) यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और उसे प्रेषित किए जाने के बाद

दूसरा घर

(ख) सदन अंततः विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में असहमत हो गए हैं; या (ग) दूसरे सदन द्वारा विधेयक को स्वीकार किए जाने की तारीख से छह महीने से अधिक समय बीत जाने पर राष्ट्रपति, जब तक कि विधेयक लोक सभा के भंग होने के कारण पारित नहीं हो जाता है, तब तक सदनों को संदेश द्वारा सूचित कर सकता है यदि वे बैठे हैं या सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यदि वे नहीं बैठे हैं, तो विधेयक पर विचार–विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से उन्हें संयुक्त बैठक में बुलाने का अपना इरादाः

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

धन विधेयकों के पारित होने के लिए संविधान में। संसद के किसी भी सदन में उत्पन्न होने वाले एक सामान्य विधेयक के विपरीत, धन विधेयकों को पारित करने के लिए संविधान में एक धन विधेयक विशेष प्रावधान शामिल किए जाते हैं। एक साधारण विधेयक के विपरीत जो संसद के किसी भी सदन में उत्पन्न हो सकता है, एक धन विधेयक राज्य परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 109 इस प्रकार कहता हैः

" 109. (1) परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा।

राज्यों।

(2) सदन द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद

बिल वापसी की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन अपनी सिफारिशों के साथ लोक सभा को विधेयक

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी धन विधेयक पर लागू नहीं होगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट छह महीने की किसी भी अवधि की गणना करते हुए, उस अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान उस खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन का सत्रावसान किया जाता है या लगातार चार से अधिक समय के लिए स्थगित किया जाता है।

दिन होते हैं।

(3) जहां राष्ट्रपति ने खंड (1) के तहत सदनों को संयुक्त बैठक में बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है, वहां कोई भी सदन विधेयक के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के बाद किसी भी समय अधिसूचना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में बुलाने के लिए कह सकता है।

(4) यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ऐसे संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ विधेयक, जिस पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे इन उद्देश्यों के लिए माना जाएगा। इस संविधान का दोनों सदनों द्वारा पारित किया जानाः

बशर्ते कि एक संयुक्त बैठक में

(क) यदि विधेयक, एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद, दूसरे सदन द्वारा संशोधनों के साथ पारित नहीं किया गया है और उस सदन को वापस कर दिया गया है जिसमें यह उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे संशोधनों (यदि कोई हो) के अलावा विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हैं;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित किया गया है और वापस कर दिया गया है, तो विधेयक में केवल ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा जो उपरोक्त हैं और ऐसे अन्य संशोधन जो उन मामलों के लिए प्रासंगिक हैं जिनके संबंध में सदन सहमत नहीं हैं; और उन संशोधनों के बारे में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णय जो इस खंड के तहत स्वीकार्य हैं।

यह अंतिम होगा।

(5) इस अनुच्छेद के तहत एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है और उस पर एक विधेयक पारित किया जा सकता है, इसके बावजूद कि लोक सभा के विघटन ने हस्तक्षेप किया है क्योंकि राष्ट्रपति ने सदनों को बैठक के लिए बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है।

और उसके बाद लोक सभा या तो स्वीकार कर सकती है या राज्य परिषद की सभी या किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करें।

(3) यदि लोक सभा इनमें से किसी को भी स्वीकार करती है

राज्य परिषद की सिफारिशों के अनुसार, धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा राज्य परिषद द्वारा अनुशंसित और लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के साथ पारित किया गया माना जाएगा।

(4) यदि लोक सभा राज्य परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, तो धन विधेयक

राज्य परिषद द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया माना जाएगा जिसमें इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

(5) यदि कोई धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया जाता है और

राज्य परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है जो उक्त अवधि के भीतर लोक सभा को वापस नहीं किया जाता है।

चौदह दिनों के लिए, यह माना जाएगा कि यह दोनों सदनों द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति पर उस रूप में पारित किया गया था जिसमें इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

24. धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा की भूमिका है –

प्रतिबंधित। धन विधेयक की शुरुआत केवल लोकसभा में ही हो सकती है। इसके बाद

लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर, विधेयक को उसकी सिफारिश के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा की एक निर्धारित अवधि है – विधेयक को उसकी सिफारिश के साथ लोकसभा में वापस प्रस्तुत करने के लिए चौदह दिन। राज्य सभा की सिफारिशें गैर –

बाध्यकारी चरित्र। यदि लोकसभा सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है, तो माना जाता है कि इसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया था जिसमें इसे लोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिफारिशों के बिना पारित किया गया था। यदि राज्यसभा को इसके भीतर जवाब नहीं देना था

चौदह दिनों की निर्धारित अवधि में, वही परिणाम सामने आएगा। अनुच्छेद 107 द्वारा सामान्य विधेयकों को पारित करने में राज्य सभा को सौंपी गई भूमिका के विपरीत, अनुच्छेद 109 वस्तुतः प्रदान करता है।

धन विधेयकों के पारित होने में लोकसभा के लिए एक प्रमुख प्राधिकरण। एक धन विधेयक, एक साधारण विधेयक के विपरीत, केवल लोकसभा में उत्पन्न हो सकता है। धन विधेयक के पारित होने में, इस प्रकार राज्यसभा की केवल एक सिफारिश करने वाली भूमिका होती है। दूसरी ओर, सामान्य विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

25. बिलों की तीसरी श्रेणी–वित्तीय बिल, में निर्दिष्ट है

अनुच्छेद 117 1 6। वित्तीय बिलों का संदर्भ अनुच्छेद 117 के सीमांत नोट में निहित है। अनुच्छेद 117 (1) इंगित करता है कि एक विधेयक जो अनुच्छेद 110 (1) के खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करता है, केवल इस पर पेश या पेश किया जा सकता है – राष्ट्रपति की सिफारिश और ऐसा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 117 (1) के पाठ में धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को विधेयकों के वर्गों के रूप में बताया गया है जो केवल निम्नलिखित में उत्पन्न हो सकते हैं –

लोकसभा।

धन बिलः अनुच्छेद 110

अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है –

शर्तें:

" 110. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल सभी से संबंधित प्रावधान हैं। या निम्नलिखित में से कोई भी मामला, अर्थात्:

(क) अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन

किसी भी कर का;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन।

भारत सरकार;

1 6 अनुच्छेद 117: (1) अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश और ऐसा बनाने वाले विधेयक के अलावा पेश या पेश नहीं किया जाएगा।

राज्य परिषद में प्रावधान पेश नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी

किसी भी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करने वाले संशोधन का। (2) किसी विधेयक या संशोधन को इनमें से किसी के लिए प्रावधान करने वाला नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त मामले केवल इस कारण से हैं कि इसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है या

अन्य आर्थिक दंड, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क के लिए शुल्क की मांग या भुगतान के लिए, या इस कारण से कि यह किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

स्थानीय उद्देश्य।

(3) एक विधेयक जिसे यदि अधिनियमित किया जाता है और लागू किया जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होगा, जिसे भारत के किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

संसद जब तक कि राष्ट्रपति ने उस सदन को विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं की है।

(ग) संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या धन की निकासी;

((घ) समेकित निधियों में से धन का विनियोग

भारत का कोष;

((ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;

(च) संचित के खाते में धन की प्राप्ति

भारत की निधि या भारत का सार्वजनिक खाता या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम या लेखा परीक्षा

संघ या किसी राज्य के खाते; या

(छ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई आनुषंगिक मामला

उपखंड (ए) से (एफ)।

(2) किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक प्रावधान हैं।

स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा। (3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(4) प्रत्येक धन विधेयक का समर्थन तब किया जाएगा जब इसे अनुच्छेद 109 के तहत राज्य परिषद को प्रेषित किया जाता है, और जब इसे अनुच्छेद 111 के तहत सहमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो लोक सभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर होते हैं कि यह एक धन विधेयक है।

26. धन बिलों की उत्पत्ति और विकास का पता लगाते हुए, थॉमस एर्स्किन मे ने "द ट्रीटीज ऑन द लॉ, प्रिविलेज,

संसद की कार्यवाही और उपयोग ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच उनके कराधान की शक्तियों और राष्ट्रीय राजस्व और सार्वजनिक व्यय के मामलों के संबंध में संबंधों पर आधारित है। लगभग तीन सौ वर्षों तक, हाउस ऑफ 17 सी. नाइट एंड कंपनी, 1844 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कॉमन्स के पास अनुदान शुरू करने का कानूनी अधिकार था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को किसी विधेयक में संशोधन करने से नहीं रोका गया था। 1671 और 1678 में कॉमन्स के दो प्रस्तावों द्वारा, सदन की शक्तियाँ

लॉर्ड्स की संख्या को कम कर दिया गया था ताकि केवल कॉमन्स को कराधान और सरकारी व्यय के संबंध में एक विधेयक के दायरे को निर्देशित करने या सीमित करने का एकमात्र अधिकार मिल सके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बाहर कर दिया गया

ऐसे किसी भी विधेयक को बदलने से। 1849 के स्थायी आदेश के अधिनियमन के बाद भी, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए जगह दी गई थी

विधायी मुद्दों में संशोधन का सुझाव देते हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच संघर्ष जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप पारित हो गया

1911 का संसद अधिनियम। धारा 1 धन विधेयकों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:

" 1. धन विधेयकों के संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियाँ। — (1) यदि कोई धन विधेयक, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया गया है, और अंत से कम से कम एक महीने पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा गया है

सत्र के बिना हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित नहीं किया जाता है

इस प्रकार उस सदन को भेजे जाने के एक महीने के भीतर संशोधन, जब तक कि हाउस ऑफ कॉमन्स इसके विपरीत निर्देश नहीं देता है, महामहिम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और संसद का एक अधिनियम बन जाएगा।

शाही सहमति के संकेत होने पर, इसके बावजूद कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने विधेयक के लिए सहमति नहीं दी है।

धारा 1 (2) निम्नलिखित में मुद्रा विधेयक अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है।

तरीका –

" 1. (2) धन विधेयक का अर्थ है एक सार्वजनिक विधेयक जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष में केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हैं, अर्थात्, लागू करना, निरसन, छूट, परिवर्तन या कराधान का विनियमन; ऋण के भुगतान या अन्य वित्तीय उद्देश्यों के लिए अधिरोपण।

संचित निधि, राष्ट्रीय ऋण निधि या संसद द्वारा प्रदान किए गए धन पर शुल्क, या परिवर्तन या निरसन

ऐसे किसी भी शुल्क का; आपूर्ति; सार्वजनिक धन के खातों का विनियोग, प्राप्ति, अभिरक्षा, जारी करना या लेखा परीक्षा; या किसी भी ऋण या उसके पुनर्भुगतान की गारंटी; या अधीनस्थ

उन विषयों या उनमें से किसी के लिए प्रासंगिक मामले। इस उप–धारा में क्रमशः "कराधान", "सार्वजनिक धन" और "ऋण" अभिव्यक्तियों में कोई कर, धन या उठाया गया ऋण शामिल नहीं है।

स्थानीय उद्देश्यों के लिए स्थानीय अधिकारियों या निकायों द्वारा। "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. उपरोक्त परिभाषा के दो पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिएः सबसे पहले

'साधन' अभिव्यक्ति का उपयोग है जो इंगित करता है कि परिभाषा संपूर्ण है; और दूसरा, कि धन विधेयक की सामग्री में प्रावधान में उल्लिखित विषयों से संबंधित "केवल प्रावधान" हो सकते हैं। धारा 1 (3) के तहत, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और महामहिम को सहमति के लिए भेजे गए धन विधेयक का समर्थन हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ किया जाना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। धारा 3 अध्यक्ष के निर्णय को अंतिमता बताती है, जिससे यह न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो जाता हैः

" 3. अध्यक्ष का प्रमाण पत्र। — अध्यक्ष का कोई भी प्रमाण पत्र

इस अधिनियम के तहत दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स निर्णायक होगा।

सभी उद्देश्यों के लिए, और किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी

कानून "।

(जोर दिया गया)

एर्स्किन मे के ग्रंथ में निम्नलिखित विस्तार है।

धन विधेयक पारित करने की प्रक्रियाः

" एक 'धन विधेयक' जिसे सदन द्वारा पारित किया गया है कॉमन्स और कम से कम एक महीने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा गया

सत्र के अंत से पहले, लेकिन सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है

इस प्रकार भेजे जाने के एक महीने के भीतर बिना संशोधन के लॉर्ड्स

जब तक हाउस ऑफ कॉमन्स इसके विपरीत निर्देश नहीं देता है, तब तक

शाही सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाए और एक अधिनियम बन जाए

शाही सहमति पर संसद को इसका संकेत दिया जा रहा है। ए 'पैसा 'विधेयक', जब इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा जाता है और जब इसे भेजा जाता है

महामहिम को प्रस्तुत किया गया, वक्ताओं के साथ इसका समर्थन किया जाना चाहिए '

प्रमाण पत्र दें कि यह ऐसा बिल है। यह प्रमाण पत्र देने से पहले

अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि यदि व्यवहार्य हो तो वे उन दोनों सदस्यों से परामर्श करें

अध्यक्षों के पैनल जो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं चयन समिति द्वारा प्रत्येक सत्र की शुरुआत।

जब अध्यक्ष किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करता है तो यह है –

पत्रिका में अभिलिखित; और संसद अधिनियम की धारा 3

1911 यह निर्धारित करता है कि ऐसा प्रमाण पत्र सभी के लिए निर्णायक है

उद्देश्य और कानून की अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती है। आम तौर पर यह तय करने में कोई गंभीर व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है कि क्या

एक विशेष विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं है और इसकी आलोचना की गई है।

देने या देने में अध्यक्ष की कार्रवाई के बारे में शायद ही कभी आवाज उठाई गई हो प्रमाणपत्र को रोक कर रखना। एक बिल जिसमें कोई भी रोजर गणित v शामिल हो।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

गिने हुए मामले और इसके अलावा कुछ भी निर्विवाद रूप से नहीं है

' मनी बिल '। यदि इसमें कोई अन्य मामले शामिल हैं, तो, जब तक कि

ये 'आनुषंगिक मामले' हैं और

विधेयक में इस प्रकार निहित मामलों की गणना की गई है, विधेयक नहीं है

एक 'धन विधेयक'। इसके अलावा, भले ही एक का मुख्य उद्देश्य

या संसद द्वारा प्रदान किए गए धन पर, विधेयक नहीं होगा प्रमाणित यदि यह स्पष्ट है कि प्राथमिक उद्देश्य

जब तक यह उस रूप में नहीं पहुंच जाता है जिसमें यह सदन को छोड़ देगा कॉमन्स, और इस पर एक राय देने से इनकार कर दिया है कि क्या

एक प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति के लिए एक विधेयक को रोक देगा

धन बिल के रूप में प्रमाणित किया जाना। इसी तरह समिति में

सभापति ने इसमें अध्यक्ष के निर्णय का अनुमान लगाने से इनकार कर दिया है।

विषय या इस संबंध में संशोधन के प्रभाव की अनुमति देने के लिए व्यवस्था के एक बिंदु के रूप में उठाया जाए "।

(जोर दिया गया)

28. भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 37 में एक

वित्तीय बिलों के लिए प्रावधानः

" 37. वित्तीय बिलों के बारे में विशेष प्रावधान। — (1) एक बिल या प्रावधान में संशोधन करना

((क) कोई कर लगाने या बढ़ाने के लिए; या

(ख) धन उधार लेने या देने को विनियमित करने के लिए

द्वारा किए गए या किए जाने वाले दायित्व संघीय सरकार; या

(ग) किसी भी व्यय को प्रभारित व्यय घोषित करने के लिए

इस तरह के किसी भी व्यय की राशि को लागू नहीं किया जाएगा। या की सिफारिश के अलावा स्थानांतरित किया गया

गवर्नर–जनरल और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य परिषद में पेश नहीं किया जाएगा।

चूँकि विधेयक को पेश या पेश नहीं किया जा सका "सिवाय इसके कि

गवर्नर जनरल का संशोधन ", धारा 38 प्रत्येक [2019] 16 एस. सी. आर. को प्राधिकृत करती है।

सदन अर्थात् राज्य परिषद और संघीय सभा अपनी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाएँगे। संविधान सभा में बहस के दौरान, अनुच्छेद 90 में लाए गए मसौदा संशोधनों में से एक था –

अभिव्यक्ति "केवल"। प्रस्तावित संशोधन को पेश करने के औचित्य को स्पष्ट करते हुए, श्री घनश्याम सिंह गुप्ता ने इस प्रकार कहाः

" ..... यह अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम की धारा 37 का एक प्रोटोटाइप है जिसमें कहा गया है कि कर लगाने या बढ़ाने या धन उधार लेने आदि का प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या संशोधन गवर्नर–जनरल की सिफारिश के अलावा पेश या पेश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरा विधेयक एक होना आवश्यक नहीं है। धन विधेयकः इसमें अन्य प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन यदि कराधान या उधार आदि के बारे में कोई प्रावधान है। यह इस धारा 37 के तहत आएगा और गवर्नर–जनरल की सिफारिश आवश्यक है। अब अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल धन विधेयक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

किसी भी कर का अधिरोपण, विनियमन, आदि या धन उधार लेना, आदि। इसका मतलब यह हो सकता है कि यदि कोई ऐसा विधेयक है जिसमें अन्य प्रावधान हैं।

प्रावधान और कराधान या उधार आदि के बारे में भी प्रावधान, यह एक धन विधेयक नहीं बन जाएगा। अगर मेरा यही इरादा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है; लेकिन अगर ऐसा इरादा नहीं है तो मुझे "केवल" शब्द कहना चाहिए जो खतरनाक है, क्योंकि अगर विधेयक इन सभी चीजों को करता है और साथ ही कुछ और भी करता है तो यह धन विधेयक नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मसौदा समिति का इरादा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि लेख के इस पहलू को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मन में "। 18

हालाँकि इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

29. संविधान के अनुच्छेद 110 में अध्याय के प्रयोजनों के लिए धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है "यदि वह

इसमें खंड (ए) से (जी) में वर्णित किसी भी मामले से संबंधित केवल प्रावधान शामिल हैं। "केवल" शब्द का महत्वपूर्ण महत्व है। "केवल" अभिव्यक्ति के उपयोग का परिणाम विशिष्टता प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में, किसी विधेयक को केवल तभी धन विधेयक माना जाएगा जब वह खंड (ए) से (जी) में उल्लिखित मामलों के विवरण के भीतर आता है। यदि विधेयक में ऐसे मामले शामिल हैं जो खंड (ए) से खंड (जी) के भीतर नहीं आते हैं, तो यह धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 110 (2) इसका समर्थन करता है।

18 संविधान सभा की बहस (20 मई 1949)

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

निर्माण क्योंकि यह इंगित करता है कि किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

((i) जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड का अधिरोपण;

((ii) लाइसेंस या शुल्क के लिए शुल्क की मांग या भुगतान

प्रदान की गई सेवाएँ; या

((ग) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन

स्थानीय उद्देश्य।

30. यह संवैधानिक स्थिति का एक स्पष्ट संकेतक है कि भाग 5 के अध्याय 2 के प्रयोजनों के लिए एक विधेयक को क्या धन विधेयक बनाता है।

संविधान यह है कि यह केवल अनुच्छेद 110 (1) के खंड (ए) से (जी) में दिए गए विवरण के तहत आने वाले मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 110 (1) के खंड (जी) में "कोई भी प्रासंगिक मामला" शामिल है जो निर्दिष्ट किया गया है। खंड (ए) से (एफ) में। खंड (छ) को अवशिष्ट प्रावधान या अन्य सभी मामलों को शामिल करने वाले कैच-ऑल-वाक्यांश के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट नहीं हैं। यदि इस निर्माण को खंड (छ) पर रखा जाता है, तो सामान्य विधेयक और धन विधेयक के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। इसलिए, खंड (छ) के अर्थ के भीतर आकस्मिक होने के लिए, विधेयक में केवल वे मामले शामिल होने चाहिए जो खंड (क) से (च) के दायरे में आते हैं। यह केवल एक ऐसा मामला है जो खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए आकस्मिक है जिसका खंड (जी) में विचार किया गया है।

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन

31. जिस मुद्दे का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। अनुच्छेद 110 (3) में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। संक्षेप में, विचार करने की बात यह है कि क्या अनुच्छेद 110 के खंड (3) में निर्धारित अंतिमता न्यायिक समीक्षा को बाहर करती है।

32. संविधान के निर्माण के दौरान सर बी. एन. राउ ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए एक ज्ञापन तैयार किया।

संघ संविधान समिति के लिए संविधान का मसौदा। बी. शिव राव ने मसौदे के अनुच्छेद 75 का संदर्भ दिया है जिसमें प्रावधान किया गया है

कि –

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक "धन विधेयक" है या नहीं,

लोक सभा के अध्यक्ष का उस पर निर्णय अंतिम होगा। 9919 'मसौदा प्रावधान अनुच्छेद 22 के समान था

आयरलैंड का शासन (1937) जो इस प्रकार प्रदान करता हैः " 1. डेल आइरेन [आयरलैंड में निचला सदन] के अध्यक्ष

किसी भी विधेयक को प्रमाणित करेगा जो उनकी राय में एक धन विधेयक है।

एक धन विधेयक होना, और उसका प्रमाण पत्र, के अधीन होगा

इस धारा के बाद के प्रावधान अंतिम होंगे और निर्णायक।

2. सीनड एरियन [आयरलैंड में ऊपरी सदन], एक प्रस्ताव द्वारा,

एक बैठक में पारित किया गया जिसमें कम से कम तीस सदस्य नहीं थे

उपस्थित हैं, राष्ट्रपति से प्रश्न भेजने का अनुरोध कर सकते हैं

विधेयक किसी समिति के लिए धन विधेयक है या नहीं

विशेषाधिकारों का।

3. यदि राष्ट्रपति राज्य परिषद के साथ परामर्श के बाद

वह एक नियुक्त करेगा अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला करता है

समान संख्या में विशेषाधिकारों की समिति

डेल एरियन और सीनड एरियन के सदस्य और एक

के साथ परामर्श के बाद नियुक्तियां की जाएंगी राज्य परिषद। मतों की समानता के मामले में लेकिन

अन्यथा सभापति को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

4. राष्ट्रपति इस प्रश्न को समिति को भेजेगा –

इस प्रकार नियुक्त विशेषाधिकार और समिति अपनी रिपोर्ट देगी

21 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को उस पर निर्णय देना

जिस दिन बिल सीनड आइरेन को भेजा गया था, उसके बाद।

5. समिति का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

6. यदि राष्ट्रपति राज्य परिषद के साथ परामर्श के बाद

सीनड एरियन के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेता है, या

इसके अध्यक्ष का प्रमाण पत्र इसमें पहले निर्दिष्ट किया गया है डेल आइरेन की पुष्टि हो जाएगी।

(जोर दिया गया)

इवा राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः चयनित दस्तावेज, भारतीय

लोक प्रशासन का कार्यान्वयन (2012), पी।

32 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आयरिश मॉडल में एक विवाद को हल करने का प्रावधान था

जब हमारा संविधान बनाया गया था तब समाधान प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था। इसके अलावा, अंतिमता पर खंड को संशोधित रूप में अपनाया गया था। जबकि आयरिश संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (1) में "अंतिम और निर्णायक" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, अनुच्छेद 75 का मसौदा लोक सभा के अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम बनाने के लिए प्रदान किया गया है। 5 पर दिसंबर 1947 में, वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति ने मसौदा प्रावधान में संशोधन का सुझाव दिया, जिसका सार बी. शिव राव द्वारा इंगित किया गया हैः

" जब कोई धन विधेयक निचले सदन से ऊपरी सदन को भेजा जाता है,

निचले सदन के अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि

एक धन विधेयक विधेयक के साथ संलग्न किया जाना चाहिए या उस पर समर्थन किया जाना चाहिए और

संविधान में इस आशय का प्रावधान किया जाना चाहिए –

संसद अधिनियम में संबंधित प्रावधान की पंक्तियाँ,

1911. यह मामले को लेकर विवादों को रोकेगा।

निचले सदन के बाहर "। 20

(जोर दिया गया)

ऊपर उद्धृत उद्धरण एक स्पष्ट संकेतक है कि उद्देश्य

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन का उद्देश्य प्रक्रियात्मक सरलता के एक तत्व को शामिल करके संसद के ऊपरी सदन में विवादों को रोकना था।

अंतिम लेकिन निर्णायक नहीं

33 जब प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया गया और

अंततः अनुच्छेद 110 के रूप में शामिल किया गया, खंड (3) ने न्यायिक समीक्षा के विशिष्ट बहिष्कार के बिना अंतिमता के सिद्धांत को शामिल किया। ब्रिटेन में संसद अधिनियम 1911 की धारा 3 ने विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा को यह प्रावधान करके बाहर रखा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र "सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा"। इन शब्दों ने अध्यक्ष के प्रमाण पत्र को न्यायिक समीक्षा से निर्णायकता और प्रतिरक्षा दोनों प्रदान किए। भारतीय संविधान में इस भाषा को नहीं अपनाया गया था। संविधान के मसौदा तैयार करने वालों ने सावधानीपूर्वक न्यायिक समीक्षा से एक बहिष्करण को शामिल नहीं किया, द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संबंध में

अनुच्छेद 110 के खंड (3) के तहत अध्यक्ष। अंतिमता, दूसरे शब्दों में, संचालित होती है

20 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः चयनित दस्तावेज, भारतीय

लोक प्रशासन संस्थान, पी। 281 .

उच्च और निचले सदनों के बीच के रूप में और एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं करता है।

34. हमने जो व्याख्या अपनाई है, वह अभी तक समर्थित है।

एक और कारण। उन संदर्भों में जहां संविधान न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा प्रदान करने का इरादा रखता है, उस प्रभाव के लिए विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, "किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग अनुच्छेद 329 (ए), अनुच्छेद 243–ओ और अनुच्छेद 243 जेडजी में किया गया है। ये लेख इस प्रकार हैं:

" 329. चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद

अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाया गया या बनाया जाना अभिप्रेत है, किसी भी अदालत में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।

" 243–0 . चुनाव में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक

विषय हैं। इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद (क)

अनुच्छेद 243–के के तहत किए जाने का तात्पर्य, नहीं कहा जाएगा किसी भी अदालत में प्रश्न में "।

" 243 जेडजी। चुनाव में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक

विषय हैं। — इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद–(क)

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता

या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों का आवंटन किया गया या

अनुच्छेद 243–जेड. ए. के तहत किए जाने का तात्पर्य नहीं माना जाएगा

किसी भी अदालत में प्रश्न में "।

(जोर दिया गया)

एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन कार्यालय, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नामक्कल, सलेम, जिला। 2 1, छह न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 329 का अर्थ

निम्नलिखित शर्तें –

" 5. ..... अनुच्छेद 327 में प्रयुक्त भाषा में एक उल्लेखनीय अंतर और एक ओर 328 और दूसरी ओर अनुच्छेद 329 यह है कि

21 1952 एस. सी. आर. 218 रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जबकि पहले दो लेख "विषय के अधीन" शब्दों से शुरू होते हैं।

इस संविधान के प्रावधान ", अंतिम अनुच्छेद के साथ शुरू होता है

शब्द "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद"। यह था। बार में स्वीकार किया कि भाषा में इस अंतर का प्रभाव

जबकि संसद द्वारा अनुच्छेद 327 के तहत बनाया गया कोई भी कानून, या अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा,

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता,

कि क्षेत्राधिकार में प्रदान किए गए मामलों के संबंध में बाहर रखा गया है अनुच्छेद 329। ”

35. उपरोक्त द्वारा न्यायिक समीक्षा के बहिष्करण से अलग

इस प्रकार, संविधान के अन्य प्रावधान हैं जहाँ

आयन को "अंतिम" बनाया जाता है। ऐसे संदर्भों में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है

न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 217 (3), 311 (3) और अनुच्छेद 6 (1)

दसवीं अनुसूची में "अंतिम" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया हैः

" 217. (3) यदि किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

उच्च न्यायालय, इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा इसके बाद किया जाएगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और

राष्ट्रपति अंतिम होगा।

यह उत्पन्न होता है कि क्या ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य है जैसा कि खंड (2) में निर्दिष्ट है, उस पर निर्णय

ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने के लिए सशक्त प्राधिकारी या उसे रैंक में कम करना अंतिम होगा।

" 6. आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय

दलबदल का। (1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या एक सदन का सदस्य अयोग्यता के अधीन हो गया है

इस अनुसूची में, प्रश्न को निर्णय के लिए भेजा जाएगा

अध्यक्ष, या, यथास्थिति, ऐसे सदन का अध्यक्ष

और उसका निर्णय अंतिम होगाः

क्या किसी सदन का सभापति या अध्यक्ष बन गया है इस तरह की अयोग्यता के अधीन, प्रश्न के लिए भेजा जाएगा

सदन के ऐसे सदस्य का निर्णय जो सदन कर सकता है

इस संबंध में चुनाव करें और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(जोर दिया गया)

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ बनाम ज्योति प्रकाश मित्तर 22 में, इस न्यायालय की छह न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 217 (3) के तहत, राष्ट्रपति एक न्यायिक कार्य करता है और दिया गया निर्णय निर्धारित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैः

" 32. ..... अनुच्छेद 217 (3) के तहत कार्य करने वाला राष्ट्रपति हमारे संविधान की योजना के तहत गंभीर महत्व का न्यायिक कार्य करता है। वह अपने मंत्रियों की सलाह पर काम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के आदेश की घोषित अंतिमता के बावजूद, न्यायालय के पास आदेश को रद्द करने के लिए उचित मामलों में अधिकार क्षेत्र है, यदि यह प्रतीत होता है कि यह संपार्श्विक विचारों पर पारित किया गया था।

या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया गया था, या यह कि राष्ट्रपति का निर्णय सलाह या सलाह से रंगा हुआ था

कार्यपालिका द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व या यह बिना किसी सबूत के किया गया था। ..... साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाता है और यह अभिनिर्धारित करना न्यायालयों का काम नहीं है कि राष्ट्रपति के समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, यदि उन्हें मामले का निर्णय करने के लिए बुलाया जाता, तो वे किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुँचे। "

36. अनुच्छेद 311 (3) के संदर्भ में, भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल 23 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि

एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं करता है। किहोतो होल्लोहन बनाम ज़चिल्लहु 24 में, एक संविधान इस न्यायालय की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 (1) में लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति के निर्णय की अंतिमता न्यायिक समीक्षा को निरस्त नहीं करती हैः

" 111. ..... दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 6 (1), जिस हद तक यह अध्यक्षों/अध्यक्षों के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहता है, वैध है। लेकिन पैरा 6 (1) में सन्निहित वैधानिक अंतिमता की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा को कम या निरस्त नहीं करती है। प्राकृतिक न्याय और विकृति के नियमों के गैर–अनुपालन का संबंध है।

22 (1971) 1 एस. सी. सी. 396

23 (1985) 3 एस. सी. सी. 398 24 1992 सप.

(2) एस. सी. सी. 651 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संविधान पीठ ने कहाः " 101. ..... अदालतों द्वारा लागू किया जाने वाला सिद्धांत यह है कि इसके बावजूद

एक अंतिमता खंड की यह जांच करने के लिए अदालत के लिए खुला है कि क्या

चुनौती के तहत प्राधिकरण की कार्रवाई अधिकार से परे है

उक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ। इस तरह की कार्रवाई हो सकती है

अधिकार से परे इस कारण से कि यह कानून के एक अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है जो प्राधिकरण को लेने की शक्ति प्रदान करता है

ऐसी कार्रवाई। यह प्रदत्त शक्तियों से भी परे होगा।

प्राधिकरण पर यदि यह दुर्भावना से दूषित है या रंगीन है बाह्य और अप्रासंगिक के आधार पर शक्ति का प्रयोग

विचार "।

नतीजतन, विशुद्ध रूप से पाठ्य विश्लेषण के मामले के रूप में, अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है।

न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा प्रदान न करें।

प्रक्रिया के मामले और मूल अवैधताएँ

37. संविधान का अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को अनुमति देता है –

संविधान के प्रावधानों के अधीन, उनकी प्रक्रिया और आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाना। अनुच्छेद 118 इस प्रकारः

" 118. प्रक्रिया के नियम।

(1) संसद का प्रत्येक सदन विनियमन के लिए नियम बना सकता है –

इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, इसके

प्रक्रिया और उसके व्यवसाय का संचालन।

(2) जब तक खंड (1) के तहत नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक भारत अधिराज्य के विधानमंडल के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश लागू होंगे।

संसद के संबंध में ऐसे संशोधनों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभाव पड़ता है जो राज्य परिषद के अध्यक्ष या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उसमें किए जा सकते हैं।

(3) राष्ट्रपति, राज्य परिषद के अध्यक्ष और लोक सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद, संयुक्त बैठकों और उनके बीच संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकता है –

दोनों घर।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष

लोक सभा, या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो

के तहत बनाई गई प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

खंड (3) अध्यक्षता करेगा।

संविधान का अनुच्छेद 122 इस प्रकार प्रदान करता हैः

" 122. न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे। — (1) संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता नहीं मानी जाएगी।

प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें शक्तियाँ हों

प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत निहित या

संसद में कार्य का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए

के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा उसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करें।

संविधान का अनुच्छेद 122 संविधान की धारा 41 के समान है।

भारत अधिनियम 1935–25 का अधिनिर्णय। सरकार पर टिप्पणी में

एन. राजागोपाला अयंगर द्वारा भारत अधिनियम 1935 में प्रक्रिया और सार के मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है।

धारा 41 (1) का संदर्भः

" यह उप–धारा उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करने का प्रयास करती है।

विधानमंडल में प्रक्रिया की अनियमितता। गतिविधियाँ

एक कक्ष को आंतरिक और बाहरी में विभाजित किया जा सकता है,

आंतरिक गतिविधियाँ प्रक्रिया का क्षेत्र हैं, जबकि

बाहरी संविधान के कानून के अधीन हैं। यह है कि

पूर्व वर्ग के क्षेत्र में अनियमितताएँ कि यह

उप–खंड स्वयं को संबोधित करता है। बाद के सिर के नीचे होगा

जो विधानसभा के लिए एक बाहरी मामला है न कि एक मामला प्रक्रिया "।

(जोर दिया गया)

41. – (1) संघीय विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। (2) विधान–मंडल का कोई भी अधिकारी या अन्य सदस्य जिसके पास इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रक्रिया को विनियमित करने या कार्य संचालन करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उसके द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

एन. राजगोपाला अयंगर, भारत सरकार अधिनियम 1935, पृष्ठ 63 पर मद्रास लॉ जर्नल ऑफिस (1937)।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

38. बाबूलाल पराटे बनाम बॉम्बे राज्य 27 के मामले में एक संविधान पीठ के निर्णय में, इस न्यायालय ने एक ऐसे मुद्दे के बीच के अंतर को नोट किया जो संसद में कार्यवाही की वैधता से संबंधित है और एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। यह प्रावधानों के संदर्भ में था

अनुच्छेद 3 के खंड (ए) से (ई) में निहित है। संविधान पीठ ने कहाः

" 11. संविधान के अनुच्छेद 122 (1) के बारे में शायद कुछ और शब्द जोड़ने की सलाह दी जाती है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारे सामने यह प्रश्न रखा है कि उस अनुच्छेद का क्या प्रभाव होगा यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 3 के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी भी मामले से पूरी तरह से असंबंधित संशोधन का प्रस्ताव किया जाना था और किसी राज्य का नाम (उदाहरण के लिए) बदलना स्वीकार

किया जाना था। हमें नहीं लगता कि हमें इस तरह के काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, सिवाय केवल यह कहने के कि यदि कोई संशोधन इस तरह का है कि यह वास्तव में एक संशोधन नहीं है और स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 3 का उल्लंघन है, तो प्रश्न तब है।

संसद में कार्यवाही की वैधता नहीं होगी लेकिन संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। हालाँकि, वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं है।

39. अनुच्छेद 122 (1) "किसी भी कथित मामले" के आधार पर संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाए जाने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

प्रक्रिया की अनियमितताएँ "। इस न्यायालय के कई फैसलों में, जिसमें अनुच्छेद 122 के प्रावधानों और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 212 में निहित संबंधित प्रावधानों का अर्थ लगाया गया है, प्रक्रिया की अनियमितता और अवैधता के बीच अंतर किया गया है। न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा पूर्व से जुड़ी होती है लेकिन बाद वाले से नहीं। 1964–28 के विशेष संदर्भ संख्या 1 ("विशेष संदर्भ") में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में यह अंतर व्यक्त किया गया। इस न्यायालय ने कहाः

विधायिका में कार्य का, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अभ्यास के संबंध में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से उन शक्तियों से। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 212 (1) एक नागरिक के लिए उपयुक्त न्यायालय में प्रश्न पूछना संभव बनाता है।

27 (1960) 1 एस. सी. आर. 605 28 राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, पुनः (विशेष संदर्भ)

1964 का सं. 1), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधान मंडल के भीतर किसी भी कार्यवाही की वैधता यदि

कानून के एक अदालत में जांच की जानी चाहिए, हालांकि इस तरह की जांच यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत नहीं है तो निषिद्ध है

इससे भी अधिक कि प्रक्रिया अनियमित थी।

(जोर दिया गया)

यह सूत्रीकरण अनुच्छेद 122 के संदर्भ में लागू किया गया था

रामदास अठावले बनाम भारत संघ में शीर्षक पीठ 29 " एम. दास अठावले "):

(1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1) [शक्तियाँ, विशेषाधिकार और राज्य विधानमंडलों की उन्मुक्ति, पुनः (विशेष संदर्भ सं।

1 1964 का), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745] (जिसे केशव सिंह मामले के रूप में भी जाना जाता है)

अनुच्छेद 212 (1) का अर्थ लगाते हुए कहा गया है कि यह संभव हो सकता है एक नागरिक के लिए कानून के उपयुक्त न्यायालय में प्रश्न करने के लिए,

विधायिका के भीतर किसी भी कार्यवाही की वैधता यदि उसका मामला

प्रक्रिया, लेकिन एक अवैधता से। यदि आक्षेपित प्रक्रिया है अवैध और असंवैधानिक, यह जांच के लिए खुला होगा

कानून की एक अदालत, हालांकि इस तरह की जांच निषिद्ध है यदि शिकायत प्रक्रिया के खिलाफ इस से अधिक कुछ नहीं है कि प्रक्रिया

अनियमित था। एक ही सिद्धांत समान रूप से लागू होगा

संविधान के अनुच्छेद 122 की व्याख्या का मामला।

राजा राम पाल बनाम मामले में एक बाद की संविधान पीठ का निर्णय

अध्यक्ष महोदय, लोकसभा ने सेड्यूरल अनियमितता और अवैधता के बीच के अंतर पर जोर दियाः

“ 386. ..... अनुच्छेद 122 में किसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास ताकि

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परीक्षण तक सीमित करने के लिए

असंवैधानिकता के मामले में संसद की प्रक्रिया, इसके विपरीत

अवैधता संवैधानिक रूप से हिंसा करने के बराबर होगी

पाठ। "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ" के सिद्धांत को लागू करना

अल्टेरियस "(जो कुछ भी शामिल नहीं किया गया है, उसका निहितार्थ है

0) 4 एस. सी. सी. 1 7) 3 एस. सी. सी. 184 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रक्रिया "पर वर्जित न्यायिक समीक्षा नहीं करती है अवैधता या असंवैधानिकता के निष्कर्ष।

***

398 ..... यदि शिकायत लाई जाती है तो अदालत हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगी

इससे पहले कि यह "प्रक्रिया की अनियमितता" के आरोपों तक सीमित हो। लेकिन घोर अवैधता या संवैधानिक उल्लंघन के मामले में

प्रावधान दिखाए गए हैं, न्यायिक समीक्षा बाधित नहीं होगी

अनुच्छेद 122 द्वारा किसी भी तरह से, या उस मामले के लिए अनुच्छेद द्वारा

105 ..... "

(जोर दिया गया)

40. भेद के लिए मौलिक संवैधानिक आधार

प्रक्रिया की अनियमितता और अवैधता के बीच यह है कि यूनाइटेड किंगडम के विपरीत जहां संसदीय संप्रभुता शासित होती है, भारत संवैधानिक सर्वोच्चता द्वारा शासित होता है। विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शाखाएँ लिखित संविधान के अधिदेश के तहत कार्य करती हैं। द.

उनकी शक्तियों का दायरा संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं की शक्तियों की संरचना करता है। उनका अधिकार उनके लिए आरक्षित क्षेत्र के भीतर पूर्ण है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा के किसी भी बहिष्करण को उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें इसे संविधान के एक विशिष्ट प्रावधान के तहत अनिवार्य किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 122 में निहित प्रावधान जो संसद की कार्यवाही में प्रक्रिया की कथित अनियमितता पर सवाल उठाए जाने की रक्षा करते हैं, वे एक ठोस अवैधता या संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन तक नहीं बढ़ सकते हैं।

41. श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी ने भरोसा जताया

उनके इस निवेदन के समर्थन में तीन निर्णयों पर कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि एक विधेयक एक धन विधेयक है, न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैः

(।) मैंगलोर गणेश बीड़ी वर्क्स बनाम मैसूर राज्य 3 1

(" मैंगलोर बीडी ");

(II) मोहम्मद। सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 2 32

(" मोहम्मद. सईद सिद्दीकी "); और

31 ए. आई. आर 1963 एस. सी 589

32 (2014) 11 एससीसी 415 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(III) योगेंद्र कुमार जयस्वाल बनाम बिहार राज्य 3 ("योगेंद्र")

कुमार ")।

मुद्रा में, मैसूर बिक्री कर अधिनियम 1948 के तहत लगाए गए कर में बदलाव किया गया था जिसे केवल एक पारित करके प्रभावी किया जा सकता था संविधान के अनुच्छेद 198, 199 और 207 के तहत धन विधेयक। इस दलील को खारिज करते हुए संविधान पीठ ने कहा कि नए सिक्कों का प्रतिस्थापन कर में वृद्धि के बराबर नहीं है। नतीजतन, धन विधेयक को लागू करने के लिए प्रावधानों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, न्यायमूर्ति जे. एल. कपूर ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

" 5. ..... यह मानते हुए भी कि यह एक कर लगाने वाला उपाय है, इसकी वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद 197 से 199 और अनुच्छेद 202 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। संविधान। अनुच्छेद 212 किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न में बुलाए जाने से रोकता है और अनुच्छेद 255 में कहा गया है कि सिफारिश और पूर्व मंजूरी की आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए।

42. मैंगलोर बीडी में निर्णय का अनुपात यह है कि सिक्कों के प्रतिस्थापन से कर में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 199 के प्रावधान नहीं थे।

आकर्षित किया। एक बार जब यह निष्कर्ष निकला, तो यह आवश्यक नहीं था कि

यह तय करने का निर्णय कि क्या अनुच्छेद 199 (3) (अनुच्छेद 110 (3) के अनुरूप) के तहत अध्यक्ष का प्रमाण पत्र न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। निर्णय का अनुपात यह है कि एक नए सिक्के से कर में वृद्धि नहीं होती है और इसलिए सिक्कों के प्रतिस्थापन का प्रावधान करने वाला विधेयक धन विधेयक नहीं

है। ऊपर निकाले गए अवलोकन एक धारणा पर आगे बढ़ते हैं, अर्थात् यह मानते हुए भी कि यह एक कर लगाने वाला उपाय था, इसकी वैधता को प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। टिप्पणियों का यह हिस्सा स्पष्ट रूप से मैंगलोर बीड़ी का अनुपात नहीं है। 33 (2016) 3 एस. सी. सी. 183 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

43. इसके बाद मोहम्मद. सईद सिद्दीकी, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य द्वारा लाए गए एक संशोधन पर विचार किया

लोकायुक्ता और उप–लोकायुक्ता को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए विधायिका ताकि कार्यकाल को छह साल से बढ़ाकर आठ साल या उत्तराधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने तक का प्रावधान किया जा सके। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश नहीं किया जा सकता था। मैंगलोर बीडी में निर्णय पर भरोसा करते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है, केवल एक सदस्य द्वारा विधानसभा के समक्ष उठाया जा सकता है।

पास हो गया। मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किए:

" (i) किसी अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद 197 से 199 और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 202 में नीचे;

((ii) अनुच्छेद 212 किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न में बुलाए जाने से रोकता है; और

((iii) अनुच्छेद 255 में निम्नलिखित आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है –

अनुशंसा और पूर्व मंजूरी पर विचार किया जाना चाहिए।

केवल प्रक्रिया के रूप में।

यह आगे अभिनिर्धारित किया जाता है कि कार्यवाही की वैधता आरोप पर किसी राज्य के विधानमंडल को प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है।

कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सख्ती से नहीं की गई है

और यह कि कोई भी न्यायालय उन प्रश्नों में नहीं जा सकता है जो स्वयं विधानमंडल के विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं, जिनके पास है

अपना खुद का व्यवसाय करने की शक्ति।

निर्णय अनुच्छेद 212 (1) (जो इसके अनुरूप है)

संविधान का अनुच्छेद 122 (1) और अनुच्छेद 25534। जबकि 34 अनुच्छेद 255 संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम और नहीं

ऐसे किसी अधिनियम में प्रावधान केवल इस कारण से अमान्य होगा कि कुछ

यदि उस अधिनियम को मंजूरी दी गई थी तो इस संविधान द्वारा आवश्यक सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी।

((क) जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, या तो

राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा;

(ख) जहां राजप्रमुख की सिफारिश की आवश्यकता थी, या तो

राजप्रमुख या राष्ट्रपति द्वारा;

(ग) जहां अनुशंसा या पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी

राष्ट्रपति द्वारा।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजा राम पाल को दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया की किसी भी दुर्बलता को अनुच्छेद 255 द्वारा संरक्षित किया गया है। 44. योगेंद्र कुमार के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के बाद के फैसले में उड़ीसा की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया।

विशेष न्यायालय अधिनियम 2006, उच्च राजनीतिक और सार्वजनिक पदों पर आसीन या आसीन व्यक्तियों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के संचय से जुड़े अपराधों के लिए विशेष अदालतें प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस चुनौती को खारिज करते हुए कि कानून को विधान

सभा में धन विधेयक के रूप में पेश नहीं किया जा सकता था, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (जैसा कि था) के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

" 43. हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अधिकारी एक विधेयक को पेश करने के लिए अधिक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि मोहम्मद में आयोजित किया गया है। सईद सिद्दीकी [मो. सईद सिद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 11 एस. सी. सी. 415], "अनियमितता" की अवधारणा के भीतर आता है और यह पर्याप्तता के दायरे के साथ आता है। विशेष में क्या आयोजित किया गया है

1964 के संदर्भ संख्या 1 [राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, पुनः (1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745] को स्पष्ट रूप से समझना होगा। जैसा कि हम पाते हैं कि इसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग था।

कि वर्तमान विवाद पूरी तरह से कवर किया गया है

मोहम्मद में घोषणा। सईद सिद्दीकी और इसलिए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के मानते हैं कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इतनी दृढ़ता से आग्रह किए जाने में कोई योग्यता नहीं है।

45. मोहम्मद सईद सिद्दीकी के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मैंगलोर बीडी पर इस सिद्धांत को निर्धारित करने के रूप में भरोसा किया कि

अध्यक्ष का प्रमाण पत्र कि कोई विधेयक एक धन विधेयक है, न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। मैंगलोर बीड़ी में निर्णय, जैसा कि हमने देखा है, संविधान पीठ के एक निष्कर्ष पर आधारित था कि एक नए सिक्के के प्रतिस्थापन से कर में वृद्धि नहीं हुई और इसलिए यह धन विधेयक की आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं करता था। लेकिन मोहम्मद में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। सईद सिद्दीकी ने अनुच्छेद 255 के प्रावधानों का भी समर्थन किया है, जिसमें अध्यक्ष के प्रमाण पत्र को प्रतिरक्षा प्रदान की गई है कि एक विधेयक एक धन विधेयक है। अब अनुच्छेद 255 ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां "कुछ सिफारिश या पूर्व मंजूरी" की आवश्यकता होती है।

संविधान नहीं दिया गया था, हालांकि संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियम को तब से मंजूरी मिल गई है। इस प्रकार, जहां राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है, वहां राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति और जहां सिफारिश या रोजर मैथ्यू v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कृष्ण सिन्हा 3 5, जिसे मोहम्मद सैयद सिद्दीकी में जोड़ा गया था, पर विशेष संदर्भ में चर्चा की गई थी ताकि यह माना जा सके कि एक विधायी कक्ष में कार्यवाही की वैधता पर अवैधता के आधार पर सवाल

उठाया जा सकता है। विशेष संदर्भ, रामदास में निर्णय अठावले और राजा राम पाल स्पष्ट रूप से मानते हैं कि

संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष कार्यवाही अवैधता (प्रक्रिया की अनियमितता से अलग) या संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। इसलिए,

उपरोक्त पहलू पर मोहम्मद सैयद सिद्दीकी और योगेंद्र कुमार में निर्णय कानून में सही स्थिति निर्धारित नहीं करते हैं और खारिज कर दिए जाते हैं।

डी पुट्टास्वामीः प्रमाण पत्र की न्यायिक समीक्षा

स्पीकर 47. आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) विधेयक 2016 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया था। राज्य सभा को विधायी प्रक्रिया से बाहर करने के परिणामस्वरूप

अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण संविधान पीठ (के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ) के समक्ष संबोधित विशिष्ट चुनौतियों में से एक था। 3 6 न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने संविधान पीठ के पाँच में से तीन न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का दो मौलिक उपदेशों के आधार पर विश्लेषण कियाः सबसे पहले, द्विसदनीय विधानमंडल में राज्यसभा का महत्व "संक्षिप्त रूप से"

कुलदिंप नायर बनाम भारत स घ 3–8 ("कुलदिप नायर") में निर्णय द्वारा "3–7" का उदाहरण दिया गया और दूसरा, राज्यसभा को "संवैधानिक संघवाद को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था" के रूप में।

35 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1186 36 (2019) 1 एस. सी. सी. 1 ("पुट्टास्वामी") 37 पुटास्वामी पैरा 462 पर

38 (2006) 7 एससीसी 1 39 अनुच्छेद 463 [2019] 16 एस. सी. आर. में पुट्टास्वामी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. इन सिद्धांतों को स्पष्ट करने के बाद न्यायमूर्ति सीकरी ने संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विधेयक को पारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, जो एक "संवैधानिक जनादेश" 40 है, एकमात्र अपवाद, बहुमत ने देखा, अनुच्छेद 110 में निहित है।

नतीजतन, अनुच्छेद 110 को द्विसदनीयता की योजना के लिए एक अपवाद होने के कारण एक "सख्त निर्माण" देना पड़ा। बहुमत इस प्रकार रहाः

" 463. इसलिए, राज्यसभा संवैधानिक संघवाद को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। यही कारण है कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए, विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यह संवैधानिक जनादेश है। एकमात्र अपवाद

उपरोक्त संसदीय मानक भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 है। हमारे संविधान में निहित द्विसदनीयता की इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 110 की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि तर्कों पर इस आवश्यकता की कसौटी पर विचार किया गया था कि किसी विधेयक को धन विधेयक बनाने के लिए अनुच्छेद 110 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

49. न्यायसंगतता के मुद्दे पर 42 न्यायमूर्ति सीकरी ने विशेष रूप से खारिज कर दिया

भारत संघ की ओर से प्रस्तुतियों में आग्रह किया गया कि अध्यक्ष का प्रमाणन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। बहुमत ने मानाः

" 464. हम इस स्तर पर यह भी देखना चाहेंगे कि उत्तरदाताओं की न्याय्यता के बारे में प्रस्तुत करने के लिए

लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय का संबंध है, हम इस तरह के विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा स्वीकार्य होगी, जिसका उल्लेख याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने किया है और पैराग्राफ 455 में ध्यान दिया गया है।

उपरोक्त उद्धरण में निर्दिष्ट पैरा 455 में जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया था, वे हैंः 40 अनुच्छेद 463 में पुट्टास्वामी

41 अनुच्छेद 463 में पुट्टास्वामी 42 अनुच्छेद 455 में पुट्टास्वामी रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 455.1. उप–न्यायिक जवाबदेही समिति v. संघ का

भारत (1991) 4 एससीसी 699]। 455.2. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1]।

455.3. राजा राम पाल बनाम। लोकसभा (सुप्रा)

455.5. किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू (सुप्रा) "। इसके बाद बहुमत ने विश्लेषण करना शुरू किया कि क्या प्रावधान

आधार के तहत प्रमाणीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्थापित, अनुच्छेद 110 के लिए संदर्भित था क्योंकि इन वित्तीय लाभों को "भारत की समेकित निधि के समर्थन से बढ़ाया गया था"। धारा 23 (2) (एच) और धारा 54 के प्रावधानों को मुख्य प्रावधान के लिए आकस्मिक माना गया था और अनुच्छेद 110 (जी) द्वारा कवर किया गया था। धारा 57, जो निजी संस्थाओं द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए आधार के उपयोग की अनुमति देती है, असंवैधानिक माना जाता है। इस प्रकार विधेयक के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, बहुमत ने कहाः

हमारे लिए अन्य विवादों से निपटने के लिए आवश्यक याचिकाकर्ता, अर्थात्, क्या अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन

विधेयक के धन विधेयक होने के बारे में न्यायिक विषय है समीक्षा करें या न करें, क्या कोई प्रावधान जो इससे संबंधित नहीं है

धन बिल अलग किया जा सकता है या नहीं। हम दोहराते हैं कि मुख्य प्रावधान

इसलिए, अनुच्छेद 110 के खंड (जी) द्वारा कवर किया गया है संविधान "।

(जोर दिया गया)।

50. श्री अरविंद दातार, विद्वान न्याय मित्र और विद्वान दोनों

भारत के अटॉर्नी जनरल ने फैसले के पैराग्राफ 463,464 और 472 में निहित टिप्पणियों के बीच स्पष्ट असंगति पर प्रकाश डाला है। क्योंकि, अनुच्छेद 464 भारत संघ की इस दलील को खारिज करता है कि इसके बाद अध्यक्ष का निर्णय न्यायोचित नहीं है। 43 अनुच्छेद 466 [2019] 16 एस. सी. आर. में पुट्टास्वामी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहले की चर्चा में कि अनुच्छेद 110 को सख्त माना जाना चाहिए

जबकि पैरा 472 में कहा गया है कि बहुमत के लिए यह देखना आवश्यक नहीं था कि क्या धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक का अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालाँकि, पैराग्राफ 515 में निष्कर्ष के दौरान, जिस मुद्दे के उत्तर तैयार किए गए थे, वह थाः

" 515. (6) . क्या आधार अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थ में "धन विधेयक" के रूप में पारित किया जा सकता है? पैराग्राफ 515.1 में उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 515.1 . हम संसद की द्विसदनीय प्रणाली में राज्यसभा (उच्च सदन) के महत्व को स्वीकार करते हैं। उच्च सदन का महत्व और प्रासंगिकता संक्षेप में दी गई है।

इस अदालत द्वारा उदाहरण के रूप में कुलदिप नायर के मामले में [कुलदिप नायर] वी. भारत संघ, (2006) 7 एस. सी. सी. 1]। इसलिए, राज्य सभा,

संवैधानिक संकेत देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है

संघवाद। यही कारण है कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए, विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यह संवैधानिक जनादेश है। उपरोक्त संसदीय मानदंड का एकमात्र अपवाद भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 है। हमारे संविधान में निहित द्विसदनीयता की इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, सख्त व्याख्या

अनुच्छेद 110 को लागू किया जाना चाहिए। इन्हें ध्यान में रखते हुए

सिद्धांतों के अनुसार, हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

51. गुण–दोष के आधार पर, धारा 7 को एक मुख्य प्रावधान माना गया, जो संतोषजनक था।

अनुच्छेद 110 की शर्तें जबकि अन्य को प्रकृति में आनुषंगिक माना गया था। धारा 57 को असंवैधानिक ठहराया गया था। अतः निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में थाः

" 467 ..... धारा 7 आधार अधिनियम का मुख्य प्रावधान है और यह प्रावधान आधार अधिनियम के अनुच्छेद 110 की शर्तों को पूरा करता है।

संविधान। इस चरण तक, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता है।

पार्टियाँ। 515.5 . याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे धन विधेयक के दायरे से बाहर निकालने के प्रयास में बताए गए अन्य प्रावधानों की जांच करने पर, हमारा विचार है कि वे प्रावधान आकस्मिक प्रकृति के हैं जो अधिनियम के उचित संचालन में बनाए गए हैं।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

किसी भी मामले में, धारा 57 का एक हिस्सा पहले ही घोषित किया जा चुका है।

असंवैधानिक है। इस प्रकार हम मानते हैं कि आधार अधिनियम वैध है।

'धन विधेयक' के रूप में पारित किया गया।

52. बहुमत के निर्णय को समग्र रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है किः (i) अनुच्छेद 110 को एक अपवाद माना गया है –

द्विसदनीयता के सिद्धांत और इसलिए, प्रावधान की सख्त व्याख्या होनी चाहिए (यह अभिनिर्धारित किया गया है); (ii) धारा 7 ने आधार विधेयक के मूल प्रावधान का गठन किया जो अनुच्छेद 110 के लिए संदर्भित था जबकि अन्य प्रावधान आकस्मिक थे; और (iii) धारा 57 को असंवैधानिक माना गया था जहाँ तक कि इसने कॉर्पोरेट निकायों सहित निजी संस्थाओं द्वारा आधार मंच के उपयोग की अनुमति दी थी। टिप्पणियाँ। इसलिए, पैरा 472 का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि बहुमत न्याय्यता पर अंतिम विचार व्यक्त करने से बचता है।

53. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के फैसले में विशेष रूप से कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। ब्रिटेन में संसद अधिनियम 1911 और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 37 के प्रावधानों सहित अनुच्छेद 110 के संवैधानिक इतिहास का पता लगाने के बाद, निर्णय अनुच्छेद 122 के प्रावधानों और अनुच्छेद 212 में संबंधित प्रावधान (i) विशेष संदर्भ; (ii) रामदास अठावले; और (iii) राजा राम पाल के निर्माण पर निर्भर करता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है यदि यह अवैधता या उल्लंघन से ग्रस्त है

संवैधानिक प्रावधानों, मोहम्मद सईद सिद्दीकी और योगेंद्र कुमार जयसवाल के फैसलों को अस्वीकार कर दिया गया था। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थिति से अलग करते हुए, निर्णय में कहा गया हैः

" 1067. न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में, थे जैसा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने देखा, "आदर्शवाद" के साथ तैयार किया गया [ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूनिवर्सिटी प्रेस (1966), पी। 205.] देश के न्यायालय हैं

संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है और इसके

मूल्यों। संवैधानिक न्यायालयों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग की जांच करने का कर्तव्य सौंपा गया है।

संविधान। संस्थागत पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं

संविधान द्वारा बनाया गया संविधान के विपरीत कार्य कर सकता है

मापदंड। न्यायिक समीक्षा सिद्धांतों और भावना की रक्षा करती है।

संविधान से। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के मनमाने आचरण पर रोक लगाना है। यह. सार्वजनिक अधिकारियों को संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है। अगर

हमारे संविधान को राजनीतिक उतार–चढ़ाव से बचना होगा

कर्तव्यों और कानून के शासन के अनुपालन के लिए रास्ता दें। संवैधानिक संस्थानों को शक्ति और विशेषाधिकार के संचय के केंद्र बिंदु के रूप में नहीं देखा जा सकता है। वे उन सभी लोगों द्वारा विश्वास में रखे जाते हैं जो इस समय उन पर कब्जा कर रहे हैं। अनित्यता

सत्ता उन लोगों के लिए एक उदास प्रतिबिंब है जो कब्जा कर लेते हैं संवैधानिक कार्यालय। संविधान में ए पर विचार नहीं किया गया है

यह जिन संस्थानों का निर्माण करता है, उनका अवमूल्यन। लोकसभाक अध्यक्षक कार्यालय कोनो अपवाद नहि भऽ सकैत अछि। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों के साथ इसके अनुपालन की कसौटी पर परखा जा सकता है। न ही अध्यक्ष का ऐसा निर्णय संवैधानिक नैतिकता को छोड़ सकता है।

54. न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपनी अलग राय में विशेष रूप से कहा कि किसी विधेयक को धन के रूप में प्रमाणित करने में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा में सक्षम है। विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 901. हमने संविधान पीठ के फैसलों पर ध्यान दिया है किहोतो होल्लोहन [किहोतो होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू, 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651] और राजा राम पाल [राजा राम पाल बनाम। लोकसभा, (2007) 3 एस. सी. सी. 184] कि अध्यक्ष के निर्णय की अंतिमता नहीं है

न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित। सभी विधेयकों को पारित किया जाना आवश्यक है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा। अपवाद इस मामले में दिया गया है कि

धन विधेयक और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के मामले में। घटना में, हम विद्वान महान्यायवादी के निवेदन को स्वीकार करते हैं कि

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण केवल प्रक्रिया का विषय है और अनुच्छेद 122 (1), किसी भी विधेयक के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जो कि रोजर मैथ्यू v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अनुच्छेद 110 के तहत आवश्यक संवैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करना उच्च सदन से पारित करके धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है।

विषय में स्पष्ट अंतर है।

" प्रक्रिया की अनियमितता "और" मूल अवैधता "।

जब कोई विधेयक आवश्यक संवैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता है

अनुच्छेद 110 (1) के तहत शर्त, उक्त आवश्यकता नहीं हो सकती है

केवल अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन पर वाष्पित कहा जाए।

इस प्रस्तुति को स्वीकार करना कि प्रमाणन प्रतिरक्षित करता है

संवैधानिक व्यवस्था को पूरा न करने के आधार पर चुनौती शर्त, अदालत संवैधानिक अनुमति देगी

प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाए और पारित किया जाए। इस प्रकार हम विचार है कि विधेयक को प्रमाणित करने वाले अध्यक्ष का निर्णय

क्योंकि धन विधेयक केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है और

घटना, निर्णय में कोई अवैधता हुई है और

निर्णय स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन है प्रावधानों के अनुसार, निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हम.

इसलिए, उनका विचार है कि तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

मोहम्मद में इस न्यायालय का। सईद सिद्दीकी [मो. सईद सिद्दीकी बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 11 एस. सी. सी. 415] और दो न्यायाधीशों की पीठ

योगेंद्र कुमार जयस्वाल [योगेंद्र] मामले में इस अदालत का फैसला

कुमार जायसवाल बनाम। बिहार राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 183: (2016) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1] सही कानून निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि

कि आधार विधेयक को प्रमाणित करने वाला अध्यक्ष का निर्णय

धन विधेयक न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।

(जोर दिया गया)

न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने तब गुण–दोष के आधार पर कहा कि विधेयक

धन विधेयक के रूप में सही ढंग से पारित किया गया।

55. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय

न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। अनुच्छेद 122 (1) के तहत प्रक्रिया की अनियमितता और मूल अवैधता के बीच स्पष्ट अंतर है। जहाँ तक न्यायिक समीक्षा का संबंध है, अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष का प्रमाण पत्र निर्णायक नहीं है। न्यायिक समीक्षा यह निर्धारित कर सकती है कि धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को वैध रूप से पारित करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया था या नहीं। बहुमत के बीच अंतर का बिंदु (न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक [2019] 16 एस. सी. आर. के निर्णयों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूषण) और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि गुण–दोष के आधार पर, बहुमत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आधार विधेयक अनुच्छेद 110 (1) के अर्थ के भीतर एक धन विधेयक है, जबकि असहमति अन्यथा थी।

56. न्यायमूर्ति सीकरी के फैसले को समग्र रूप से पढ़ने पर, विद्वान महान्यायवादी की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की समीक्षा का मुद्दा है

बहुमत के निर्णय से बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया। किसी भी स्थिति में, वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे को देखते हुए, हमने पुट्टास्वामी में निर्णय से स्वतंत्र रूप से न्यायिक समीक्षा के पहलू पर विचार किया है।

ई. राज्य सभा की भूमिका

57. राज्यसभा में दो सौ पचास से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमे से बारह को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

साहित्य, विज्ञान, कला में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव और समाज सेवा) और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधि 44। चौथा

एकल हस्तांतरणीय वोट "। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। 44 80 (1) राज्यों की परिषद] में (क) राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले बारह सदस्य होंगे –

खंड (3) के प्रावधान; और

(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधि नहीं।

(2) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्य परिषद में सीटों का आवंटन इन प्रावधानों के अनुसार होगा।

चौथी अनुसूची में अंतर्विष्ट इस संबंध में।

(3) खंड (1) के उपखंड (क) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्:

साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।

(4) राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

वोट करें।

(5) राज्य परिषद में [केंद्र शासित प्रदेशों] के प्रतिनिधि होंगे –

संसद विधि द्वारा विहित रीति से चुना जाए।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

58. राज्यसभा, लोकसभा के विपरीत, के अधीन नहीं है

विघटन लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य बारी–बारी से सेवानिवृत्त होते हैं। द लोक

इसके एक तिहाई सदस्य निर्धारित अंतराल पर बारी–बारी से सेवानिवृत्त होने के साथ संवैधानिक निरंतरता रखते हैं। के सिद्धांत के अनुसार संवैधानिक निरंतरता, अनुच्छेद 107 (4) में कहा गया है कि एक विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, खंड (5) के तहत, एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित होने पर राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 10846 के अधीन लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि, धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा की भूमिका में काफी कटौती की गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सभा के पास धन विधेयकों के संबंध में केवल एक सिफारिश करने की शक्ति है, जैसा कि पहले देखा गया है।

द्विसदनीयता

59. 14 वीं शताब्दी के ब्रिटेन में द्विसदनीयता का उदय हुआ। द हाउस

लॉर्ड्स ने एक कक्ष का प्रतिनिधित्व किया जहां सामंती प्रभुओं के साथ बहस हुई, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में नागरिक थे। प्रतिनिधित्व किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वंशानुगत साथी शामिल थे जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके ऐतिहासिक मूल में आवश्यकता के अनुसार संपत्ति रखने वाले व्यक्ति शामिल थे। अटलांटिक के पार, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने द्विसदनीयता को अपनाया। संवैधानिक

1787 के सम्मेलन ने एक संवैधानिक समझौते का प्रतिनिधित्व किया जिसमें प्रतिनिधि सभा में सीधे निर्वाचित विधानसभाएं शामिल थीं, प्रत्येक मतदाता के पास चुनावों में समान वोट था और सीनेट, जहां प्रत्येक राज्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित दो सदस्यों को भेज सकता था। में 45 83. (1) राज्य परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन संसद द्वारा कानून द्वारा उस ओर किए गए प्रावधानों के अनुसार, उसके सदस्यों में से लगभग एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

(2) लोक सभा, जब तक कि शीघ्र भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 1 [पाँच वर्ष] के लिए जारी रहेगी और अब और नहीं और 1 [पाँच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में कार्य करेगीः बशर्ते कि उक्त अवधि, जबकि आपातकाल की घोषणा लागू है, संसद

द्वारा कानून द्वारा एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए और किसी भी मामले में आपातकाल लागू होने के बाद छह महीने की अवधि से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती है।

घोषणा का संचालन बंद हो गया है।

46 अनुच्छेद 108 में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फेडरलिस्ट पेपर्स, जेम्स मैडिसन ने एक द्विसदनीय विधायिका के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उच्च सदन के रूप में सीनेट के महत्व को रेखांकित किया:

" पहला. विधान सभा की दूसरी शाखा के रूप में एक सीनेट, जो पहले से अलग है और उसके साथ शक्ति को विभाजित करता है, सभी मामलों में सरकार पर एक हितकारी रोक होनी चाहिए। यह हड़पने या धोखाधड़ी की योजनाओं में दो अलग–अलग निकायों की सहमति की आवश्यकता के द्वारा लोगों की सुरक्षा को दोगुना कर देता है, जहां एक की महत्वाकांक्षा या भ्रष्टाचार अन्यथा पर्याप्त होगा। ..... दूसरा: एक सीनेट की आवश्यकता सभी एकल और कई विधानसभाओं की अचानक और हिंसक भावनाओं के आवेग के आगे झुकने और तथ्यात्मक नेताओं द्वारा असंयमित और हानिकारक प्रस्तावों में बहकाने की प्रवृत्ति से कम इंगित नहीं होती है।

तीसरा: सीनेट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक अन्य दोष कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ उचित परिचित होने की कमी में निहित है। यह संभव नहीं है कि पुरुषों की एक सभा जो निजी प्रकृति के कार्यों से अधिकांश भाग के लिए बुलाई गई थी, थोड़े समय के लिए नियुक्ति में बनी रही, और सार्वजनिक व्यवसाय के अंतराल को कानूनों, मामलों और अपने देश के व्यापक हितों के अध्ययन के लिए समर्पित करने का कोई स्थायी उद्देश्य नहीं था, अगर पूरी तरह से खुद पर छोड़ दिया जाए, तो देश में कई महत्वपूर्ण गलतियों से बचना चाहिए।

उनके विधायी विश्वास का प्रयोग। ..... एक अच्छी सरकार दो बातों को दर्शाती है: पहला, सरकार के उद्देश्य के प्रति निष्ठा, जो लोगों की खुशी है; दूसरा, उन साधनों का ज्ञान जिनके द्वारा उस उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। .....

चौथा: सार्वजनिक परिषदों में परिवर्तनशीलता नए सदस्यों के तेजी से उत्तराधिकार से उत्पन्न होती है, चाहे वे कितने भी योग्य हों, सबसे मजबूत तरीके से, कुछ स्थिर सदस्यों की आवश्यकता को इंगित करता है।

सरकार में संस्था। 60. मैडिसन ने सीनेट की कल्पना एक निकाय के रूप में की जो लागू करता है

सरकार पर एक स्वागत योग्य जाँच। मैडिसन के लिए, दो विधायी निकायों की सहमति की आवश्यकता ने हड़पने के खिलाफ सुनिश्चित किया सार्वजनिक शक्ति। सीनेट की कल्पना एक ऐसे निकाय के रूप में की गई थी जो शांत विचार-विमर्श करने में सक्षम था, जो उस समय के शासक भावनाओं से अलग था। एक गंभीर आवाज के रूप में, सीनेट, जिसकी कल्पना की गई थी, कानून बनाने में विशेषज्ञता को प्रतिबिंबित करेगी। यह एक ऐसी संस्था थी जो संवैधानिक शासन में स्थिरता का प्रतीक थी।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एच. एम. सीरवई ने अपने शास्त्रीय पाठ, भारत का संवैधानिक कानून 47 में

एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में राज्यसभा की स्थिति का उल्लेख करता है

एडरल संरचनाः

" सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, संसद (केंद्रीय विधानमंडल) है राज्यों पर निर्भर, क्योंकि इसके एक सदन, परिषद

राज्य परिषद के पास मार्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज हो सकती है वित्तीय विधेयकों के अलावा अन्य विधान। दूसरा, संशोधन के लिए एक विधेयक

संविधान को प्रत्येक सदन द्वारा पारित किए जाने की आवश्यकता है

उस सदन में पूर्ण बहुमत से अलग से संसद और

उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम से कम दो-तिहाई। तब से

राज्य परिषद अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा चुनी जाती है, संशोधन में राज्य विधानमंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संविधान की आवश्यकता के कारण विशेष

प्रत्येक सदन में बहुमत। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण मामले अनुच्छेद 368 के प्रावधान में उल्लिखित (संविधान का संशोधन)

संसद द्वारा कम से कम आधे संख्या द्वारा अनुमोदित किया जाता है राज्यों के विधानमंडल। चौथा, अनुच्छेद का संशोधन।

352 44 वें संशोधन द्वारा राज्यों की परिषद को सबसे अधिक अधिकार दिया गया है।

आपातकाल की घोषणा में महत्वपूर्ण आवाज, क्योंकि

आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए

के संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत द्वारा अलग से संविधान। पाँचवाँ, संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है।

भारत के राष्ट्रपति जो सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं

लेकिन एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें (ए) निर्वाचित होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, और (बी)

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सीधे तौर पर राज्य विधानमंडलों के पास चुनाव में पर्याप्त मतदान की शक्ति है।

राष्ट्रपति; उस शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया जाता है

राज्य परिषद, जो विधान सभाओं द्वारा चुनी जाती है

राज्यों का "।

61. राज्यसभा सचिवालय ने अपने प्रकाशन में शीर्षक दिया है

भारतीय संसद में पहला सदनः राज्य की भूमिका और अध्ययनएम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, यूनिवर्सल लॉ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, खंड ।, (1991),

पीपी।

299–300 [2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक संस्थान के रूप में राज्यसभा की स्थिति पर जोर दिया

o राज्यों की आकांक्षाएं, राष्ट्र के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए उस क्षमता में योगदान देना। प्रकाशनराज्य सभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैंः

" (i) संविधान के अनुच्छेद 249 में प्रावधान है कि राज्यसभा कम से कम दो के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकती है।

एक तिहाई सदस्य इस आशय से उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है कि संसद किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाए।

राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय। फिर, संसद को पूरे भारत के क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए प्रस्ताव में निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा संकल्प एक के लिए लागू रहता है

एक वर्ष की अधिकतम अवधि लेकिन इस अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

समाधान;

((ii) संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है जो यह घोषणा करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है –

संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, संसद को कानून द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन करने की शक्ति है; और

(iii) संविधान के तहत, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में (अनुच्छेद 356), या वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की स्थिति में घोषणाएं जारी करने का अधिकार है। आम तौर पर ऐसी प्रत्येक घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।

एक निर्धारित अवधि के भीतर संसद। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, राज्यसभा को इस संबंध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि कोई उद्घोषणा जारी की जाती है

जब लोकसभा का विघटन उसके अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर होता है, तो घोषणा प्रभावी रह सकती है यदि कोई संकल्प हो।

इसे मंजूरी देते हुए, राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है।

कुलदिप नायर की ओर से मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल बोल रहे हैं।

संविधान पीठ ने राज्य सभा की भूमिका पर जोर दिया

टिप्पणियाँः

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 47. राज्यसभा एक ऐसा मंच है जहाँ अनुभवी सार्वजनिक हस्तियों को आम चुनाव के हंगामे से गुजरे बिना प्रवेश मिलता है जो लोकसभा के मामले में अपरिहार्य है। यह लोकसभा पर एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में कार्य करता है। दो वाद–विवाद कक्षों के अस्तित्व का अर्थ है कि सभी प्रस्ताव और

सरकार की योजनाओं पर दो बार चर्चा की गई है। ए के रूप में

सदन को संशोधित करते हुए, राज्यसभा पारित विधेयकों में सुधार करने में मदद करती है

लोकसभा द्वारा "।

राज्यसभा की भूमिका का महत्व भी था

पुट्टास्वामी में न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी (अपनी और दो अन्य न्यायाधीशों की ओर से लिखना) द्वारा जोर दिया गया। उन टिप्पणियों को पूरा करते हुए, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने संघवाद के संविधान की बुनियादी विशेषताओं का हिस्सा होने के संदर्भ में राज्य सभा की स्थिति को रखा हैः

" 1106. राज्य सभा की संस्थागत संरचना को राष्ट्र के बहुलवाद और भाषा, संस्कृति, धारणा और रुचि की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया गया है। विधायी प्रस्तावों की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा की परिकल्पना की गई थी। संसद के दूसरे सदन के रूप में, यह जल्दबाजी और गलत कल्पना वाले कानून पर रोक लगाने के रूप में कार्य करता है, जिससे विधायी कार्य की जांच का अवसर मिलता है। राज्य सभा की भूमिका कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए आंतरिक है। ऊपरी सदन निचले सदन के कामकाज को पूरा करता है।

कई मायनों में कक्ष। राज्यसभा लोकसभा के संबंध में संतुलन की एक संस्था के रूप में कार्य करती है और संघीय संरचना का प्रतिनिधित्व करती है [एस. आर. बोम्मई बनाम. भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1: भारत का ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1998]। राज्य सभा का अस्तित्व और भूमिका दोनों ही संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं। हमारे संविधान की संरचना राज्य सभा को संघीय द्विसदनीयता की संस्था के रूप में देखती है, न कि केवल एक साधारण द्विसदनीय विधायिका के हिस्से के रूप में। इसका

"सीनेट" के बजाय "राज्यों की परिषद" के रूप में नामकरण

उचित रूप से इसके संघीय महत्व को उचित ठहराता है।

63. द्विसदनीय विधानमंडलों की विशेष रूप से संघीय संरचनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका है। राज्य सभा, जैसा कि आपका संविधान जोर देता है, राज्यों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व

करती है और इसलिए संघीय (2019) 16 एस. सी. आर. के संवैधानिक डिजाइन में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

64. धन विधेयकों को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद 110 (1) के प्रावधानों और वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधानों को स्पष्ट करने वाले अनुच्छेद 117 (1) के प्रावधानों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 117 (1) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या संशोधन अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (ए) से उपखंड (ए) तक भारत के राष्ट्रपति और ऐसा प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्य परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। 'केवल' शब्द जो धन विधेयकों की परिभाषा में अनुच्छेद 110 (1) में प्रयुक्त है, अनुच्छेद 117 (1) में अनुपस्थित है। राज्य सभा 48 में विधायी प्रक्रिया बताती है कि वित्तीय विधेयक क्रमशः । और ॥ श्रेणियों में शामिल हैं:

" बी। वित्तीय बिल–श्रेणी–।

संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) के तहत आने वाला विधेयक

इसे वित्तीय विधेयक कहा जाता है। यह एक ऐसा विधेयक है जो बनाने का प्रयास करता है

अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान और अन्य मामले भी। कहने के लिए, यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें धन विधेयक की दोनों विशेषताएँ हैं।

पहला, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, और दूसरा, इसे राष्ट्रपति की सिफारिशों के अलावा पेश नहीं किया जा सकता है। इन दो अंतर बिंदुओं को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में एक वित्तीय विधेयक किसी भी अन्य सामान्य विधेयक की तरह ही है।

(सी)। वित्तीय बिल–श्रेणी–॥ बिलों का एक और वर्ग है जो वित्तीय बिल भी हैं।

अनुच्छेद 117 (3) के अधीन। इस तरह के बिल उल्लिखित धन बिलों और वित्तीय बिलों के बजाय सामान्य बिलों की प्रकृति के होते हैं।

इससे पहले। इस श्रेणी के बीच अंतर का एकमात्र बिंदु

वित्तीय विधेयक और साधारण विधेयक यह है कि ऐसा वित्तीय विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है और लागू किया जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है और इसे दोनों में से किसी द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।

48 राज्य सभा में विधायी प्रक्रियाः राज्यसभा सचिवालय में पी।

17 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संसद का सदन जब तक कि राष्ट्रपति ने उस सदन को विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं की है। अन्य सभी मामलों में विधेयकों की यह श्रेणी सामान्य विधेयकों की तरह ही है, ताकि इस तरह के वित्तीय विधेयक को राज्य सभा में पेश किया जा सके, इसके द्वारा संशोधित किया जा सके या एक संयुक्त विधेयक बनाया जा सके।

बैठक को राज्य सभा में पेश किया जा सकता है, इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है या ऐसे विधेयक पर सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है।

उपरोक्त वर्गीकरण एक वित्तीय विधेयक के साथ एक धन विधेयक के अंतर पर फिर से जोर देता है, जो एक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद के उपखंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट विवरण के 'केवल' प्रावधान हैं।

110 (1) .

65. राज्यसभा राष्ट्र के बहुलवाद को दर्शाती है और शक्ति का संतुलन सुनिश्चित करती है। यह एक अनिवार्य संरचनात्मक इकाई है

संविधान की संघीय रीढ़। संसद के दोनों सदनों के बीच संभावित मतभेदों को केवल नजरअंदाज करके हल नहीं किया जा सकता है

राज्यसभा। हमारे जैसी संघीय राजनीति में, जानबूझकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए एक संवैधानिक निकाय की प्रभावशीलता

संवाद, न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षण द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है

किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अध्यक्ष का निर्णय।

एफ चुनौती के लाभ एफ. 1 धन विधेयक के रूप में पारित होना

66. 19 फरवरी 2014 को, 26 न्यायाधिकरणों के "अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की समान शर्तें" प्रदान करने के लिए राज्य सभा में अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) विधेयक 2014 पेश किया गया था। विधेयक के खंड 3 में प्रावधान हैः

" 3. विनिर्दिष्ट अधिनियमों के प्रावधानों में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधान

निर्दिष्ट के तहत नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों पर लागू होता है

क्रियाएँः

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जैसा भी मामला हो,

उक्त अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले कार्यालय।

' विधेयक की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों का उल्लेख किया गया था।

विधेयक को विभाग से संबंधित स्थायी समिति [2019] 16 एस. सी. आर. को भेजा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसने 26 फरवरी 2015 को अपनी 74 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 11 अप्रैल 2017 को इस विधेयक को वापस ले लिया गया था।

67. वित्त विधेयक 2017 को संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) और (3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। 1 फरवरी 2017 को विधेयक पेश किए जाने के समय, वित्त विधेयक 2017

इसमें वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए सात अनुसूचियों के साथ 150 खंड शामिल हैं। विधेयक में अन्य बातों के साथ–साथ कराधान–प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सेवा करों और अन्य वित्तीय पहलुओं से संबंधित कानून में संशोधन, जोड़ और संशोधन करने के प्रस्ताव शामिल थे। वित्त विधेयक 2017 के भाग VII में प्रतिभूति अपीलीय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की मांग की गई थी न्यायाधिकरण 4 9 की स्थापना एस. ए. टी. में नियुक्तियों के लिए मौजूदा प्रावधानों में बदलाव करने और एस. ई. बी. आई. अधिनियम 19925 के तहत की गई थी। वित्त विधेयक को 21 मार्च 2017 को चर्चा के लिए लिया गया था और 22 मार्च 2017 को लोकसभा द्वारा 29 सरकारी संशोधनों के साथ पारित किया गया था।

68. 21 मार्च 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने भाग 11 (जिसे बाद में भाग के रूप में पुनर्नामित किया गया) को शामिल करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा।

वित्त अधिनियम में XIV) जिसमें वित्त विधेयक के 34 नए खंड और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं। लोकसभा में कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया नियमों के नियम 80 (i) में कहा गया है किः

" 80. संशोधनों की स्वीकार्यता। निम्नलिखित शर्तें स्वीकार्यता को नियंत्रित करेंगी

विधेयक के खंडों या अनुसूचियों में संशोधनः

(i) एक संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड के विषय के लिए प्रासंगिक होगा जिससे यह संबंधित है।

चर्चा के दौरान, अध्यक्ष ने गैर–राजकोषीय विषयों से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करने के खिलाफ आपत्ति को खारिज कर दिया। लोकसभा की बहसें स्पष्ट करती हैंः

" माननीय। सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के दौरान जब वित्त विधेयक, 2016 पर विचार के समय इसी तरह की आपत्तियां उठाई गई थीं, तो मैंने देखा था कि नियम 219 के अनुसार, प्राथमिक उद्देश्य

वित्त विधेयक का उद्देश्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही,

49 " एसएटी " 50 " एस. ई. बी. आई. अधिनियम 1992 "रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यह नियम गैर को शामिल करने की संभावना से इनकार नहीं करता है कराधान प्रस्ताव। इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया है। वित्त

विधेयक में गैर–कराधान प्रस्ताव भी हो सकते हैं।

अतः आनुषंगिक प्रावधान किए जा सकते हैं। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियम 2019 विशेष रूप से वित्त विधेयक में गैर–कराधान प्रस्तावों को शामिल करने पर रोक नहीं लगाता है, मैं ओडर के मुद्दे को खारिज करता हूं।

बिल। 22 मार्च 2017 को, सदन ने भाग 11 (वित्त अधिनियम में भाग XIV के रूप में पुनर्नामित) को शामिल करने के लिए एक संशोधन के साथ वित्त विधेयक 2017 को अपनाया। विधेयक को अध्यक्ष के

प्रमाणन के साथ अनुच्छेद 109 (2) के तहत राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा ने 29 मार्च 2017 को अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को वापस कर दिया। 30 मार्च 2017 को लोकसभा ने सिफारिशों को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना गया। 70. वित्त विधेयक 2017 के पारित होने पर, 1 जून 2017 को वित्त मंत्रालय में भारत संघ द्वारा नियमों को अधिसूचित किया गया था। वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के संदर्भ में, नियम निर्दिष्ट करते हैं: (i) पात्रता के मानदंड; (ii) चयन की प्रक्रिया; (iii) इस्तीफे और हटाने के प्रावधान; (iv) वेतन और परिलब्धियां; (v) कार्यकाल और कार्यकाल; और (vi) अनुसूचित न्यायाधिकरणों के सदस्यों को छुट्टी और भत्ते जैसी अन्य सेवा शर्तें।

वित्त अधिनियम 2017 के भाग XIV का शीर्षक है: न्यायाधिकरणों और अन्य के विलय के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन

अध्यक्षों के अधिकार और सेवा की शर्तें,

सदस्य आदि "।

71. धारा 158 कई संसदीय संशोधनों को प्रभावित करती है।

अधिनियमः

आई. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

ii. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध

प्रावधान अधिनियम 1952

iii. प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 iv. व्यापार चिह्न अधिनियम 1999

वी. रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम 1987

vi. रेलवे अधिनियम 1989 [2019] 16 एस. सी. आर.

vii. तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वाले

(सम्पत्ति ज़ब्ती) अधिनियम, 1976

viii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999

ix. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994

x. राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण (भूमि और यातायात)

अधिनियम 2002

xi. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997

xii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

xiii. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण

अधिनियम 2008

xiv. प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002

xv. कम्पनी अधिनियम 2013

xvi. सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952

xvii. आय कर अधिनियम 1961

xviii. सीमा शुल्क अधिनियम 1962

xix। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985

एक्सएक्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

xxi। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992

xxii। बैंकों और वित्तीय ऋणों की वसूली

संस्थान अधिनियम 1993

xxiii. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 XXIV। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010

2. धारा 183 में प्रावधान हैः

83. आठवीं अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के ओविशंस में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, नियत दिन को और उससे, धारा 4 के प्रावधान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य या, जैसा भी मामला हो, उक्त के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों पर लागू होंगे।

अनुसूचीः

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि धारा 184 के प्रावधान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या, जैसा भी मामला हो, पर लागू नहीं होंगे।

होने के तुरंत पहले इस तरह के पद धारण करने वाले सदस्य

नियत दिन "।

आठवीं अनुसूची में 19 न्यायाधिकरणों की एक सूची है, जिसके तहत उनका गठन किया गया था। धारा 183 उन अधिनियमों के प्रावधानों को ओवरराइड करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि नियत दिन से, धारा के प्रावधान अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों और न्यायाधिकरणों के सदस्यों या, जैसा भी हो, अपीलीय न्यायाधिकरणों पर लागू होंगे। जो तुरंत पद धारण करते हैं

ई निर्धारित दिन को बाहर कर दिया गया है।

धारा 184 में कहा गया हैः

आठवीं अनुसूचीः बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से पांच साल से अधिक नहीं।

जिस तारीख को वह अपने पद पर प्रवेश करेगा और इसके लिए पात्र होगा

पुनर्नियुक्तिः

बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट आयु प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का पद धारण करेंगे।

सरकार जो इससे अधिक नहीं होगी,

(क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के मामले में,

सत्तर वर्ष की आयु; [2019] 16 एस. सी. आर.

(ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य सदस्य के मामले में,

साठ–सात वर्ष की आयुः

(2) न तो वेतन और भत्ते और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य नियम और शर्तें,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अन्य प्राधिकरण उनके नुकसान के लिए भिन्न हो सकते हैं।

उनकी नियुक्ति के बाद।

73. धारा 184 ने केंद्र सरकार को (i) योग्यता; (ii) नियुक्ति; (iii) पद की अवधि; (iv) वेतन और भत्ते; (iv) त्यागपत्र; (vi) निष्कासन; और (viii) सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के लिए प्रावधान करने के लिए एक नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है। परंतुक में कहा गया है कि पद की अवधि ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित की गई है जो पांच साल से अधिक नहीं होगी और एक सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अधिकतम आयु सीमा

दूसरे परंतुक द्वारा निर्धारित किया गया है। धारा 185 (1) में कहा गया है कि अध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी और न्यायाधिकरणों या अपीलीय न्यायाधिकरणों के सदस्य जो नियत दिन से पहले पद धारण करते हैं, वे ऐसा करना बंद कर देंगे और तीन महीने के वेतन से अधिक के मुआवजे के हकदार होंगे और पद की अवधि या सेवा अनुबंध की समय से पहले समाप्ति के लिए भत्ते।

74. भारत के विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV उप के संदर्भ में टिकाऊ है

अनुच्छेद 110 के खंड (1) के खंड (सी), (डी) और (जी)। निवेदन यह है कि अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन पूरे वित्त विधेयक का है जब

इसे राज्यसभा में भेजा गया था। महान्यायवादी ने आग्रह किया कि वेतन का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाए। एक बार जब यह स्थिति हो जाती है, तो भाग XIV के अन्य प्रावधान, यह आग्रह किया गया था, प्रकृति में आकस्मिक हैं। यह तर्क दिया जाता है कि वेतन, भत्ते और पेंशन का भारत की संचित निधि के साथ सीधा संबंध होगा और ये वित्त अधिनियम 2017 में निहित प्रावधानों के अनुरूप हैं। इस संदर्भ में, इस पर निर्भरता रखी गई थीः (i) संवैधानिक वैधता का अनुमान (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 5 1, आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ 52 और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय

51 (1952) एससीआर 284

52 (1981) 4 एस. सी. सी. 675 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जांच ब्यूरो 5 3); (ii) शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का महत्व (भीम सिंह बनाम भारत संघ 54)।

अपीलीय न्यायाधिकरणों सहित न्यायाधिकरणों का गठन किया गया। संशोधनों द्वारा और उनके परिणामस्वरूप, संबंधित वैधानिक प्रावधान नियुक्ति के लिए योग्यता, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की शर्तें और वेतन, भत्ते, त्यागपत्र और हटाने सहित सेवा के नियम और शर्तों को ओवरराइड किया जाता है और धारा 184 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। धारा 184 केंद्र सरकार को उपरोक्त सभी को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

इन न्यायाधिकरणों में नियुक्त न्यायिक कर्मियों के संबंध में पहलू। इस प्रक्रिया द्वारा, मूल विधान में सन्निहित शासी वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड किया जाता है और केंद्र सरकार को प्रक्रिया के अन्य पहलुओं को तैयार करने का अधिकार दिया जाता है।

पद के लिए योग्यता और प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से सेवा की शर्तों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया। 76. हमारे विचार में, यह धन विधेयक के गठन के लिए अनुच्छेद 110 (1) में निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक में गैर–राजकोषीय प्रस्तावों को शामिल करने पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन गैर–राजकोषीय विषयों को शामिल करने की अनुमति देते समय, अनुच्छेद 110 (1) का उपखंड (छ) इस आवश्यकता को मूर्त रूप देता है कि ऐसा मामला उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए आकस्मिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी गैर–राजकोषीय मामले को शामिल करने की अनुमति है

धन विधेयक केवल तभी होगा जब वह उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी मामले के लिए आनुषंगिक या सहायक हो। भाग XIV ने आठवीं और नौवीं अनुसूचियों में निर्दिष्ट अधिनियमों में निहित मूल प्रावधानों

को निरस्त और प्रतिस्थापित किया है जो अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (ए) से (एफ) के लिए संदर्भित नहीं हैं। इस प्रकार वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV उपखंड (छ) के अर्थ के भीतर आकस्मिक नहीं है। इसका स्पष्ट परिणाम यह है कि अनुच्छेद 109 में निहित विशेष प्रक्रिया को अपनाकर, अनुच्छेद 107 और 108 के तहत सामान्य विधेयकों को नियंत्रित करने वाली मूल प्रक्रिया को अनुचित बना दिया गया है। यदि भाग XIV में निहित प्रावधानों को एक साधारण विधेयक के रूप में अधिनियमित किया जाना था, तो राज्य सभा के पास विधायी प्रस्तावों की प्रकृति पर विचार–विमर्श करने और चर्चा करने में एक महत्वपूर्ण आवाज होगी। भाग XIV में ऐसे प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 110 के तहत अनुमेय क्षेत्र के बाहर हैं।

53 (2014) 8 एस. सी. सी. 682

54 (2010) 5 एससीसी 538 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

77. हम विद्वान महान्यायवादी की इन दलीलों से प्रभावित नहीं हैं कि चूंकि वेतन संचित निधि से देय हैं, इसलिए वित्त अधिनियम का भाग XIV अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (सी) और (डी) के साथ संबंध रखता है और अन्य प्रावधान केवल आकस्मिक हैं। यह कि संशोधन का भारत की संचित निधि पर वित्तीय बोझ पड़ता है, संशोधन को अनुच्छेद 110 (1) के दायरे में लाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। प्रावधानों के गहन विश्लेषण पर, यह स्पष्ट है कि जिसे आकस्मिक होने का दावा किया जाता है, उसने पूरी विधायी कवायद को निगल लिया है। वित्त अधिनियम 2017 के भाग XIV के प्रावधानों में कई संशोधन किए गए हैं जिनमें पद और कार्यकाल की नियुक्ति के लिए योग्यता और प्रक्रिया शामिल है और वेतन, भत्ते, त्यागपत्र और हटाने सहित सेवा की शर्तें जिन्हें केवल भारत की संचित निधि पर वित्तीय बोझ के सवाल तक कम नहीं किया जा सकता है। भाग XIV का प्रभाव आठवीं और नौवीं अनुसूचियों में निर्दिष्ट न्यायाधिकरणों के न्यायनिर्णायक कर्मियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले मूल अधिनियमों में निहित प्रावधानों में संशोधन और उनका स्थान लेना है। इस कवायद को धन विधेयक को लागू करने की शक्ति के लिए एक वैध उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ग), (घ), (ङ) और (छ) के प्रति निर्देश। 79. उपखंड (ग) अन्य बातों के साथ–साथ भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने से संबंधित है।

भारत। उपखंड (घ) धन के विनियोग से संबंधित है।

भारत की समेकित निधि। उपखंड (ई) या तो किसी व्यय की घोषणा या भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय की राशि में वृद्धि को निर्धारित करता है। यह तर्क दिया गया कि वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV, जहाँ तक इसका भारत की संचित निधि पर प्रभाव है, अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (सी), (डी) और (ई) में निर्दिष्ट मामलों के लिए आकस्मिक है।

80. उपखंड (छ) में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान

उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट मामलों के लिए आनुषंगिक विषय अनुच्छेद 110 (1) के दायरे में आते हैं। हालांकि, यह तर्क देने से अलग है कि जहां किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के खंड (1) में निर्धारित उपखंड (ए) से (एफ) के लिए संदर्भित प्रावधान नहीं हैं, लेकिन इसमें एक रोजर गणित v है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

भारत की संचित निधि पर आकस्मिक प्रभाव डालने वाला यह विधेयक अपने आप में अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (छ) के दायरे में आएगा।

81. अनुच्छेद 110 (1) धन विधेयक को एक ऐसे विधेयक के रूप में परिभाषित करता है जिसमें सभी या इनमें से किसी भी मामले से संबंधित "केवल प्रावधान" शामिल हैं।

उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित मामलों पर आनुषंगिक प्रभाव डालना। हालांकि, उपखंड (जी) को ऐसे प्रावधानों वाले विधेयक की अनुमति देने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जो सीधे मामलों से संबंधित नहीं हैं। उपखंड (ए) से (एफ) में गणना की गई है, लेकिन उपखंड (ए) से (एफ) में गणना किए गए मामलों पर केवल एक आकस्मिक संबंध है। "आनुषंगिक" शब्द में विधेयक के प्रमुख विषयों के बीच का संबंध निहित है जो उपखंड (ए) से (एफ) और अन्य मामलों के लिए संदर्भित होना चाहिए। धन विधेयक होने का दावा करने वाले विधेयक का प्रत्येक प्रावधान अनिवार्य है।

खंड (क) से (च) में उल्लिखित किसी भी मामले से सीधे संबंधित है।

जहाँ यह दावा किया जाता है कि कोई प्रावधान उपखंड (छ) के दायरे में आता है, वहाँ प्रावधान को उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर निर्भर होना चाहिए या उससे संबंधित होना चाहिए।

82. वित्त अधिनियम 2017 के भाग XIV में कई संशोधन किए गए हैं जिनमें नियुक्ति के लिए योग्यता और प्रक्रिया शामिल हैं

व्यय जो भारत की संचित निधि से संबंधित हो सकता है। आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार करना उपखंड (जी) को उलटने और किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने की अनुमति देने के बराबर होगा जो अनुच्छेद 110 (1) में उल्लिखित मामलों के लिए संदर्भित नहीं है, जब तक कि

यह दिखाया जा सकता है कि प्रावधानों का भारत की समेकित निधि पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। 83. इसके अलावा, तर्क ने आग्रह किया कि वेतन निर्धारित करने के लिए शक्ति के हस्तांतरण का संचित निधि के साथ सीधा संबंध है

भारत वेतन में संशोधन करने की शक्ति और वेतन के निर्धारण या संशोधन के बीच के अंतर पर प्रकाश डालता है। वेतन निर्धारित करने या संशोधित करने की शक्ति के हस्तांतरण से, अपने आप में, यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने के कार्य के लिए प्राधिकरण का ऐसा हस्तांतरण ऊपर उल्लिखित उपखंडों में विचार किए गए तरीके से भारत की संचित निधि के लिए संदर्भित है।

84. नियुक्तियों के लिए योग्यता और प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण का हस्तांतरण, पद की शर्तें और पद के नियम और शर्तें वेतन, भत्ते, त्यागपत्र और न्यायाधिकरण के सदस्यों को विधायिका द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधानों से कार्यपालिका को हटाने सहित सेवा एक मूल अधिकार का हस्तांतरण है जिसका संवैधानिक डिजाइन के साथ–साथ न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ता है। वे अनुच्छेद 110 (1) के उपखंड (सी), (डी) और (ई) के लिए संदर्भित नहीं हैं और खंड (1) के उपखंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित किसी भी मामले के लिए प्रासंगिक मामले नहीं हैं।

अनुच्छेद 110।

85. निस्संदेह संवैधानिकता की एक धारणा है जो विधान से जुड़ी हुई है। यह धारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक संसदीय लोकतंत्र में विधायिका उस समय की जरूरतों और शर्तों को समझती है और यह कि सक्षम विधायिका के माध्यम से कानून बनाने वाली कार्यकारी सरकार दोनों के प्रति जवाबदेह है।

विधायिका और उन लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व सरकार की निर्वाचित शाखा करती है। लेकिन संवैधानिकता की धारणा वही है जो वह है, अर्थात्, एक धारणा। संवैधानिक जनादेश या स्थापित किए जा रहे उल्लंघन के स्पष्ट उल्लंघन पर धारणा को विस्थापित किया जा सकता है। जहां कोई विधेयक जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (जी) के लिए संदर्भित नहीं हैं, उसे धन विधेयक के रूप में पारित किया जाता है, जो अनुच्छेद 110 के अधिदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। द. संवैधानिकता की धारणा विस्थापित हो गई है।

86. विद्वान महान्यायवादी ने आग्रह किया कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए इस न्यायालय को सावधानी से चलने की आवश्यकता होगी क्योंकि

साधारण विधान के पारित होने के साथ आवश्यकताएँ। में। विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने का तत्काल प्रभाव राज्य सभा को उस विधायी भूमिका से वंचित करना है जो उसे पारित होने में सौंपी गई है

कानून।

87. एक विधायी संस्थान के रूप में राज्यसभा भारतीय संघवाद की आवाज, चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की भूमिका को कम करने के लिए रोजर मैथ्यू बनाम को शामिल किया गया था।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ संविधान के प्रारूपकों द्वारा। उनके विचार में, धन विधेयकों को उचित रूप से निचले सदन के अधिकार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जिसमें सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं – लोगों को। लेकिन किसी ऐसे विधेयक को, जो धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 110 के तहत पारित होना मूल प्रावधान का उल्लंघन है।

संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन और इसलिए, एक अवैधता। 88. हमारे संविधान का मूल अभिधारणा यह है कि प्रत्येक प्राधिकारी संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन है। कोई प्राधिकारी यह नहीं मान सकता है कि

अपने स्वयं के संवैधानिक जनादेश की सीमाओं को तय करने की अंतिम शक्ति। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक संवैधानिक प्राधिकरण अपने संवैधानिक कार्यों की सीमा के भीतर रहे और प्राधिकरण। किसी संवैधानिक संस्थान को उसकी सीमा के भीतर रखने में, न्यायिक समीक्षा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर दबाव नहीं डालती है। न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय में एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में निहित है।

यह निर्णय लेने में कि क्या किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने में संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हुआ है, न्यायिक समीक्षा शक्तियों के पृथक्करण द्वारा निर्धारित सीमा से आगे नहीं जाती है। इसके विपरीत, न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को इस न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की एक अलंघनीय विशेषता के रूप में लगातार मान्यता दी गई है। पात्रता के मानदंडों का निर्धारण, प्रक्रिया

चयन, सेवा की शर्तों और उन निष्पक्षता को विनियमित करने के लिए जिनके साथ न्यायाधिकरण के सदस्य अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और न्यायिक निकायों के रूप में उनकी प्रभावशीलता कार्यपालिका से उनके अलगाव पर निर्भर करती है। नियम बनाने की शक्ति को कार्यपालिका के अज्ञात ज्ञान पर छोड़ने से, एक आत्म–उन्मूलन हुआ है संसद। कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कार्यपालिका को न्यायाधिकरणों के विभिन्न पहलुओं पर एक नियंत्रण प्राधिकरण की अनुमति देना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी होगा जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

एफ. 2 इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन

89. वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के तहत नियमों ने न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (योग्यताएं,

अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2017 को 1 जून 2017 को अधिसूचित किया गया था। नियम 1 (3) निम्नलिखित शर्तों में नियमों को लागू करने का प्रावधान करता है:

" (3) ये नियम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखाकार सदस्य, प्रशासनिक सदस्य पर लागू होंगे।

न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व

सदस्य, तकनीकी सदस्य, न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, कॉलम में निर्दिष्ट प्राधिकरण

(2) वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची।

90. नियम 3 उन लोगों को नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है

न्यायाधिकरण जो अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट हैं। नियम 4

यह प्रावधान है कि भर्ती की विधि अनुसूची के कॉलम 4 में निर्दिष्ट की गई है। नियम 7 केंद्र सरकार द्वारा "इस संबंध में उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर" किसी सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान करता है। नियम 8 किसी सदस्य के कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। यह मंत्रालय या भारत सरकार के विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच पर विचार करता है जिसके तहत

न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन या स्थापना की जाती है। यह पता चलने पर कि जांच में उचित आधार हैं, गठित समिति को एक संदर्भ दिया जाता है।

नियम 7 के तहत। जाँच के समापन के बाद, समिति को अपने निष्कर्षों के साथ केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। नियम 9 अनुसूची के कॉलम 5 में निर्दिष्ट पद की अवधि के लिए कॉलम 6 में निर्दिष्ट आयु की सीमा के साथ प्रदान करता है। नियम 11 में प्रावधान है कि

केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए स्वीकार्य भत्तों और लाभों के साथ 2.5 लाख रुपये का निश्चित वेतन

एस. ए. टी. के अध्यक्ष या अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के मामले में समान वेतन। उपाध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों को 2 लाख 25 हजार रुपये का समेकित वेतन देय है।

अनुसूची के कॉलम 4 की संरचना को निर्धारित करता है

विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए खोज–सह–चयन समिति। औद्योगिक न्यायाधिकरण की खोज सह–चयन समिति इस प्रकार हैः

" पीठासीन अधिकारी के पद के लिए खोज–सह–चयन समिति–(i) केंद्र सरकार के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला व्यक्ति; (ii) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव–सदस्य; (iii) केंद्र सरकार के सचिव।

केंद्र सरकार के सदस्य द्वारा नामित की जाने वाली भारत सरकार; (iv) केंद्र द्वारा नामित किए जाने वाले दो विशेषज्ञ

सरकार–सदस्य "। रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यह स्पष्ट है कि खोज–सह–चयन समिति का गठन पूरी तरह से केंद्र सरकार के भीतर या उसके द्वारा नामित कर्मियों से किया जाता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को छोड़कर, अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य सभी सत्रह न्यायाधिकरणों के लिए खोज–सह–चयन समिति का गठन या तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के भीतर या उसके द्वारा नामित कर्मियों से किया जाता है या इसमें बहुमत होता है

केंद्र सरकार के कार्मिक। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की खोज–सह–चयन समिति में न्यायपालिका के साथ–साथ केंद्र सरकार के सदस्यों की समान संख्या होती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को कोई मतदान नहीं होता हैः

" (बी) न्यायिक सदस्य और अपीलीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य के पद के लिए खोज–सह–चयन समिति, (i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित–अध्यक्ष; (ii) एक वरिष्ठ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी सदस्य का मुख्य न्यायाधीश; (iii) भारत सरकार का सचिव, निगमित कार्य मंत्रालय–सदस्य; (iv) भारत सरकार का सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय–सदस्य।

चयन की प्रक्रिया मौलिक रूप से विनाशकारी है

न्यायिक स्वतंत्रता। केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण दर्जा है

कई न्यायाधिकरणों के समक्ष विवाद। अन्यथा भी, नियुक्तियाँ करने में सरकार को इस तरह की प्रभावशाली और भारी आवाज देना न्यायिक स्वतंत्रता की अवहेलना है।

91. 2017 के नियमों के नियम 4 के उप–नियम 2 में कहा गया है कि मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार के सचिव

खोज–सह–चयन समिति के संयोजक होंगे। आर गांधी के मामले में, न्यायालय ने विशेष रूप से चयन समितियों के गठन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

" (viii) अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित) और वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय के दो सचिवों और श्रम मंत्रालय में सचिव और कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव के साथ पांच सदस्यीय चयन समिति के बजाय। धारा 10–एफएक्स, चयन समिति को मोटे तौर पर इस पर होना चाहिए

निम्नलिखित पंक्तियाँ:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत–अध्यक्ष

(निर्णायक मत के साथ); [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के–सदस्य;

(ग) वित्त और कंपनी मंत्रालय में सचिव

मामलों के सदस्य; और

((घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव

सदस्य "।

(जोर दिया गया)

उल्लेखनीय रूप से, धारा 10 (एफ. एक्स.) जिसे इसमें सम्मिलित किया गया था

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के संविधान से संबंधित कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 में निम्नलिखित प्रावधान थेः

" 10 – एफएक्स। चयन समिति। – (1) अध्यक्ष और

अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य

न्यायाधिकरण की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी

एक चयन समिति की सिफारिशें जिसमें

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या

उनके मनोनीत

अध्यक्ष;

(ख) मंत्रालय में सचिव

वित्त और कंपनी मामले

सदस्य;

((c) श्रम मंत्रालय में सचिव

सदस्य;

((घ) विधि मंत्रालय में सचिव

और न्याय (विधि विभाग) कार्य या विधायी विभाग)

सदस्य;

(ई) मंत्रालय में सचिव

वित्त और कंपनी मामले

(कंपनी मामलों का विभाग) "

सदस्य

92. मद्रास बार एसोसिएशन में, राष्ट्रीय कर की धारा 7

न्यायाधिकरण अधिनियम 2005 ने एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान किया। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित किया जा रहा है

न्यायाधिकरण, सदस्यों का कद, सेवा की शर्तें और सदस्यों की नियुक्ति और हटाने का तरीका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान होना चाहिए। धारा 7 को (अन्य प्रावधानों के साथ) अमान्य माना गया था। न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर (तत्कालीन विद्वान न्यायाधीश के रूप में) द्वारा दिए गए बहुमत के प्रमुख फैसले में कहा गया थाः

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 131. धारा 7 को अन्यथा भी नहीं माना जा सकता है संवैधानिक रूप से वैध, क्योंकि इसमें एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल है,

केंद्र सरकार के विभागों के सचिव। इस संबंध में यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि एक तरफ केंद्र सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

एन. टी. टी. के समक्ष प्रत्येक मुकदमा। यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि किसी मुकदमे में एक पक्ष चयन प्रक्रिया में भाग ले सकता है जिसके तहत न्यायनिर्णायक निकाय के अध्यक्ष और सदस्य

चुना गया। यह मान्यता प्राप्त का भी उल्लंघन होगा।

हिंड्स मामले में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा दर्ज संवैधानिक परंपरा

[हिंड्स वी। आर., 1977 एसी 195: (1976) 2 डब्ल्यूएलआर 366: (1976) 1 सभी ई. आर. 353 (पी. सी.)], अर्थात्, यह संविधान का मजाक बनाएगा, यदि विधायिका न्यायिक पदों के धारकों द्वारा पहले प्रयोग की जा सकने वाली अधिकारिता को एक नए न्यायालय/न्यायाधिकरण के धारकों को हस्तांतरित कर सकती है (जिसके साथ कुछ अलग नाम जुड़ा हुआ था) और यह प्रावधान करने के लिए कि नए न्यायिक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित

तरीके और शर्तों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऊपर अभिलिखित सभी कारणों के लिए, हम एतद्द्वारा धारा 7 घोषित करते हैं।

एन. टी. टी. अधिनियम, असंवैधानिक के रूप में "।

93. 2017 के नियमों की अनुसूची में निर्धारित खोज–सह–चयन समितियों का गठन संवैधानिक रूप से पारित नहीं हो सकता है

कानून के शासन द्वारा शासित एक प्रणाली के तहत इकट्ठा होना जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायिक कार्यप्रणाली राज्य के अन्य दो अंगों के हस्तक्षेप से मुक्त हो। केंद्र सरकार विभिन्न कानूनों के तहत गठित न्यायाधिकरणों के समक्ष सबसे बड़ी वादी है। द.

न्यायाधिकरणों के स्वतंत्र कामकाज से समझौता किया जाता है जहां कार्यपालिका के पास न्यायाधिकरणों के सदस्यों के चयन में नियंत्रण करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका अक्सर पहले एक वादी होती है और न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लिए जाने वाले विवादों में उसकी रुचि होती है। 2017 के नियमों में निर्धारित खोज–सह–चयन समितियों का गठन न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत और आर गांधी और मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है।

94. 2017 के नियमों की अनुसूची के कॉलम 5 में कहा गया है कि सभी न्यायाधिकरणों के लिए कार्यकाल तीन साल का होगा। यह आर गांधी में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की अवहेलना करता है। इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः

" (ix) तीन साल के कार्यकाल को एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए पात्रता के अधीन सात या पांच साल के कार्यकाल में बदल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। तीन साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है और जब तक सदस्य आवश्यक ज्ञान, विशेषज्ञता और दक्षता प्राप्त कर लेंगे, तब तक एक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के साथ तीन वर्ष की उक्त अवधि को उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन न्यायाधिकरणों को सेवानिवृत्ति के बाद के स्वर्ग के रूप में माने जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि इन न्यायाधिकरणों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करना है तो उन्हें युवा सदस्यों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए जिनके पास एक उचित अवधि होगी।

सेवा "।

नियम 18 (2) में कहा गया है कि जिन सदस्यों को न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया गया है, वे न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष वकालत नहीं करेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद प्राधिकरण। हम आर गांधी में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हैं। न्यायाधिकरणों के कुशल कार्यकरण में अंतर्निहित यह है कि न्यायाधिकरणों में नियुक्ति उन व्यक्तियों के लिए आकर्षक बनाई जाती है जिन्हें एक उचित अवधि की गारंटी दी जाती है।

सेवा करते हैं। 95. धारा 184 में कहा गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी

या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का सदस्य है पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र। इसे नियम 9 में दोहराया गया है। यह उल्लंघन है।

मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश की धारा 8, जिसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, को निम्नलिखित शर्तों में निरस्त कर दिया गया थाः

" 132. जहां तक एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 8 की वैधता का संबंध है, यह उसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से सामने आता है कि एक अध्यक्ष/सदस्य को एन. टी. टी. में पहली बार में 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसे अध्यक्ष/सदस्य 5 साल की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों अग्रिम प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है, कि एक प्रावधान पुनर्नियुक्ति का प्रभाव स्वयं होगा

अध्यक्ष की स्वतंत्रता को कम करना /

एनटीटी के सदस्य। नियुक्त प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य

एन. टी. टी. को रोजर गणित v में मामलों को तय करने के लिए विवश किया जाएगा।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जिस तरह से उनकी पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित होगी एनटीटी अधिनियम की धारा 8। उसके निर्णय हों या न हों।

उसकी स्वतंत्र समझ पर आधारित हो। हम हैं।

संतुष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान को कमजोर कर देगा

अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता और

एनटीटी के सदस्य। चूंकि एन. टी. टी. को अधिकार क्षेत्र दिया गया है। जो पहले उच्च न्यायालयों के पास था, के सभी मामलों में

नियुक्ति और कार्यकाल के विस्तार को इससे बचाया जाना चाहिए

कार्यकारी भागीदारी। हमारे तत्काल निष्कर्षों के कारण

ठीक वैसा ही हैं जैसा व्यवहार करते समय हमारे द्वारा व्यक्त किया गया है

एनटीटी अधिनियम की धारा 5 के साथ। इसलिए हम उस धारा को मानते हैं

8 एन. टी. टी. अधिनियम असंवैधानिक है। "

(जोर दिया गया)

नियम 20 केंद्र सरकार को छूट देने के लिए विशाल शक्तियां प्रदान करता है

लागू नियमों के प्रावधानः

" जहां केंद्र सरकार की राय है कि यह है

ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन, यह आदेश द्वारा कारणों से कर सकता है

व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में। 96. केंद्र सरकार जिसके लिए एक नियम बनाने का अधिकार है

धारा 184 द्वारा प्रदत्त उन सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है जो आर गांधी और मद्रास बार एसोसिएशन में अक्षर या भावना में प्रतिपादित किए गए थे। कार्यपालिका को चयन को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने के लिए ऐसी दिशाहीन शक्ति प्रदान करने में निहित खतरे, न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें उन नियमों से स्पष्ट होती हैं जो बनाए गए हैं। नियम इस न्यायालय के निर्णयों में निहित बाध्यकारी सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। ये नियम न्यायिक स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी हैं और असंवैधानिक हैं।

97. समापन से पहले, दो प्रख्यात लोगों को विज्ञापन देना आवश्यक है

अधिकारी जिनका आर गाँधी के निर्णयों में और मद्रास बार एसोसिएशन के सहमति वाले निर्णय में उल्लेख किया गया था। आर गांधी में, न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने टिप्पणी कीः

" 112. जो चिंता का विषय है वह धीरे–धीरे क्षरण है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और जगह का सिकुड़ना

न्यायपालिका द्वारा कब्जा कर लिया गया और संख्या में क्रमिक वृद्धि

कार्यों का निर्वहन करने वाली सिविल सेवा से संबंधित व्यक्ति और

अधिकारिता का प्रयोग करना जो पहले उच्च [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा प्रयोग किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत। उन मामलों को तय करने के लिए व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानकों और योग्यता को भी धीरे–धीरे कम किया जा रहा है जो

इससे पहले उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया जा रहा था।

विद्वान न्यायाधीश ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम ओ डगलस के चेतावनी भरे शब्दों का उल्लेख किया:

" 52. स्वतंत्रता की रक्षा करने में ईर्ष्या के साथ सतर्कता की आवश्यकता

न्यायमूर्ति विलियम ओ. डगलस द्वारा युवा वकीलों को दी गई सलाह में कमजोर करने और अतिक्रमण के खिलाफ अदालतों और न्यायाधिकरणों की प्रतिध्वनि मिलती है (द डगलस लेटर्स: निजी से चयन

मेल्विन एल. उरोफ्स्की द्वारा संपादित विलियम डगलस के पत्र, 1987

एडन। , पी। 162 , एडलर और एडलर):

" ..... संविधान और अधिकार विधेयक को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था सरकार सभी लोगों की पीठ थपथपा देती है। वे महान लोग।

दस्तावेजों ने हमें कल्याणकारी राज्य नहीं दिया। इसके बजाय, वे

लेकिन यह गारंटी स्व–निष्पादन नहीं है। जैसे रात नहीं आती सब एक साथ आते हैं, न ही उत्पीड़न होता है। दोनों ही उदाहरणों में, एक गोधूलि होती है जब सब कुछ अपरिवर्तित प्रतीत होता है। और यह ऐसी गोधूलि में है कि हम सभी को हवा में परिवर्तन के बारे में सबसे अधिक जागरूक होना चाहिए–चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो–ऐसा न हो कि हम अनजाने में इसका शिकार हो जाएँ।

अंधेरा "।

मद्रास बार एसोसिएशन में, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने अपने सहमति वाले फैसले में लॉर्ड एटकिन के एक फैसले का समर्थन किया:

" 178. स्वामित्व लेख व्यापार संगठन में। वी. कनाडा के अटॉर्नी जनरल [1931 एसी 310 (पीसी)], लॉर्ड एटकिन ने कहा: (एसी पी। 317)

" ..... उनके प्रभुत्व में कोई संदेह नहीं है कि केवल समय ही ऐसा करेगा। किसी ऐसे अधिनियम को मान्य नहीं करता जिसे चुनौती दिए जाने पर अधिकार से बाहर पाया जाता है और न ही इस सीमा को पार करने तक प्रगति की क्रमिक श्रृंखला का इतिहास अंतिम अतिक्रमण की रक्षा के लिए उपयोगी होगा।

98. हम पाते हैं कि हालांकि आर गांधी में 10 और मद्रास बार एसोसिएशन में 2014 में निर्णय दिया गया था, वही विसंगतियां हैं।दृढ़ रहे। न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया गया है जिससे कार्यकारी शक्ति का दावा किया जा रहा है। यह असंवैधानिक है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एफ. 3 गंभीरता

99. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि धन विधेयक के रूप में विधेयक के अध्यक्ष का प्रमाणीकरण पूरी तरह से संलग्न है

वित्त विधेयक। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि स्वीकार करने का परिणाम

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप संपूर्ण वित्त अधिनियम अमान्य हो जाएगा। हमारा विचार है कि इस न्यायालय को वित्त अधिनियम 2017 के भाग XIV में पृथकता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। आर. एम. डी. में इस न्यायालय के एक फैसले में गंभीरता लागू की गई थी। चमरबागवाला बनाम भारत संघ ("चमरबागवाला") 3. न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने इस न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

" 12. यह प्रश्न कि क्या कोई क़ानून जो आंशिक रूप से शून्य है, उसे पूरी तरह से शून्य माना जाना चाहिए, या क्या वह उस हिस्से के रूप में प्रवर्तन करने में सक्षम है जो वैध है, वह ऐसा है जो केवल उन निकायों द्वारा अधिनियमित कानूनों के संदर्भ में उत्पन्न हो सकता है जिनके पास नहीं है। कानून की असीमित शक्तियाँ, उदाहरण के लिए, एक संघीय संघ में विधायिकाएँ। उनकी शक्तियों की सीमा हो सकती है

दो प्रकार के: यह उस विषय के संदर्भ में हो सकता है–जिस पर वे कानून बना सकते हैं, उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूचियों में उल्लिखित विषय, कनाडा के संविधान की

धारा 91 और 92 और ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 51; या यह उस कानून के स्वरूप के संदर्भ में हो सकता है जिसे वे उन्हें सौंपे गए विषयों के संबंध में अधिनियमित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए,

क्या इस कारण से यह अनिवार्य रूप से पूरी तरह से शून्य हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या वैध को अमान्य से अलग किया जा सकता है, और वह है प्रश्न जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर किया जाना है।

55 1957 एससीआर 930 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा 3/4 में निर्णय को स्वीकार करते हुए,

संविधान पीठ ने टिप्पणी कीः

" यह निर्णय स्पष्ट अधिकार है कि पृथक्करण का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब अधिनियम की आंशिक अयोग्यता उत्पन्न होती है।

संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन के कारण "।

100. बॉम्बे बनाम यूनाइटेड मोटर्स (भारत) Ltd.57

मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा कि कर कानूनों से निपटने में पृथकता के सिद्धांत का विस्तार किया जाना चाहिए। चमरबागवाला में इन फैसलों को स्वीकार करने के बाद, न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने निष्कर्ष निकालाः

" 21 ..... परिणामस्वरूप स्थिति इस प्रकार बताई जा सकती हैः जब कोई क़ानून आंशिक रूप से अमान्य होता है, तो इसे बाकी के संबंध में लागू किया जाएगा, यदि वह अमान्य से अलग किया जा सकता है। यह उद्देश्य के लिए महत्वहीन है।

इस नियम की वैधता कारण से उत्पन्न होती है या नहीं

अपने विषय का–पदार्थ की क्षमता से बाहर होना

विधायिका या इसके प्रावधानों के उल्लंघन के कारण

संवैधानिक निषेध "।

सिद्धांत जो सिद्धांत के अभ्यास को नियंत्रित करते हैं

पृथकता को इस प्रकार तैयार किया गया हैः

" 22 .....

1. यह निर्धारित करने में कि क्या किसी क़ानून के वैध भाग उसके अमान्य भागों से अलग किए जा सकते हैं, यह विधायिका का इरादा है जो निर्धारित करने वाला कारक है। लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या विधायिका के पास होगा

वैध भाग को अधिनियमित किया यदि उसे पता था कि शेष क़ानून अमान्य था। वीड कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, वॉल्यूम। 82 , पी। 156 ; सांविधिक निर्माण पर सदरलैंड, खंड। 2 पीपी।

176–177 .

2. यदि वैध और अमान्य प्रावधान इतने अटूट हैं

यह मिलाया जाए कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, तो एक हिस्से की अयोग्यता के परिणामस्वरूप अधिनियम की संपूर्णता अमान्य होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि वे इतने अलग और अलग हैं कि जो अमान्य है उसे बाहर निकालने के बाद, जो बचा है वह अपने आप में एक पूर्ण कोड है।

बाकी से स्वतंत्र, फिर इसे बरकरार रखा जाएगा

56 1951 एससीआर 682 57 1953 एस. सी. आर. 1069 ई. आर. गणित बनाम.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इसके बावजूद कि बाकी अप्रवर्तनीय हो गए हैं। वीड कूलीज़ कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशन, वॉल्यूम। मैं पीपी में हूँ। 360 361 ; सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड, पीपी। 217–218 .

यहां तक कि जब वैध प्रावधान उन प्रावधानों से अलग और अलग हैं जो अमान्य हैं, अगर वे सभी एक ही योजना का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य समग्र रूप से संचालित होना है, तो भी एक हिस्से की अयोग्यता के परिणामस्वरूप संपूर्ण रूप से विफल हो जाएगा। वीडिय क्रॉफर्ड सांविधिक पर

निर्माण, पीपी। 218–219 .

इसी तरह, जब किसी कानून के वैध और अमान्य हिस्से स्वतंत्र होते हैं और किसी योजना का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन अमान्य हिस्से को छोड़ने के बाद जो बचा रहता है वह इतना पतला और कटा हुआ होता है कि वह विधायिका से बाहर आने के समय की तुलना में अलग होता है, तो यह भी होगा।

पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाए।

किसी कानून के वैध और अमान्य प्रावधानों की पृथकता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि क्या कानून एक ही धारा या विभिन्न धाराओं में अधिनियमित किया गया है। आई, पीपी। 361–362) ; यह नहीं है

प्रपत्र, लेकिन उस मामले का सार जो सामग्री है, और जिसे समग्र रूप से अधिनियम की जांच और प्रासंगिक प्रावधान की स्थापना पर पता लगाया जाना है। उसमें।

यदि अमान्य भाग को कानून से हटा दिए जाने के बाद जो बचा है उसे लागू किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

उसमें परिवर्तन और संशोधन, फिर इसे शून्य के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए, अन्यथा यह न्यायिक विधान के बराबर होगा। वीडिय सदरलैंड सांविधिक पर

निर्माण, खंड। 2 , पी। 194 .

पृथक्करण के प्रश्न पर विधायी आशय का निर्धारण करने में, विधान के इतिहास, इसके उद्देश्य, शीर्षक और प्रावधान को ध्यान में रखना वैध होगा। इसकी प्रस्तावना करें। वैधानिक निर्माण पर सदरलैंड के माध्यम से,

खण्ड. 2 , पीपी। 177–178 . "

वर्तमान मामले में, इन सिद्धांतों को लागू करना

वित्त अधिनियम 2017 का XIV अलग करने योग्य है। उपरोक्त [2019] 16 एस. सी. आर. में से पहले के तहत री का इरादा मार्गदर्शक सिद्धांत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धांत। संसद, किसी भी स्थिति में, वित्त अधिनियम 2017 के वैध भागों को अधिनियमित करती यदि उसे पता होता कि भाग XIV अमान्य है। वैध और अमान्य भाग इतने अटूट रूप से जुड़े नहीं हैं कि भाग XIV की अयोग्यता के परिणामस्वरूप बाकी की अयोग्यता हो। न ही भाग XIV वित्त अधिनियम 2017 के अन्य भागों से जुड़ी समग्र योजना का हिस्सा है। भाग XIV के निष्कासन के बाद भी शेष भाग

वित्त अधिनियम अभी भी अपने आप बना रहेगा। इसलिए, वित्त अधिनियम 2017 के भाग XIV को अधिनियम से हटा दिया जा सकता है।

102. अंत में, विद्वान महान्यायवादी द्वारा इस आशय की एक प्रबल याचिका दायर की गई कि भले ही इसमें कुछ प्रावधान निहित हों।

1 जून 2017 को बनाए गए नियम सिद्धांतों के विपरीत हो सकते हैं। आर गांधी और मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, केंद्र सरकार कुछ संशोधनों के साथ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी। हम निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV धन विधेयक के रूप में अधिनियमित नहीं किया जा सकता था। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निंयम इस आधार पर असवैधानिक हैं कि वे इस न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

जी निष्कर्ष

103. वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV धन विधेयक के रूप में अधिनियमित नहीं किया जा सकता था। धारा 184 के तहत नियम बनाने की शक्ति के अनुसार बनाए गए नियमों को माना जाता है –

असंवैधानिक है। हालाँकि, चूंकि इन के लंबित रहने के दौरान

कार्यवाही, अंतरिम आदेशों के अनुसरण में कुछ कदम उठाए गए थे और नियुक्तियां की गई हैं, हम निर्देश देते हैं कि वे नियुक्तियां असंवैधानिकता की घोषणा से प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि इस तरह से नियुक्त कर्मियों को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें मूल अधिनियमों का पालन करेंगी। असंवैधानिकता की घोषणा के बाद, मूल अधिनियमों में सभी संबंधित पहलुओं में निर्दिष्ट शर्तें जारी रहेंगी। 104. इस न्यायालय ने बार–बार न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया है।

चंद्र कुमार के मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद लगभग

दो दशक पहले, विधायिका द्वारा एक छत्र संगठन स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे उस प्रणाली की कमियों को दूर करने का काम सौंपा जाएगा, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया है। क्षमता और समान सेवा सुनिश्चित करने के लिए एकल प्राधिकरण की कमी रोजर मैथ्यू v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

परिस्थितियों ने एक खंडित न्यायाधिकरण प्रणाली को जन्म दिया है जो उस उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए प्रणाली का गठन किया गया था। इसके अलावा, सभी न्यायाधिकरणों के लिए समन्वय प्राधिकरण न्याय विभाग होना चाहिए। अलग–अलग मंत्रालयों में उस कार्य को लागू करने से अव्यवस्था हुई है

न्यायाधिकरण संरचना का विकास, न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे पैदा करने के अलावा।

105. यह आवश्यक है कि एक व्यापक वैधानिक संगठन

न्यायाधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए विधायी हस्तक्षेप के माध्यम से गठित किया जाए। हम एक स्वतंत्र वैधानिक के गठन की सिफारिश करते हैं। "राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग" नामक निकाय सदस्यों की चयन प्रक्रिया, नियुक्ति के मानदंड, वेतन और भत्ते, सामान्य पात्रता मानदंड की शुरुआत, अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने के साथ–साथ बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी कार्य करता है। इस कानून का उद्देश्य सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तों को निर्धारित करना होना चाहिए। आयोग में निम्नलिखित सदस्य होने चाहिएः

(i) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीन सेवारत न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित;

((ii) उच्च न्यायालय के दो सेवारत मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित;

((iii) केंद्र सरकार द्वारा कम से कम एक सचिव के पद पर आसीन अधिकारियों में से दो सदस्यों को नामित किया जानाः उनमें से एक न्याय विभाग का सचिव होगा जो पदेन संयोजक होगा; और

((iv) भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा दो स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों को नामित किया जाएगा।

भारत में न्यायाधिकरण प्रणाली के कामकाज को देखा जाता है। द.

58 " एनटीसी "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना की एक अलंघनीय विशेषता है। चयन, नियुक्ति, सदस्यों को हटाने और सेवा शर्तों के प्रिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया

न्यायाधिकरण के सदस्य न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है, न्यायिक स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने में, न्यायनिर्णायक निकाय को मजबूत होना चाहिएः विशेष निर्णय के संदर्भ में न्याय प्रदान करने की

आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी और किसी के अधीन नहीं। यह अदालतों और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता की रक्षा में सतर्कता की आवश्यकता में परिलक्षित होता है।

108. योग्यता, व्यावसायिकता और विशेषज्ञता

विशेष न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के अपरिहार्य पहलू। आयोग के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि –

सिस्टम से। केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायाधिकरण सेवा का गठन सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए न्यायाधिकरणों के लिए गैर–न्यायिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करना। वर्तमान में, प्रशासनिक कर्मचारी

न्यायाधिकरणों को मोटे तौर पर प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है। न्यायाधिकरणों में प्रशिक्षित प्रशासनिक कर्मियों की पर्याप्त कमी है। इसलिए, न्यायाधिकरण के प्रभावी कामकाज के हित में एक अखिल भारतीय न्यायाधिकरण सेवा स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है

प्रणाली।

यद्यपि वर्तमान निर्णय शब्द के दायरे का विश्लेषण करता है।

" केवल अनुच्छेद 110 (1) में और अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (जी) की व्याख्या और यह निष्कर्ष निकालना कि वित्त का भाग XIV

अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में वैध रूप से अधिनियमित नहीं किया जा सकता था, मैं उन कारणों से सहमत हूं जो भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा धन विधेयक के पहलू को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने और तदनुसार निर्देश देने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

भाई जस्टिस की टिप्पणियों से मैं सहमत हूं।

दीपक गुप्ता ने कहा कि न्यायाधिकरणों में सदस्यों की योग्यता एक आवश्यक विधायी कार्य है और इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरणों की अवधारणा विशिष्ट क्षेत्र के साथ विशेष निकायों के रूप में की गई है। ज्ञान विशेषज्ञता। इस विशेष निर्णयात्मक कार्य के लिए अनिवार्य है अपने विषय में प्रशिक्षित सदस्यों का चयन।

कीपिंग रोजर मैथ्यू वी। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरणों के सदस्यों के लिए योग्यता का निर्धारण अपने सबसे आवश्यक चरित्र में एक विधायी कार्य है।

कार्य करता है और केंद्र सरकार के नियम बनाने के अधिकार को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। यह विधायिका का काम है कि वह शर्तों को परिभाषित करे जिसे क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता का आकलन करने के बाद नियुक्ति के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

दीपाक गुप्ता, जे।

1. मुझे मुख्य न्यायाधीश और उनके भाई जे. चंद्रचूड़ के विस्तृत और विवेकपूर्ण निर्णयों को देखने का सौभाग्य मिला है।

2. चूंकि मुख्य न्यायाधीश के फैसले में तथ्यों, प्रस्तुतियों और कानूनों के पूरे सरगम पर विचार किया गया है, इसलिए संक्षिप्तता के लिए, सभी तथ्यों और तर्कों को निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा।

विवरण। 3. 'न्यायाधिकरण' को दिए गए इस निर्णय में न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण के भाग XIV में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण शामिल होंगे।

वित्त अधिनियम, 2017। 'अध्यक्षों/सदस्यों' के संदर्भ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या धारा 184 में निर्दिष्ट अन्य सदस्य शामिल होंगे।

वित्त अधिनियम, 2017। कुछ न्यायाधिकरणों की नियामक और न्यायनिर्णायक दोनों भूमिकाएँ होती हैं। इसके बाद की अधिकांश चर्चा न्यायाधिकरणों की न्यायिक भूमिका से संबंधित है।

4. मुख्य न्यायाधीश के फैसले में उद्धृत दिनांक 1 का आदेश स्पष्ट रूप से उन मुद्दों को निर्धारित करता है जिनके साथ वर्तमान पीठ का संबंध है। इसे संक्षेप में रखने के लिए, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या न्यायाधिकरण न्यायालयों का एक प्रभावी विकल्प हैं; यदि हां, तो उन्हें किसे नियुक्त करना चाहिए। कानून में लगातार बदलते विकास और भारत के संविधान के अनुच्छेद 323–ए और 323–बी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों के विकल्प के रूप में न्यायाधिकरणों पर रोक लगा दी गई है।

5. मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है:

दृढ़ संकल्प के लिए दावेः

I. क्या 'वित्त अधिनियम, 2017' जहां तक कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करता है और विभिन्न न्यायाधिकरणों का संचालन करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में बदलाव करता है, उसे अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' कहा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप –

वैध रूप से अधिनियमित?

II. यदि उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है तो क्या वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण असंवैधानिक है?

III. यदि धारा 184 वैध है, तो क्या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें)

सदस्य) नियम, 2017 प्रधान अधिनियम और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप हैं।

न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली?

IV. क्या इसके लिए एकल नोडल एजेंसी होनी चाहिए

सभी न्यायाधिकरणों का प्रशासन?

V. क्या न्यायिक प्रभाव के संचालन की आवश्यकता है

भारत में सभी न्यायाधिकरणों का मूल्यांकन?

VI. क्या न्यायाधिकरणों के न्यायाधीश अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए हैं

संविधान के अनुच्छेद 323–ए और 323–बी के तहत संसद को 'रैंक' और 'स्टेटस' के बराबर माना जा सकता है। संवैधानिक पदाधिकारी?

VII. क्या न्यायाधिकरणों से प्रत्यक्ष वैधानिक अपीलें

सुप्रीम कोर्ट को मोड़ दिया जाना चाहिए?

VIII. क्या मौजूदा के एकीकरण की आवश्यकता है

न्यायाधिकरण और पीठों की स्थापना।

6. मोटे तौर पर मैं तर्क से सहमत हूँ और

मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए निष्कर्ष, विशेष रूप से मुद्दों 1 और

8 तक। हालाँकि, मैं खुद को सहमत होने के लिए राजी करने में असमर्थ हूँ

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 2017 के वित्त अधिनियम की धारा 184 अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से प्रभावित नहीं होती है। मेरा विचार रोजर मैथ्यू बनाम भी है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

कि यद्यपि धन विधेयक के संबंध में मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है, क्योंकि कानून की शुद्धता निर्धारित की गई है। एल. चंद्रकुमार बनाम। भारत संघ पर संदेह नहीं किया गया है, इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. मुझे यह भी लगता है कि इसके लिए कुछ विशिष्ट निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।

न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक निकाय की नियुक्ति। इस तरह के निकाय को देखने के लिए कुछ मापदंडों या संदर्भ बिंदुओं को निर्धारित करना भी आवश्यक हो सकता है। मेरा विचार है कि सरकार ने आज तक एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की 7–न्यायाधीश पीठ की सिफारिश का पालन नहीं किया है कि

सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए स्वतंत्र एजेंसी, इस संबंध में कुछ निर्देशों की आवश्यकता है। अंत में, मुझे लगता है कि न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों का चयन करने के लिए एक निकाय के गठन के लिए निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।

8. मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने से पहले

इसमें शामिल, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि भाग XIV में कुछ स्पष्ट त्रुटियां हैं जो स्पष्ट रूप से दिमाग के गैर–अनुप्रयोग को दर्शाती हैं।

9. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 9 ए थी

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 181 द्वारा प्रस्तुत किया गया और निम्नानुसार हैः

" 9 ए. इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते,

त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा के नियम और शर्तें

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ के बाद नियुक्त किया गया

वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा –

उस अधिनियम की धारा 184: बशर्ते कि इससे पहले नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य

वित्त अधिनियम के अध्याय VI के भाग XIV का प्रारंभ,

और उसके तहत बनाए गए नियम जैसे कि धारा 184 के प्रावधान वित्त अधिनियम, 2017 लागू नहीं हुआ था।

(जोर दिया गया)

यह सेवा की योग्यता, नियम और शर्तें प्रदान करता है।

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों आदि। यह प्रावधान दिमाग के पूर्ण गैर–अनुप्रयोग को दर्शाता है क्योंकि सशस्त्र बल

1 1 (1997) 3 एससीसी 261 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 में अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 6 स्वयं अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रदान करती है और यह स्पष्ट नहीं है कि वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा धारा 9 ए को लागू करके क्या हासिल करने की मांग की गई थी।

पृष्ठभूमि

समीक्षा 2, लोकतंत्र, शक्तियों का पृथक्करण 3 आदि। संविधान की ये बुनियादी विशेषताएं हमारे संविधान और राजनीति का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं। 11. मौलिक अधिकारों को निर्धारित करने वाले संविधान के भाग III को अक्सर लोगों के दिल और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया है।

संविधान। मेरे विचार में, संविधान के सार को हमारे संस्थापकों ने संविधान की प्रस्तावना में खूबसूरती से चित्रित किया था

जहाँ हमने खुद से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा किया था। प्रस्तावना की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता न्याय है। भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, यह भी प्रस्तावना का एक हिस्सा है। हमारे संविधान के तहत अंतिम शक्ति लोगों के पास है, न कि सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के पास।

12. कानून का शासन एक सुनहरा धागा है जो हमारे संविधान के माध्यम से चलता है। यह सुनहरा धागा विभिन्न अध्यायों को एक साथ बांधता है।

नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघ, राज्य, पंचायत, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग, संघ और राज्यों के तहत सेवाओं आदि से संबंधित संविधान। इनमें से प्रत्येक पहलू न केवल संविधान द्वारा बल्कि कानूनों द्वारा शासित होता है। शपथ, जिसके लिए हम में से प्रत्येक, संवैधानिक पदों पर आसीन है, हमें संविधान और कानूनों को बनाए रखने का आदेश देता है।

यही कानून का शासन है। हमारे लोकतंत्र का आधार शासन है

कानून और पुरुषों का शासन नहीं। कहीं भी, कभी भी, जब आम लोगों को चुनने का मौका दिया जाता है, तो चुनाव हमेशा समान होता है; स्वतंत्रता, अत्याचार नहीं; लोकतंत्र, तानाशाही नहीं; कानून का शासन, लोकतंत्र का शासन नहीं।

पुरुषों। 13. लोकतंत्र और कानून के शासन दोनों के आवश्यक तत्वों में से एक स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका है। मुक्त और जीवंत

2 मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1980) 2 एस. सी. सी. 591; एल. चंद्र कुमार बनाम।

भारत संघ, (1997) 3 एस. सी. सी. 261

3 केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

देश वह है जहाँ कानून के शासन द्वारा अभिव्यक्ति और शासन की स्वतंत्रता है। कानून का शासन तभी हो सकता है जब हमारे पास न्यायाधीश और न्यायनिर्णायक हों जो किसी भी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र निर्णय ले सकें। यदि कानून का शासन नहीं है, तो कोई जवाबदेही नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार है। जब कानून का शासन गायब हो जाता है, तो हम कानूनों द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों की विशिष्टताओं और सनक द्वारा शासित होते हैं जो कानून में हैं।

शक्ति। 14. न्यायाधिकरण रुकने के लिए आ गए हैं। मुख्य न्यायाधीश और उनके भाई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ दोनों ने न्यायाधिकरण के मुद्दे पर बहुत विस्तार से विचार किया है। एक पहलू जिस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है और जो मेरे विद्वान भाइयों के निर्णयों से भी सामने आता है, वह यह है कि जो लोग न्यायाधिकरणों का संचालन करते हैं, उन्हें न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान सम्मान मिलना चाहिए और जहां तक संभव हो, उनके पास समान योग्यताएँ और गुण होने चाहिए। यह नितांत आवश्यक है

क्योंकि यदि इस देश के लोगों को न्यायाधिकरणों में विश्वास रखना है तो यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित लोगों का कर्तव्य है कि ये न्यायाधिकरण निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करें।

अदालतों की तरह स्वतंत्र रूप से उम्मीद की जाती है। कानून की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता में वृद्धि के साथ, यह आग्रह करना संभव नहीं होगा कि हमें विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता नहीं है। किसी भी इंसान से पूरे कानून को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों के रूप में हमें कानून के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी का तेजी से बदलता चेहरा और लोगों की लगातार बढ़ती मांगों के कारण हजारों नए कानून लागू हुए हैं और इनमें से कुछ के लिए प्रौद्योगिकी के साथ कानून की कुछ शाखाओं के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

15. भारत में अदालतें सभी क्षेत्राधिकारों को सफलतापूर्वक संभाल रही थीं। समस्या प्रतिभा की कमी नहीं थी। समस्या की कमी नहीं थी

ज्ञान + । मुख्य समस्या जनसंख्या की तुलना में न्यायाधीशों की बहुत कम संख्या और बहुत अधिक रिक्ति की स्थिति थी। न्याय का न्यायाधिकरण इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि अदालतें थीं मामलों को संभालने में असमर्थ लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि मामलों को निपटाने में भारी देरी हुई थी। अब जटिल वाणिज्यिक मामलों के लिए भी विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। लेकिन इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजी से बढ़ते तकनीकी विश्व में विशेषज्ञ न्यायनिर्णायकों की आवश्यकता है। इसलिए, विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है। अदालतों के विकल्प होने के नाते इन न्यायाधिकरणों को हमारे संस्थापकों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए और पूरी तरह से स्वतंत्र और निडर होना चाहिए।

भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एस. सी. सी. 1 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. दुर्भाग्य से, कुछ न्यायाधिकरणों का काम करना वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। सभी समस्याएं व्यक्तियों के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। जो न्यायाधिकरणों को चलाते हैं। भारी रिक्तियों, कुछ पीठों, वित्तीय संकट और लोगों की निर्भरता के कारण कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

विभागों पर न्यायाधिकरण, जो दुख की बात है कि न्यायाधिकरणों का प्रशासन करते हैं। जहाँ तक प्रशासनिक मामलों का संबंध है, कुछ न्यायाधिकरण वस्तुतः विभागों के अधीन हैं और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ न केवल सही निर्णय लेने की

स्वतंत्रता है, बल्कि कार्यात्मक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धारणाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने वाली मुकदमेबाज जनता क्या महसूस करती है? क्या न्यायाधिकरण सरकार की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है या एक स्वतंत्र निकाय के रूप में? यदि शक्तियों का पृथक्करण करना है तो इन न्यायाधिकरणों को खुद को चलाने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता होनी चाहिए जैसा वे सबसे अच्छा महसूस करते हैं।

17. इस पृष्ठभूमि में, मैं मुख्य न्यायाधीश द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करूंगा।

मुद्दा संख्या 1

माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ कि भाग XIV के बारे में मुद्दा वित्त अधिनियम, 2017 का एक धन विधेयक है या नहीं, इसे एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है।

मुद्दा नं. 2

19. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 का संबंध है, मैं मुख्य न्यायाधीश के निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संसद

सभी मामलों से निपटने की अपेक्षा नहीं की जाती है और यह कुछ "गैर–आवश्यक" मामलों को कार्यपालिका को सौंप सकता है। हर शर्त को विधानमंडल द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

20. अपने निर्णय में मुख्य न्यायाधीश ने प्रत्यायोजन की सीमाओं से संबंधित निर्णयों का उल्लेख किया है। उन निर्णयों में जो कुछ भी कहा गया है उसे दोहराना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ का संदर्भ दिया जा सकता है।

रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

21. ए 7–अनुच्छेद 143, भारत का संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम (1912) आदि में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। 5 अभिनिर्धारित किया कि विधायिका से सभी मुद्दों पर कानून बनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है और उसे एक प्रतिनिधि को गैर–आवश्यक कार्य सौंपने की शक्ति है। साथ ही, फैसले को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि "आवश्यक विधायी कार्यों" को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि गैर–आवश्यक विधायी कार्यों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। इसके लिए भी एक चेतावनी है। विधायिका के पास प्रतिनिधि पर नियंत्रण और कार्यात्मक शक्तियां होनी चाहिए। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के ज्ञात तरीकों में से एक प्रतिनिधि के लिए विधायिका के समक्ष उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा पारित नियमों/आदेशों को रखना है। प्रत्यायोजित विधान पर हमेशा विधायी नियंत्रण होना चाहिए।

22. ग्वालियर रेयॉन मिल्स बनाम। सहायक आयुक्त, बिक्री कर, खन्ना, जे. ने इस मामले को अपनी अनूठी शैली में निपटाया। फैसले के पैरा 24 और 25 को मुख्य न्यायाधीश की राय में उद्धृत किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि पैरा 26 भी बहुत प्रासंगिक है और यह इस प्रकार हैः

" 26. हम इस विचार को स्वीकार करने में भी असमर्थ हैं कि यदि विधायिका किसी अधिनियम को निरस्त कर सकती है, जैसा कि वह सामान्य रूप से कर सकती है, तो यह अधीनस्थ बनाने वाले प्राधिकरण पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है।

विधान और, इस प्रकार, विधायिका के लिए क़ानून में विधायी नीति, मानक या दिशानिर्देश निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने से चौंकाने वाले परिणाम निकलेंगे। मान लीजिए कि कल संसद यह अधिनियमित करती है कि जैसे–जैसे देश में अपराध की स्थिति बिगड़ गई है, देश में किसी विशेष तिथि से लागू किया जाने वाला आपराधिक कानून वैसा ही होगा जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी द्वारा बनाया गया है। क्या यह कहा जा सकता है कि विधायी शक्ति का कोई अत्यधिक प्रत्यर्पण नहीं हुआ है, भले ही संसद में निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया हो

इस तरह के आपराधिक कानून बनाने के लिए कोई दिशानिर्देश या विधायी नीति? इस तरह के एक अधिनियम की बुराई, हमारे में नहीं हो सकता है

राय, इस आधार पर नजरअंदाज या दृष्टि खो दी जाए कि यदि संसद अधिकारी द्वारा बनाए गए कानून को मंजूरी नहीं देती है संबंधित, यह उस अधिनियम को निरस्त कर सकता है जिसके द्वारा वह अधिकारी था

कानून बनाने के लिए अधिकृत "।

5 आकाशवाणी (38) 1951 एससी 332

6 ए. आई. आर 1974 एस. सी. 1660 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. हरिशंकर बागला बनाम। एम. पी. स्टेट ', परीक्षण यह निर्धारित किया गया था कि नीति का एक उचित रूप से स्पष्ट विवरण होना चाहिए जो प्रत्यायोजित विधान के निर्माण का मार्गदर्शन करे। 24. रमेश बिर्च बनाम। भारत संघ, इस न्यायालय की एक पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायिका अपने आवश्यक विधायी कार्यों से अपने हाथ नहीं धो सकती है। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया।

" 19 ..... एक अलग तरीके से जिसमें उपरोक्त विचारों में से दूसरे को व्यक्त किया गया है और यह वह दृष्टिकोण है जो तब से हावी है–यह कहना है कि विधानसभाएं अपने आवश्यक विधायी कार्य से अपने हाथ नहीं धो सकती हैं। आवश्यक विधायी कार्य में पर्याप्त मात्रा में विधायी नीति निर्धारित करना शामिल है।

स्पष्टता और मानकों को स्पष्ट करने में जो होने चाहिए

कानून के शासन में अधिनियमित। इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। जिसे प्रत्यायोजित किया जा सकता है वह केवल अधीनस्थ विधान का कार्य है जो अपनी प्रकृति से उस क़ानून का सहायक है जो इसे बनाने की शक्ति प्रदान करता है और जो विधायिका द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन की नीति और ढांचे के भीतर होना चाहिए।

वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा न्यायाधिकरणों की संख्या घटाकर 19 कर दी गई। यह सरकार का मामला है कि न्यायाधिकरण आवश्यक हैं ताकि तकनीकी रूप से योग्य लोग न्यायाधिकरण का संचालन कर सकें। विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। जरूरी बात

प्रशासनिक सदस्यों के पदों को भरने के लिए योग्यताएँ न्यायाधिकरण, कंपनी कानून न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

पूरी तरह से अलग हो। यह कार्य, मेरी राय में, एक आवश्यक विधायी कार्य होने के नाते, विशेष रूप से कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए बिना प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता था।

25. धारा 184 केंद्र सरकार को योग्यता, नियुक्ति अवधि, वेतन और अन्य प्रावधानों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। विभिन्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अन्य के भत्ते आदि।

आकाशवाणी 1954 एससी 465

8 1989 मान लीजिए (1) एस. सी. सी. 430 रोजर गणित v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 इस प्रकार है:

184. (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य प्रावधानों के लिए नियम बना सकती है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें।

अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य या, जैसा भी मामला हो, आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणः

बशर्ते कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य

न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करेगा, उससे पांच साल से अधिक नहीं होगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसी आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण करेंगे जैसे – केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट जो इससे अधिक नहीं होंगे,

(क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के मामले में,

सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य सदस्य के मामले में,

साठ–सात वर्ष की आयुः

26. धारा 184 का विश्लेषण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संसद ने केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति सौंपी है – न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और अन्य नियमों और शर्तों का प्रावधान करें। हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या ऐसा करके संसद ने "आवश्यक विधायी कार्यों" को सौंप दिया है और क्या संसद ने कोई नियंत्रण बनाए रखा है।

27. हम वर्तमान मामले में विभिन्न न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित हैं। उन्हें आदेश दिया जाता है

लोगों को न्याय दिलाने के संवैधानिक कार्य का निर्वहन करना। मेरे विचार में, ऐसे उच्च पदों पर काम करने के लिए चुने गए व्यक्तियों की स्थापित योग्यता और विशेषताएँ क्या होनी चाहिए, यह विधायी कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संविधान में न्यायाधीशों की योग्यताओं का प्रावधान नहीं किया जा सकता था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जा सकता है। यदि इन न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों की जगह लेनी है, तो क्यों?

क्या वही सिद्धांत उन पर लागू नहीं होने चाहिए। मेरे विचार में, इन उच्च पदों को धारण करने के लिए पात्र व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करना न्यायाधिकरणों के महत्व, कानून के शासन के महत्व और एक स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए कानून का एक आवश्यक पहलू था।

28. जहां तक नियुक्ति के लिए योग्यता प्रदान करने का संबंध है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मेरा विचार है कि इन योग्यताओं को कानून में प्रदान किया जाना चाहिए और इन्हें प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, जहाँ तक वेतन और भत्तों जैसे अन्य नियमों और शर्तों का संबंध है, इन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

29. तर्क के लिए, भले ही यह कहा जाना था कि योग्यता निर्धारित करना एक आवश्यक कार्य नहीं है, फिर भी, विचार में

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के दिशा–निर्देश कानून में ही पाए जाने चाहिए थे। यह विरोधाभासी है कि आवश्यक योग्यताओं के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं, भले ही न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों की सेवाओं के नियमों और शर्तों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश हैं।

30. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल अधिनियमों और कानून के उद्देश्यों के बारे में मैं मुख्य न्यायाधीश के साथ सम्मानपूर्वक असहमति रखता हूं।

आर. के. जैन बनाम भारत संघ ', एल. चंद्र कुमार (ऊपर), भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन ", मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारतीय संघ ", मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ 1,

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर Ltd.[13] 13 को संक्षेप में दिशानिर्देशों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। एक संघ की उम्मीद करेगा

9 (1993) 4 एससीसी 119

11 (2014) 10 एससीसी 1 12 (2015) 8 एस. सी. सी. 583

13 (2016) 9 एस. सी. सी. 103 रोजर मैथ्यू बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

सरकार इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। हालाँकि, इस अपेक्षा को इस अधिनियम द्वारा झुठलाया गया है जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के हर सिद्धांत का उल्लंघन करता है और जैसा कि मेरे दोनों भाइयों के निर्णयों में कहा गया है, प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए नियम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधि और प्रतिनिधि दोनों ने महसूस किया कि वे इन निर्णयों से बंधे नहीं हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए नियमों को प्रतिनिधि द्वारा कानून के अनुरूप नहीं लाया गया है।

31. जहां तक वित्त अधिनियम के भाग XIV के अंतर्गत आने वाले मामलों का संबंध है, पिछले अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। इसलिए यह

यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि प्रतिनिधि अध्यक्षों/सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लोगों के नियम और शर्तों आदि को तय करने के लिए दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए फिर से निरस्त अधिनियमों का उल्लेख करेगा। यदि हम इस न्यायालय के निर्णयों और निरस्त अधिनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों को बाहर करते हैं तो कोई दिशानिर्देश नहीं बचे हैं। प्रतिनिधि के वापस आने के लिए। वित्त अधिनियम इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश प्रदान नहीं करता है। न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वालों के लिए आवश्यक योग्यता, पात्रता मानदंड, अनुभव आदि के संबंध में यह पूरी तरह से मौन है। ये शक्तियाँ सरकार को सौंप दी गई हैं।

32. कोई दिशा–निर्देश नहीं हैं, निरंकुश और निर्देशित शक्तियां नहीं हैं

प्रतिनिधि में निहित किया गया है और इसलिए, मेरी राय में, अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल है। इस प्रकार, मैं यह मानूंगा कि वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 जहां तक यह निर्धारित करने की शक्तियों को निर्दिष्ट करती है

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के सदस्य, अपीलीय न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, आठवीं अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों की योग्यताएं अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त हैं और तदनुसार उन्हें निरस्त कर दिया जाता है।

मुद्दा संख्या। 3 & 6

33. मैं मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं और मैं इसे जोड़ना नहीं चाहता।

कुछ भी।

मुद्दा संख्या। 4 , 5 , 7 & 8

34. मैं इन मुद्दों पर तर्क और निष्कर्ष दोनों पर मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, मेरा विचार है कि चूंकि किसी ने भी [2019] 16 एस. सी. आर. को चुनौती नहीं दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए। इस मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35. हालांकि, मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सामने आने वाली समस्याओं और उन मुद्दों को उजागर करना महत्वपूर्ण है जिन्हें न्यायिक कार्य करने वाले निकाय द्वारा हल करने की आवश्यकता है।

न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन समिति के रूप में न्यायाधिकरणों का प्रभाव मूल्यांकन। मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि जैसा कि एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, सभी न्यायाधिकरणों के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी होनी चाहिए। इस न्यायालय की 7–न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जहां तक संभव हो सभी न्यायाधिकरण एक ही न्यायाधिकरण के अधीन होने चाहिए।

नोडल एजेंसी। जब तक ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना नहीं की जाती, तब तक यह महसूस किया जाता था कि कानून और न्याय मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त मंत्रालय होगा।

36. एक नोडल एजेंसी होने के कई कारण हैं। न्यायाधिकरणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि श्रमशक्ति की कमी, बहुत कम पीठ, लंबे समय से खाली पड़े रिक्त पद, विभाग पर वित्तीय निर्भरता जो न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा कर सकता है आदि। ये ऐसी बुराइयाँ हैं जिनसे बचा जा सकता है यदि न्यायाधिकरण एक छत्र संगठन के अंतर्गत आते हैं। सभी न्यायाधिकरणों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए एक छत्र संगठन बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। इससे न्यायाधिकरणों का मानकीकरण हो सकता है और प्रत्येक न्यायाधिकरण की जरूरतों के लिए एक समान दृष्टिकोण हो सकता है। बड़ी संख्या में न्यायाधिकरण, विशेष रूप से जिन्हें न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने का कर्तव्य सौंपा गया है,

न्यायालयों को बदलने की दृष्टि से गठित किया गया और कई मामलों में

उच्च न्यायालयों द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता ऐसे न्यायाधिकरणों में निहित की गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इन न्यायाधिकरणों का संचालन त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा, उच्च बुद्धि और विशाल क्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।

उस क्षेत्र में अनुभव जिसमें वे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। इन न्यायाधिकरणों को कार्यात्मक स्वायत्तता भी होनी चाहिए। यह तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि एक नोडल निकाय न हो जो न्यायाधिकरणों की प्रशासनिक आवश्यकताओं की देखभाल करेगा। 2 दशकों से अधिक समय से सरकार ने एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के 7–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करना उचित नहीं समझा है। ये बातें नहीं हो सकतीं

अनिश्चित काल तक रुकने की अनुमति। इसलिए, मेरे विचार में, सरकार को आज से 6 महीने की अवधि के भीतर एक एकल नोडल एजेंसी स्थापित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जब तक कि वर्तमान प्रणाली रोजर मैथ्यू v.

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

जारी रखें। न्यायाधिकरणों को केवल वित्तीय स्वायत्तता देने से सभी न्यायाधिकरणों की देखरेख के लिए एक साझा संगठन की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी।

37. किसी भी न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन को किए बिना भी यह स्पष्ट है, जैसा कि मद्रास बार एसोसिएशन, 2010 (ऊपर) में कहा गया है कि भारत में न्यायाधिकरणों ने दुर्भाग्य से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं की है। कब

न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं, वे प्रायोजक विभाग पर निर्भर करते हैं कोष, बुनियादी ढांचे और यहां तक कि काम करने के लिए जगह के लिए। न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य अक्सर इस विभाग से लिए जाते हैं। यह, मेरी राय में, न्यायिक स्वतंत्रता की जड़ पर हमला करता है क्योंकि सबसे बड़ा वादी या हितधारक स्वयं बन जाता है

न्यायनिर्णायक निकाय का हिस्सा और अंश जो स्वतंत्र, स्वतंत्र और निडर माना जाता है।

38. सभी का न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता

न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करने का समय और प्रयास। भारत में जहां विलंब न्यायाधिकरणों को परेशान करता है, एक मुवक्किल जल्दबाजी में न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं करेगा, भले ही उसे कोई वास्तविक शिकायत हो। स्थापित कई न्यायाधिकरणों में, कर न्यायाधिकरण शायद सबसे सफल रहे हैं। मेरे विचार में, कर न्यायाधिकरणों के सफल होने का एक कारण यह है कि इन कर न्यायाधिकरणों के सदस्यों की भर्ती आम तौर पर कम उम्र में की जाती है और इसमें करियर की

गुंजाइश होती है न केवल न्यायाधिकरण के भीतर बल्कि न्यायाधिकरणों से लेकर उच्च न्यायालयों तक की प्रगति। यह तभी हो सकता है जब हम सेवानिवृत्त व्यक्तियों के बजाय युवा और सक्षम लोगों की भर्ती करें। कर न्यायाधिकरणों की सफलता का एक अन्य कारण यह है कि वादी या तो राजस्व या निर्धारिती होता है, दोनों के पास मामले लड़ने का अधिकार होता है। इसी तरह, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी होते हैं जो

14 अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सुदान, (2016) 8 एस. सी. सी. 509 [2019] 16 एस. सी. आर.

शामिल हैं। वाणिज्यिक न्यायाधिकरण उन वादियों से भी निपटते हैं जो

आम तौर पर उनके पास पर्याप्त धन होता है। लेकिन अब हमारे पास एनजीटी जैसे अन्य न्यायाधिकरण हैं जिनसे गरीब ग्रामीण संपर्क कर सकते हैं।

40. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की स्थापना की गई थी

वर्ष 1985। इसे निश्चित रूप से बेहतर कार्यशील न्यायाधिकरणों में से एक कहा जा सकता है। हालाँकि, इस न्यायाधिकरण में भी दिल्ली में प्रधान पीठ और 4 सर्किट पीठों सहित केवल 17 नियमित पीठें हैं। इससे पहले

सी. ए. टी. की स्थापना में, केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को राहत देने के लिए दीवानी अदालतों में जाने का अधिकार था। इसका मतलब यह था कि ऐसा कर्मचारी राहत देने के लिए उप–न्यायाधीश से भी संपर्क कर सकता था। उस अधिकार क्षेत्र को छीन लिया गया है। एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में, न्यायाधिकरणों के गठन को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय की 7–न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि न्यायाधिकरणों के आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे, हालांकि इस चेतावनी के साथ कि इन मामलों का निर्णय एक खंड पीठ द्वारा किया जाएगा।

41. कैट में भी रिक्ति की स्थिति बहुत अधिक है। 65 सदस्यों की कुल संख्या में से, कैट में 25 सदस्यों की कमी है–12 प्रशासनिक सदस्य और 13 न्यायिक सदस्य। यह लगभग 38 प्रतिशत की कमी है। न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ में 4 सदस्य होने चाहिए। हालाँकि, वर्तमान में केवल 1 न्यायिक सदस्य है और इस प्रकार चंडीगढ़ में कोई पीठ उपलब्ध नहीं है। चंडीगढ़ पीठ का अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ पर है। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगभग बिना उपचार के छोड़ दिया गया है। उच्च पदों पर

आसीन अखिल भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के लिए दिल्ली की प्रधान पीठ से संपर्क करना आसान है, लेकिन एक निम्न पद पर आसीन चपरासी या क्लर्क की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिससे नई दिल्ली तक लंबी दूरी की यात्रा करने, भारी राशि खर्च करने, दिल्ली जैसे महानगर के वकीलों द्वारा दिल्ली में मामला दायर करने के लिए अत्यधिक उच्च शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। इस तरह के वादी को वित्तीय रूप से मुकदमे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है।

42. एक और उदाहरण देने के लिए, एन. जी. टी. की दिल्ली में अपनी प्रधान पीठ और 4 क्षेत्रीय पीठ और 4 सर्किट बेंच होनी थी। यह था। उम्मीद है कि भविष्य में और बेंच जोड़े जाएंगे। अफ़सोस की बात है कि इसका उल्टा हुआ है। वर्तमान में, केवल प्रधान पीठ केवल एक अध्यक्ष और 3 न्यायिक सदस्यों (20 न्यायिक सदस्यों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले) और दो विशेषज्ञ सदस्यों (20 विशेषज्ञ रोजर मैथ्यू बनाम की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले) के साथ काम कर रही है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

सदस्य)। स्थिति बेहद विकट है। दिन–ब–दिन हम सभी प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में बात करते हैं लेकिन कठोर वास्तविकता यह है कि एक अध्यक्ष और 40 सदस्यों के मुकाबले, वर्तमान में अध्यक्ष के पास केवल 5 सदस्यों की सहायता है। परिणाम यह है कि क्षेत्रीय पीठों या सर्किट पीठों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास है। सूचित किया गया है कि मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग निश्चित रूप से कुछ मामलों में सुनवाई करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यदि जनता को संस्थान में विश्वास रखना है तो प्रारंभिक फाइलिंग और सुनवाई जहां तक संभव हो खुली अदालत में की जानी चाहिए। समुदाय में विश्वास और विश्वास पैदा करने के लिए खुली सुनवाई आवश्यक है। जनता के सदस्यों को केवल उन न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में विश्वास होगा जो

जनता के लिए खुले हैं। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अगर कोई

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एनजीटी के समक्ष कुछ मुद्दा उठाना चाहते हैं, उन्हें मामला दायर करने के लिए कम से कम कलकत्ता आना होगा, जबकि पहले वे पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के समक्ष मामला दायर कर सकते थे। यहां भी, सुनवाई, यदि कोई हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। पूर्वोत्तर में 8 राज्यों को शामिल करते हुए एन. जी. टी. की कोई पीठ काम नहीं कर रही है। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय और पारिस्थितिक रूप से नाजुक राज्यों में कोई बेंच काम नहीं कर रही है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायाधिकरणों के कार्यकरण में वांछित होने के लिए बहुत कुछ बचा है।

43. न्यायिक प्रभाव को पूरा करने वाली समिति

न्यायाधिकरणों के कामकाज के मूल्यांकन को कई मुद्दों से निपटना पड़ता है। इस निर्णय में सभी मुद्दों को रखना न तो संभव है और न ही उचित है, लेकिन मैं उनमें से कुछ पर प्रकाश डाल रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे निपटा जाना चाहिए वह यह है कि क्या न्यायाधिकरणों ने वास्तव में मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद की है। निपटान के लिए खर्च किया गया समय अलग-अलग मामलों में अलग-अलग हो सकता है लेकिन हम मुख्य रूप से उन मामलों से निपट रहे हैं जो उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में अंत। यह न केवल अखिल भारतीय आधार पर बल्कि राज्य-दर-राज्य आधार पर भी किया जाना चाहिए। देश में कई छोटे राज्य हैं जहाँ दीवानी अदालतें और

उच्च न्यायालयों पर काम का बोझ नहीं है। इन राज्यों में मामलों का फैसला कई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से किया जाता है। आम तौर पर यह

क्या ये छोटे राज्य हैं जिन्हें स्थायी पीठ नहीं मिलती हैं, कभी-कभी सर्किट बेंच भी नहीं। यह एक विरोधाभास है कि जो राज्य न्यायिक रूप से अच्छी तरह से प्रशासित हैं और जहां निपटान जल्दी होता है, उन्हें स्थायी पीठ नहीं मिलती है और वादियों को नुकसान होता है, जबकि जो राज्य मामलों को निपटाने में बहुत धीमे होते हैं, उन्हें अधिक पीठ मिलती हैं।

यहां तक कि जब [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्किट बेंच इन राज्यों में आते हैं जहां दो बैठकों के बीच बहुत बड़ा समय अंतराल होता है। सस्ता और तेजी से न्याय प्रदान करने का पूरा उद्देश्य खो जाता है क्योंकि सर्किट बेंच शायद ही कभी आती हैं और कई बार सर्किट बेंच का गठन हर यात्रा पर बदल जाता है जिसके परिणामस्वरूप

हर बार मामलों को फिर से सुना जा रहा है। 44. कम से कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में पीठों के बिना न्यायाधिकरण होना नागरिकों को न्याय से वंचित करने के बराबर है।

वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यह न्याय वितरण भी करता है।

प्रणाली बहुत महानगर केंद्रित है। इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। द.

आम आदमी न्याय की खोज में अधिक पैसा खर्च करे, अधिक समय बिताए और लंबी दूरी की यात्रा करे, जो उसका मौलिक अधिकार है। 45. वादी न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन और सरकार द्वारा कार्रवाई की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी। अनुभव

इसने दिखाया है कि एल. चंद्र कुमार (ऊपर) से लेकर मद्रास बार एसोसिएशन, 2010 (ऊपर) तक के निर्णयों का संघ द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। इस देश के नागरिकों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है जो प्रस्तावना में किया गया पहला वादा है। इसलिए, मेरा विचार है कि जिस भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में किसी विशेष न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित या कार्यशील नहीं है, उस राज्य के वादियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार होगा। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे दूर के स्थानों पर जाएँ और अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अपने साधनों से बहुत अधिक धन खर्च करें। वैकल्पिक उपचार न्यायाधिकरण तक पहुँचना एक भ्रामक उपचार है न कि एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार। स्व–अधिरोपित प्रतिबंध या किसी वैकल्पिक प्रभावी उपचार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे वादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रोजर मैथ्यू बनाम के समक्ष याचिका दायर करने के हकदार हैं।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।]

क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय। एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और इस अधिकार की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह वास्तव में वादियों के लिए उपलब्ध हो और यह एक भ्रामक अधिकार नहीं होना चाहिए।

46. एक और पहलू जिस पर गौर करने की आवश्यकता है, वह है यूनाइटेड किंगडम की तरह दो–स्तरीय न्यायाधिकरण प्रणाली की आवश्यकता–एक निचला न्यायाधिकरण और एक अपीलीय न्यायाधिकरण। यदि दो स्तरीय न्यायाधिकरण हैं तो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम के भीतर एक अपीलीय मंच का होना संभवतः उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय पर बोझ कम करें।

47. निचले न्यायाधिकरण में भर्ती एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर की जानी चाहिए जैसे कि पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा

जिला न्यायाधीश। निचले न्यायाधिकरणों में चुने गए व्यक्तियों को अपीलीय न्यायाधिकरणों में पदोन्नति के लिए पात्र बनाया जा सकता है। वास्तव में, वहाँ हो सकता है

एक या एक से अधिक न्यायाधिकरणों के लिए सामान्य सेवा। उदाहरण के लिए, सभी कर न्यायाधिकरणों के लिए एक साझा सेवा हो सकती है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के लिए भी एक सामान्य

सेवा हो सकती है। इसके लिए स्पष्ट रूप से अलग न्यायाधिकरण सेवाओं की स्थापना की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा किया जाता है, तो हमारे पास न्यायाधिकरण की सेवाएं होंगी।

जिनसे लोग इन न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों और न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों के पदों पर भी काम करेंगे। न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने वाले निकाय को इस मुद्दे पर भी गौर करना चाहिए कि क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बजाय न्यायाधिकरण सेवा होना बेहतर होगा। यदि बार के सदस्य या प्रशासन या राज्य न्यायपालिका से न्यायाधिकरण के सबसे निचले स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं और उनका एक लंबा कार्यकाल होता है यह जानते हुए कि वे 15 या 20 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होंगे, कोई भी बेहतर प्रतिभा और अधिक प्रतिबद्ध कार्यबल को आकर्षित करने में सक्षम होगा। न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सदस्यों के लिए एक लंबा कार्यकाल भी आवश्यक है। उनके पास उच्च स्तर तक पहुंचने की आकांक्षाएं भी होंगी, जो एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए एक प्रलोभन होगा।

48. यदि न्यायाधिकरण की सेवाएं हैं और न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम के भीतर अपील करने का प्रावधान है और उच्च न्यायालय उनका प्रयोग करते हैं रिट अधिकारिता या यदि कुछ मामलों में पहली बार में उच्च न्यायालयों को अपील प्रदान की जाती है, तो प्रणाली को परेशान करने वाली कई बुराइयों को दूर किया जा सकता है। यदि उपरोक्त प्रणाली का पालन किया जाता है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या नौकरशाहों की नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठेगा। न्यायमित्र ने अपने नोट में एक मुद्दा उठाया है कि न्यायाधिकरणों को सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। मेरे विचार में, आम तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद कोई इलाज नहीं होना चाहिए। हालांकि आदर्श स्थिति यह होगी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या नौकरशाहों से कोई नियुक्ति नहीं, यह निकट भविष्य में संभव नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई न्यायाधिकरण सेवाएं नहीं हैं और

49.इस स्तर पर अधिकांश पदों को सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से भरना पड़ सकता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि निकट भविष्य में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या को फिर से नियुक्त किया जाए अधिकार आयोग, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष आदि। लेकिन यह नियमित बात नहीं बननी चाहिए, विशेष रूप से जब कार्यपालिका द्वारा नियुक्तियां की जा रही हों। यदि प्रशासन नियुक्तियाँ करता है और न्यायाधीश, सेवारत या नए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऐसे पदों के लिए विचाराधीन हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता समझौता होने की संभावना है। इस देश की जनता को अभी भी न्यायपालिका में बहुत विश्वास है। यदि यह महसूस किया जाता है कि नियुक्तियाँ बाहरी कारणों से की गई हैं तो यह विश्वास नष्ट हो जाएगा। अधिकांश न्यायाधीश उनसे अपेक्षित सत्यनिष्ठा और औचित्य के उच्च मानकों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, लेकिन हम इस कठोर वास्तविकता पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि कुछ काली भेड़ें हैं। उन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो सेवानिवृत्ति के कगार पर, सत्ता के गलियारों में सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यकाल की तलाश में उमड़ते हैं। इसलिए, मेरी यह सुविचारित राय है कि चयन निकाय के अधिकांश सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश और/या उनके नामित सदस्य शामिल होने चाहिए और मुख्य न्यायाधीश और/या उनके नामित लोगों के विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्य सदस्यों के विचार।

50. यदि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधिकरणों का संचालन करने के लिए पर्याप्त हैं, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बराबर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यह उन रिक्तियों का ध्यान रखेगा जो अन्यथा अगले 3 वर्षों में उत्पन्न होंगी। आई. डी. 1 तक उच्च न्यायालयों में 1079 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 414 रिक्तियां थीं। इन रिक्तियों को भरने की धीमी गति को देखते हुए रिक्तियों की संख्या बढ़नी तय है। हालाँकि हम रोजर मैथ्यू बनाम हैं। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। [दीपाक गुप्ता, जे।] न्यायाधिकरणों की चर्चा करते हुए, यहां तक कि उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को भी इस विशाल रिक्ति स्थिति से खतरा है।

51. मैं मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के मामले में पहली अपील दायर करने को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय, जब वे इन मामलों पर विचार करेंगे, तो उनके साथ रिट अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे में व्यवहार करेंगे। यदि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करके दरकिनार कर दिया जाता है न्यायालय, जल्द ही एक ऐसा चरण आएगा जब हमारे पास उच्च न्यायालय के ऐसे कोई न्यायाधीश नहीं होंगे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्राधिकारों में मामलों की सुनवाई की होगी। उनके लिए उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों को संभालना लगभग असंभव होगा जहां एक न्यायाधीश का कार्यकाल औसतन केवल लगभग 4 वर्ष है।

52. न्यायिक प्रभाव आकलन समिति मूल्यांकन के बाद यह भी सिफारिश कर सकती है कि कुछ न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उस न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरणों) का अधिकार क्षेत्र दीवानी अदालतों या उच्च न्यायालयों या किसी अन्य न्यायाधिकरण को वापस दे दिया जाना चाहिए। यह दो या दो से अधिक न्यायाधिकरणों के विलय का भी सुझाव दे सकता है।

53. अगला मुद्दा यह है कि न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन किसे करना चाहिए। मेरे विचार में, न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन समिति इसमें उच्चतम न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होने चाहिए, जिनमें से वरिष्ठ समिति का अध्यक्ष होना चाहिए और उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किए जाने वाले हैं। तीन में से कम से कम दो को अध्यक्ष होना चाहिए था या न्यायाधिकरणों के सदस्य। कार्यपालिका के दो सदस्य, भारत सरकार के सचिव के पद से कम नहीं, कानून और न्याय मंत्रालय से एक और किसी अन्य शाखा से एक भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इन सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी चाहिए।

54. मेरा विचार है कि ऐसा आयोग होना आवश्यक है जो स्वयं एक ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों द्वारा संचालित स्वतंत्र निकाय। इस निकाय को उन व्यक्तियों का चयन करने की आवश्यकता है जो [2019] 16 एस. सी. आर. में विशेष न्यायाधिकरणों का संचालन करते हैं। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून की शर्तें। हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके पास न केवल जमीनी स्तर का अनुभव हो, बल्कि न्यायिक सदस्यों और जमीनी स्तर के अनुभव वाले लोगों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण

हो। हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके पास एक स्वतंत्र दृष्टिकोण, सत्यनिष्ठा, चरित्र और अच्छी प्रतिष्ठा हो। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हों। या सरकार का दबाव। तभी लोग करेंगे न्यायाधिकरणों के न्यायनिर्णायक तंत्र में विश्वास रखें।

55. मेरे विचार में, उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पहले से ही बोझिल हैं और उनके पास समय नहीं है। यह बहुत बेहतर होगा कि वे न्यायाधिकरणों के क्षेत्र में जाने के बजाय उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने में अपना समय और शक्ति खर्च कर सकें।

56. मुझे यह भी लगता है कि एक बहुत बड़ी समिति होने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सक्षम लोगों की एक छोटी समिति एक बेहतर समाधान है और मेरे विचार में, इस तरह के आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होने चाहिए, जिनमें सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने चाहिए। उच्च न्यायालय के अध्यक्ष और एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। भारत सरकार के सचिव या समकक्ष पद पर आसीन अधिकारियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होना चाहिए। यह सदस्य पदेन संयोजक होगा। पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा एक विशेषज्ञ सदस्य का सह–चयन किया जा सकता है। इस विशेषज्ञ सदस्य के पास न्यायाधिकरण द्वारा कवर किए गए क्षेत्र/क्षेत्राधिकार में विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए, जिसमें नियुक्तियां की जानी हैं।

57. अंत में मैं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए कही गई बातों को उद्धृत करना चाहूंगा। उनमे शब्दः

" क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित है। खराब होने के लिए क्योंकि जिन्हें काम करने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत खराब होते हैं। संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यह बदल सकता है। अगर जिन लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत अच्छे होते हैं। संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका को प्रदान कर सकता है।न्यायपालिका। जिन कारकों पर वे काम करते हैंयदि राज्य जनता और राजनीतिक दलों पर निर्भर है जिन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके साधन के रूप में स्थापित किया गया है औरटिक्स "।

केवल यह आशा करते हैं कि इन विचारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रणाली जो त्रुटिहीन लोगों के चयन को सुनिश्चित करती है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक अच्छा चरित्र है और प्रभाव या दबाव से मुक्त है, और उनके पास आवश्यक अधिकार क्षेत्र हैं जिनसे वे अध्यक्ष के रूप में निपटेंगे।

इबनुल्स।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।